द्वितीयमाला खण्ड ५४—अंक ४२

बुधवार, १२ अप्रैल, १९६१
२२ चैत्र, १८८३ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(तेरहवां सत्र)

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

(खण्ड ५४ में अंक ४१ से अंक ५० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)   चार शिलिंग (विदेश में)

द्वितीय माला खण्ड ५४——अंक ४१ से ५०——११ से २१ अप्रैल, १९६१/२१ चैत्र से १ वैशाख १८८३ (शक)

पृष्ठ

अंक ४१——मंगलवार, ११ अप्रैल, १९६१/२१ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४३३ से १४३६, १४३८ से १४४१, १४४४ से १४४७ और १४५१ से १४५४ . . . ४८३५–६२

प्रश्नों के लिखित उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या १४३७, १४४२, १४४३, १४४८, १४४९ और १४५५ से १४५८ . ४८६२–६८

अतारांकित प्रश्न संख्या ३०३६ से ३०७१ . . . ४८६८–८३

नागा विद्रोहियों द्वारा भारतीय वायुसेना के कर्मचारियों को पकड़ लेने के बारे में ४८८३–८४

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ४८८४

प्राक्कलन समिति——

एक सौ पचीसवां प्रतिवेदन . . ४८८४

वित्त विधेयक, १९६१, के बारे में याचिका . ४८८४

अनुदानों की मांगें ४८८५–४९२३

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय . ४८८५–९४

प्रतिरक्षा मंत्रालय . ४८९५–४९२३

कृषि आयोग के बारे में आधे घंटे की चर्चा ४९२३–२६

दैनिक संक्षेपिका ४९२७–३०

अंक ४२——बुधवार, १२ अप्रैल, १९६१/२२ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ——

तारांकित प्रश्न संख्या १४५९ से १४६२, १४६५ से १४७६ १४७० से १४७७ . . . . . ४९३१–५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या १४६३, १४६४, १४६८, १४६९ और १४७८ से १४८१ . . ४९५५–५८

पृष्ठ

अतारांकित प्रश्न संख्या ३०७२ से ३१४४ और ३१४६ से ३२१७ ४९५८–५०२६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना——

एस० एस० द्वारा जहाज में आग . ५०२७–२८

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ५०२८

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति——

ब्यासीवां प्रतिवेदन ५०२८

प्राक्कलन समिति——

एकसौ सत्ताइसवां तथा एक सौ इकतीसवां प्रतिवेदन ५०२९

अनुदानों की मांगें ५०२९–६९

प्रतिरक्षा मंत्रालय ५०२९–५९

सामुदायिक विकास तथा सहकार-मंत्रालय . ५०५९–६९

उड़ीसा-भूमि सुधार अधिनियम के बारे में आधे घंटे की चर्चा ५०७०–७१

दैनिक संक्षेपिका ५०७२–७८

अंक ४३——गुरुवार, १३ अप्रैल, १९६१/२३ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ——

तारांकित प्रश्न संख्या १४८२ से १४९०, १४९२ और १४९४ . ५०७९–५१०२

प्रश्नों के लिखित उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या १४९१, १४९३, और १४९५ से १५१८ ५१०२–१४

अतारांकित प्रश्न संख्या ३२१८ से ३२९३ . ५११४–४६

दिनांक ९-३-६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९२२ में शुद्धि

निधन संबंधी उल्लेख . ५१४६–४७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना——

कोलार की राष्ट्रीयकृत सोने की खानों के बंद हो जाने की संभावना ५१४७–४८

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ५१४८–४९

प्राक्कलन समिति——

एक सौ उन्तीसवां और एक सौ बत्तीसवां प्रतिवेदन . . ५१४९–५००

	पृष्ठ
समिति के लिए निर्वाचन--	
विश्व-भारती . .	५०१०
अनुदानों की मांगें	५१५०-९४
सामदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय	५१५०-९४
कार्य मंत्रणा समिति .	५१९५
त्रेसठवां प्रतिवेदन .	५१९६-५२०२
दैनिक संक्षेपिका	
अंक ४४--गुरुवार, १४ अप्रैल, १९६१/२४ चैत्र, १८८३ (शाक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १५१९, १५२१ से १५२५, १५२८, १५३० से १५३५ और १५३७	५२०३-२८
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १५२०, १५२६, १५२७, १५२९, १५३६ और १५३८ से १५५२	५२२९-३७
अतारांकित प्रश्न संख्या ३२९४ से ३३४५ .	५२३७-५८
स्थगन प्रस्ताव--	
१३ अप्रैल, १९६१ को दिल्ली में बिजली की व्यवस्था का भंग हो जाना ।	५२५८-५९
सभा पटल पर रखे गये पत्र	५२५९-६०
प्राक्कलन समिति--	
एक सौ चौथा और एक सौ अठारहवां प्रतिवेदन	५२६०
कार्य मंत्रणा समिति--	
त्रैसठवां प्रतिवेदन	५२६१
अनुदानों की मांगें	५२६१-७७
इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय	
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति--	
ब्यासीवां प्रतिवेदन . . .	५२७८
कोयला खानों के राष्ट्रीकरण के बारे में संकल्प--अस्वीकृत .	५२७८-८६
धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म स्वीकार करने वालों के बारे में संकल्प .	५२८६-९४
दैनिक संक्षेपिका .	५२९९-५३००

पृष्ठ

अंक ४५—शनिवार, १५ अप्रैल, १९६१ / २५ चैत्र, १८८३ (शक)

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . ५३०१–०२

सभा का कार्य . ५३०२–०३

अनुदानों की मांगें . ५३०३–६३

इस्पात खान और ईंधन मंत्रालय ५३०३–४५

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय . . . ५३४५–६३

पूर्वोत्तर रेलवे पर खतरे की जंजीरों के बारे में आधे घंटे की चर्चा . ५३६३–६९

दैनिक संक्षेपिका ५३७०–७१

अंक ४६—सोमवार, १७ अप्रैल, १९६१ / २७ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५५३ से १५५५, १५५८, १५५९, १५६२ से १५६७, १५६९, १५७०, और १५७२ से १५७५ ५३७३–९८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५५६, १५५७, १५६०, १५६१, १५६८, १५७१ और १५७६ ५३९९–५४०२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३३४६ से ३४१६ और ३४१८ से ३४२० ५४०२–३६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ५४३७

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ५४३७

प्राक्कलन समिति

एक-सौ-चौतीसवां प्रतिवेदन ५४३७

अनुदानों की मांगें

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय . . ५४३८–९१

केरल राज्य में नारियल की फसल को क्षति के बारे में आधे घंटे की चर्चा . ५४९१–९३

दैनिक संक्षेपिका ५४९४–९८

अंक ४७—मंगलवार, १८ अप्रैल, १९६१ / २८ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५७७ से १५८०, १५८२, से १५८५, १५८७ से १५८९, १५९१, १५९३ से १९५९५ और १५९९ से १६०२ ५४९९–५५२५

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १५८१, १५८६, १५९०, १५९२, १५९६ से १५९८ और १६०३ से १६१० . . . ५६१५–३१

अतारांकित प्रश्न संख्या ३४२१ से ३४९१, ३४९३ से ३५०२ और ३५०४ से ३५१३ ५५३१–७२

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . ५५७१

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ५५७१–७२

अनुदानों की मांगें . . . ५५७२–५६२४

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय . . ५५७२–८५

वित्त मंत्रालय ५५८५–५६२४

डिग्री कालेजों के अध्यापकों के वेतन क्रमों के बारे में आधे घंटे की चर्चा ५६२४–२७

दैनिक संक्षेपिका . . . ५६२८–३३

अंक ४८—बुधवार, १९ अप्रैल, १९६१ / २९ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्य १६११ से १६१५, १६१८, १६२०, १६२१ और १६२३ से १६२९ . ५६३५–५९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६१६, १६१७, १६१९, १६२२ और १६३० से १६३५ . . . . . ५६५९–६४

अतारांकित प्रश्न संख्या ३५१४ से ३५२३, ३५२५ से ३५५८ और और ३५६० से ३५७१ . ५६६४–९१

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . ५६९२

राष्ट्रपति से सन्देश . . . ५६९२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—

तिरासीवां प्रतिवेदन ५६९२

अनुदानों की मांगें ५६९३–५७३०

वित्त मंत्रालय ५६९३–५७२७

अणु-शक्ति-विभाग . ५७२८

संसद् कार्य विभाग . . ५७२८–३०

विनियोग (संख्या २) विधेयक--पुरस्थापित ५७३०

वित्त विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . ५७३०–३३

दैनिक संक्षेपिका . . . ५७३४–३८

अंक ४६——गुरुवार, २० अप्रैल, १६६१ /३० चैत्र, १८८३ (शक)

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर——	
तारांकित प्रश्न संख्या १६३६ से १६४०, १६४२ से १६४६ और १६४६ से १६५४ .	५७३६——६२
प्रश्नों के लिखित उत्तर——	
तारांकित प्रश्न संख्या १६४१, १६४७, १६४८, १६५५ और १६५६	५७६३——६६
अतारांकित प्रश्न संख्या ३५७२ से ३६३८ . .	५७६६——६३
स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . .	५७६३–६४
विशेषाधिकार का प्रश्न	५७६४–६५
स्थगन प्रस्ताव——	
ओटावा में भारतीय उच्च आयोग के प्रथम सचिव की गोली लगने से मृत्यु	५७६५–६६
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर सिलीगुडी के निकट रेलवे दुर्घटना के बारे में वक्तव्य	
श्री शाहनवाज खां	५७६६–६७
विनियोग (संख्या २) विधेयक, १६६१——	
विचार करने का प्रस्ताव	५७६७–६८
खण्ड २, ३ और १ .	५७६८
पारित करने का प्रस्ताव	५७६८
वित्त विधेयक——	
विचार करने का प्रस्ताव . . .	५७६६——५८३२
सभा का कार्य .	५८३२
दैनिक संक्षेपिका . . .	५८३३——३७

अंक ५०——शुक्रवार, २१ अप्रैल, १६६१ /१ बैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर——	
तारांकित प्रश्न संख्या १६५७ से १६५६, १६६१ से १६७५ और १६७५–क .	५८३६——६६

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६६० और १६७६ से १६८३ . ५८६६—७२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३६३६, से ३७०१ ३७०३ से ३७२५ ५८७२—५६०५

स्थगन प्रस्ताव

बेला रोड पर डेरी किशनचंद में आग लग जाना . . ५६०५—०७

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य—

क्यूबा की स्थिति . . . . ५६०७—०६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ५६०६—११

वित्त विधेयक, १६६१—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . . ५६११—६१

दैनिक संक्षेपिका . . ५६६२—६७

नोट:—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योत्तक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

GMGIPND—LS III—543 (Ai) LS—23-6-31—126

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

बुधवार, १२ अप्रैल १९६१

२२ चैत्र, १८८३ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर केन्द्रीयित यातायात नियंत्रण प्रणाली

†*१४५९. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या रेलवे मंत्री १५ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर केन्द्रीयित यातायात नियंत्रण केन्द्र स्थापित कर दिये गये हैं ; और

(ख) इससे इन रेलमार्गों की यातायात क्षमता में कितनी वृद्धि हुई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या इस पद्धति के चालू हो जाने से इस सेक्शन में लगने वाले समय में भी कमी हो जायेगी ?

†**श्री शाहनवाज खां** : जी, हां । इस पद्धति से लाइन की क्षमता बढ़ जाती है और यदि मार्ग उपयुक्त हुआ तो उससे गति बढ़ जायगी ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : यह प्रणाली सभी रेलों में लागू की जानी थी परन्तु पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे को क्या प्राथमिकता दी जा रही है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : हम पूर्वोत्तर सीमा रेलवे से इस कार्य का आरम्भ कर रहे हैं । यह सुझाव विश्व बैंक द्वारा भेजे गये एक विशेष मिशन द्वारा दिया गया था । उस मिशन का नाम

†मूल अंग्रेजी में

446(Ai) LSD—1.

मेसर्स सन्डरसन एण्ड पोर्टर समिति था । उसमें तेल के द्वारा गाड़ियों को चलाने की सिफारिश की गयी थी और उसके परिणामस्वरूप तथा और अधिक विचार करने पर यह निर्णय किया गया है कि इस पद्धति को सिलिगुडी से अलिपुरद्वारा तक लागू किया जाये ।

†**श्री सिंहासन सिंह :** यह पद्धति कब चालू की जायेगी और यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

†**श्री शाहनवाज खां :** क्योंकि यह पद्धति हमारे देश के लिये एक नयी चीज़ है, इसलिये इस पर हमें ध्यानपूर्वक विचार करना पड़ा है । पदाधिकारियों की एक विशेषज्ञ समिति ने सम्पूर्ण मामले पर विचार किया है और बोर्ड को अपनी रिपोर्ट पेश की है । टेण्डरों पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया गया है । और अधिक चर्चा करन के लिये उस फर्म के प्रतिनिधि को भारत बुलाया है । आशा है कि कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ कर दिया जायेगा और कार्य पूरा होने में लगभग दो वर्ष लग जायेंगे ।

पर्वतीय क्षेत्रों में डाक वितरण

*१४६०. **श्री भक्त दर्शन :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री १४ दिसम्बर, १६६० के तारांकित प्रश्न-संख्या ८६४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों में डाक बांटने की व्यवस्था में सुधार करने का जो प्रश्न विचाराधीन था उसके बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

सम्बन्धित डाक परिमण्डलों के अध्यक्षों को यदि आवश्यक हो तो अधिक डाकघर खोलकर, अतिरिक्त वितरण कर्मचारी लगाकर तथा आसपास के डाकघरों के वितरण कर्मचारियों के भत्ते में वृद्धि करके पहाड़ी क्षेत्रों में डाक बांटने की व्यवस्था में सुधार करने के अनुदेश जारी कर दिये गये हैं ।

इसके परिणामस्वरूप नौ सौ से भी अधिक गांवों को उन डाकघरों की डाक-वितरण-व्यवस्था में शामिल कर लिया गया है, जिनमें सम्बन्धित डाकघरों के वितरण कर्मचारियों द्वारा डाक बांटी जाती है । नौ सौ पेंतीस गांव, जो कि पहले मासिक रूप से या एक महीने के बाद डाक प्राप्त करते थे, अब प्रति सप्ताह तथा पन्द्रहवें दिन डाक प्राप्त कर रहे हैं और अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था होन के साथ ही साथ जिनके लिए आदेश जारी किये जा चुके हैं, आशा है छः सौ से भी अधिक और गांवों में डाक-वितरण-व्यवस्था में सुधार हो जाएगा ।

श्री भक्त दर्शन : इस विवरण से ज्ञात होता है कि जो नये आदेश दिये गये हैं, उन के अनुसार ६०० गांव ऐसे हैं, जिन में अब डाक को डाक-तार विभाग के द्वारा बांटा जायगा, उन के लिये अभी तक डाक विभाग था ही नहीं । मैं यह जानना चाहता हूं कि इन आदेशों के बाद कितने ऐसे गांव रह जाते हैं, जहां डाक वितरण की व्यवस्था नहीं की जा सकी है ।

श्री राज बहादुर : जहां तक मं समझता हूं, उस में स्पष्ट रूप से लिखा हैं कि ६०० गांव और एसे हैं, जिन को डाकियों की डिलिव्री-बीट में रख दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : मैं यह जानना चाहता हूं कि हेड्ज़ आफ़ सर्कल्ज़ को जो आदेश दिये गये हैं, उन पर कब से अमल होगा, या उन के सम्बन्ध में फिर देरी होगी, जैसे अक्सर हुआ करती ह ।

श्री राज बहादुर : जैसा कि इस में सूचना दी गई है, उन पर अमल तुरन्त होगा और जो व्यवस्था की गई है, उस के अनुसार कार्य होगा ।

†**श्री च० द० पांडे** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पहाड़ों में बहुत सी मोटर सड़कें बना दी गयी हैं, परन्तु मोटर गाड़ियों से डाक भेजने का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है, क्या सरकार डाक के लिय मोटर गाड़ियां इस्तमाल करने की ओर ध्यान देगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : माननीय सदस्य उसी राज्य से आय हैं परन्तु उन्हें वहां के क्षत्र के सम्बन्ध में ज्ञान नहीं है । वास्तव में, जह भी मोटर गाड़ियां जा सकती है, हम वहां तक उन्हें ले जाते हैं । परन्तु सरकारों की कमी के काण हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । परन्तु फिर भी हम इन क्षत्रों में यथा सम्भव अधिक से अधिक गाड़ियां चलाने का यत्न कर रहे हैं ।

†**श्री नारायणनसामी** : क्या मद्रास राज्य के कोडायकनल ताल्लुक के पहाड़ी क्षेत्र में डाक सेवा अच्छी प्रकार से चल रही है ? क्या माननीय मंत्री को यह ज्ञात ह कि वहां कुछ क्षत्रों में डाक एक सप्ताह में एक बार बांटी जाती है ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : जहां तक कोडायकनल का सम्बन्ध है, मुझे ज्ञात ह कि कुछ स्थलों पर डाक बांटी जा सकती है । उन स्थानों पर हम अधिक बार डाक बांटने का यत्न कर रहे हैं ।

†**श्री हेडा** : क्या डाक तथा तार विभाग के सर्कल किसी भी सड़क के खुलते ही स्वयंमेव डाक सेवा प्रारम्भ कर देता है या कि वह तब तक प्रतीक्षा करता रहता है जब तक कि वहां के लोग प्रार्थना नहीं करते ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : जब भी आवश्यकता पैदा होती है, डाक विभाग इस कार्य को प्रारम्भ कर देता है ?

†**श्री भक्त दर्शन** : क्या इन सड़कों के चालू हो जाने के बाद भी डाक महीन बाद बांटी जाती रहेगी ?

†**डा० प० सुब्बरायन**: सम्भव ह कि कुछ एक गांव एसे हों । मैं इस बारे में जांच करूंगा ।

संयुक्त राज्य अमरीका से गेहूं का वहन

†*१४६१. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री २३ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३७८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जपब्लिक ला ४८० करार के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले माल के वहन के लिये इंडिया सप्लाई मिशन, वाशिंगटन द्वारा आमंत्रित मूल्य-दरों के प्रत्युत्तर में जो प्रस्ताव मिले हैं, क्या सरकार ने इस बीच उन की जांच कर ली है और उसके बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) जी, हां ।

(ख) स्वीकृत मूल्य-दरो में जनवरी, १९६१ से ३१/२ वर्षों के लिये प्रति वर्ष ११.५ लाख जटन गेहूं की मात्रा सम्मिलित है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री रामेश्वर टांटिया : यदि इस गेहूं को अपने ही जहाजों में लाया जाये, तो कितने किराये भाड़े की बचत हो सकती है ?

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : दिसम्बर, १९६० की दरों से तुलना करने पर यह आशा की जा सकती है, कि अमरीकी जहाजों और गैर-अमरीकी जहाजों से २० लाख डालरों की बचत हो सकती है ।

†श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : भारत में हाल ही में गेहूं की स्थिति में हुए सुधार को ध्यान मे रखते हुए भी क्या सरकार अमरीका से अभी तक १५ लाख टन गेहूं आयात करने का विचार रखती है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : जी, हां । मुझे आशा है कि यह सुधार अस्थायी लगता ही नहीं है, परन्तु स्थिरता के लिये हमें लगभग दो तीन वर्ष का समय लग जायेगा । इसलिये उस समय तक हमें गेहूं का आयात जारी रखना पड़ेगा ।

†श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : माननीय मंत्री का यह कहना है कि देश में गेहूं की स्थिति पर्याप्त सुधर गयी है और गेहूं के लाने या ले जाने पर से प्रतिबन्ध हटा दिये गये हैं । यदि स्थिति में वास्तव में सुधार हो गया है, तो तीन वर्षों तक विदेशों से गेहूं के आयात करते रहने की क्या जरूरत है ?

†श्री स० का० पाटिल : हम ने यह नीति निर्धारित की है कि इस देश में ५० लाख टन गेहूं का भंडार रहना चाहिये ताकि यहां पर कम उत्पादन होने पर भी कोई बुरा असर न पड़े ।

†श्री दी० चं० शर्मा : क्या इस में से कुछ गेहूं भारतीय जहाजों में मंगवाने के सम्बन्ध में कोई यत्न किया जा रहा है ?

†श्री स० का० पाटिल : यदि भारतीय जहाज उपलब्ध हों, तो ५० प्रतिशत तक गेहूं उन्हीं में मंगवाया जा सकता है । परन्तु हमारे पास वर्तमान स्थिति में हमें ७ से ८ प्रतिशत तक ही अपने जहाजों में आयात करना पड़ रहा है । इसीलिये हमें अमरीकन जहाजों में गेहूं मंगवाना पड़ रहा है ।

श्री विभूति मिश्र : सरकार देश में स्टाक करने के लिये बाहर से जो गल्ला मंगाती है, उस को बहुत दिनों तक रखने से उस की जीवन-शक्ति नष्ट हो जाती है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस बात का ख्याल है ।

श्री स० का० पाटिल : बराबर ख्याल है । यह ठीक है कि अगर एक बरस तक अनाज रखा जायेगा, तो उस की जीवन-शक्ति नष्ट हो जायेगी, मगर इरादा वह नहीं है कि ५ मिलियन टन, अर्थात ५० लाख टन वहीं रखा जाये । वह तो प्रतिवर्ष बदल जायेगा और उस की जीवन-शक्ति नष्ट नहीं होने पायेगी ।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि पर-टन अमरीकन शिपिंग फ्रेट का क्या रेट अमरीका दे रहा है और सरकार ने पर-टन कितना देने के लिये आफर किया है ।

श्री स० का० पाटिल : नान-अमरीकन का जो कुछ भाव है, उस से ज्यादा अमरीका खुद ही देता है । वह हमारे ऊपर नहीं आता है । हम नहीं देते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री रामेश्वर टांटिया : जब देश में अपनी फसल पूरी हुई है, तो क्या यह जरूरी होगा कि इस बरस अमरीका से अनाज मंगाना पड़े ?

श्री स० का० पाटिल : इस बरस तो अच्छी फसल हो गई है, लेकिन पांच मिलियन, अर्थात ५० लाख टन तो हम को रखना है, जो हमारे पास नहीं है। शायद दो तीन बरस में ऐसी स्थिति आ जायेगी कि हमारे पास काफी हो जायेगा, तो बाहर से मंगाने की आवश्यकता नहीं रह जायेगी और यह हमारा इरादा है।

चौ० रणबीर सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि गेहूं और चावल की अच्छी फसल होने की वजह से, सरकार पी० एल० ४८० के तहत जो अनाज मंगाती है, उस में कमी करने का इरादा है या नहीं।

श्री स० का० पाटिल : मैं ने अभी उत्तर दिया है कि वही इरादा है।

श्री ब्रजराज सिंह : अपने देश में एक तरफ चीनी की बढ़ोतरी हो रही है और दूसरी तरफ हम अमरीका से गेहूं मंगा रहे हैं। क्या सरकार के विचार में ऐसा प्रस्ताव है कि जो गेहूं अमरीका से मंगा रहे हैं, उस के बदले में हमारे यहां से चीनी लेने के बारे में अमरीकी सरकार पर दबाव डाला जाये ?

श्री स० का० पाटिल : वह तो है ही, लेकिन माननीय सदस्य को खबर है कि जितना पैसा आया है गेहूं के बदले, जो कि ६४० करोड़ के करीब है, वह तो हम ने अपने थर्ड फाइव-यीअर प्लान में रखा है। उस से श्रीगणेश तो हो गया है। अमरीका जो चीनी लेगा, उस का एक फायदा है कि पचास टका भावे ज्यादा मिलता है, जिस में हमारा हित है। करीब पांच लाख टन चीनी अमेरीका ले, इस प्रकार की कोशिश मेरी होगी।

कोरोनेशन पिलर सीवेज प्लांट, दिल्ली से सिंचाई का पानी

†*१४६२. **श्री अ० मु० तारक** : क्या स्वास्थ्य मंत्री ४, अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ७९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरारी गांव के किसानों के आवेदनपत्र के प्रत्युत्तर में, कोरोनेशन पिलर सीवेज प्लांट, दिल्ली से आने वाले गन्दे पानी का उपयोग सिंचाई कार्यों के लिये करने के वास्ते इस बीच कोई कार्यवाही की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) लगभग ७०० एकड़ भूमि में गन्दे नाले के पानी से सिंचाई की जा रही है। परन्तु बरारी का क्षेत्र नीची सतह का है और वह बाढ़ के पानी से भर जाता है, इसलिये वहां नहरें बनायी जा सकती। अतः बरारी के किसानों के आवेदन पत्रों पर दिल्ली नगर निगम प्राधिकारियों द्वारा विचार नहीं किया जा सकता।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री अ० मु० तारिक : मैं जानना चाहता हूं कि जो सीवेज प्लांट है, इसकी कैपेसिटी कितनी है और इस पर हमने कितनी रकम खर्च की है ?

श्री करमरकर : अभी जो सीवेज प्लांट चल रहा है वह कोई चार हजार एकड़ वाला है और जिन देहातों को सप्लाई किया जाता है, उन देहातों की संख्या में समझता हूं कि कोई १७ है।

आयुर्वेदिक साहित्य

†*१४६५. **श्री कोडियान** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्राचीन आयुर्वेदिक साहित्य का अंग्रेजी और हिन्दी में अनुवाद करने की किसी प्रस्थापना पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो किन ग्रंथों का अनुवाद कराने का विचार है ; और

(ग) सरकार द्वारा इस बारे में कितना धन व्यय किया जाना है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, हां।

(ख) फिल हाल तो संस्कृत की दो पुस्तकों 'अष्टांग हृदय' तथा 'सुश्रुत संहिता' का हिन्दी और अंग्रेजी में अनुवाद करने का विचार है।

(ग) आशा है कि इनके अनुवाद पर लगभग १६,००० रुपयों की राशि खर्च होगी।

†**श्री कोडियान** : इन पुस्तकों के हिन्दी और अंग्रेजी में अनुवाद कब तक तैयार हो जायेंगे ?

†**श्री करमरकर** : लगभग ८ महीनों का समय लग जायेगा।

†**श्री कोडियान** : क्या इनका अन्य प्रादेशिक भाषाओं में भी अनुवाद किया जायेगा ?

†**श्री करमरकर** : जी, नहीं। हम केवल हिन्दी और अंग्रेजी में ही अनुवाद करने का विचार रखते हैं। प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद की ओर राज्य सरकारें ध्यान देंगी।

डा० गोविन्द दास : मैं ने उत्तर पूरी तरह से सुना नहीं। सुश्रुत संहिता है या चरक संहिता ?

श्री करमरकर : चरक संहिता का तो ट्रांसलेशन है। डा० पी० एम० मेहता ने किया है। सुश्रुत संहिता मैं ने कहा है।

डा० गोविन्द दास : तो अब एक ग्रंथ और रह जाता है संस्कृत का वाग्भट्ट। क्या इस पर भी कुछ विचार किया जा रहा है कि जब चरक और सुश्रुत का अनुवाद हो जायेगा तो इसको भी हाथ में लिया जाये ? और क्या यह अनुवाद पूरी किताब का होगा या संक्षिप्त अनुवाद होगा ?

श्री करमरकर : इरादा यह है कि पूरा अनुवाद हो जाये अंग्रेजी और हिन्दी में या फिर जिस हद तक हो सके, हो। जो अनुवाद अभी प्रसिद्ध हैं और जिनके राइटस मिल सकते हैं सस्ते में, उनको एडाप्ट किया जायेगा। वाग्भट्ट के बारे में शायद माननीय सदस्य ने सुना होगा कि अष्टांग हृदय जो मैं ने कहा है, वह वाग्भट्ट जी का ही है।

श्री पद्म देव: जिन प्रामाणिक ग्रन्थों का भाष्य इस वक्त सरकार तैयार कर रही है, उसके प्रस्तुत होने के पश्चात् जो भाष्य अभी रुपये की दृष्टि से लोगों ने इस वक्त कर रखे हैं, उनके ऊपर प्रतिबन्ध लगेगा, वे छपने बन्द हो जायेंगे क्या ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री करमरकर : प्रतिबन्ध नहीं लगेगा। हम उनके ऊपर कोई रुकावट नहीं लगा सकते हैं। पर हमारी कोशिश यह है, हमारा प्रयत्न यह है कि सस्ते में, जो मूलभूत आयुर्वेदिक ग्रन्थ हैं, उनको सभ्य लोगों को उपलब्ध किया जाये।

पर्यटक यातायात का सर्वेक्षण

†*१४६६. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्यटन यातायात के ढांचे और सम्भावित रूपरेखा का कोई सर्वेक्षण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार किन निष्कर्षों पर पहुंची है और १९६१–६२ में इस यातायात को संभालने के लिये इसकी क्या तैयारी है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

आने वाले यात्रियों द्वारा भरे जाने वाले डिसएम्बार्केशन कार्डों में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर विदेशी पर्यटक यातायात के सम्बन्ध में एक सर्वेक्षण किया गया है। निम्नलिखित सारणी से यह ज्ञात होगा कि १९५६ में ६५,८८७ व्यक्ति आये थे और १९६० में १,२३,०९५ व्यक्ति आये हैं। इस प्रकार से चार वर्षों की अवधि में १०० प्रतिशत वृद्धि हो गयी है।

वर्ष	विदेशी पर्यटकों की संख्या	पहले वर्ष की तुलना में वृद्धि
१९५६ . . .	६५,८८७	—
१९५७ . . .	८०,५४४	२२.२ प्रतिशत
१९५८ . . .	९२,२०२	१४.५ प्रतिशत
१९५९ . .	१,०९,४६४	१८.७ प्रतिशत
१९६० . . .	१,२३,०९५	१२.५ प्रतिशत

आशा है कि भविष्य में भी यह संख्या निरन्तर बढ़ती जायगी। इस सम्बन्ध में क्षमता के बारे में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है, परन्तु यह कहा जा सकता है कि क्षमता तो बहुत अधिक है, परन्तु वह निवासस्थानों तथा यात्रा सम्बन्धी सुविधाओं की कमी के कारण सीमित है।

देश के अन्दर पर्यटन का कार्य भी प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है, परन्तु उसके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। यहां भी सीमित संख्या का मूलकारण निवासस्थानों तथा यात्रा सम्बन्धी सुविधाओं की कमी है। फिर भी देश के पर्यटन का कार्य मुख्यतया राज्य सरकारों का है।

दुकानदारों, टैक्सी ड्राइवरों, पथ प्रदर्शकों, होटल वालों द्वारा किये जाने वाले कदाचार और भिखारी समस्या की रोकथाम करने के लिये यथासंभव यत्न किया जा रहा है।

†मूल अंग्रेजी में

इन कार्यवाहियों के ब्यौरे परिवहन तथा संचार मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट (१६६०-६१) में सम्मिलित हैं।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या माननीय मंत्री को यह ज्ञात है कि १६६०-६१ में विदेशी पर्यटकों के कुछ दलों ने भारत आना था, परन्तु उन्होंने भारत आने के अपने कार्यक्रम को रद्द कर दिया था क्योंकि भारत में उनके निवास स्थान और यात्रा के सम्बन्ध में सुविधायें नहीं दी जा सकीं ?

†श्री राज बहादुर : मुझे इस बारे में तो ज्ञात नहीं है, परन्तु संभव है कि कुछ एक पर्यटकों ने अपने पर्यटन कार्यक्रम को रद्द कर दिया हो।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : विवरण से यह ज्ञात होता है कि भारत में पर्यटकों के यातायात में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। भारत में इण्डियन एयर लाइन्स विमानों तथा होटलों के निवास स्थान की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए १६६१-६२ में मंत्रालय द्वारा कितने पर्यटकों के लिये व्यवस्था की जा सकेगी ?

†श्री राज बहादुर : मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह मंत्रालय पर्यटन कार्य के सम्बन्ध में केवल विभिन्न कृत्यों में समन्वय उत्पन्न करता है। अतः पर्यटकों के लिये सीधे रूप से हम कोई व्यवस्था नहीं करते फिर भी हम अपनी शक्ति के अनुसार इस सम्बन्ध में प्रबन्ध करने का यत्न करेंगे कि यथासम्भव अधिक से अधिक पर्यटकों के लिये निवास का प्रबन्ध किया जा सके।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। माननीय मंत्री ने यह बताया है कि यह मंत्रालय पर्यटकों के आवागमन के लिये जिम्मेदार नहीं है। मैं समझता हूं कि परिवहन तथा संचार मंत्री असैनिक उड्डयन के भी इंचार्ज हैं। मेरा प्रश्न विशेष रूप से असैनिक उड्डयन के सम्बन्ध में था, अर्थात् वह इण्डियन एयर लाइंस की पर्यटकों के सम्बन्ध में क्षमता के बारे में था। मैं नहीं समझता कि उन्हें यह ज्ञात न हो कि कुछ विदेशी पर्यटक दलों को भारत आने का अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा था। १६६१-६२ में इण्डियन एयर लाइंस की कितनी क्षमता होगी, पर्यटकों के लिय होटलों में कितना स्थान उपलब्ध होगा और इस वर्ष कितने पर्यटकों के लिये व्यवस्था की जा सकेगी ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) : इण्डियन एयर लाइंस के पास अपनी ओर से तो कोई भी होटल स्थान नहीं है, परन्तु पर्यटन पदाधिकारी यहां आने वाले पर्यटकों के लिये रहने की व्यवस्था करते हैं। इण्डियन एयर लाइंस तो केवल अपनी क्षमता के अनुसार ही पर्यटकों को विमानों में ला सकती है।

†श्री मुरारका : १६६० में पर्यटकों के यातायात से कितनी आय हुई थी और तृतीय पंच वर्षीय योजना काल में कितनी राशि प्राप्त होने की आशा है ?

†श्री राज बहादुर : हमें बताये गये प्राक्कलनों के अनुसार इससे लगभग २१ करोड़ रुपयों की विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हुई थी।

जहां तक तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में प्राप्त होने वाली राशि को सम्बन्ध है, यह कई बातों पर निर्भर करती है जैसे कि होटलों में स्थान की उपलब्धि, इण्डियन एयर लाइंस के विमानों में यातायात की क्षमता आदि। इस लिये इस बारे में इसी समय कोई भी आंकड़े नहीं बताये जा सकते।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री रामनाथन चेट्टियार : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कुछ एक स्थानों पर होटलों में अपर्याप्त स्थान है, केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों की सहायता से उन स्थानों पर पर्यटकों के बंगले बनवाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

†श्री राज बहादुर : पर्यटकों के लिये तीन प्रकार के निवास स्थानों का इस्तेमाल किया जाता है । और वे हैं—होटल, पर्यटक बंगले और अल्प आय वर्ग विश्राम घर । स्थानीय पर्यटकों और भारतीय पर्यटकों के लिये अर्थशालाओं की भी व्यवस्था है । हम उक्त प्रकार के सभी निवासस्थानों में सुधार और विस्तार करने का यत्न कर रहे हैं । राज्य सरकारें भी इस सम्बन्ध में पूरा यत्न कर रही हैं ।

†श्री अन्सार हरवानी : क्या यह सच नहीं है कि कुछ नौवहन कम्पनियों ने भारत सरकार को सूचित किया है कि उनके 'लक्जरी लाइनर' के यात्री बम्बई की अपेक्षा सिंगापुर और कोलम्बो में ठहरना अधिक अच्छा समझते हैं क्योंकि बम्बई में पर्यटकों के लिये सुविधाओं की कमी है ?

†श्री राज बहादुर : मैं यह कभी भी नहीं कहूंगा कि बम्बई में सुविधाओं की कमी है, परन्तु जहां तक होटलों में निवास स्थान का सम्बन्ध है, उसमें कुछ कमी अवश्य है । परन्तु होटलों में निवास स्थान की कमी केवल भारत में ही नहीं, अपितु विश्व के प्रत्येक देश में है । वास्तव में, पर्यटकों का आवागमन उतनी तेजी से बढ़ रहा है कि उसकी गति के अनुसार होटलों में स्थानों में वृद्धि नहीं हो रही है । यहां पर पर्यटकों का आगमन ५०० प्रतिशत तक बढ़ गया है जबकि होटलों में वृद्धि केवल ३० प्रतिशत हुई है । होटलों के वृद्धि करने के सम्बन्ध में हर एक प्रकार के संभव यत्न कर रहे हैं ।

†श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा : होटलों की कमी को पूरा करने के लिये सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†श्री राज बहादुर : मैं इसका उत्तर पहले दे चुका हूं कि हम ने होटल उद्योग को भी उन उद्योगों की सूची में सम्मिलित कर दिया है जो औद्योगिक वित्त निगम से ऋण ले सकते हैं। उक्त अधिनियम को इस दृष्टि से संशोधित कर दिया है । दूसरा यह है कि हम राज्य वित्त निगम अधिनियमों में भी शीघ्र ही संशोधन करने का यत्न कर रहे हैं। हमारे कहने पर वित्त मंत्रालय ने आय कर अधिनियम की धारा १५ सी के अधीन पांच वर्षों की अवधि के लिए एक 'इनकम टैक्स होलीडे' दे दी गयी है । इस प्रकार से हम सभी प्रकार के यत्न कर रहे हैं। परन्तु वित्त के अनुसार ही तो यह कार्य किये जा सकेंगे ।

आसाम के साथ बड़ी लाइन द्वारा सम्पर्क

†*१४६७. श्री न० र० घोष : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिलीगुड़ी से बड़ी लाइन द्वारा आसाम से सम्पर्क स्थापित करने का कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है ;

(ख) क्या इस कार्य के लिए सर्वेक्षण किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो सर्वेक्षण रिपोर्टों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री न० रं० घोष : क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर सीमा रेलवे इस समय केवल २५ प्रतिशत पटसन और चाय का परिवहन कर रही है और कोयले तथा खाद्यान्न का परिवहन विदेशी स्टीमर कम्पनियों द्वारा पाकिस्तान के जल मार्गों से किया जा रहा है ?

†श्री शाहनवाज खां : पूर्वोत्तर सीमा रेलवे प्रस्तावित की जाने वाली सम्पूर्ण वस्तुओं का परिवहन कर रही है ?

†श्री न० रं० घोष : क्या यह सच नहीं है कि क्षमता की कमी के कारण प्रस्तावित परिवहन को अस्वीकार कर दिया गया था ?

†श्री शाहनवाज खां : यह सच नहीं है ।

†श्री प्र० चं० बरुआ : क्या सरकार को आसाम सरकार से इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि सिलीगुड़ी से आसाम तक लाइन के विस्तार का कार्य प्रारम्भ किया जाये ?

†श्री शाहनवाज खां : फिलहाल बड़ी लाइन को सिलीगुड़ी से आगे बढ़ाने का हमारा कोई विचार नहीं है ।

†श्री प्र० चं० बरुआ : इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) : रेलवे लाइनों का विस्तार किन्हीं की प्रार्थना पर निर्भर नहीं करता । यह तो रेलवे की जरूरतों पर निर्भर करता है ।

†श्री रामेश्वर टांटिया : क्या सरकार को ज्ञात है कि आसाम को वस्तुएँ ले जाने के सम्बन्ध में रेलवे लाइनों की क्षमता में कमी होने के कारण वहाँ वस्तुएं हवाई जहाजों से भेजी जा रही हैं और उस पर बहुत अधिक खर्च आ रहा है । क्या सरकार उस लाइन की क्षमता को बढ़ाने का यत्न करेगा ?

†श्री शाहनवाज खां : सरकार ने पूर्वोत्तर सीमा रेलवे की लाइन क्षमता को बढ़ाने के लिये पहले से ही कार्यवाहियाँ करनी प्रारम्भ कर दी हैं । उन्हें ज्ञात होगा कि तिलउंगा से माल्दा तक बड़ी लाइन का सम्पर्क स्थापित किया जा चुका है । कलकत्ता से सिलिगुड़ी तक बड़ी लाइन का सम्पर्क स्थापित किया जा रहा है । वह इसी क्षमता के विस्तार की दृष्टि से बनाया जा रहा है ।

†श्री रामेश्वर टांटिया : क्या सरकार को ज्ञात है कि उस रेलवे सम्पर्क की इतनी अधिक क्षमता नहीं है ? इस क्षमता को बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है?

†अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री बता चुके हैं कि वे यथासंभव सभी यत्न कर रहे हैं ।

†श्री न० रं० घोष : माननीय मंत्री ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है कि क्या यह सच है कि लगभग ८० प्रतिशत पटसन, चाय और खाद्यान्न ब्रिटिश कम्पनियों द्वारा पाकिस्तानी जलमार्गों से लाये जा रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जगजीवन राम :** यदि कोई व्यक्ति या फर्में स्टीमर के द्वारा अपना सामान भेजना अधिक लाभदायक समझती है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं ;

†**अध्यक्ष महोदय :** वह यह पूछना चाहते हैं कि क्या रेलवे में उपयुक्त स्थान न होने के कारण ही, यह सामान स्टीमर से भेजा जा रहा है ?

†**श्री जगजीवन राम :** जी, नहीं। जहाँ तक पटसन का सम्बन्ध है, वह बात तो यहाँ लागू नहीं होती परन्तु जहां तक चाय के परिवहन का सम्बन्ध है, हम सभी चाय का परिवहन कर सकते हैं। परन्तु वे कभी-कभी जहाजों के द्वारा भेजने में सुविधा समझते हैं।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** कल खान तथा तेल मंत्री ने यह बताया था कि नूनमती का तेलशोधक कारखाना इस वर्ष के अन्त में प्रारम्भ हो जायगा। तो क्या इस मीटर लाइन से पैट्रोलियम का परिवहन किया जा सकेगा?

†**श्री जगजीवन राम :** जी, हाँ।

†**श्री साधन गुप्त :** माननीय मंत्री ने बताया है कि परिवहन सम्बन्धी किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया गया है। तो क्या इससे यह तात्पर्य है कि यदि अधिक वस्तुओं के परिवहन का प्रस्ताव आया तो इस लाइन से उन सभी का परिवहन किया जा सकेगा?

†**श्री जगजीवन राम :** क्षमता को बढ़ाने के लिये कई कार्यवाहियां की जा रही है। इस लाइन पर डीज़ल से गाड़ियां चलाने के सम्बन्ध में भी यत्न किये जा रहे हैं। परन्तु संभव है कि यदि अन्य रेलों में परिवहन में व्याघात पहुंचे तो उसका इस रेलवे पर भी अस्थायी प्रभाव पड़े। इसीलिये कभी कभी प्रस्तावों को मानने से इन्कार करना पड़ता है।

श्री विभूति मिश्र : पूर्वी उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है, उत्तर बिहार में विकास हो रहा है, आसाम में विकास हो रहा है, गंडक प्रोजेक्ट है, कोसी प्रोजेक्ट है, साथ ही गौहाटी में रिफाइनरी बन रही है, बरौनी में रिफाइनरी है, तो क्या छोटी लाइन की ताकत है कि वह सिलीगुड़ी से लखनऊ तक सारे सामान को खींच सके ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न आपका आसाम के बारे में नहीं है।

श्री विभूति मिश्र : नार्थ ईस्ट फ्रंटियर से एन० एफ० रेलवे चलती है जो लखनऊ तक जाती है। एक ही गाड़ी है। तो मैं जानना चाहता हूं कि जब इतना विकास हो रहा है तो क्या छोटी लाइन की ताकत है कि वह सारी चीजों को खींच सके।

†**श्री शाहनवाज खां :** तेल के परिवहन के लिये सिलिगुड़ी से कलकत्ता तक और सिलिगुड़ी से अलीपुर द्वार तक एक बड़ी लाइन का सम्पर्क बनाया जा रहा है। केन्द्रीकृत यातायात नियंत्रण प्रारम्भ किया जा रहा है और हम डीजल इंजन भी प्रारम्भ करने वाले हैं। ब्रह्मपुत्र पुल के पूरा होते ही लाइन की क्षमता बहुत बढ़ जायेगी।

†**श्री विभूति मिश्र :** अलीपुर द्वार से लखनऊ तक की लाइन की क्या स्थिति है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री जगजीवन राम : अभी लखनऊ तक ब्रोडग्रेज जाने की कोई संभावना निकट भविष्य में नहीं है।

†**श्री न० रं० घोष :** क्या यह सच नहीं है कि आसाम रेल सम्पर्क स्थिरिकरण समिति ने यह सिफारिश की है कि सिलिगुड़ी से अमीगाँव तथा ऊपर की ओर एक कार्ड लाइन प्रारम्भ की जाये और उसके बिना यातायात को नहीं संभाला जा सकेगा ?

†**श्री जगजीवन राम :** अमीगाँव तक कार्ड लाइन के विस्तार के सम्बन्ध में निकट भविष्य में कोई आशा नहीं है।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** पाकिस्तान से होकर आसाम तक रेलवे लाइन ले जाने के सम्बन्ध में पाकिस्तान से क्या निर्णय किया गया है ?

†**श्री जगजीवन राम :** यह प्रश्न यहां उत्पन्न नहीं होता।

श्री सिंहासन सिंह : अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि लखनऊ तक ब्राड गेज के जाने की कोई सम्भावना नहीं है। तो क्या मैं जान सकता हूं कि अगर लखनऊ तक जाने की सम्भावना नहीं है तो कहां तक उसके जाने की सम्भावना है ? और क्या सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक कंट्रोल हो सकता है ताकि आवागमन हो सके ?

श्री जगजीवन राम : जी नहीं, असली उद्देश्य तो रेलवे का यह होता है कि जहां पर पैसेन्जर या माल की अधिकता हो गई हो वहां पर रेलवे की क्षमता प्राप्त हो कि उस चीज को वह ले जा सके। अब इसके लिये कई एक रास्ते हैं। सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक कंट्रोल है, डीजलाइजेशन है, डबल लाइन करना है, ब्रोड गेज करना है। तो जहां जैसी आवश्यकता होती हैं उसको देखकर हम रेलवे की क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करते हैं।

श्री सिंहासन सिंह : इनमें से कौनसी चीज आप यहां करने जा रहे हैं।

श्री जगजीवन राम : यहां पर अभी जितना माल है उसको ढोने की क्षमता रेलवे को हैं। जब नहीं रहेगी तो देखेंगे कि क्या करने की आवश्यकता है।

केरल में इडुकी विद्युत परियोजना

†१४७०. **श्री मणियंगाडन :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री ६ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १३८६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल में इडुकी विद्युत परियोजना की जांच का कार्य पूरा हो चुका है

(ख) क्या इस जांच कार्य में केरल सरकार भी भाग ले रही थी; और

(ग) इस जांच का क्या परिणाम निकला है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) जी, हाँ।

(ख) जी, नहीं। यह जांच केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा की गयी है।

(ग) प्रारूप परियोजना रिपोर्ट अभी तैयार की जा रही है।

†**श्री मणियंगाडन :** क्या यह राज्य सरकार के परामर्श से तैयार की जा रही है या कि यह काम स्वयं अपनी ओर से किया जा रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में]

†**श्री हाथी :** यह रिपोर्ट इस समय केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार की जा रही है। इसके पूरा हो जाने के बाद राज्य सरकार से परामर्श किया जायेगा।

†**श्री मणियंगाडन :** वह रिपोर्ट कब तक पूरी हो जायेगी ?

†**श्री हाथी :** वह अगस्त, १९६१ तक पूरी हो जायेगी।

†**श्री मणियंगाडन :** क्या इस परियोजना को तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया जायेगा ?

†**श्री हाथी :** इसे अस्थायी रूप से तृतीय योजना में सम्मिलित किया जायेगा।

सामुदायिक विकास खंडों में रोगियों की जांच

*१४७१. **श्री विभूात मिश्र :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कोई ऐसी योजना बना रही है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सभी सामुदायिक विकास खंडों में रोगियों की जांच-पड़ताल जितने भी बैज्ञानिक ढंग से संभव है जैसे एक्सरे, खून, पेशाब और पाखाने आदि की जांच की सहूलियत हो जावे; और

(ख) यदि हां, तो कितने खंडों में और किस तारीख से ऐसी व्यवस्था शुरू होगी?

स्वास्थ्य मत्री (श्री करमरकर) : (क) विकास खंडों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने की योजना में इन केन्द्रों में खून, पेशाव और पाखाने आदि की जांच की सुविधाओं की व्यवस्था निहित है।

(ख) कितने केन्द्रों में और किस तारीख से ये सुविधायें प्राप्त होंगी, यह प्रावैधिक कर्मचारियों और आवश्यक उपकरणों की उपलब्धि पर निर्भर होगा।

मैं यह भी जोड़ देना चाहता हूं कि रोगियों के इलाज के लिए प्राथमिक परीक्षा के लिए जो भी आवश्यक है वह इनमें से अधिकतर स्वास्थ्य केन्द्रों में किया जा रहा है

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार इस बात का अन्दाजा रखेगी कि डिस्ट्रिक्ट और सबडिवीजनल हैडक्वार्टर्स के आस पास इन प्राइमरी हैल्थ सेंटर्स कौन खोल कर दूर के ब्लाक्स में खोला जाए जो कि हैडक्वार्टर्स से बीस बीस और तीस तीस मील दूर हैं ?

श्री करमरकर : यह सुझाव ठीक है कि इस बात का ध्यान रखा जाए लेकिन यह काम स्टेट गवर्नमेंटस के सुपुर्द है। हम यह सुझाव उनको कम्युनिकेट कर देंगे।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में स्टेट गवर्नमेंट्स को क्या लिखा है और इसके लिए क्या सहायता दे रही है ?

श्री करमरकर : हमने उनको किसी प्रकार मजबूर नहीं किया है और न हम कर सकते हैं। लेकिन आम तौर से यह स्वीकृत नीति है कि जहां तक हो सके इन सेंटर्स को दूर देहातों में खोला जाए। एक सेंटर तहसील हैडक्वार्टर्स पर तो हमने देखा है लेकिन जिला हैडक्वार्टर्स पर कोई प्राइमरी हैल्थ सेंटर नहीं है। हम यह चाहते हैं कि इन सेंटर्स को देहात में रखा जाए और स्टेट गवर्नमेंटस ने आम तौर से इस नीति को स्वीकृत किया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि एक कम्युनिटी डेवेलपमेंट ब्लाक के लिए कितने इक्विपमेंट की और टैकनिकल आदमियों की आवश्यकता होगी। और सरकार ने पंचवर्षीय योजना में इसके लिए कितनी धनराशि रखी है जो खर्च की जाएगी ?

श्री करमरकर : जहां तक टैकनिकल इक्विपमेंट का सवाल है उसके बारे में तो मैं एक स्टेटमेंट हाउस की मेज पर रख देता हूं जो कि चार पेज का है, और दूसरी चीज यह है . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : उपकरण आदि के बारे में ?

†**श्री करमरकर** : उपकरण के बारे मे मैं सूची सभा पटल पर रख दूंगा। निधि के संबंध मे अगले वर्ष के बजट में व्यवस्था की जायगी। यदि माननीय सदस्य और अधिक ब्यौरा चाहते हों तो मैं दे सकता हूं।

†**श्री नंजप्प** : क्या सामुदायिक विकास क्षेत्रों में कोई चलते फिरते अस्पताल हैं, यदि हां, तो कितने ?

†**श्री करमरकर** : इन चीजो के साथ साथ, चलती फिरती गाड़ियां उन केन्द्रों को दी जाती हैं जो सभी आवश्यकताएं पूरी करते हैं, प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए एक।

†**श्री नजप्पा** : क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में किन्ही क्लिनिकल प्रयोगशालाओं को खुर्दबीन आदि दिया जायगा ?

†**श्री करमरकर** : खुर्दबीन पहले से ही हैं। यदि रुपया हो और उन्नति होती है, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रयोगशालाओं को भी वह दिये जायेंगे लेकिन जैसा कि मुख्य प्रश्न के उत्तर में मैंने बताया, रोगियों की प्राथमिक परीक्षा के लिए मेडिकल आफिसर को पर्याप्त प्रयोगशाला सुविधाएं पहले ही से दी हुई हैं।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि अनेक सामुदायिक विकास क्षेत्रों में अनेक औषधालय अभी तक पिछड़े हुए हैं और उनमे केवल एल० एम० पी० डाक्टर हैं ? क्या सरकार उनमें अधिक योग्य डाक्टर रखने पर विचार करेगी ?

†**श्री करमरकर** : मेरे माननीय मित्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के अलावा डिस्पन्सरीज का उल्लेख कर रहे हैं। मेरी जानकारी में, अनेक औषधालयों में ऐसी ही बात है। राज्य सरकारें इन औषधालयों में किसी प्रकार के अधिक कुशल कर्मचारी रखने के बारे मे यथासंभव प्रयत्न कर रही हैं।

श्री विभूति मिश्र : मैं ने मंत्री जी से पूछा था कि किस मात्रा में सहायता करेंगे इसका जवाब दें। और दूसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि साइंटिफिक इम्प्लीमेंट्स कितनी मात्रा में सरकार देने जा रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : केन्द्रीय सरकार इस खर्च में कितना प्रतिशत अंशदान देती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री करमरकर : जो प्राइमरी हैल्थ सेंटर स्वीकृत हो जाते हैं और जो सारी कंडीशन्स को फुलफिल करते हैं उनको यूनीसेफ की तरफ से काफी इक्विपमेंट दिया जाएगा और उनकी सब रिक्वायरमेंट्स पूरी की जाएंगी। इक्विपमेंट की लिस्ट स्टेटमेंट में दी गयी है जो कि मैंने हाउस की मेज पर रखा है।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह प्रतिशत हिस्सा चाहते हैं।

†**श्री करमरकर** : सारा खर्च केन्द्रीय सरकार करती है। संयुक्त राष्ट्र संघीय अन्तराष्ट्रीय बाल आयात निधि उपकरण देता है। संपूर्ण सूची दी हुई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए इतना ही पर्याप्त है कि उसका डाक्टर अपने रोगियों की देखभाल कर सके। जब कभी राज्य सरकारें सभी जरूरतें पूरी करती है संयुक्त राष्ट्र संघीय बाल आयात निधि के औजार अपने ही आप शत प्रतिशत दिये जाते हैं।

वनस्पति घी में रंग मिलाना

१४७२. **श्री डामर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २१ दिसम्बर, १९६० को कृषि भवन में समन्वय समिति की कोई बैठक हुई थी ;

(ख) क्या उनमें मध्य प्रदेश के धार जिले के मनावर कस्बे के एक व्यक्ति हकीम अहमद शेख ने उक्त बैठक मे सरकार द्वारा निमंत्रित किये जाने पर भाग लिया था ;

(ग) क्या उन्होंने वनस्पति घी में रंग मिलाने का पीले रंग का नमूना समिति के सभापति को दिया था ; और

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त रंग का सरकार के वैज्ञानिक विभाग ने अनुमोदन कर दिया है ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) से (ग). जी, हां।

(घ) समिति नमूने की जांच कर रही है।

श्री डामर : इस कमेटी को नियुक्त हुए तीन महीने हो गए। अभी इसकी जांच करने में कितना समय और लगेगा ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : इस समिति के विशेषज्ञों ने छानबीन करके रिपोर्ट दी है। उनका कहना है कि परिणाम अनुकूल नहीं हैं।

श्री खादी वाला : यह जो रंग हकीम अहमद शेख साहब ने बतलाया है वह किस प्रकार का रंग होगा, किस चीज का रंग बनाया गया है। क्या इसको मिलाने का निश्चय हो गया है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : जी हां। प्रारंभ मे हकीम साहब ने रंग की कैफियत नहीं बतायी लेकिन बाद में वे समिति के सदस्यों की बैठक में आने पर राजी हो गये। उनकी मुलाकात की गयी और उन्होंने उन्हें समझाया। यह एक प्रकार का हल्दी का रंग है।

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० गोविन्द दास : क्या यह सच बात है कि हकीम अहमद शेख साहब ने यह दावा किया है कि यह रंग गरम करने से भी जाता नहीं है और वह कायम रहता है। इन हकीम साहब के सिवा और भी कई लोगों ने रंग सरकार के पास भेजे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर इतने दिनों तक कोई निर्णय क्यों नहीं हो सका। जो वैज्ञानिक कि अणुबम और उदजन बम के सदृश चीजें बना सकते हैं वह इस प्रकार का रंग क्यों नहीं बना सके।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : बम बनाने वाले वैज्ञानिकों का अभी इस तरफ ध्यान नहीं गया है। साइंटिफिक रिसर्च के लोग हकीम साहब के रंग की जांच कर रहे हैं। अगर उनका दावा सही निकला तो मैं समझता हूं कि हमारा सवाल हल हो जाएगा।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि वनस्पति में रंग डालने के लिए अभी तक कितने लोगों ने रंग सरकार के पास भेजे हैं और उनकी जांच करने के बाद क्या परिणाम निकला है और अभी कितने रंग विचाराधीन हैं।

श्री स० का० पाटिल : कितने रंग विचाराधीन हैं यह तो मुझे मालूम नहीं है क्योंकि यह काम साइंटीफिक रिसर्च वाले करते हैं, अभी तक परिणाम यही निकला है कि कोई रंग ठीक नहीं है।

श्री म० ला० द्विवेदी : मुझे गोलमोल जवाब दिया गया है।

श्री स० का० पाटिल : यह गोलमोल जवाब इसलिए दिया गया कि यह चीज मेरी मिनिस्ट्री नहीं करती है यह काम साइंटिफिक रिसर्च की मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाता है। अगर आप सम्बन्धित मिनिस्ट्री से सवाल पूछेंगे तो आपको गोलमोल नहीं सरल उत्तर मिलेगा।

†श्री भा० कृ० गायकवाड़ : क्या हकीम साहब के अलावा किन्हीं और वैज्ञानिकों को भी इस बैठक में बुलाया गया था ?

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : हकीम साहब के अलावा, दूसरे सभी वैज्ञानिक हैं।

†श्री साधन गुप्त : क्या घी और वनस्पति की मिलावट की जांच का और कोई संभव या सरल तरीका है और जब तक कि कोई उपयुक्त रंग अभी नहीं निकाला गया है क्या जनता के लिए ऐसी जांच की सुविधाएं उपलब्ध करने का सरकार का विचार है ?

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : गोदाम जांच बाद की जांच है। उसके अलावा और कोई जांच मेरी जानकारी में नहीं है।

†अध्यक्ष महोदय : क्या उसको लोकप्रिय बनाने तथा जनता के लिए उसे उपलब्ध बनाने पर सरकार विचार कर रही है ?

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : वर्तमान परीक्षण बहुत महंगा है इसलिए वैज्ञानिक एक साधारण परीक्षण ढूंढ़ रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी :** चूंकि कई सालों से इस मामले का फैसला अभी तक नहीं हो सका है क्या सरकार इस बात को स्पष्ट करेगी कि यदि उपयुक्त रंग मिल गया तो क्या यह वनस्पति में रंग मिलायेगी ? इस विषय में उसका क्या निर्णय है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) :** मैं इस सभा में कई बार बता चुका हूं कि सरकार वनस्पति में रंग मिलाने के लिए वचनबद्ध है, बशर्तें कि वह रंग हानिकारक न हो और रंग मिलाना संभव हो ।

चाय उद्योग के लिए उर्वरक

†*१४७३. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चाय उद्योग को दुनिया के बाजार में अपना खोया स्थान पुनः प्राप्त करने में सहायता देने के लिए इस उद्योग के लिए उर्वरक प्राप्त करने और उसका वितरण करने पर कोई नियंत्रण करती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बात की जिम्मेवारी किस अभिकरण पर है कि बागान को उपयुक्त किस्म के उर्वरक ठीक समय पर और यथोचित मात्रा में उपलब्ध हो सकें ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** (क) और (ख). इस प्रश्न का उत्तर वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री उस मंत्रालय से संबंधित दिन पर देंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह किसी और दिन के लिए रखा जायगा । अभी फिलहाल यह स्थगित होगा ।

†**श्री मणियंगडन :** लेकिन वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का कहना है कि यह काम खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का है । केवल वितरण वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का विषय है ।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) :** उर्वरक देना निस्संदेह हमारा उत्तरदायित्व है और यदि प्रश्न इसी पहलू तक सीमित हो तो मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिला सकता हूं कि शत प्रतिशत मांगें पूरी की जायेंगी ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** असम में चाय के बागों को उर्वरक बांटने के लिये क्या अभिकरण नियुक्त किये जाते हैं और यदि हां तो ये नियुक्तियां कौन करता है और नियुक्तियों की संख्या क्या है ? असम राज्य के लिये जो भारत में ६० प्रतिशत से अधिक चाय उत्पादन करता है, कितनी नियुक्तियां की गयी हैं ?

†**श्री स० का० पाटिल :** यदि अलग प्रश्न पूछा जाये, तो मैं उत्तर दूंगा । मैं नहीं जानता कि उनकी संख्या क्या है लेकिन नियुक्तियां हम ही करते हैं ।

†**श्री हेम राज :** क्या यह सच है कि पंजाब के संबंध में यह शिकायत की गयी थी कि उन्हें पर्याप्त उर्वरक नहीं मिला ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री स० का० पाटिल : प्रश्न चाय के बारे में है । हम दूसरी फसलों के लिए उर्वरक के बारे में बातचीत नहीं कर रहे हैं ।

†श्री हेम राज : क्या चाय की फसल के लिए कृषि मंत्रालय अमोनियम सल्फेट दे रहा है ?

†श्री स० का० पाटिल : जी हां ।

†श्री हेम राज : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पंजाब में चाय के बागों के लिए अमोनियम सल्फेट की जरूरत होती है और वह पर्याप्त मात्रा में नहीं दिया जा रहा है ?

†श्री स० का० पाटिल : मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। पहले शायद वह पर्याप्त मात्रा में न हो लेकिन इस वर्ष नकद फसलों के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा है और सौ प्रतिशत सप्लाई दी जायगी ।

†श्री मणियंगडन : क्या रबड़ और कहवा जैसे दूसरे बागान उद्योगों के संबंध में भी १०० प्रतिशत जरूरतें पूरी की जायेंगी ?

†श्री स० का० पाटिल : मैं सभी नकद फसलों के बारे में बात कर रहा हूं ।

†श्री प्र० च० बरुग्रा : यह कहां तक सच है कि आसाम में चाय उद्योग और चाय बागानों के लिए दिया गया काफी उर्वरक कहीं और बाजार में बेचा जाता है ? क्या इसका यह कारण नहीं है कि इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किये गये एजेन्ट असम के चाय क्षेत्रों से दूर रहते हैं ?

†श्री स० का० पाटिल : कुछ मामलों में लोग उर्वरक का उपयोग किस प्रकार किया जाये, यह नहीं जानते और दूसरे प्रयोजनों के लिए उसका उपयोग किया जाता है । उसे रोकना होगा ।

†श्री प्र० चं० बरुग्रा : क्या सरकार यह जानती है कि चाय उद्योग के लिए दिये गये उर्वरक दूसरी जगह बाजारों में बेचे जाते हैं क्योंकि जो एजेन्ट नियुक्त किये जाते हैं वे कलकत्ता जैसी दूर जगहों में रहते हैं और उर्वरक वास्तव में आसाम नहीं पहुंच पाते ?

†श्री स० का० पाटिल : मैं नहीं समझता कि यह इतने बड़े पैमाने पर होता है जितना कि माननीय सदस्य कह रहे हैं। लेकिन निश्चय ही हमें वितरण पद्धति में सुधार करना होगा। एक राज्य से दूसरे राज्य में और एक जिले से दूसरे जिले में लाना ले जाना भी रोकना होगा ।

†श्री प्र० चं० बरुग्रा : क्या माननीय मंत्री जानते हैं कि आसाम में चाय उद्योग की, जिस से कुल ६० प्रतिशत उत्पादन प्राप्त होता है, आवश्यकताएं पूरी करने के लिए आसाम से किसी व्यक्ति को एजेन्ट के रूप में नियुक्त नहीं किया जाता ?

†श्री स० का० पाटिल : एजेन्सी का सवाल बिलकुल अलग है । यदि माननीय सदस्य अलग प्रश्न पूछें तो मैं सब जानकारी दे सकता हूं लेकिन यहां अभी मेरे पास नहीं है ।

ग्रामों में स्थित डाक घरों के लिए फर्नीचर और स्टेशनरी

†*१४७४. श्री राम गरीब : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री २३ मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १४०८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब राज्य के ग्रामों में स्थित डाक घरों में इस बीच उपयुक्त फर्नीचर की व्यवस्था कर दी गयी है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि बहुत से डाकघरों में तो बहुत जरूरी फर्नीचर भी नहीं दिया गया है ; और

(घ) इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन) : (क) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायगी।

(ख) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†श्री रामगरीब : यह जानकारी संभवतः कब तक प्राप्त हो जायगी और सभा को दी जायगी।

†डा० प० सुब्बारायन : मैंने बताया है कि ज्यों ही वह जानकारी मिल जायगी, मैं उसे सभा पटल पर रख दूंगा !

†श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : क्या माननीय मंत्री जानते हैं कि पंजाब को छोड़कर प्रायः सभी राज्यों में अतिरिक्त विभागीय डाकघरों में स्टेशनरी और दूसरी चीजों की भारी कमी है और गरीब पोस्टमास्टरों को अपना काम चलाने के लिए वह किसी तरह प्राप्त करनी होती है ?

†डा० प० सुब्बारायन : डाक तार महानिदेशक ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को अभी हाल ही में सूचित किया है कि मांग यथा शीघ्र पूरी की जाये ताकि चीजें स्टाक में खत्म न हो जायें ?

†श्री म० ला० द्विवेदी : इन डाकघरों के लिए नये फर्नीचर की खरीद के लिए कितनी रकम नियत की गयी है और पुराने फर्नीचर की जगह नये फर्नीचर के लिए कितनी रकम रखी गयी है ?

†डा० प० सुब्बारायन : हमें दी गयी रकम से हम यथाशीघ्र नया फर्नीचर लाने की कोशिश कर रहे हैं। उस बारे में भी प्राथमिकताएं हैं और हम उनका पालन करते हैं।

†श्री भक्त दर्शन : प्रश्न के भाग (ग) का उत्तर माननीय मंत्री ने नकारात्मक दिया है। क्या यह सच नहीं है कि श्री राजन की अध्यक्षता में समिति ने इस विषय की छानबीन की थी और सिफारिश की थी कि फर्नीचर और स्टेशनरी दे कर ग्रामीण डाकघरों की स्थिति सुधारी जाये ?

†डा० प० सुब्बारायन : जी हां, हम कोशिश कर रहे हैं कि स्थिति संतोषजनक बनाने के लिए यथासंभव सब कुछ किया जाये ।

पैराम्बूर में निर्मित सवारी डिब्बों की लागत

†*१४७५. श्री मुरारका : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पैराम्बूर की इन्टीग्रल कोच फैक्टरी द्वारा तीसरे दर्जे के एक सवारी डिब्बे की, जो पूरी तरह से सज्जित हो, क्या कीमत ली जाती है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड, बंगलौर द्वारा इस प्रकार के सवारी डिब्बों की क्या कीमत ली जाती है ;

(ग) यदि इन दोनों की कीमतों में कोई अन्तर है तो उस के क्या कारण हैं ; और

(घ) इन कारखानों द्वारा सम्भरण किये जाने वाले दोनों किस्मों के सवारी डिब्बों में कौन कौन से हिस्से आयात किये हुए होते हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) इन्टीग्रल कोच फैक्टरी, पेराम्बूर द्वारा प्रारंभिक दशा में आयातित पुर्जों को जोड़ कर बनाये गये पूर्णतः सज्जित तीसरे दर्जे के एक सवारी डिब्बे की लागत २,३७,००० रुपये है। इस प्रकार फैक्टरी द्वारा पूरी तरह तैयार किये गये और रेलवे को दिये गये डिब्बे की वर्तमान लागत १,८३,००० रुपये है ।

(ख) आयातिति पुर्जों को जोड़ कर बनाये गये पूर्णतः सज्जित तीसरे दर्जे के संपूर्ण डिब्बे की औसत लागत जो हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, बंगलौर, लेता है, संभवतः २,४०,००० रुपये है। अंतिम मूल्य लागत लेखा परीक्षा के बाद निश्चित किया जायगा।

जुलाई १६६१ से इस फैक्टरी द्वारा तैयार किये गये संपूर्ण डिब्बे की लागत संभवतः १,६०,००० रुपये होगी।

(ग) आयातित हिस्सों को जोड़ कर बनाये गये डिब्बे के लिए दोनों कारखानों द्वारा लिये जाने वाले मूल्यों में अन्तर बहुत थोड़ा है । इन दोनों कारखानों द्वारा पूरी तरह पर तैयार किये गये संपूर्ण डिब्बे की लागत में अन्तर इस कारण यह है कि इन्टीग्रल कोच फैक्टरी द्वारा फिल-हाल ली जाने वाली कम लागत दीर्घकालीन बचत का द्योतक है ।

(घ) निर्माण की प्रारंभिक दशाओं में, आयातित हिस्सों से इन्टीग्रल कोच फैक्टरी द्वारा तैयार किये गये संपूर्ण तीसरे डिब्बे में आयातित हिस्सों का मूल्य लगभग १,००,००० रुपये था । इस कारखाने में पूरी तरह तैयार किये गये संपूर्ण तीसरे डिब्बे में इस्पात को छोड़कर, आयातित हिस्सों का लगभग मूल्य ४,००० रुपये है । हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, बंगलौर द्वारा सप्लाई किये गये संपूर्ण तीसरे दर्जे के सवारी डिब्बों में आयातित हिस्सों की औसत लगभग मूल्य १,०७,००० रुपये है ।

जुलाई, १६६१ से हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड द्वारा पूरी तरह तैयार किये गये संपूर्ण तीसरे दर्जे के सवारी डिब्बे में, इस्पात को छोड़ कर, आयातित हिस्सों का मूल्य लगभग १०,००० रुपया होगा।

†श्री मुरारका : शुरू से लेकर अब तक हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड को कुल कितने संपूर्ण डिब्बों के लिए आर्डर दिये गये थे ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : पहला आर्डर ४०० डिब्बों के लिए और दूसरा आर्डर २५० डिब्बों के लिए दिया गया है ।

†श्री मुरारका : इन दोनों आर्डरों में, इन्टीग्रल, कोच फैक्टरी की तुलना में कुल कितनी अतिरिक्त रकम हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड को दी गयी है ?

†मूल अंग्रेजी में

†श्री सें० वें० रामस्वामी : आंकड़े दिये जा चुके हैं। अंतर केवल लगभग ७,००० प्रति डिब्बा है। इस में संदेह नहीं कि वास्तविक लागत १,४८,००० रुपये है लेकिन हम रेलवे से १,८३,००० रुपये ले रहे हैं और अन्तर विकास तथा उचन्त खाते में जमा कर दिया जाता है। आखिर में २५० डिब्बों के लिए १,६०,००० रुपये लिये जायेंगे और इस प्रकार अन्तर केवल ७,००० रुपये प्रति डिब्बा ही रह जायेगा। इसका कारण यह है कि इन्टीग्रल कोच फैक्टरी ने इस प्रकार के डिब्बे तैयार करने में दीर्घकालीन बचत की है।

†श्री मुरारका : माननीय मंत्री ने अभी हाल में बताया कि इन्टीग्रल कोच फैक्टरी को १,८३,००० रुपये की कीमत दी जा रही है जब कि हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड को आयातित हिस्सों से तैयार किये गये डिब्बे की कीमत २,४०,००० रुपये चुकायी जाती है। इस तरह अन्तर, ६०,००० रुपये प्रति डिब्बा पड़ता है। इस अन्तर का कारण क्या है और इस संबंध में रेलवे ने हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड को कुल कितनी अतिरिक्त रकम दी है ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : यह स्पष्ट है कि मेरे माननीय मित्र ने उत्तर नहीं समझा है। हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड २,४०,००० रुपये लेता है जब कि इंटीग्रल कोच फैक्टरी २,३७,००० रुपये लेती है। आयातित हिस्सों से जोड़े गये डिब्बे के लिये उसकी यह प्रारंभिक लागत है। उस के मुकाबले में हम फैक्टरी द्वारा तैयार किये पूरे डिब्बे के लिए, १,८३,००० रुपये रेलवे से ले रहे हैं। इस प्रकार हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड २५० डिब्बों के लिए १,६०,००० रुपये की लागत ले से लेगा उसकी तुलना में वह कम है। इसलिए अन्तर केवल ७,००० रुपये है।

†श्री मुरारका : वह जून से आगे है।

†अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

जहाजों द्वारा कोयल का परिवहन

†*१४७६. श्री रघुनाथ सिंह : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता से भारत के ६ पश्चिमी और पूर्वी पत्तनों तक कोयला ले जाने के लिये ४० जहाजों का उपयोग किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो किस तिथि से ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

वर्तमान १० लाख कोयले के अतिरिक्त और १० लाख टन कोयला समुद्री मार्ग के जरिये कलकत्ते से दक्षिणी और पश्चिमी भारत ले जाने का निश्चय किया गया है। अनुमान है कि इस प्रयोजन के लिए लगभग ४२ जहाजों की जरूरत होगी और भारतीय समुद्रतट सम्मेलन ने इतने जहाज देना मंजूर किया है। यह भी प्रस्ताव है कि कलकत्ते से कोयला निम्नलिखित बन्दरगाहों पर उतारा जाये :—

मद्रास, कुड्डालोर, तूतीकोरन, कोचीन, बम्बई, भावनगर, पोरबदर और सिक्का।

२० लाख टन कोयला ले जाने की योजना १ मई, १९६१ से लागू होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री रघुनाथ सिंह : विवरण से यह दिखायी पड़ता है कि दक्षिणी और पश्चिमी भारत में कोयला पहुंचाने के लिए ४२ जहाजों की जरूरत होगी। क्या ये जहाज खरीदे जा रहे हैं, किराये पर लिये जा रहे हैं या प्राप्त किये जा रहे हैं ?

†श्री राज बहादुर : हम ने इस विशेष यातायात के लिए ३६ जहाज पहले ही तय कर लिये हैं। हम ने भारतीय समुद्रतटीय सम्मेलन से और जहाज़ मांगे हैं और ६ जहाज देना मंजूर किया है और इस तरह जहाज़ों की कुल संख्या ४२ हो गयी है । यह संख्या पर्याप्त मालूम होती है।

†श्री मो० ब० ठाकुर : पश्चिमी तट पर कुल कितना कोयला ले जाया गया है और पश्चिमी बंदरगाहों पर कितना कोयला उतारा गया है ?

†श्री राज बहादुर : पश्चिमी बन्दरगाहों के संबंध में व्यवस्था इस प्रकार है : कोचीन, ६ जहाज (३३६०० टन कोयला); बंबई, ५ जहाज (२८,००० टन); भावनगर, २ जहाज (११,६०० टन); पोरबन्दर, २ जहाज (११,००० टन); सिक्का २ जहाज (११,०००टन)। १ मई, १९६१ से अब यही व्यवस्था होगी।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि रेलवे से जो कोयला भेजा जाता है, उस के चार्ज में और जो शिप से भेजेंगे, उस के चार्ज में कोई अन्तर होगा ? क्या उन का रेट करीब करीब बराबर होगा ?

श्री राज बहादुर : रेट के बारे में जो समस्या है, जो सवाल है, वह विचाराधीन है। मैं आशा करता हूं कि इस सम्बन्ध में निर्णय शीघ्र लिया जा सकेगा।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि रेलवे जो से कोयला भेजा जाता है और जो जहाज़ से भेजने वाले हैं, उस में आर्डिनरी तौर पर कितना फ़र्क पड़ेगा।

श्री राज बहादुर : जहाज से जो कोयला जाता है, उस के संबंध में बम्बई, कोचीन, मद्रास, ट्यूटीकोरिन और सौराष्ट्र पोर्टस की भिन्न भिन्न दरें हैं। सौराष्ट्र पोर्टस पर ४३ रुपये पर टन, बम्बई में ३५ रुपये पर टन और इसी प्रकार से वह कम होता चला जाता है। रेलवे की भिन्न भिन्न दरें हैं, लेकिन वे कम हैं।

†श्री दासप्पा : ये जहाज मंगलौर बन्दरगाह न जाने के क्या कारण हैं?

†श्री राज बहादुर :पहली बात यह है कि वहां फिलहाल कोयला उतारने की कोई व्यवस्था नहीं है । दूसरी यह कि यह प्रश्न देश की भीतरी भाग की जरूरतों पर भी निर्भर है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : इस प्रकार से जहाज़ों से जो कोयला ले जाया जायगा, उस से क्या रेल कैपेसिटी को फ़ायदा होगा और क्या देश में और कोयला पहुंच सकेगा ?

श्री राज बहादुर : जी हां, वर्तमान में जहाज़ों के ज़रिये ले जाने की जो औसत है, वह १ मिलियन टन, यानी १० लाख टन है। अब प्रस्ताव है कि १ मिलियन टन और ले जाया जायगा, यानी कुल दो मिलियन टन ले जाया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री आचार :** क्या यह सच नहीं है कि मंगलौर में टाइल मैनुफैक्चरर्स असोसियेशन ने यह शिकायत की थी कि इस तथ्य के बावजूद कि इस प्रयोजन के लिए मंगलौर बन्दरगाह का उपयोग किया जा सकता है उन्हें कोयला नहीं मिल रहा है और इस के लिए मंगलौर क्यों नहीं चुना गया है ?

†**श्री राज बहादुर :** मंगलौर में टाइल मैन्युफैक्चरर्स को उस में से अधिक मात्रा में कोयला मिलेगा जो पश्चिमी किनारे पर पहुंचाया जाने वाला है। वह उन्हें सीधे जहाज से मिलेगा या और किसी तरह मिलेगा यह परिवहन कार्यों के लाभ हानि पर निर्भर है।

†**श्री म० ला० द्विवेदी :** प्रश्न संख्या १४७६ भी इसी प्रश्न के साथ ले लिया जाये। इस में भी इसी विषय का विवेचन है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं देखूंगा। श्री त्रिदिब कुमार चौधरी।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** कलकत्ते से कोयला ले जाने के संबंध में क्या मंत्री महोदय इस बात से संतुष्ट हैं कि कलकत्ते में कोयला रखने की व्यवस्था और खानों से कलकत्ते तक कोयला पहुंचाने की लाइन क्षमता पर्याप्त है ताकि यह व्यवस्था सुचारू रूप से चले ?

†**श्री राज बहादुर :** एक समन्वय समिति स्थापित की गयी है जो इन समस्याओं की ओर ध्यान देगी। समन्वित व्यवस्था सुचारू रूप से कार्यान्वित की जाये इस ओर ध्यान देने के लिए एक विशेष पदाधिकारी भी नियुक्त किया जा रहा है। अत्यावश्यक स्थानान्तरण रेलवे की वहन क्षमता तथा लाईन क्षमता और कलकत्ता बन्दरगाह पर माल लादने की क्षमता पर निर्भर है। मैं समझता हूं कि वह अत्यावश्यकता के अनुरूप होगी।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या कोई वापसी माल व्यवस्था की गयी है ताकि भाड़ा कम हो सके।

†**श्री राज बहादुर :** समुद्रतटीय सम्मेलन ने पहले ही यह प्रार्थना की है कि जहां तक सभव हो उन्हें वापसी माल का आश्वासन दिया जाना चाहिये और हम यह कोशिश कर रहे हैं कि जहां तक संभव हो वह उद्देश्य पूरा करने के लिए कार्रवाई की जाये।

हावड़ा के रेलवे गोदाम में आग

†**१४७७. श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या रेलवे मंत्री हावड़ा के रेलवे गोदाम में आग के बारे में १५ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच जांच कार्य पूरा हो चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो उपपत्तियां क्या हैं?

†**रेलवे उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी, हां।

(ख) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

आग के कारण की जांच-पड़ताल इन व्यक्तियों ने की थी (१) विस्फोटक निरीक्षक (इन्स्पेक्टर आफ एक्स्प्लोजिव्स), ईस्टर्न सर्किल, कलकत्ता (२) सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट, सदर, हावड़ा, और सुपरिन्टेन्डेन्ट, रेलवे पुलिस, हावड़ा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उपर्युक्त जांच पदाधिकारियों के निष्कर्ष इस प्रकार हैं :—

विस्फोटक निरीक्षक

आग संभवत: व्हाईट फास्फोरस पैकेजों के कारण शुरू हुई। कुछ फास्फोरस डिब्बों का पानी सूख गया होगा और जैसा सर्व विदित है सूखे की हालत में व्हाइट फास्फोरस अपने आप ही आप जलने लगता है। बाद में लपट के साथ फास्फोरस दूसरे पैकेजों में घुस गया होगा और आग की तेजी बढ़ गई होगी और अन्त में सारी वस्तुएं आग की लपट में आ गयी होंगी और इस प्रकार संपूर्ण स्थान पर आग लग गयी होगी।

दूसरी संभावना जैसे बिजली का शार्ट सर्किट होना, या किसी बाहरी अभिकरण के कारण आग लगने की सम्भावना बहुत कम मालूम होती है।

सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, हावड़ा

मेरी यह निश्चित राय है कि किसी विस्फोटक पदार्थ के कारण आग नहीं लगी . . . . .

मेरी यह भी राय है कि गोदाम में रखी गयी चीजें तत्संबंधी नियम और अधिनियम के अनुसार थीं। गोदाम में कोई विस्फोटक पदार्थ नहीं रखा गया था और जो चीजें रखीं भी गयी थीं; उनके संबंध में पूरी सावधानी बरती गयी थी। इस घटना को एक ईश्वरी घटना ही कहा जा सकता है और इस में किसी बदमाशी का सन्देह नहीं किया जा सकता।

पुलिस सूपरिन्टेन्डेंट, हावड़ा

मजिस्ट्रेट की जांच में जो कुछ मालूम हुआ उस से कुछ अधिक पुलिस जांच पड़ताल में नहीं मालूम किया जा सका। किसी दांडिक कार्य का कोई सबूत नहीं मिला।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त :** विवरण से यह दिखायी पड़ता है कि जांच करने के लिए तीन पदाधिकारी नियुक्त किये गये थे और उन के निर्णय एक दूसरे से भिन्न हैं इस संबंध में सरकार की क्या राय है और उनका कौन सा निर्णय मजूर किया गया है ?

†**श्री शाहनवाज खां :** जांच तो विस्फोटक निरीक्षक (इंस्पेक्टर आॅफ एक्स्प्लोजिव्स) ने की थी। उनका अनुमान यह है कि डिब्बों में फास्फोरस रहने के कारण ऐसा हुआ ? सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट ने बताया कि उनकी दृढ़ धारणा है कि आग किसी विस्फोटक पदार्थ के कारण नहीं लगी। पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट का कहना है कि मजिस्ट्रेट की जांच में जो कुछ मिला उस से अधिक और कुछ पुलिस जांच पड़ताल में नहीं मिल सका। जांच करने वाले विभिन्न अफसरों के ये निष्कर्ष हैं।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त :** इस बात को देखते हुए कि ये सभी निर्णय एक दूसरे से अलग अलग हैं, सरकार की क्या राय है और कौन सा निर्णय मंजूर कर लिया गया है ?

†**श्री शाहनवाज खां :** मजिस्ट्रेट की जांच में कहा गया है :

> "यह घटना एक ईश्वरी घटना कही जा सकती है और इस मामले में किसी बदमाशी का संदेह नहीं किया जाता"

हम इसे मंजूर कर लेना चाहते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुग्रा :** तीन पदाधिकारियों ने इस मामले की जांच की। पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट कहते हैं कि वह विस्फोटक के कारण हुग्रा। दूसरे पदाधिकारी कहते हैं कि वह एक ईश्वरी घटना थी। तीसरे पदाधिकारी ने कहा है कि किसी दांडिक कार्य का सन्देह नहीं किया जा सकता। ये तीन ग्रलग ग्रलग राय हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार का क्या निष्कर्ष है ?

†**ग्रध्यक्ष महोदय :** प्रश्नकाल समाप्त हो गया है। माननीय उपमंत्री ने बताया कि वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वह एक ईश्वरी घटना थी।

†**श्री हेम बरुग्रा :** वह एक पदाधिकारी की राय है ग्रौर सरकार का निर्णय नहीं है।

†**श्री ग्रध्यक्ष महोदय** माननीय सदस्य को ग्रपनी ग्रपनी राय कायम करने का पूरा हक है। वे केवल यह जानकारी पूछ सकते हैं कि सरकार का ग्रंतिम निष्कर्ष क्या है। वह यह सोचती है कि वह केवल एक ईश्वरी घटना है।

†**श्री हेम बरुग्रा :** वह तो जांच करने वाले पदाधिकारियों में से एक की राय है।

†**ग्रध्यक्ष महोदय :** मैं सरकार की राय की जगह माननीय सदस्य की राय नहीं रख सकता।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

वैज्ञानिकों के लिए प्रोत्साहन योजना

†*१४६३. **श्री दामानी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य उत्पादन में वृद्धि करने के लिए नये तरीकों का ग्राविष्कार करने वाले वैज्ञानिकों के लिए प्रोत्साहन योजना चालू करने के बारे में ग्रन्तिम निर्णय कर लिया गया है; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो इस योजना का व्योरा क्या है?

†**कृषि उपमन्त्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा):** (क) ग्रौर (ख). ऐसी कोई योजना लागू नहीं की गयी है। खाद्य उत्पादन बढ़ाने के नये तरीके निकालने में वैज्ञानिकों के कार्य को सरकार मान्यता देती है।

चालीस गांव ग्रौर भुसावल के बीच लोकल ट्रेन चलाया जाना

†*१४६४. **श्री ग्रासर :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच कि चालीसगांव ग्रौर भुसावल के बीच बहुत ग्रधिक यातायात होने के कारण जनता की ग्रोर से एक ग्रौर स्थानीय गाड़ी चलाने की भारी मांग है;

(ख) क्या यह भी सच है कि जनता की ग्रोर से यह मांग भी ग्रा रही है कि उस मार्ग पर ग्रधिक भीड़ होने के कारण बम्बई-हावड़ा एक्सप्रेस रोज चलाई जाये; ग्रौर

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या निश्चय किया है ?

---

†मूल ग्रंग्रेजी में

†रेलवे उपमन्त्री (श्री सें० वें रामस्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) संभवतः यह उल्लेख इलाहाबाद के रास्ते सप्ताह में दो बार चलने वाली बम्बई-हावड़ा जनता एक्सप्रेस गाड़ी के बारे में है। सप्ताह में दो बार चलने वाली बम्बई-हावड़ा जनता एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाने के लिये कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) चालीसगांव और भुसावल के बीच एक अतिरिक्त गाड़ी चलाने अथवा सप्ताह में दो बार चलने वाली बम्बई-हावड़ा जनता एक्सप्रेस गाड़ियों की निरन्तरता में वृद्धि करने का कोई औचित्य नहीं है।

नया हल

†*१४६८. **श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका ध्यान प्रधान मंत्री द्वारा अभी हाल में दिये गये एक भाषण की ओर दिलाया गया है जिसमें यह संकेत दिया गया है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से एक नई किस्म का हल बनाया जा सकता है और जल्दी ही बनाया जाना चाहिए; और

(ख) क्या इसके अनुसार कोई कदम उठाये जा रहे हैं?

†**कृषि मन्त्री (डा० पं० शा० देशमुख)**: (क) और (ख). सुधरे हुए कृषि औजारों के उत्पादन, वितरण और लोकप्रियता के लिये एक व्यापक योजना तृतीय पंचवर्षीय योजना में शामिल की गयी है। इस योजना में हल के सुधार की भी व्यवस्था है।

सहकारी खेती

†*१४६९. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में १०,००० सहकारी खेतों (फार्म) की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में इनकी संख्या कितनी होगी; और

(ग) प्रत्येक राज्य में इन पर कितना व्यय होगा?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :** (क) तृतीय योजना-काल में प्रमुख परियोजनाओं में ३१८० सहकारी खेती समितियां बसायी जायेंगी। इनके अतिरिक्त, प्रमुख योजनाओं से बाहर लगभग ४००० समितियां स्वयं ही बन जाने की संभावना है।

(ख) और (ग). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें परियोजनाओं सम्बन्धी राज्य-वार कार्यक्रम और वित्तीय परिव्यय के बारे में बताया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १४]** गैर-प्रमुख समितियों के कार्यक्रम के बारे में ब्योरे की जांच हो रही है।

†मूल अंग्रेजी में

नई दिल्ली में बाल-उद्यान आदि

*१४७८. { श्री भक्त दर्शन :
श्री नवल प्रभाकर :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २३ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १२८९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में बाल-उद्यान, तैरने का तालाब और खुले सिनेमा के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) उनमें से प्रत्येक के कब तक बन जाने की आशा है ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री द० प० करमरकर) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना नई दिल्ली नगरपालिका और शिक्षा मंत्रालय से एकत्र की जा रही है और यथा-समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

जहाजों द्वारा पश्चिम भारत को कोयले का परिवहन

†*१४७९. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयला आयुक्त ने अभी हाल ही में पश्चिम भारत के लिए जहाजों द्वारा हर महीने २८,५०० टन अतिरिक्त कोयले के सम्भरण की व्यवस्था की है;

(ख) क्या इससे बम्बई पत्तन न्यास प्राधिकारियों के सामने कोई प्रविधिक कठिनाइयां उत्पन्न हो गयी हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन कठिनाइयों को किस प्रकार हल किया जा रहा है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी, हां ।

(ख) तटीय जहाजों द्वारा बम्बई तक कोयला ले जाने में बम्बई पत्तन न्यास को कोई प्राविधिक कठिनाईयां नहीं हुई है। तथापि, अपर्याप्त श्रमिकों और कोयला उतारने में अपर्याप्त सुविधाओं के कारण इस पत्तन को आवंटित मात्रा को संभालने में कठिनाई होती है।

(ग) किनारे से दूर कोयला उतारना बम्बई पत्तन के लिये व्यावहारिक है परन्तु 'लाइटरेज' द्वारा प्रतिमास केवल दो या तीन जहाजों से ही कोयला उतारा जा सकता है। अधिक मात्रा में कोयला उतारने की व्यवस्था के लिये बम्बई पत्तन न्यास प्रयोगात्मक रूप में 'शोर बर्थ संख्या १०' विक्टोरिया डोक देने को राजी हो गया है। पहले जहाज 'लाइटरेज बर्थ' में १००० से २००० टन तक हलके होंगे और फिर वे संख्या १०, विक्टोरिया डोक में जायेंगे जहां पर बाकी सामान उतारा जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

चीनी की कीमतें

†*१४८०. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) २७ मार्च, १९६१ के "स्टेटसमैन" में 'भारतीय चीनी की कीमतें प्रतियोगी नहीं (निर्यात सम्बन्धी कठिनाइयों का स्पष्टीकरण) शीर्षक के अन्तर्गत उनके वक्तव्य को देखते हुए, उनका भारतीय चीनी की कीमतों में किस प्रकार कमी कराने का विचार है;

(ख) इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) आगे क्या कदम उठाने का विचार है?

†**कृषि उपमन्त्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)**: (क) से (ग). चीनी के मूल्य कम करने के लिये गन्ने के मूल्य कम करना आवश्यक है जो कि गन्ना उत्पादकों को कोई तकलीफ दिये बिना प्रति एकड़ गन्ने का उत्पादन बढ़ा कर ही कम किये जा सकते हैं। इस कार्य के लिये प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में गन्ना विकास योजनायें चल रही हैं। ये जारी हैं। राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित की गयी योजनाओं में सिंचाई, खाद, अच्छी किस्म के बीजों का इस्तेमाल, कारखाना क्षेत्र में सड़कों का निर्माण, कीडों और गन्ने की बीमारी पर नियंत्रण आदि सम्बन्धी उपाय शामिल हैं।

टेलीफोन एक्सचेंज

†*१४८१. { **श्री रामकृष्ण गुप्त** : **ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर** :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हस्तचालित एक्सचेंज के स्थान पर स्वचालित एक्सचेंज लगाने के लिए कोई योजना तैयार की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन्)** : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १५]**

उत्तर प्रदेश में चीनी के कारखाने

†२०७२. **श्री पांगारकर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में (जिलावार) गैर-सरकारी और सहकारी चीनी कारखानों की क्या संख्या है और उनकी गन्ना पेरने की वर्तमान क्षमता क्या है; और

(ख) वर्ष १९५९-६० में वास्तव में गन्ना पेरने की कितनी क्षमता का इस्तेमाल किया गया?

---

†**मूल अंग्रेजी में**

†**कृषि उपमन्त्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १६]**

(ख) जिला मेरठ में बागपत में चीनी कारखाने के अतिरिक्त, जिसमें केवल वर्ष १९६०–६१ में उत्पादन आरम्भ हुआ है, वर्ष १९५९–६० में पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर लिया गया।

कृषि श्रमिकों का पुनर्वास

†३०७३. **श्री पांगरकर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महाराष्ट्र को द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में अब तक भूमिहीन कृषि श्रमिकों के पुनर्वास के लिये कुल कितनी धनराशि आवंटित की गयी है?

†**कृषि मन्त्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : महाराष्ट्र में भूमिहीन श्रमिकों के पुनर्वास के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में २०.६८ लाख रुपये का उपबन्ध किया गया है।

महाराष्ट्र में कृषि कालिज

†३०७४. **श्री पांगरकर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में विभिन्न कृषि कालिजों के क्या नाम हैं; और

(ख) उनमें से प्रत्येक को केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष १९५९–६० और १९६०–६१ में कितनी धनराशि का अनुदान दिया गया?

†**कृषि मन्त्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) इस समय महाराष्ट्र में निम्नलिखित छः कृषि कालेज हैं–

१. सरकारी कृषि कालेज, पूना
२. सरकारी कृषि कालेज, नागपुर
३. सरकारी कृषि कालेज, अकोला
४. सरकारी कृषि कालेज, परभनी पत्रमश
५. सरकारी कृषि कालेज, धूलिया
६. गैर-सरकारी कृषि कालेज, अमरावती।

(ख) अमरावती में गैर-सरकारी कृषि कालिज को कोई अनुदान नहीं दिया गया है। जहां तक सरकारी कालिजों का सम्बन्ध है, पृथक पृथक कालिजों को कोई अनुदान मंजूर नहीं किये जाते परन्तु अनुदान राज्य सरकारों को विभिन्न मदों में विकास के लिये दिये जाते हैं। वर्ष १९५९–६० और १९६०–६१ में महाराष्ट्र सरकार द्वारा अपने उपरोक्त कालिजों के विकास के सम्बन्ध में वास्तव में इस्तेमाल की गयी केन्द्रीय सहायता के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। नकद अनुदान के अतिरिक्त, निम्नलिखित सरकारी कृषि कालिजों को भारत-अमरीका

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रविधिक सहकार कार्यक्रम के अधीन प्रयोगशाला के लिये यंत्र और पुस्तकें आदि दी गयी हैं ;

कालिज का नाम	धन राशि	
	१९५९–६०	१९६०–६१
१. कृषि कालिज, पूना . . .	शुन्य	२२८ रुपये
२. कृषि कालिज, नागपुर . .	३२,६१७ रुपये	५,६२२ रुपये
३. कृषि कालिज, अकोला	२०,४७४	४,१२० रुपये

इस सामान का मूल्य महाराष्ट्र सरकार को सहाय्य-अनुदान के रूप में माना गया है ।

ग्वालियर और भोपाल स्टेशनों का नव-निर्माण

†३०७५. **श्री पांगरकर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे पर ग्वालियर और भोपाल रेलवे स्टेशनों के नव-निर्माण के बारे में अब तक कितनी प्रगति की गयी है ;

(ख) उपरोक्त स्टशनों पर जिन सुविधाओं की व्यवस्था की गयी है, उनका क्या ब्यौरा है ; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

†**रेलवे उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क)
ग्वालियर--९५ प्रतिशत (स्टेशन के नव-निर्माण के बारे में)
भोपाल---७५ प्रतिशत ।

(ख) **ग्वालियर** : स्टेशन की इमारत को बढ़ाना और उसमें कुछ परिवर्तन करना, फ्लश के पाखाने लगा हुआ तृतीय श्रेणी का नया प्रतीक्षा हाल, प्लेटफार्मों को ढंकना, परिचालन क्षेत्र, तांगा स्टैण्ड, सायकल स्टैण्ड बनाना, प्लेटफार्मों पर पटरी बनाना और ऊपरी पैदल-पुल बनाना। इसके अतिरिक्त बड़ी लाइन और छोटी लाइन के यार्ड का नव-निर्माण किया जा रहा है ।

भोपाल : प्लेटफार्म और ऊपरी पैदल-पुल को ढंकना, पार्सल आफिस को विस्तार कर के प्रतीक्षालय में बदलना, स्टेशन की इमारत में फ्लश के पाखाने लगा कर और अच्छी बुकिंग व्यवस्था कर के उसका आधुनिकीकरण, नये रेलवे डाक सेवा कार्यलय की व्यवस्था और परिचालन क्षेत्रों को सुधारना। मुख्य इमारत की पहली मंजिल पर चार दो बिस्तर वाले रिटायरिंग कक्ष, दो दो बिस्तार वाले पर्यटक रिटायरिंग कक्ष और एक पर्यटक प्रतीक्षा कक्ष और विश्रामालय की व्यवस्था की जा रही है।

(ग) **ग्वालियर**: स्टेशन के समूचे कार्य के नव-निर्माण का कार्य अप्रैल, १९६१ के अन्त तक पूरा हो जाने की संभावना है ।

†मल अंग्रेजी में

भोपाल: पूरा काम दिसम्बर, १९६१ तक समाप्त हो जाने की सम्भावना है ।

भारतीय रेलवे में सेवायुक्त विदेशी

†३०७६. **श्री पांगरकर**: क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय रेलवे में कितने विदेशी नियोजित हैं; और

(ख) उनमें से कितने विशेषज्ञ हैं ?

†**रेलवे उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) ५८। इन आंकड़ों में वे नेपाली, गोआनी और पाकिस्तानी शामिल नहीं हैं जो भारत में स्थायी रूप से बसने के ख्याल से भारत आये हैं ।

(ख) जी, एक ।

पंजाब में परिवार नियोजन केन्द्र

†३०७७. **श्री हेमराज**: क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष १९६१–६२ में पंजाब में कितने परिवार नियोजन केन्द्र खोले जायेंगे; और

(ख) उनमें से कितने पंजाब के पहाड़ी इलाकों में स्थापित किये जायेंगे ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (श्री करमरकर)**: (क) वर्ष १९६१–६२ में पंजाब सरकार की दस परिवार नियोजन केन्द्र खोलने की प्रस्थापना है ।

(ख) अभी इन केन्द्रों के स्थान के बारे में अन्तिम रूप से निर्णय नहीं किया गया है ।

उत्तर रेलवे में चोरियां

†३०७८. **श्री दी० चं० शर्मा**: क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर रेलवे में नवम्बर, १९६० से मार्च, १९६१ तक की अवधि में चोरी, उठाईगिरी और सम्पत्ति की हानि के कितने मामले हुए हैं; और

(ख) इन आंकड़ों की वर्ष १९५९–६० में इतनी ही अवधि में हुए मामलों से क्या तुलना है ?

†**रेलवे उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है । [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १७]

नागापट्टनम बन्दरगाह

†३०७९. **श्री थर्रीलिंगम्**: क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नागापट्टनम बन्दरगाह पर यात्रियों को सुविधाओं में कमी के कारण बड़ी कठिनाई होती है;

(ख) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिये क्या कायवाही की गयी है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में स्थिति को सुधारने पर कितना धन खर्च किया गया है ?

†परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). जहां तक केन्द्रीय सरकार को पता है, नागापट्टनम में आवश्यक यात्री सुविधायें उपलब्ध हैं। यद्यपि प्रवेश द्वार पर लगा डंडा कम नीचाई पर लगा है, वहां पर चलने वाली हल्की नौकायें थोड़े ज्वार में भी सुरक्षा से डंडे को पार कर सकती हैं। परन्तु कम ज्वार में डंडे के ऊपर से हल्की नौकाओं के गुजरने से जीवन और नौका को हानि का भय हो सकता है । अतः प्रमुख आवश्यकता डंडे को सुधारने के लिये कार्य करने की है । मद्रास सरकार ने, जो इस कार्यों के सम्पादन से सम्बन्धित है, द्वितीय योजना-काल में इस बारे में शुरूआत आरम्भ कर दी है ।

(ग) द्वितीय योजना-काल में ४.५ लाख रुपये के व्यय किये जाने की आशा थी।

कोडामपक्कम स्टेशन पर ऊपरी पुल

†३०८०. **श्री धर्मलिंगम्** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फोर्ट स्टेशन और ताम्बरम् के बीच लाइन पर कोडामपक्कम, मद्रास में एक ऊपरी पुल बनाने की कोई प्रस्थापना है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**रेलवे उपमन्त्री (श्री शानवाज खां)** : (क) जी, नहीं। कोई डामपक्कम स्टेशन के समीप वर्तमान लेवल क्रासिंग के स्थान पर एक ऊपरी निचला पुल बनाने की आवश्यकता और अनावश्यकता पर विचार करना राज्य सरकार का काम है । राज्य सरकार से विशिष्ट प्रार्थना प्राप्त होने पर और वर्तमान नियमों के अनुसार योजना की लागत पर अपने अंश को वहन करने की सहमति मिलने पर रेलवे योजना को क्रियान्वित करेगी।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

उड़ीसा में 'श्रमदान' से निर्मित सड़कें

†३०८१. **श्री कुम्भार** : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में जिला-खंड-वार अब तक पूरी की जा चुकीं अथवा निर्माणाधीन श्रमदान सड़कों की क्या संख्या है ;

(ख) उस अवधि में अब तक वर्ष-वार इन सड़कों के लिये केन्द्र और उड़ीसा राज्य के क्या सहायता दी है ;

(ग) बाकी काम कब तक पूरा हो जायगा ; और

(ग) उनमें से जिलाखंड-वार अब तक कितनी सड़कें, सब मौसम में इस्तेमाल की जाने वाली, अच्छे मौसम में इस्तेमाल की जाने वाली, बैल-ठैलों के चलाने योग्य, मोटरें चलाने योग्य और बसें चलाने योग्य सड़कें हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

उड़ीसा में राजस्व सड़कें

†३०८२. श्री कुम्भार: क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में वर्षवार, उड़ीसा राज्य में जिलावार राजस्व सड़कों के निर्माण के लिये राज्य क्षेत्र और केन्द्रीय क्षेत्रों से पृथक पृथक कितनी धनराशि आवंटित की गयी है ;

(ख) उस राज्य में उस धनराशि से अब तक बनायी जा चुकीं और बनायी जा रही सड़कों के, जिले-वार, क्या नाम हैं ;

(ग) उस राशि से यदि प्रथम पंचवर्षीय योजना-काल में किसी सड़क की मरम्मत की गयी है, तो जिले-वार उसके क्या नाम हैं ;

(घ) बाकी काम कब तक पूरा हो जायगा और उस पर कितना धन व्यय होगा ;

(ङ) उनमें से यदि किसी सड़क की लोक-निर्माण विभाग की सड़कों में परिवर्तन किया गया है, तो उनके क्या नाम हैं ; और

(च) उनमें से सब मौसमों में इस्तेमाल होने वाली अथवा अच्छे मौसम में इस्तेमाल होने वाली सड़कों के, जिला वार, क्या नाम हैं ?

†परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (च). अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायगी।

उड़ीसा में लोक-निर्माण विभाग की सड़कें

†३०८३. श्री कुम्भार: क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में वर्ष वार उड़ीसा राज्य में, जिला-वार, लोक-निर्माण-विभाग की सड़कों के निर्माण के लिये राज्य और केन्द्रीय क्षेत्रों से पृथक पृथक कितनी धनराशि आवंटित की गयी है ;

(ख) उस राज्य में उस धनराशि से अब तक तैयार की गयी अथवा तैयार की जा रही सड़कों के, जिला-वार, नाम क्या हैं ;

(ग) उस धनराशि से प्रथम पंचवर्षीय योजना-काल में यदि किसी सड़क की मरम्मत की गयी है, तो उनके, जिला-वार, क्या नाम हैं ;

(घ) बाकी का कार्य कब तक पूरा हो जायगा और उस पर कितना धन खर्च होगा ;

(ङ) उनमें से सब मौसमों में इस्तेमाल योग्य और अच्छे मौसम में इस्तेमाल योग्य बनाई गयी सड़कों, के जिला-वार, क्या नाम हैं ?

†परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ङ). अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जावेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सुपारी अनुसन्धान केन्द्र

†३०८४. श्री ई० प० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि पलोद, केरल स्थित सुपारी अनुसन्धान केन्द्र में किन किन चीजों के बारे में अनुसंधान-कार्य अथवा जांच की जाती है, प्रत्येक कार्यक्रम में कार्य के आरम्भ की क्या तिथि है और अब तक क्या परिणाम निकले हैं ?

†कृषि मन्त्री (डा० पं० शा० देशमुख) : एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है। [देखिए परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १८]

कांटावांजी और टिटलागढ़ रेलवे बस्तियों का विद्युतीकरण

†३०८५. श्री कुम्भार : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांटावांजी और टिटलागढ़ रेलवे स्टेशनों में वस्तियों की गलियों और क्वार्टरों में बिजली लगाने की कोई प्रस्थापना है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†रेलवे उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग). रेलवे बस्तियों में रेलवे क्वार्टरों में और गलियों में बिजली लगाने का काम निधि और उचित दाम पर अपेक्षित विद्युत् उपलब्ध होनेपर कार्य क्रम के आधार पर किया जाता है। वर्ष १९६१–६२ के निर्माण-कार्य क्रम में टिटलागढ़ स्टेशन पर सड़कों पर अतिरिक्त बिजली लगाने की व्यवस्था को शामिल किया गया है। टिटलागढ़ में क्वार्टरों के विद्युतीकरण और कांटावांजी में क्वार्टरों और सड़कों के विद्युतीकरण के बारे में भी इन कार्यों के लिये आवश्यक निधि उपलब्ध होते ही कार्य क्रम बनाया जायगा।

डाक तथा तार विभाग की रिक्तताओं का विज्ञापन

†३०८६. श्री कुम्भार : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग के उड़ीसा सर्किल में पदों की रिक्तता के बारे में उड़ीसा राज्य के समाचार पत्रों की प्रादेशिक भाषाओं में विज्ञापन दिये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उस राज्य में द्वितीय पंचवर्षीय योजना––काल में पदों की रिक्तता के विज्ञापनों के बारे में कितने विज्ञापन दिये गये और उन पर कितनी धनराशि व्यय की गयी ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो उस के क्या कारण हैं ?

†परिवहन तथा संचार मन्त्री (डा० प० सुब्बरायन) : (क) जी, हां।

(ख) कुल १६ विज्ञापन जारी किये गये। १३ विज्ञापनों पर ४,३९०.२१ रुपये व्यय किये गये। तीन विज्ञापनों के बारे में अभी बिल नहीं आये हैं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

दक्षिण-पूर्व रेलवे द्वारा उड़ीसा के समाचार पत्रों में रिक्त पदों का विज्ञापन

†३०८७. श्री कुम्भार : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे के रिक्त पदों के बारे में उड़ीसा राज्य के समाचार पत्रों की प्रादेशिक भाषा में विज्ञापन दिये जा रहे हैं ; और

यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†रेलवे उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां) :

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कांस्टेबिल द्वारा सालभाटा में एक रेलवे कर्मचारी की हत्या

†३०८८. श्री कुम्भार : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २० मार्च, १९६१ की रात्रि में टिटलागढ़ सम्बलपुर नयी रेलवे लाइन पर उड़ीसा में बोलनगीर जिले के सालभाटा स्थान पर एक रेलवे कान्स्टेबिल ने रेलवे के एक खजान्ची क्लर्क की हत्या कर दी ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण थे ;

(ग) इस हत्या की जांच का क्या परिणाम निकला ;

(घ) क्या नकदी की रकम खजान्ची के लेखे के मुताबिक है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†रेलवे उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां): (क) और (ख). जी, हां । यह घटना खजान्ची और ड्यूटी पर तैनात रेलवे सुरक्षा बल के एक रक्षक में हुए वाग्युद्ध के परिणामस्वरूप हुई ।

(ग) हत्या के मामले की पुलिस जांच कर रही है ।

(घ) नगदी की कोई हानि नहीं हुई है ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्

†३०८९. श्री वें० प० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय का भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् पर कोई नियंत्रण है ;

(ख) यदि हां, तो उस नियंत्रण का क्या ब्योरा है ;

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जरिये कृषि सम्बन्धी अनुसंधान परियोजनाओं के लिये भारत सरकार के अनुदान देने के यदि कोई लाभ हैं, तो वे क्या हैं ; और

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की प्रत्येक समिति में उपरोक्त मंत्रालय के कितने प्रतिनिधि शामिल किये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†कृषि मन्त्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) (१) कृषि, पशु-पालन और सम्बन्धित विषयों में अनुसंधान कार्य का एकीकरण ।

(२) उपरोक्त क्षेत्र में अनुसंधान को छोड़ने और पुनः किये जाने को रोकना ।

(३) उपलब्ध निधि और वैज्ञानिक और प्रविधिक व्यक्तियों से अधिकाधिक काम लेना ताकि देश में उपरोक्त क्षेत्रों में अनुसंधान के लिये कुल व्यय में मितव्ययता की जा सके ।

(४) वैज्ञानिक, प्रविधिक, प्रशासनिक और वित्तीय दृष्टिकोण से परियोजनाओं की विस्तृत जांच ।

(५) परियोजनाओं के कार्यकरण की प्रगति और उस पर किये गये व्यय की कड़ी निगरानी ।

(घ) एक विवरण संलग्न है । [देखिए परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १६]

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् का प्रकाशन

†३०६०. श्री वें० प० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के 'ट्रेन्ड्स इन एग्रीकल्चरल रिसर्च' (क्रम संख्या ४) शीर्षक प्रकाशन की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) क्या भारत सरकार ने यह नोट किया है कि उस पुस्तक में एक आकर्षक शीर्षक के अन्तर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप-प्रधान डा० एम० एस० रन्धावा, डी० एस० सी०, आई० सी० एस० के कुछ भाषण मात्र, जिनमें स्वागत भाषण भी सम्मिलित हैं, सन्निहित हैं ;

(ग) इस प्रकार के प्रकाशन किस प्रयोजन के लिये निकाले जाते हैं ; और

(घ) प्रकाशन की कुल लागत कितनी है ?

†कृषि मन्त्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) से (ग). यह पुस्तक विभागीय प्रयोग के लिये छपाई गई थी क्योंकि उस में सन्निहित भाषणों में देश में कृषि अनुसंधान और विकास सम्बन्धी विवरण और सूचना सम्मिलित थी जो विभागीय अधिकारियों का पथप्रदर्शन करेगी ।

(घ) ५०० प्रतियां ५७५ रुपये की लागत से छपाई गई थीं ।

दुधारू ढोरों की नस्लें

†३०६१. श्री वें० प० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय दुधारू ढोरों, भैंसों और बकरियों की प्रमुख नस्लें कौन सी हैं और प्रत्येक से औसतन कितना दूध निकलता है ; और

(ख) भारत में प्रत्येक नस्ल के पशुओं की अनुमानित संख्या कितनी है और १९५९ से दूध की औसत प्राप्ति में कितना अन्तर पड़ा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†कृषि उपमन्त्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा): (क) प्रमुख नस्लों सम्बन्धी सूचना नीचे दी गई है :–

गायें		भैंसें		बकरियां	
नस्ल	दूध की औसत मात्रा (गांवों में) पौंड	नस्ल	दूध की औसत मात्रा (गांवों में) पौंड	नस्ल	दूध की औसत मात्रा (गांवों में) पौंड
गीर . .	२०००	मुर्रा .	३०००	जमुनापारी	५४०
साहीवाल .	३०००	जफराबादी	३०००	बारबरी .	३००
सिन्धी .	२५००	सुरती .	३०००	मालबरी (तेलीचेरी)	४–५ प्रतिदिन
थरपारकर .	२५००	नीली/रावी	३५००		

(ख) ढोरों की गणना नस्ल-वार करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया है। विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय द्वारा १९५६ में गायों, भैंसों और बकरियों के दूध का वार्षिक औसत निकाला गया था। उससे ज्ञात हुआ कि गायों, भैंसों और बकरियों के दूध का औसत जो १९५१ में क्रमशः ३६६, ९६३ और १२२ पौंड था, १९५६ में बढ़कर क्रमशः ३८२, १११७ और १२७ पौंड हो गया। अब भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् गायों और भैंसों के दूध का औसत निकालने के लिये कुछ चुने हुये क्षेत्रों में नमूना सर्वेक्षण करने में लगी हुई है।

चारे का उत्पादन

†३०९२. श्री वें० प० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में घास, चारे और पशुओं के खाने की अन्य चीजों का उत्पादन कितना है; और

(ख) भारत में प्रति जानवर कितना खाने को मिलता है और औसत न्यूनतम पोषण की आवश्यकता कितनी है ?

†कृषि उपमन्त्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा): (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें पशुओं के चारे और अन्य खाने की चीजों की भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् और भारतीय चिकित्सा गवेषणा परिषद् की संयुक्त समिति (१९५४) द्वारा अनुमानित उपलब्धता और आवश्यकता दिखाई गई है। [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २०]

ढोरों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं का अनुमान अब सामान्यत: डी० सी० पी० (डाइजेस्टिबिल क्रूड प्रोटीन) और टी० डी० एन० (टोटल डाइजेस्टिबिल न्यूट्रिएन्ट्स) अथवा तन्तु अन्न और सारकृत खाद्य (कनसेनट्रेट्स) के पदों में लगाया जाता है।

†मूल अंग्रेजी में

विभिन्न पशुओं की आहार संबंधी आवश्यकतायें निम्न प्रकार हैं :

	डी० सी० पी०	टी० डी० एन०	
	पौंड	पौंड	
१. गायें (५०० पौंड)	०.३३८	४.०९	संधारण के लिये
	०.०४५	०.३१६	४ प्रतिशत चर्बीयुक्त प्रति पौंड दूध के लिये।
२. भैंसें	०.५१६	६.१५	संधारण के लिये
	०.०६३	०.४५८	७ प्रतिशत चर्बीयुक्त प्रति पौंड दूध के लिये।
३. बैल . .	०.६२	८.०	सामान्य कार्य के लिये।
	०.१६	१०.५	भारी कार्य के लिये।
४. बछड़े . .	०.४६	३.४	

टेपिओका का आटा

†३०९३. श्री वें० प० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को यह ज्ञात है कि योरप में टेपिओका का आटा बहुत बड़ी मात्रा में ढोरों को खिलाने के काम में लाया जाता है ;

(ख) भारत में ऐसा कितना आटा पशुओं को खिलाया जाता है ; और

(ग) इस आटे में पशुओं के लिये कितने कैलोरी खाद्य तत्व है ?

†कृषि उपमन्त्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा): (क) योरप में टेपिओका का आटा पशुओं के खाने में संयोगांग के रूप में काम में लाया जाता है विशेषकर सुअरों को खिलाने के लिये ।

(ख) टेपिओका से साबूदाना बनाने में जो बेकार का अंश निकलता है उसे कुछ क्षेत्रों में ढोरों को खिलाने के काम में लाया जाता है।

पशुओं के खाने के काम में लाये जाने वाले टपिओका के आटे और अन्य उत्पादों की मात्रा के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) प्रति किलोग्राम टेपिओका में पशुओं के लिये सफल खाद्य तत्व और पाचनयोग्य खाद्य तत्व क्रमशः ३७८५ और ३३३४ किलो कैलोरी है।

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् का वार्षिक प्रतिवेदन

†३०९४. श्री वें० प० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के १९५८-५९, १९५९-६० और १९६०-६१ के वार्षिक प्रतिवेदन कब तक सभा पटल पर रख देने की आशा है ; और

(ख) उनके पहले ही सभा पटल पर न रखे जा सकने के क्या कारण हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

†कृषि मन्त्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) १९५८-५९ का प्रतिवेदन छप रहा है और उसे शीघ्र ही सभा पटल पर रख दिया जायगा। १९५९-६० के वार्षिक प्रतिवेदन का अनुमोदन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की वार्षिक सामान्य बैठक द्वारा ३०-८-६० को किया गया था। परन्तु उस वर्ष के परीक्षित लेखे अभी तक प्राप्त नहीं हुये हैं। लेखापरीक्षण जनवरी, १९६१ में किया गया था।

वर्ष १९६०-६१ के प्रतिवेदन की तैयारी प्रारम्भ की जाने वाली है और अगस्त १९६१ में सामान्य निकाय द्वारा अनुमोदन किये जाने के पश्चात् मुद्रित होते ही सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

(ख) प्रतिवेदन का सभा पटल पर रखे जाने का समय प्रतिवेदन के तैयार किये जाने और सामान्य निकाय की अगली बैठक, जिसमें उसका अनुमोदन किया जाता है, के बीच के अन्तर, लेखा-परीक्षण प्रतिवेदन की प्राप्ति और दोनों प्रतिवेदनों को छपवाने में लगने वाले समय पर निर्भर है। इसके लिये कदम उठाये जा रहे हैं कि प्रतिवेदन प्रतिवर्ष नियमित रूप से सामान्य निकाय के अनुमोदन के पश्चात् तुरन्त सभा पटल पर रख दिया जाये।

ढोर बन्ध्यता योजना

†३०९५. श्री वें० प० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि गवेषणा परिषद की समन्वित ढोर बन्ध्यता योजना इस समय कैसी चल रही है ;

(ख) इस योजना के लिये उच्चतर अध्ययन के लिये कितने अधिकारी स्वीडन भेजे गये थे और उनमें से कितने अधिकारी अभी तक योजना में हैं ; और

(ग) इस योजना पर १ जनवरी, १९६१ तक प्रत्येक राज्य में कितना व्यय हुआ था ?

†कृषि मन्त्री (डा० प० शा० देशमुख) : (क) योजना सन्तोषजनक रूप में चल रही है। भारत सरकार द्वारा योजना का पहला भाग मद्रास, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब, बम्बई और भारतीय पशु चिकित्सा गवेषणा संस्था, इज्जतनगर में १ अगस्त, १९५४ से ४ वर्ष की अवधि के लिये मंजूर किया गया था। इस अवधि की समाप्ति पर उन राज्यों और भारतीय पशु चिकित्सा गवेषणा संस्था ने योजना को स्थायी रूप से ले लिया है और पशु चिकित्सा कालेजों में एनीमल गाईनेकोलाजी एंड आब्सटेट्रिक्स के लिये पृथक चेयर्स का निर्माण किया गया है।

योजना का दूसरा भाग केरल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आसाम और आंध्र प्रदेश (उस्मानिया विश्वविद्यालय) में १-४-५७ से चार वर्ष की अवधि के लिये मंजूर किया गया था। मंजूरी की अवधि ३१-३-६१ को खतम हो गई थी। राज्य तथा उस्मानिया विश्वविद्यालय योजना को स्थायी बनाने और एनीमल गाईनेकोलाजी एंड आब्सटेट्रिक्स के लिये स्थायी चेयर्स के निर्माण के लिये कार्यवाही कर रहे हैं।

योजना का तीसरा भाग आंध्र प्रदेश, पशु चिकित्सा कालेज, तिरुपती में १-४-५९ से चार वर्ष की अवधि के लिये मंजूर किया गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) विभिन्न राज्यों, संस्थाओं और विश्वविद्यालयों से कुल २४ अधिकारी भेजे गये थे। उनमें ७ राज्यों तथा भारतीय पशु चिकित्सा गवेषणा संस्था द्वारा अध्यापन और गवेषणा संबंधी पदों पर स्थायी रूप से खपा लिये गये हैं। ५ की स्थायी खपत के संबंध में विचार किया जा रहा है। ७ उसी क्षेत्र में काम में लगे हुये हैं। ५ अभी प्रशिक्षण ले रहे हैं।

(ग) राज्य का नाम	व्यय	
१–८–५४ से ३१–७–५८ तक		
	रुपये	
१. मद्रास	७५,९०८.००	केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा व्यय में सहभागिता
२. पंजाब	३२,४७४.००	
३. बम्बई	६७,३४६.००	
४. बिहार	७२,२९६.००	
५. पश्चिम बंगाल	६०,९५०.००	
६. उत्तर प्रदेश	७२,५५६.००	
७. भारतीय पशु चिकित्सा गवेषणा संस्था	७८,९३९.००	(१–८–५४ से ३१–१०–५८ तक समस्त व्यय केन्द्र द्वारा किया गया)
१–४–५७ से १–१–६१ तक		
८ आसाम	५५,४०५.००	केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा व्यय में सहभागिता
९ उड़ीसा	५४,४३०.००	
१०. केरल	४५,१०७.००	
११. मध्य प्रदेश	५८,३११.००	
१२. आंध्र प्रदेश	१८,५९०.००	
१३. उस्मानिया विश्वविद्यालय	६०,१२६.००	(समस्त व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया)

पशुओं के रोग

†३०९९. **श्री वें० प० नायर :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय पशुओं के रोगों के अनुसंधान की कौन कौन सी निर्दिष्ट योजनाओं का संचालन किया जा रहा है ; और

(ख) क्या निम्नलिखित जानकारी प्रदान करने वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा:

(१) प्रत्येक योजना के प्रारम्भ किये जाने की तारीख ;

(२) प्रत्येक योजना का प्रयोजन ;

†मूल अंग्रेजी में

(३) प्रत्येक योजना में वैज्ञानिक कर्मचारियों की संख्या ;

(४) प्रत्येक योजना में गैर-वैज्ञानिक कर्मचारियों की संख्या ;

(५) प्रत्येक योजना पर चालू बजट योजना के प्रारम्भ तक किया गया व्यय ; और

(६) प्रत्येक योजना में अभी तक प्राप्त परिणाम ?

†**कृषि मन्त्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) और (ख) पशुओं के रोगों के अनुसंधान के लिये भारतीय पशु चिकित्सा गवेषणा संस्था द्वारा वित्तपोषित योजनाओं के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी प्रदान करने वाला विवरण संलग्न है । **[देखिए परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २१]**

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के प्रकाशन

†३०९७. **श्री वें० पं० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों में १९५८-५९, १९५९-६० और १९६०-६१ में कितने मूल्य के कृषि सूचना सम्बन्धी प्रकाशनों का संभरण किया गया है ;

(ख) वह मूल्य उन से नकद में वसूल किया जाता है अथवा उनके हिसाब में डाल दिया जाता है ; और

(ग) वे प्रकाशन कौन कौन सी भाषाओं में थे ?

†**कृषि मन्त्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) कुल मूल्य वर्ष-वार नीचे दिया गया है :

१९५८–५९	५,७८,१७० रुपये
१९५९–६०	६,०३,१७७ रुपये
१९६०–६१	७,६५,१२९ रुपये

(ख) मूल्य नकद में नहीं वसूल किया जाता है । खण्डों को संभरण किये गये प्रकाशनों का व्यय इस मंत्रालय की राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों में ग्राम सेवकों (विलेज लेविल वर्कर्स) के लिये कृषि सूचना सम्बन्धी प्रकाशनों के उत्पादन की योजना के लिये किये गये बजट उपबन्ध में से किया जाता है ।

(ग) अंग्रेजी, हिन्दी और पंजाबी ।

पौधों का अभिजनन

†३०९८. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, १९५७ में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में हुये पौधों और पशुओं के जनन विज्ञान संबंधी अनुसंधान कार्यकर्त्ताओं के सम्मेलन ने पौधों तथा पशुओं के जननविज्ञों के बीच निकट समन्वय की सिफारिश की थी और यदि हां, तो इस संबंध में भारत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या ऐसे सम्मेलन उसके बाद भी आयोजित किये गये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†कृषि मन्त्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) हां, श्रीमान । पौधों और पशुओं के प्रजनन विज्ञान वेत्ताओं के बीच समन्वय की दृष्टि से कुछ पौधा जननविज्ञों को पशु जनन समिति और कुछ पशु जननविज्ञों को वनस्पति विज्ञान समिति में नामांकित किया जाता है । इस प्रकार पौधों तथा पशुओ के प्रजनन कार्यक्रमों पर दोनों प्रकार के विशेषज्ञों द्वारा विचार किया जाता है ।

(ख) और (ग). दूसरे सम्मेलन की अभी तक आवश्यकता नहीं समझी गई परन्तु जब आवश्यकता होगी तो उसका आयोजन किया जायेगा । इस बीच में भारतीय कृषि गवेषणा परिषद अन्य विषयों पर इस प्रकार के सम्मेलन आयोजित करती रही है जैसे डेरी संबंधी विषयों पर पौधा तथा पशु पोषण विशेषज्ञों का संयुक्त सम्मेलन और कृषि तथा पशुपालन कार्यकर्त्ताओं का संयुक्त सम्मेलन ।

हरी खाद

†३०६६. श्री अं० प० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेसबेनिया की जाति के हरी खाद के पौधों के परीक्षण से ज्ञात उनके सूखा विरोधी गुणों का प्रचार किया गया है ; और

(ख) क्या किसी राज्य ने उन पौधों को किसानों में लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न किया है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ ?

†कृषि मन्त्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) जी, हां ।

(ख) सेसबेनिया की जाति के हरी खाद के पौधों के परीक्षणों से प्राप्त परिणामों का देश के उपयुक्त कृषि जलवायु वाले क्षेत्रों में विभिन्न दृश्य और श्रव्य साधनों द्वारा प्रचार किया गया है ।

१. प्रकाशन : भारतीय कृषि गवेषणा परिषद के बुलेटिन और केन्द्रीय सरकार की "भारतीय कृषि" और "कृषि विस्तार" पत्रिकाओं तथा राज्य सरकारों की पत्रिकाओं में लेखों द्वारा प्रचार किया जाता है । प्रादेशिक भाषाओं में पर्चे भी निकाले जाते हैं तथा उनका पश्चिम बंगाल, केरल, मद्रास, उड़ीसा आदि जैसे राज्यों में व्यापक वितरण किया जाता है ।

२. वृत्त चित्र : खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ने हरी खाद के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए शिक्षाप्रद वृत्त चित्र भी बनाए हैं ।

३. बीजों के पैकेट : कुछ राज्यों में हरी खाद के बीजों का किसानों को वितरण किया जाता है ताकि वे हरी खाद की उपयुक्त फसलें उगा सकें ।

४. राजसहायता : हरी खाद के बीजों के वाणिज्यिक पैमाने पर उत्पादन के लिए राजसहायतायें भी दी जाती हैं ।

अधिकांश राज्यों में हरी खाद का प्रयोग किया जाता है जैसे आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मद्रास और उत्तर प्रदेश । १६५६-६० में ७० लाख एकड़ क्षेत्र में हरी खाद का प्रयोग किया गया था तथा १६६०-६१ में १०५ लाख एकड़ क्षेत्र में प्रयोग किए जाने की आशा

†मूल अंग्रेजी में

है । केरल, मैसूर, पंजाब और राजस्थान द्वारा हरी खाद के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए विशेष प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

हरी खाद सम्बन्धी अनुसन्धान

†३१००. श्री वें० प० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के तत्वावधान में हरी खाद के संबंध में किये गये अनुसन्धान और प्राप्त परिणामों के आधार पर हरी खाद की फसल उगाने को विभिन्न राज्यों में लोकप्रिय बनाने से संबंधित सफलताओं का संक्षेप सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : विवरण संलग्न है । [देखिए परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २२]

केंचुए

†३१०१. श्री वें० प० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि के माइक्रोफ्लोरा को प्रभावित करने में केंचुओं के भाग के संबंध में विस्तृत जांच की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो अभी तक क्या परिणाम निकले हैं ?

†कृषि उपमन्त्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) जी हां, केंचुए के भूमि के माइक्रोफ्लोरा को प्रभावित करने में भाग के संबंध में जांच की गई है ।

(ख) देखा गया है कि केंचुओं द्वारा निकाली गई मिट्टी में आसपास की मिट्टी की अपेक्षा अधिक माइक्रोआर्गेनिज्म होते हैं । इनमें सेल्यूलोज डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और विभिन्न अन्य किस्में सम्मिलित हैं ।

फसलों के एजोटोबेक्टर टीके सम्बन्धी अनुसंधान

†३१०२. श्री वें० प० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल की टालीगंज स्थित राज्य कृषि अनुसन्धान संस्था में १९५१ से भारतीय कृषि गवेषणा परिषद की वित्तीय सहायता से बनाई जा रही फसलों के एजोटोबेक्टर टीके संबंधी गवषणा की योजना पूर्ण हो गई है ; और

(ख) अभी तक क्या परिणाम निकले हैं ?

†कृषि मन्त्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) जी, हां ।

(ख) पश्चिम बंगाल की भूमि एजोटोबेक्टर बढ़ाने के लिए उपयुक्तता की जांच किए जाने पर मालूम हुआ कि अनुकूल पी० एच० के बावजूद अधिकांश भूमि में एजोटोबेक्टर बिल्कुल भी नहीं है और जहां है भी वह बहुत कम है । उनकी संख्या चावल की भूमि में ५० से ले कर २५०० प्रति ग्राम है । जब इन भूमियों में एजोटोबेक्टर पहुंचाये गए तो

---

†मूल अंग्रेजी में

वे कमरे के तापमान और ५० प्रतिशत पानी धारण करने की क्षमता की नमी में से १५ दिन के अन्दर गायब हो गए । पश्चिम बंगाल की विभिन्न भूमियों से अलग किए गए एजोटोबेक्टर की नाइट्रोजन उत्पन्न करने की क्षमता से ज्ञात हुआ कि वे प्रतिग्राम सड़ी चीनी में लगभग १० मिलीग्राम नाइट्रोजन उत्पन्न करते हैं । यह पता लगाने के लिए प्रयोग किए गए कि क्या पश्चिम बंगाल में एजोटोबेक्टरों की कमी जलानुवेधन से उत्पन्न अवातजीवी (एनैटोबिक) परिस्थितियां हैं। परिणामों से ज्ञात हुआ है कि भूमि को जलानु-विद्ध रखने के पश्चात एजोटोबेक्टरों की संख्या कम हो जाती है । एजोटोबेक्टरों की कमी विषालु तत्वों के कारण भी हो सकती है अतः विषालु तत्वों के अस्तित्व का पता लगाने का प्रयत्न किया गया । परन्दु कोई भी विषालु तत्व नहीं मिल सके । परिणामों से ज्ञात हुआ कि पश्चिम बंगाल की भूमि में फास्फेट की बहुत कमी है । औस धान और जूट के बीजों के अकूंरण पर टीके का अध्ययन करने से मालूम हुआ कि बीज अंकुरण पर टीके का कोई प्रभाव नहीं होता है । औस धान और जूट के साथ बीज अंकुरण प्रयोग में टीका लगाए गए पौधों के क्षेत्र से भूमि की सामयिक जांच से मालम हुआ कि प्रयोग की अवधि में एजोटोबेक्टर पर्याप्त संख्या में रहे । चावल की फसल लगी हुई भूमि में एजोटोबेक्टरों की संख्या का अध्ययन करने से मालूम हुआ कि एजोटोबेक्टरों की संख्या फसल की अवस्था के साथ धीरे धीरे बढ़ती है ।

फसल के कीड़ों पर नियन्त्रण के लिये डी० डी० टी० का प्रयोग

†३१०३. श्री वें० प० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय परिस्थितियों के अधीन फसल में लगने वाले मुख्य कीड़ों पर डी० डी० टी० तथा बी० एच० सी० आदि के विभिन्न मिश्रणों के प्रभाव की जांच के लिए १९५६ में आरंभ की गई पूना समन्वय योजना के क्या परिणाम निकले ;

(ख) योजना में कितने वैज्ञानिक काम कर रहे हैं ; और

(ग) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद ने इस समन्वय योजना के लिये कुल कितनी वित्तीय सहायता दी है ?

†कृषि मन्त्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) भारत में कृषि नाशिकीटों के नियंत्रण के लिए डी० डी० टी०, बी० एच० सी० तथा अन्य कीटाणुनाशक औषधियों के परीक्षण के लिए पूना में समन्वय योजना १९५४ में आरंभ की गई थी (१९५६ में नहीं) ।

परिणामों से पता लगा है कि 'पिंक बाल वर्म' के मामले में प्रति एकड़ ८ औंस एन्ड्रीन ४ बार छिड़कने से तथा ०.०२ गुसालियों लगाने से यह कीड़े कम तादाद में पैदा हुए हैं और रूई भी पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न हुई है ।

१ प्रतिशत एन्ड्रीन पाउडर तथा डी० डी० टी०, बी० एच० सी० को चार बार छिड़कने पर पता लगा कि पिंक बाल वर्म कम पैदा हुए हैं और पैदावार अधिक हुई है जबकि एक दूसरा प्रयोग १ प्रतिशत एन्ड्रीन तीन बार छिड़कने पर पता लगा कि उसके कीड़े भी कम नहीं होते हैं तथा पैदावार भी नहीं बढ़ती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

परीक्षणों में यह भी पता लगा कि २ औंस एन्ड्रीन, ४ औंस पाराथियोन तथा ०.२ प्रतिशत बी० एच० सी० नाइकोटीन सल्फेट (१:८००) से अधिक प्रभावशाली है। दूसरी बार प्रयोग करने पर भी इस तथ्य की पुष्टि हो गई।

(ख) दो।

(ग) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् ने ४१,३०० रुपयों की वित्तीय सहायता दी है।

काजू के पेड़ों में लगने वाले कीड़े

†३१०४. श्री वें० प० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार तथा भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के तत्वावधान में काजू नाशिकीट की जांच के क्या परिणाम हुए हैं ;

(ख) इन नाशिकीटों से अनुमानतः कितने काजू नष्ट हो जाते हैं ; और

(ग) इन नाशिकीटों पर नियंत्रण के लिए किन कार्यवाहियों की सिफारिश की गई है ?

†कृषि मन्त्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के अधीन पूर्वी तथा पश्चिमी तटों पर काजू की पैदावार वाले महत्वपूर्ण क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया है और नाशिकीटों तथा उनके द्वारा की गई हानि के आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं। कई ऐसे नाशिकीटों का पता लगा है जिनका अब तक पता नहीं था।

(ख) दूर दूर पर वृक्ष होने के कारण अनुमान लगाना संभव नहीं है।

(ग) निम्नलिखित कार्यवाहियों का असर हुआ है परन्तु अभी प्रयोग ही किए जा रहे हैं :—

बी० एच० सी० (०.१ प्रतिशत) काजू की कली पर छिड़काव।

बी० एच० सी० (०.०५ प्रतिशत) अथवा पाराथियोन (०.०२५ प्रतिशत) पत्तियों के लिए।

डी० डी० टी० (०.१ प्रतिशत) चाय के मच्छर के लिए।

आम के पौदों का प्रसंकरण[1]

†३१०५. श्री वें० प० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर की उद्यान विद्या सम्बन्धी गवेषणा संस्था में आम के पौदों का प्रसंकरण करने के क्या परिणाम निकले हैं ?

†कृषि मन्त्री (डा० पं० शा० देशमुख): १९५१ में सहारनपुर की उद्यान विद्या सम्बन्धी गवेषणा संस्था में आमों की कई किस्मों का प्रसंकरण किया जा रहा है।

पहले किए गये प्रसंकरणों का यह उद्देश्य था कि चमकने वाले सोने को रंगके तथा बड़े का फजरी जाफरानी में दशहरी का स्वाद बताया जाये। संस्था में इस प्रकार जो चार पौधे लगाये गये हैं उनमें से तीन नम्बर का पौधा ऐसा है जिसका फल फजरी जाफरानी के रंग का हो गया है और उसका स्वाद दशहरी का हो गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Hybridisation.

१९५३ से ही (लंगड़ा और दशहरी) वाणिज्यिक किस्मों का क्या (रोमानी, तोतापरी हैदराबाद तथा तोतापरी लालछोटा) का प्रसंकरण किया जाता है। इन प्रसंकरणों से २३ दोगले फल बनाये गये हैं । दशहरी, रोमानी प्रसंकरण के फल १९५७ से बाजार में है। इनका ध्यान रखा जायेगा और कई वर्षों बाद निर्णयात्मक परिणाम निकाले जायेंगे । शेष प्रसंकरण पौधे अभी छोटे हैं तथा देखभाल की जा रही है ।

केरल में केलों का रोग

†३१०६. **श्री वें० प० नायर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में केलों के 'बंची टॉप' नामक रोग पर की गई जांच के परिणाम क्या हैं ;

(ख) यह रोग एक पौधे से दूसरे में किस प्रकार लगता है ;

(ग) 'वेक्टर, पेंटालोनिया, निगरोनेरवोसा'[1] तथा 'वीरस तथा वेक्टर' की अन्य श्रेणियों के अध्ययन के क्या परिणाम हुए ;

(घ) इस जांच के लिये भारतीय गवेषणा परिषद् ने अब तक क्या वित्तीय सहायता दी है ; और

(ङ) जांच कार्य कितने वैज्ञानिक कर रहे हैं तथा 'बन्ची टॉप' नामक रोग से अनुमानतः कितनी वार्षिक हानि हुई ?

†**कृषि मन्त्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) रोग के आन्तरिक तथा बाह्य चिन्हों का अध्ययन कर लिया गया है। वीरस केले के 'एकिड' पेरालोनिया निगरोनेट वोसा के द्वारा केले में पहुंच जाता है। केले की २४ किस्मों पर 'एकिड' का असर देखने पर पता लगा कि नेन्द्रन, पेपों, एन्तावनियान, वेन्नेत्लुमन्नान, नेमन्तान आदि में इस वीरस का असर शीघ्र होता है। यह पाया गया 'एकिड' का असर अधिक तापमान तथा भारी वर्षा (मार्च-जून) में कम होता है जबकि कम तापमान में अधिक होता है। केलों के खेतों में प्रयोग करने पर पता लगा कि कीटाणुनाशकों का असर शीघ्र होता है और इससे 'एकिड' का असर कम हो जाता है। बसूडिन तथा एनड्रीन अधिक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं । शोधनशाला के परीक्षण से पता लगा कि एकाटिन, मीटासिस्टैक्स और बपूडिन तब ज्यादा प्रभावी होते हैं जब खेतों की तुलना १८ का प्रयोग किया जाये ।

(ख) वेक्टर पेंटालोनिया निग्रोनेरवोसा के द्वारा रोग एक पौधे से दूसरे में फैलता है ।

(ग) अक्तूबर से फरवरी में वेक्टरों की संख्या बढ़ती है तथा शेष अवधि में कम होता है। कोलोकेसिया, अलोकेसिया, हेलीकोनिया, कैलेडियम, कोसस तथा इल्टारिया कारडामोम पौधों में वेक्टर बढ़ता है ।

(घ) ३१-३-१९६१ तक योजना के लिए ३१,५१० रुपये का अनुदान की गई थी । जिस में से २७,८०२.९८ रुपये की राशि राज्य सरकार को दे दी गई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Vector, Pentalonia, Nigronervosa.

(ङ) योजना में एक रिसर्च अफसर (वीरस पैथोलोजिस्ट) तथा एक रिसर्च असिस्टेंट काम कर रहा है ।

दूर दूर फसल होने के कारण इस रोग के कारण हुई कुल हानि का अनुमान लगाना कठिन है ।

केरल में बत्तख पालन

†३१०७. **श्री वें० प० नायर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में बत्तख-पालन योजना के द्वारा अब तक क्या परिणाम निकले हैं ;

(ख) केरल की स्थिति में खाकी कैम्पबेल के अण्डों की उर्वरता तथा समानता की तुलना देसी बत्तखों के अण्डों से अब तक अध्ययन के द्वारा किस प्रकार की गई है; और

(ग) योजना के लिए भारत सरकार अथवा भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् ने कुल कितनी वित्तीय सहायता दी है ?

†**कृषि उपमन्त्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) नवम्बर, १९५४ में खाकी कैम्पबेल बत्तखों के अभिजनन के लिए प्रयोग किए गए थे । वीरस हैपाटाइटिस के कारण बत्तखों के अधिक संख्या में मरने पर भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् की मुर्गीपालन विद्या समिति ने कार्यक्रम में रूपभेद किया है और १९५९-६० में स्थानीय रूप से बत्तखों के अभिजनन के बारे में प्रयोग किए गए हैं। अभी काम हो रहा है और परिणाम बताने कठिन हैं।

(ख) १९५६-५७ में १२६४ खाकी कैम्पबेल अण्डे रखे गये थे जिनमें से ५६६ उर्वर थे तथा १०२ बत्तख के चूजे उसमें से निकले। १९५९-६० में ६८८ बत्तखों के अण्डे रखे गये थे जिनमें से ५०७ उर्वर थे तथा २५१ चूजे उसमें से निकले।

(ग) भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् ने ३१ मार्च, १९६१ तक ४८,२३०.०० रुपये दिये हैं ।

वाई० एम० सी० ए०, मारतौडम, में अण्डे सेने की योजना

†३१०८. **श्री वें० प० नायर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाई एम सी ए मारतौडम में वाणिज्यिक रूप से अण्डे सेने की योजना के लिए कोई केन्द्रीय सहायता की गई है तथा यदि हां तो अब तक कितनी धनराशि दी गई है ; और

(ख) निर्धारित लक्ष्यों में से योजना के आरम्भ होने से अब तक प्रति वर्ष विदेशी नस्ल जैसे लेघौरन के कितने चूजे वितरित किए गए थे ?

†**कृषि मन्त्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) जी हां, । १ जनवरी, १९५७ से ३१ मार्च, १९६१ तक २,५३,६९०.०० रुपये स्वीकार किए गए हैं।

(ख) २०,००० चूजों के वार्षिक लक्ष्य में से १९५७-५८, १९५८-५९ तथा १९५९-६० में क्रमशः ५२२ (पहले तीन महीने) ३६५५ तथा ६,२८० श्वेत लेघौरन चूजे वितरित किए गए थे । १९६०-६१ के ठीक आंकड़ों की प्रतीक्षा की जा रही है परन्तु आशा है कि वर्ष में लगभग १३००० चूजे वितरित किए गए हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पशु-वन्ध्यता[1] सम्बन्धी समन्वित योजना

†३१०६. **श्री वें० प० नायर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान आय-व्ययक वर्ष के आरम्भ में भारत सरकार ने पशु-बन्ध्यता सम्बन्धी समन्वित योजना पर कुल कितनी धनराशि व्यय की ; और

(ख) पशु प्रजनन विद्या तथा गर्भ मोचन विद्या के अध्यापन में सुधार करने के बारे में और अन-उर्वर की समस्याओं की जांच के बारे में योजना कितनी सफलता हुई है ।

†**कृषि मन्त्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) ४·३४ लाख रुपये ।

(ख) योजना लागू होने से पहले पशु प्रजनन विद्या तथा गर्भमोचन विद्या अन्य विषयों के भाग के रूप में पढ़ाई जाती थीं । योजना आरम्भ होने के बाद कृत्रिम गर्भाधान, फीजियोपैथालाजी, समेत पशु प्रजनन विद्या तथा गर्भमोचन विद्या तथा अन्य विषय पशु डिग्री कोर्स के सिलेबस में शामिल कर लिए गए और स्वतंत्र विषय बन गये । इन विषयों को अलग प्रोफेसर पढ़ाने लगे ।

योजना लागू होने से पहले इस देश में अन-उर्वरता के बारे में समस्याओं की विस्तृत जांच नहीं की गई थी और रूचि लेने वाले कर्मचारियों ने स्वयं इसके बारे में गवेषणायें की थीं । योजना लागू होने के बाद विभिन्न केन्द्रों में समन्वित रूप से एक विस्तृत कार्यक्रम बनाया गया जिसमें पशु तथा भैंसों के प्रजनन में फीजियोलाजी तथा पैथोलाजी के विभिन्न पहलू भी शामिल हैं ।

हरी खाद के लिये 'ग्लाइरीसिडया[2]' की खेती

†३११०. **श्री वें० प० नायर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने हरी खाद के लिए केरल में 'ग्लाइरीसिडिया' की खेती का प्रचार करने के लिए वित्तीय सहायता दी है ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी धनराशि दी गई है ;

(ग) क्या 'ग्लाइरीसिडिया' की खेती में वृद्धि के साथ साथ मधुमक्खी पालन में वृद्धि की संभावनाओं की भी जांच की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**कृषि उपमन्त्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) और (ख). हरी खाद के बीज की पैदावार तथा वितरण के लिए प्रतिमन २ रुपये की सहायता दी गई है । यह सहायता सभी प्रकार की हरी खाद के लिए दी जाती है । अलग से 'ग्लाइरीसिडिया' के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है । ग्लाइरीसिडिया बीजों की तादाद बढ़ाने के लिए ग्राह्य सहायता का प्रयोग राज्य सरकार चाहें तो कर सकती हैं ।

(ग) और (घ). भारत सरकार की जानकारी के अनुसार इसकी अभी जांच नहीं की गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Cattle Sterility.

[2]Glyricidia.

पशुओं की गणना

†३१११. श्री वें० प० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का विचार इस वर्ष पशुओं की गणना करने का है और यदि हां, तो कौन सी तिथि निश्चित की गई है;

(ख) क्या सरकार ने ऐसा करने के लिए उचित कदम उठाये हैं कि १९५६ के समान ही गणना न हो और सभी राज्यों में पशुओं की गणना एक साथ हो ; और

(ग) क्या राज्यों को प्रोफोर्मा तथा आदेश दे दिये गये हैं और यदि हां तो क्या उनकी एक प्रति सभा पटल पर रख दी जायगी ?

†कृषि उपमन्त्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) १५ अप्रैल १९६१ से नयी पशु गणना हो रही है ।

(ख) जम्मू तथा काश्मीर के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में गणना एक साथ हो रही है । जम्मू तथा काश्मीर राज्य में सितम्बर १९६१ में होगी ।

(ग) भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को परिचालित आदेशों (प्रोफोर्मा समेत) की प्रतियां संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

पशुओं में बढ़ोत्तरी

†३११२. श्री वें० प० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार ने १९५६ की पशु गणना के पश्चात् पांच वर्ष के पशुओं की संख्या की बढ़ोत्तरी के कोई प्राक्कलन बनाये हैं तथा यदि हां, तो (१) पशु, (२) भैंस, (३) भेड़, (४) बकरी, (५) सूअर, (६) घोड़े, टट्टू, गधे तथा ऊंटों और (७) मुर्गियों की कितनी अनुमानित बढ़ोत्तरी हुई है ?

†कृषि उपमन्त्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : पशुओं की गणना पांच वर्ष में की जाती है । आठवीं गणना १९५६ में की गई थी । नवीं पशु गणना इस वर्ष अप्रैल में की जा रही हैं । पशु, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर, घोड़े, टट्टू, गधे, ऊंट, मुर्गी आदि की बढ़ोत्तरी तथा घटोत्तरी के प्राक्कलन १९५६ के बाद के मालूम नहीं हैं ।

ढोरों में 'रिंडरपैस्ट' रोग

†३११३. श्री वें० प० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ढोरों में 'रिंडरपैस्ट' नामक रोग के उन्मूलन की योजना के खुलासा ब्यौरे क्या हैं ;

(ख) १९५६ की पशु गणना के प्रतिवेदन में बताया गया है कि इस रोग में ३७ प्रतिशत पशु मरते थे तो इस समय की इस की प्रतिशतता क्या है ; और

(ग) पहली पंचवर्षीय योजना के आरम्भ होने के बाद रिंडरपैस्ट के उन्मूलन अथवा नियंत्रण पर कितनी धनराशि व्यय की गई थी ;

†मूल अंग्रेजी में

†कृषि मन्त्री (डा० पं० शा० देशमुख): (क) योजना का उद्देश्य यह है कि देश से रिंडरपैस्ट रोग निम्न प्रकार से पूरी तरह दूर कर दिया जाये :

१. सभी बड़ी उम्र के ढोरों तथा भैंसों को टीके लगाना, केवल गर्भधारण वाले पशुओं तथा छ: महीने के बच्छड़ों को छोड़ कर तथा टीका लगाये हुए पशुओं पर चिन्ह लगाना ।

२. नये तरीकों से ठंडे सूखे टीके बनाना ।

३. भारत की सीमाओं पर रोग जांच के केन्द्र स्थापित करना जिस से पड़ौसी देशों से रोग भारत में न आ पाये ।

(घ) पूरे देश के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं परन्तु योजना के क्षेत्रों में रोग से मरने वाले पशुओं की संख्या बहुत कम है ।

(ग) २५४·६४ लाख रुपये ।

१९६०–६१ के ७५·८३ लाख रुपये के आंकड़े इसमें शामिल हैं ।

ढोर संख्या

†३११४. श्री वें० प० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृत्रिम गर्भधान तथा खस्सी करने जैसे कृत्रिम नियंत्रणों के द्वारा ढोर संख्या को बढ़ने से रोकने के लिये क्या नियंत्रण लगाये गये हैं ; और

(ख) ढोर संख्या को बढ़ने से रोकने के लिये पिछले तीन वर्षों में भारत सरकार ने राज्यों को कितना धन दिया है ?

†कृषि उपमन्त्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) ९ मार्च, १९६१ को लोक सभा में पूछ गये तारांकित प्रश्न संख्या ६९१ के भाग (ख) के उत्तर में बताया गया था कि जनता की भावनाओं के कारण पशुओं को मारने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। परन्त भारत सरकार ने बेकार पशुओं को गोसदनों में रखने तथा बेकार पशुओं की संख्या न बढ़ने देने के लिये सांडों को खस्सी करने की आरंभिक योजनायें बनाई हैं। १९५९–६० के अन्त तक अखिल भारतीय ग्राम्य योजना के अन्तर्गत ४,८३,४९४ बछड़ों तथा आवारा सांडों को खस्सी बनाया गया है। दूसरी योजना के अधीन ५८ गोसदन खोले गये हैं जिनमें ७४,८३० पशु रखे जायेंगे। इन दो केन्द्रों द्वारा बनाई गई योजनाओं के अतिरिक्त पशु पालन के राज्य विभाग ने आवारा सांडों को खस्सी करने की अपनी योजनायें बनाई हैं । कृत्रिम गर्भाधान से आजनन किया जा सकता है । इसलिये पशुओं की संख्या नहीं रोकी जाती है ।

(ख) गोसदनों की स्थापना के लिये दूसरी योजना में केन्द्र का अंश २२·१० लाख रुपया रखा गया है । इस योजना के अधीन खस्सी बनाने के लिये कोई निधि नहीं रखी गई है क्योंकि सांडों को खस्सी बनाने के लिये अखिल भारतीय ग्राम्य योजना को धन दे दिया गया है जो दूसरी योजना में २३७ लाख रुपया रखा गया था । तीसरी योजना के अधीन सांडों को खस्सी बनाने के लिये ५२·९५ लाख रुपये की लागत की विस्तृत योजना बनाई गई है ।

गाय तथा भैंसों के लिये कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र

†३११५. श्री वें० प० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय मुख्य गांवों में कितने कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र चालू हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) भारत सरकार के प्राक्कलन के अनुसार दूसरी योजना में प्रत्येक वर्ष औसतन कितनी गाय तथा भैंसों का कृत्रिम गर्भाधान कराया गया है ; और

(ग) ऐसे कितने पशुओं को प्रति वर्ष गर्भाधारण हो गया है ?

†**कृषि उपमन्त्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) ३८४ ।

(ख) दूसरी योजना के पहले चार वर्षों में २,७८,४८२ ।

(ग) भारत सरकार द्वारा स्थापित विशेषज्ञ मुख्य ग्राम्य समिति के निर्णयों के अनुसार ऐसे पशुओं में ३५ से ७० प्रतिशत पशुओं के गर्भाधारण हो जाता है परन्तु यह पशु के चारे, प्रबन्ध सुविधाओं तथा पशु की अपनी आदत पर भी निर्भर करता है ।

मद्रास में अनुपयोगी पशु

†३११६. **श्री वें० प० नायर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने इस के कारणों की जांच की है कि इस समय मद्रास राज्य में गाय का मांस बहुत ज्यादा क्यों खाया जाता है तथा वहां पर अनुपयोगी पशु बहुत बड़ी संख्या में क्यों हैं ; और

(ख) यदि हां, तो यह कारण क्या है ?

†**कृषि उपमन्त्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) और (ख). १९५६ की पशु गणना से पता लगा कि मद्रास राज्य में ९६,९८,००० पशु हैं जिन में से तीन वर्ष की आयु से अधिक के सांड, बैल, तथा गाय, जो आजनन तथा दूध देने के अयोग्य है ४,४२,००० बताये जाते हैं । यह ४.८ प्रतिशत हैं जब कि सामान्य औसत लगभग २ प्रतिशत बताया जाता है । इस की कोई विशेष जांच नहीं की गई है ।

केन्द्रीय गोसंवर्धन परिषद्

†३११७. **श्री वें० प० नायर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२ से अब तक केन्द्रीय गोसम्वर्द्धन परिषद् की कितनी बैठकें हुई हैं तथा किन किन स्थानों पर ; और

(ख) क्या भारत सरकार ने इस परिषद् के कार्य का पुनरीक्षण कर लिया है और यदि हां तो परिषद् की सफलता अथवा असफलता के सम्बन्ध में परिषद् के अन्तिम निर्णय क्या हैं ?

†**कृषि उपमन्त्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** :(क) नई दिल्ली में आठ बार तथा मंगलौर और बम्बई में एक एक बार ।

(ख) १९६० में किये गये पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप यह निर्णय किया गया था कि परिषद् का गठन उच्च उद्योगों से किया जाय और इसके कार्यों की व्यापकता में बढ़ोत्तरी की जाय जिस से यह ऐसे कार्यक्रम बना सके जिन के द्वारा देश की पशु सम्पत्ति का शीघ्रता से विकास हो सके । परिषद् के सभापति गैर-सरकारी श्री यू० एन० ढेबर हैं । परिषद् का पुनर्गठन करने वाले संकल्प की प्रति सम्बद्ध है । [**देखिए परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २३**]

गोसदन

†३११८. **श्री वें० प० नायर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के आरम्भ तक गोसदनों में कितने पशु रखे गये थे ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या भारत सरकार बतायेगी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में गोसदनों पर कुल कितना धन रुपया व्यय किया गया था ?

†कृषि उपमन्त्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) ३१–३–१६६० तक ७४,८३० पशु । राज्यों से १६६०-६१ के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है और मिलने पर जानकारी सभा पटल पर रख दी जायगी ।

(ख) दूसरी योजना में इस योजना के लिये १२·१० लाख रुपय (केन्द्रीय अंश) की व्यवस्था की गई है । पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है तथा मिलने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

पशुपालन

†३११६. श्री वें० प० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना काल के प्रारम्भ से लेकर अब तकपशु पालन पर केन्द्रीय सरकार की ओर से कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ?

†कृषि उपमन्त्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : माननीय सदस्य का ध्यान २७ मार्च, १६६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २२७८ के उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है ।

राज्यों में पशु धन

†३१२०. श्री वें० प० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार द्वारा देश के उन राज्यों में जो कि पशुधन के संबंध में पिछड़े हुए हैं इस सम्बन्ध में सुधार करने के लिय विशष रूप से क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ से लेकर किये गये कार्यों के उन राज्यों में क्या परिणाम निकले हैं ?

†कृषि उपमन्त्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) जैसा कि ७ अप्रैल, १६६१ को अतारांकित प्रश्न संख्या २६१० के उत्तर में बताया गया है, पशुओं का विकास और सुधार का कार्य सरकारों का है। राज्य सरकारों की सहायता के लिये भारत सरकार ने निम्नलिखित योजनायें चलायी हैं :—

(१) अखिल भारतीय मूल ग्राम्य योजना—उसका उद्देश्य कुछ चुने हुए विकास खण्डों में दूध के उत्पादन और पशुओं की बोझा उठाने की क्षमता को सभी दृष्टि से विकास करना है ।

(२) गोशाला विकास योजना जिसका लक्ष्य कुछ चुनी हुई गोशालाओं को पशु नस्ल सुधार तथा दुग्ध उत्पादन केन्द्रों के रूप में बदल देना है ।

(३) खाना बदोश और पालकों की पुनर्स्थापना तथा उनके पशुओं का संरक्षण तथा सुधार सम्बन्धी योजना ।

(४) जंगली तथा लावारिश पशुओं को पकड़ने की योजना के अधीन दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हरियाना नस्ल के ऐसे पशु जिन के मालिक ज्ञात नहीं हो सकते, अन्य राज्यों के स्वीकृत नस्ल सुधारकों को दे दिये जाते हैं । आशा है कि उस से उन क्षेत्रों में दूध के उत्पादन में सुधार हो सकेगा ।

†मूल अंग्रेजी में ।

(५) विभिन्न नस्लों के संयोग से पशु नस्ल पालन की योजना जिस के अधीन प्रयोगात्मक रूप से जरसी सांड इस्तेमाल किये जा रहे हैं;

(६) विभिन्न राज्यों को वीर्य का संभरण करने के लिये केन्द्रीय कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, बंगलौर में सांडों की स्वीकृत नस्लों जैसे कि जरसी, रेड सिन्धी, थारपरकर तथा साहिवाल को रखा जाता है ।

(७) बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, केरल, हिमाचल प्रदेश और मद्रास के राज्यों में इस बात का विनिश्चय करने के लिये एक योजना प्रारम्भ की गयी है कि क्या विशेष प्रकार की नस्ल सुधार या विभिन्न नस्लों के संयोग से कम पशुओं वाले क्षेत्रों में दूध का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है ।

(८) हाल ही में केरल में प्रारम्भ करने के लिये बकरियों की नस्ल सुधार के सम्बन्ध में एक योजना मंजूर की गई है । इस योजना के अधीन अधिक दूध के उत्पादन के लिये वहां की स्थानीय बकरियों का अच्छी नस्ल के बकरियों के सयोग से नस्ल सुधारने का यत्न करने की इच्छा है । तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में हिमाचल प्रदेश में एक बकरी विकास योजना चलाने का भी विचार किया जा रहा है ।

(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

'यूकेलिप्टस' से अखबारी कागज का निर्माण

*३१२१. श्री बें० प० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने, जैसाकि बन अनुसंधान संस्था देहरादून के अग्रीम कारखाने में सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है, 'यूकेलिप्टस ग्लोब्युलस'[१] तथा 'एकेशिया डकुरेन्स'[२] से अखबारी काग़ज़ के निर्माण के कार्य को व्यापारिक दृष्टि से चलाने की संभावना पर विचार किया है ;

(ख) किस किस क्षेत्र में उन दोनों प्रकार के वृक्ष सब से अधिक संख्या में जाते हैं; और

(ग) क्या भारत सरकार ने संस्था द्वारा निकाले गये उपाय से उत्पादन की लाभ-हानि पर विचार किया है ?

†कृषि मन्त्री (डा० पं० शा० देशमुख): (क) और (ख). जी, हां । इन वृक्षों के पौधों को मद्रास राज्य के नीलगिरी क्षेत्र में लगाने का कार्य प्रारम्भ किया गया है । तथापि यह ज्ञात हुआ है कि १९६५ से पहले उक्त प्रकार के वृक्ष इतनी अधिक मात्रा में नहीं होंगे कि उनका व्यापारिक दृष्टि से उपयोग किया जा सके । हाल ही में दक्षिण भारत की एक फर्म ने नीलगिरी क्षेत्र में 'यूकेलिप्टस' तथा 'एकेशिया' डकरेनस' पर आधारित ६० टन प्रतिदिन रेमन ग्रेड पल्प का निर्माण करने वाले एक कारखाने के लिये उद्योग अधिनियम के अधीन एक लाईसेन्स के लिये आवेदन पत्र भेजा है ।

(ग) जी, नहीं ।

---

†[मूल अंग्रेजी में]

[१]Eucalyptus Globulus

[२]Accacia Doccurens

निरन्न खाद्यों सम्बन्धी अनुसन्धान[1]

†३१२२. श्री वें० प० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि बन अनुसंधान संस्था देहरादून में पिछले कुछ वर्षों से प्रत्यक्षतः अखाद्य वस्तुओं से निरन्न खाद्य तैयार तैयार करने के संबंध में किये जा रहे अनुसंधान कार्य में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†कृषि उपमन्त्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : डायस्कोरिया (Dioscorea spp.) तथा प्यूरेरिया ट्यूबरोसा (Pueraria Tuberosa) के सम्बन्ध में कार्य किया गया है । उस में निम्नलिखित बातों का ज्ञान हुआ है :—

डायस्कोटिया : डायस्कोरिया की विभिन्न किस्मों के कन्दमूल (ट्यूबर्स), अर्थात् (B. bulbifera, D. alata D. Sativa, D. Anguina) के रासायनिक परीक्षण करने से यह ज्ञात हुआ है कि उन में ६० प्रतिशत स्टार्च पायी जा रही है । परन्तु उनकी जंगली किस्में, अपनी प्राकृतिक अवस्था में, मनुष्यों द्वारा खाये जाने के योग्य नहीं है, क्योंकि उन में से कुछ में विषैले 'अल्कोलाइड' तथा अन्य अंश पाये जाते हैं जिन से वह अखाद्य बन जाता है । 'डायस्कोरिया टयूबर्स' का तैयार किये गये आटे में अधिक "स्टार्च" होता है और वह गेहूं के आटे से मिलाकर खाने के काम में आ सकता है या वह कृत्रिम चावल के निर्माण के काम आ सकता है ।

प्यूरारिया यूबरोसा : यह एक ऐसी बेल है जो कि अप्रैल और मई के मास में जमीन पर, झाड़ियों में और बड़े बड़े वृक्षों पर फैल जाती है । उसके पत्ते और ट्यूबर घोड़ों और ढोरों के खाने के लिये चारे के रूप में काम आते हैं क्योंकि उन में अत्यधिक प्रोटीन पायी जाती है । आपात काल में यह ट्यूबर मानव के खाने में भी काम आ सकते हैं।

कपूर का निर्माण

†३१२३. श्री वें० प० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन अनुसंधान संस्था देहरादून में स्वदेशी कच्ची सामग्री से कपूर तैयार के लिये कोई कार्य किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, उस के अभी तक क्या परिणाम निकले हैं ?

†कृषि मन्त्री (डा० पं०शा० देशमुख) : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

'विषैले पौधों' पर पुस्तिका

†३१२४. श्री वें० प० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को बन अनुसन्धान संस्था, देहरादून से विषैले पौधों, पर कोई पुस्तिका प्राप्त हुई है; और यदि हां, तो उसकी कितनी प्रति प्राप्त हुई हैं और प्रकाशित हुई हैं;

(ख) कितनी प्रतियां छापी गयी हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Research in non-cereal Foods.

†कृषि मन्त्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) से (ग). 'भारत में विषैले पौधे' नामक पुस्तिका भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की अनुसंधान योजना का फल है । १९४९ में एक जिल्द प्रकाशित की गयी थी । उसकी १००० प्रतियां छपी हैं; दूसरी प्रकाशित की जा रही है । प्रथम जिल्द का पुनरीक्षित संस्करण छापने का भी विचार है ।

गन्ना रोपण अनुसन्धान केन्द्र

†*३१२५. **श्री वें० प० नायर :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'मलायन' अथवा 'मलेशिया' गन्नों को उगाने के सम्बन्ध में आसाम, देहरादून, केरल और मद्रास में प्रारम्भ किये गये गन्ना रोपण अनुसन्धान केन्द्रों में कोई प्रगति हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या व्योरा है ?

†**कृषि मन्त्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** (क) और (ख). वन अनुसन्धान संस्था, देहरादून ने प्रथम पंचवर्षीय योजना काल के अन्त में स्वदेशी गन्नों के सुधार और मलाया के गन्ने को उगाने के सम्बन्ध में एक योजना प्रारम्भ की थी और वह द्वितीय योजना काल में भी जारी रही है । मलाया, इंडोनेशिया और फिलिपाइन्स से इसके बीज प्राप्त करने के सम्बन्ध में यत्न किये गये थे । वहां से प्राप्त किये गये बीज देहरादून, आसाम, केरल, मद्रास आदि में फलीभूत नहीं हुए हैं । इससे यह निष्कर्ष निकाला गया है कि ये बीज एकत्रित होने के बाद अपनी शक्ति खो देते हैं । कई बार यत्न करने के बाद भी मलाया से ऐसे बीज नहीं प्राप्त किये जा सके हैं जो कि भारत में उग सकें । जहां तक पौधों का सम्बन्ध है, उन्हें विमान से भारत लाने का यत्न किया गया, परन्तु अधिकांश मार्ग में ही सूख गये थे । बचे हुए पौधों को आसाम में लगाया गया था और वे वहां फूलफल रहे हैं । अब अग्रेतर विकास तथा विस्तार के लिये इन्हीं को 'न्यूक्लियस' बनाया जा रहा है । केरल में भी एक पौधा बच गया है, परन्तु देहरादून में पौधे अत्यधिक सरदी के कारण सूख गये हैं ।

देहरादून में भारतीय गन्नों के सम्बन्ध में किये गये अनुसन्धान से इस बात की संभावना जाहिर हुई है कि स्थानीय गन्ने का बेहतर तरीके से उपयोग किया जा सकता है । यह देखा गया है कि गन्नों को उचित प्रकार से इकट्ठा करने से और संभाल कर रखने से स्वदेशी गन्नों की किस्म को सुधारा जा सकता है । कुछ एक भारतीय गन्नों की किस्में मलाया के गन्नों का मुकाबला करती हैं । वह अनुसन्धान संस्था राज्य वन विभागों को अपने क्षेत्रों में उपयुक्त किस्मों के गन्नों के उत्पादन के सम्बन्ध में परामर्श दे रही हैं, और देहरादून की पौध शाला में उगाये गये कुछ एक व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों की किस्मों का संभरण भी किया जा रहा है और इसके अतिरिक्त पौधों को उगाने के लिये प्रविधिक व्योरे भी दिये जा रहे हैं । सपूंर्ण भारत में विभिन्न गन्नों के सम्बन्ध में क्षेत्रीय जांच की जा रही है ।

वन अनुसन्धान संस्था ने भारतीय गन्नों के संग्रह पर एक पेपर प्रकाशित किया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय नारियल अनुसन्धान केन्द्र

†३१२६. **श्री वें० प० नायर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि केन्द्रीय नारियल अनुसन्धान केन्द्र, कयनगुलम में अभी तक (१) नारियल भूमि का 'माइक्रो फ्लोरा' और (२) 'वायरस पैथोलोजी' सम्बन्धी खोज के बारे में किये गये अनुसन्धान कार्य के क्या परिणाम निकले हैं और ये अध्ययन कब प्रारम्भ किये गये थे, और उन में कितने वैज्ञानिक लगे थे ?

†**कृषि मन्त्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : एक विवरण संलग्न है । [देखिये परिशिष्ट ५, , अनुबन्ध संख्या २४]

भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति

†३१२७. **श्री वें० प० नायर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'रैड रॉट' (लाली रोग) की अखिल भारतीय स्थिति का अनुमान लगाने के लिये इस रोग के फैलने के सम्बन्ध में जानकारी इकट्ठी करने के लिये भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस जानकारी की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

†***कृषि उपमन्त्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) और (ख). जी, हां । आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा ने केवल इक्का दुक्का मामलों के सम्बन्ध में रिपोर्ट दी है । आसाम ने स्थानीय रोग के सम्बन्ध में रिपोर्ट दी है । महाराष्ट्र, मद्रास और केरल में यह रोग जरा भी नजर नहीं आया । उत्तर प्रदेश बिहार और पंजाब में १९५९–६० में निम्नलिखित मामले हुए थे :—

प्रभावित प्रतिशत	उत्तर प्रदेश	बिहार	पंजाब
१ प्रतिशत से कम	——	११६०	४४४३
१—५ प्रतिशत . .	४५०	१२९५	२३७६
६—१० प्रतिशत . . .	२५	——	८३९
११—२० प्रतिशत . . .	४३	——	——
२० प्रतिशत से अधिक . . .	६०	६१३	——

प्रादेशिक सुपारी अनुसन्धान केन्द्र

†३१२८. **श्री वें० प० नायर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रादेशिक सुपारी अनुसन्धान केन्द्र, प.चा, पलोडे, त्रिवेन्द्रम जिले के लिये प्रविधिक कार्यक्रम के पुनर्नवीकरण का काम पूरा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन कार्यक्रम का क्या ब्योरा है :

†मूल अंग्रेजी में

†कृषि मन्त्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) और (ख). पुनरीक्षित अनुसन्धान कार्यक्रम और अधिक परीक्षण के लिये स्थापित की गयी एक विशेषज्ञ को सौंपा जा रहा है ।

सुपारी के वृक्षों के 'पीली पत्ती' (येलो लीफ) नामक रोग के बारे में अनुसन्धान

†३१२९. **श्री वें० प० नायर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रादेशिक अनुसन्धान केन्द्र, पलोड़े में सुपारी के वृक्षों के 'येलो लीफ' (पीली पत्ती) नामक रोग के सम्बन्ध में केरल राज्य मेडिकल कालेज और विश्वविद्यालय प्रयोगशाला के सहयोग से कोई अनुसन्धान किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इन सस्थाओं ने उस अनुसन्धान कार्य में कितना सहयोग दिया है ?

†**कृषि मन्त्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) जी, हां ।

(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

केरल में सुपारी के वृक्षों में 'पीली पत्ती' (येलोलीफ) नामक रोग

†३१३०. **श्री वें० प० नायर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोग कीटाणुओं को मारने वाली औषधियों और रसायनों की कमी के कारण केरल में सुपारी के वृक्षों में पीली पत्ती (येलो लीफ) नामक रोग पर नियंत्रण करने के लिये स्प्रे के कार्य में बहुत विलम्ब हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके लिये कौन जिम्मेवार है ?

†**कृषि मन्त्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) और (ख). यह कार्य मुख्य रूप से राज्य सरकार का है । राज्य सरकार से जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

नारियल के वृक्षों के रोग

†३१३१. **श्री वें० प० नायर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में नारियल के वृक्षों के मुख्य रोग क्या क्या हैं और उनमें से प्रत्येक रोग से कितनी हानि होती है ; और

(ख) प्रत्येक रोग के कारण क्या हैं और फैलने के साधन क्या क्या हैं ?

†**कृषि मन्त्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) और (ख) विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २५]**

---

†मूल अंग्रेजी में

मछली पकड़ने की यंत्रीकृत नावें

†३१३२. **श्री वें० प० नायर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना में मछली पकड़ने की यंत्रीकृत नौकाओं के सम्बन्ध में अन्तिम रूप से या अस्थायी रूप से कितनी संख्या निर्धारित की गयी है ; और

(ख) इस समय कितनी नौका उत्पादन क्षमता उपलब्ध है और इन नौकाओं के लिये समुद्रीय डीजल इंजनों के निर्माण की कितनी क्षमता है ?

†**कृषि उपमन्त्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) लगभग ४०००।

(ख) मछली पकड़ने की लगभग १००० नौका प्रति वर्ष के निर्माण की स्थापित क्षमता है । समुद्रीय इंजनों के निर्माण के लिये कोई अलग योजना के लिये अभी तक लाइसेंस नहीं दिया गया है । परन्तु, फिर भी कुछ एक इंजनों को जो कि पहले से ही बनाये जा रहे हैं, कुछ बदल कर समुद्रीय कामों में लाने का विचार है ।

केवल समुद्रीय कामों में आने वाले इंजनों के निर्माण के सम्बन्ध में कुछ योजनायें प्राप्त हुई हैं और वे सरकार के विचाराधीन हैं । आशा है कि उस वर्ष के अन्त तक समुद्रीय उपयोग के लिये उपयुक्त इंजनों का नियमित उत्पादन प्रारम्भ कर दिया जायेगा । समुद्रीय इंजनों के लिये कोई अलग क्षमता निर्धारित नहीं की गयी है क्योंकि यह उन इंजनों के उत्पादन के बारे में सम्बन्धित फर्मों की कुल क्षमता के भाग के रूप में होगी ।

मछली पकड़ने के जाल

†३१३३. **श्री वें० प० नायर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना में मछली पकड़ने के जालों के लिये 'नायलोन' तथा अन्य कृत्रिम रेशों की अनुमानतः कितनी आवश्यकता होगी ; और

(ख) योजना काल मे स्वदेशी उत्पादन से कितनी मांग पूरी की जा सकेगी ?

†**कृषि उपमन्त्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) लगभग २०० लाख पौंड ।

(ख) आशा है कि तृतीय पंच वर्षीय योजना काल के अन्त तक स्वदेशी उत्पादन पर्याप्त बढ़ जायेगा ।

मछली पकड़ने के नये स्थान

†३१३४. **श्री वें० प० नायर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रथम पंच वर्षीय योजना के प्रारम्भ से लेकर (गहरे समुद्र में) मछली पकड़ने के कोई नये स्थान या तट ढूंढे गये हैं और उनके बारे में अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ; और

(ख) क्या सरकार सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेगी जिसमे इन तालाबों अथवा स्थानों के नक्शों, चार्टों तथा अन्य आंकड़ों के संबंध में ब्योरा दिया गया हो ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†कृषि उपमन्त्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा): (क) निम्नलिखित क्षेत्रों में मछली पकड़ने के स्थानों का पता लगा है :—

(१) बम्बई क्षेत्र में—दक्षिण की ओर १८°२०/ एन० लैट० से उत्तर और पूर्वोत्तर की ओर १६° ४० एन०-७१° ई० तक के क्षेत्र में।

(२) काम्बे क्षेत्र में—दक्षिण पूर्व से पूर्वोत्तर तक ७२° ई० ३०/ई०—१६°४०/एन० से ७०° ई०—२०°४०/एन०।

(३) वेरवाल क्षेत्र, लगभग २० मील का छोटा सा क्षेत्र जो कि समुद्र तट से ६६° ३०/ ई० तक।

(४) पोरबन्दर क्षेत्र के पूर्वोत्तर क्षेत्र में—क्षेत्र से २०°उत्तर—६६°/ई० पूर्व तक ; और

(५) द्वारिका क्षेत्र—अक्षांस २२° उत्तर तथा २२° ४०/उत्तर तथा देशांतर रेखा ६८° पूर्व तथा ६६° पूर्व।

इन क्षेत्रों के अतिरिक्त बम्बई, मंगलौर, मालाबार तट तथा कोचीन और अल्लेपी में विस्तृत क्षेत्र भी पाये गये हैं।

पूर्वी तट पर टूटीकोरिन, कलिंगापटनम् गोपालपुर में तथा महानदी, देवी नदी तथा प्राची नदी के मुहानों पर मछली पकड़ने के स्थान खोजे गये हैं। सौराष्ट्र तट पर मछली पकड़ने के संबंध में ब्योरेवार अध्ययन किये गये हैं और वे भारतीय मत्स्यपालन पत्रिका, दिनांक १ अप्रैल, १६५६ में प्रकाशित किये गये हैं।

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना से पहले भारतीय तटों के संबंध में चार्टों और नक्शों संबंधी आंकड़े लगभग एक शताब्दी तक भारत और विदेशों की महत्वपूर्ण वैज्ञानिक रिपोर्टों और पुस्तकों में छपवाये जाते रहे हैं। उनमें से मुख्य हैं:—भारतीय संग्रहालय के अनुसंधान लेख, भारतीय संग्रहालयों के रिकार्ड, राष्ट्रीय विज्ञान संस्था की कार्यवाहियां, राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की कार्यवाहियां, विश्वविद्यालय की पत्रिकाएं, अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक अभियानों की रिपोर्टें, भारत सर्वेक्षण के नक्शे आदि। उनका विवरण बताना संभव नहीं है। ये आंकड़े विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयो में परामर्श के लिये हैं।

मछली पकड़ने के स्थानों की स्थापना तथा अध्ययन सम्बन्धी संगठन

†३१३५. **श्री वें० प० नायर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मछली पकड़ने के स्थानों की स्थापना तथा अध्ययन का कार्य करने के लिये भारत सरकार की ओर से कोई यूनिट या संगठन स्थापित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस यूनिट के आधुनिकतम उपकरण हैं ;

(ग) क्या उस यूनिट के पास कोई प्रयोगशाला नौका भी है ; और

(घ) ऐसी योजनाओं में कितने वैज्ञानिक व्यक्ति काम कर रहे हैं ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) जी, हां। इस संबंध में चार केन्द्र हैं—(बम्बई, कोचीन, ट्यूटीकोरिन और विशाखापटनम् में)।

(ख) जी, हां। इनके पास कुछ आधुनिकतम उपकरण हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) १६।

†मूल अंग्रेजी में

मछुओं की प्रति व्यक्ति आय

†३१३६. श्री वें० प० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार द्वारा लगाये गये अनुमान के अनुसार समुद्रीय मछुओं की प्रति व्यक्ति आय कितनी है ;

(ख) १९५१ के उपरांत इस आय में किस प्रकार से अन्तर आया है ;

(ग) समुद्रीय मछुओं की कुल अनुमानतः कितनी जनसंख्या है ; और

(घ) मछली पकड़ने वालों की जीवन अवस्था को सुधारने के लिये विशेष रूप से क्या क्या योजना लागू की गयी है ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा): (क) समुद्रीय मछली पकड़ने वालों की प्रति व्यक्ति आय के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हैं । फिर भी १९५४ में प्रति व्यक्ति द्वारा औसतन १,६९३ पौंड मछली पकड़ी गयी थी ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) १९५६–५७ में उनकी कुल आबादी ३,९५,००० थी ।

(घ) उनकी जीवन स्थिति को सुधारने के लिये (१) गृह-निर्माण, (२) संचार संबंधी अच्छे साधनों, (३) शिक्षा और (४) मछली पकड़ने वाली सहकारी संस्था संबंधी विशेष योजनायें तैयार की गयी हैं ।

मछली पकड़ने की नावों का यंत्रीकरण

†३१३७. श्री वें० प० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक भारत की कितने प्रतिशत मछली पकड़ने की नावों का यंत्रीकरण किया गया है और उस पर कितनी अनुमानित लागत आयेगी ; और

(ख) यंत्रीकरण से मत्स्यग्रहण में कितनी वृद्धि की है ?

*कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा): (क) लगभग १ से २ प्रतिशत तक मछली पकड़ने की नावों का यंत्रीकरण किया गया है । वर्तमान प्रवृत्ति यह रही है कि देशी नावों में इंजन लगाने की बजाये नावों के नये डिजाइन बनाये जायें । यंत्रीकृत नाव की लागत में इसके आकार और इंजन की शक्ति के अनुसार अन्तर होता है । २२ फुट लम्बी नाव की लागत ८,००० रुपये और ३६ फुट लम्बी नाव की लागत ५०,००० रुपये होती है ।

(ख) यंत्रीकृत नावों द्वारा मत्स्यग्रहण में अनुमानित वृद्धि लगभग ७०,००० टन प्रति वर्ष है ।

समुद्री घास

†३१३८. श्री वें० प० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने गहरे समुद्र में उपलब्ध समुद्री घास के वाणिज्यिक उपयोग की संभावना की जांच की है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस काम के लिये कौन सी घास उचित समझी गयी है ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा): (क) जी, नहीं । हमारी जांच समुद्र की घास तक सीमित रही है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

समुद्रीय संसाधनों से ढोरों का चारा

ऊ३१३९. श्री वें० प० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार की समुद्रीय संसाधनों से ढोरों का चारा उत्पादन करने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या भारत सरकार ने इस बारे मे समुद्रीय संसाधनों की व्यापक संभाव्यता को कोई सर्वेक्षण किया है ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) और (ख). भारत सरकार ने समुद्रीय संसाधनों से ढोरों के चारे का उत्पादन करने की कोई योजना नहीं चलाई। पशुओं को खिलाने के लिये 'शार्क लिवर आयल बम्बई और कोजीकोड में राज्य मत्स्यपालन विभाग द्वारा तैयार किया जा रहा है । खाई जाने वाली मछली, जिसका पशुओं के खिलाने के लिये भी उपयोग किया जाता है, अधिकांशतः गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा विभिन्न फिश लैंडिंग सेंटर्स और फिश क्योरिंग यार्डस में की जाती है ।

(ग) जी, नहीं ।

केन्द्रीय मत्स्यपालन अनुसंधान केन्द्र

†३१४०. श्री वें० प० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय मत्स्यपालन अनुसंधान केन्द्र मंडापम, को कौन से विशिष्ट कार्यक्रम और परियोजनायें सौंपी गई हैं ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : अनुसंधान संस्था के कामो और कार्रवाइयों में अनुसंधान संबंधी निम्न परियोजनायें और कार्यक्रम शामिल हैं :—

१. **मीन क्षेत्र सर्वेक्षण** : प्रति वर्ष स्थायी कायम रहने वाला उत्पादन करने के लिये मार्गोपायों का सुझाव देने की दृष्टि से भारत के वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण समुद्रीय मीनक्षेत्रों का अनुमान लगाना । इस प्रकार के अनुमान के लिये मछलियो के कुल 'कैचों और प्रयत्न तथा मछलियों के जीवशास्त्र संबंधी विशेषताओं संबंधी सूचना अखिल भारतीय आधार पर उपयुक्त सांख्यिकी तरीकों से प्राप्त की जाती है ।

२ मत्स्य पालन जीवशाला : (क) बड़े मीन क्षेत्रों (मैकरेल और साइडीन) और वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अन्य मीन क्षेत्रों सम्बन्धी अनुसन्धान ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) 'क्रेस्टेशन' और 'मौलूशन' मीन क्षेत्रों सम्बन्धी अध्ययन ।

(ग) समुद्रीय मछली पालन और मछलियों में शरीर प्रक्रिया सम्बन्धी उपयोगिता ।

(घ) तटदूर मीन क्षेत्रों सम्बन्धी अनुसन्धान ।

३. समुद्रीय जीवशास्त्र और समुद्र विज्ञान :

(क) खाद्य मछलियो, मछलियों के अंडे और डिम्बों 'प्लेंकटौनिक आर्गेनिज्म, (तैरता जीवसंघ) और मछली का अन्तर्संबंध समुद्र मे प्राथमिक उत्पादन वातावरण सम्बन्धी (भौतिक रसायन) तत्वों का अध्ययन जिनका मीन क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ता है ; और

(ख) समुद्रीय घासफूस का वर्गीकरणात्मक एवं परिस्थिति विज्ञान सम्बन्धी अध्ययन तथा वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण समुद्रीय घासफूस निकाले जाने योग्य क्षेत्र के संभाव्य संसाधनों का सर्वेक्षण ।

'आयल सारडीन' आदि मछलियां

†३१४१. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७–५८, १९५८–५९, १९५९–६० और १९६०–६१ वर्षों में भारत के लिये 'आंयल सारडीन' 'मैकेरल' और अन्य प्रमुख किस्मों की मछलियों का अनुमानित 'लैंडिंग' कितना था ;

(ख) आंकड़े किस प्रकार एकत्रित किये गये और आंकन में कितने प्रतिशत तक गलती होने का अनुमान है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) पत्री वर्ष १९५७, १९५८, १९५९ की सूचना वाला विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २६]** पत्री वर्ष १९६० की सूचना अभी उपलब्ध नहीं हुई है ।

(ख) आंकड़े एकत्रित करने की एक नई योजना केरल, मैसूर और बम्बई में १९५९ में जारी की गई थी । इस योजना के अन्तर्गत निश्चित केन्द्रों पर आंकड़े एकत्रित करने के स्थान पर, लैंडिंग सैंटर्स, का चुनाव यूं ही कर लिया गया था। १९५९ की पिछली तिमाही के लिये गलती का अनुमान ७ प्रतिशत किया गया था ।

कोचीन और बम्बई में मत्स्यपालन प्रशिक्षण केन्द्र

†३१४२. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री कोचीन और बम्बई में स्थापित किये जाने वाली प्रस्तावित मत्स्यपालन प्रशिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रम तथा पाठ-चर्चा की प्रतियां सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे और यह बतायेंगे कि पहले वर्ष में पढ़ाने वाले पदों का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक पद के लिये क्या योग्यताएं निर्धारित की गई हैं ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : जहां तक बम्बई में स्थापित की जाने वाली मत्स्यपालन शिक्षा की केन्द्रीय संस्था का प्रश्न है, प्रशिक्षण पाठयक्रम की पाठ-चर्चा मत्स्यपालन शिक्षा सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन के अध्याय ६ (पृष्ठ ५६–६०) में दी गई है । इस प्रतिवेदन की एक प्रति ६ दिसम्बर, १९६० को लोक सभा पटल पर रखी गई थी । पहले वर्ष (१९६१–६२) में बनाये जाने वाले अध्ययन पदों और विभिन्न पदों के लिये योग्यतायें निर्धारित करने के प्रश्न अभी विचाराधीन हैं ।

†मूल अंग्रेज़ी में

कोचीन मे स्थापित की जाने वाली संस्था के बारे में ७ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १३९१ के उत्तर की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

मत्स्यपालन का प्रशिक्षण

†३१४३. **श्री वें० प० नायर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में मत्स्यपालन की विभिन्न शाखाओं में कुल कितने विद्यार्थी शिक्षा ले रहे हैं ; और

(ख) प्रत्येक पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) :** (क) और (ख). आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पकड़ी गई मछलियों के आंकड़े

†३१४४. **श्री वें० प० नायर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री सभा पटल पर यह दर्शाने वाला एक विवरण रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) समुद्रीय मत्स्य क्षेत्रों, (ख) नदी मुहानों के मत्स्य क्षेत्रों, (ग) नदियों के मत्स्य क्षेत्रों, और (घ). अन्य अन्तर्देशीय मत्स्य क्षेत्रों में पकड़ी गई मछलियों के राज्यवार वार्षिक आंकड़े क्या हैं ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा):** केन्द्रीय समुद्रीय मत्स्यपालन अनुसन्धान संस्था, मंडापम, द्वारा अनुमानित रूप में, वर्ष १९५९ के समुद्रीय मछली पकड़ने के राज्यवार आंकड़े इस प्रकार हैं :—

१. पश्चिम बंगाल और उड़ीसा	३९६२ मीट्रिक टन
२. आंध्र प्रदेश .	२९४६४ मीट्रिक टन
३. मद्रास	१०३४९७ मीट्रिक टन
४. केरल	१९१३७५ मीट्रिक टन
५. मैसूर .	५२८२५ मीट्रिक टन
६. महाराष्ट्र तथा गुजरात	१९८१९२ मीट्रिक टन
७. अंदमान और निकोबार द्वीप .	१२३ मीट्रिक टन
८. भारत सरकार के प्रयोगात्मक जहाज	४७५५ मीट्रिक टन
जोड़	५८४१९३ मीट्रिक टन

१९६० के आंकड़ों का अभी संकलन हो रहा है।

नदी मुहानों के मत्स्य क्षेत्रों, नदियों के मत्स्य क्षेत्रों और अन्य अन्तर्देशीय मत्स्य क्षेत्रो से पकड़ी गई मछलियों के अनुमानित राज्यवार आंकड़े पृथक पृथक उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि अभी तक समूचे देश का कोई क्रमबद्ध सर्वेक्षण नहीं हुआ है।

†मूल अंग्रेजी में

बढ़िया मछलियों का निर्यात

†३१४६. श्री वें० प० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या 'टूना' और 'बोनाइट' जैसी बढ़िया मछलियों का निर्यात बढ़ाने के लिये कोई विशेष प्रयत्न किये गये है ; और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : संभवत: बढ़िया मछलियों से माननीय सदस्य का अभिप्राय पारितोषिक वाली और बढ़िया किस्म की मछलियों से है। 'टूना' और 'बोनाइट' मछलियां परम्परागत तरीके से सुखा कर लंका भेजी जाती हैं। अन्य मछलियों के साथ इनको सुखाने के लिये कम दामों पर नमक दिया जाता है। जमाई हुई और डिब्बे बन्द 'टून' और 'बोनाइट' मछलियों का निर्यात अभी भारत से नहीं हो रहा है क्योंकि इन मछलियों का 'विधायन' करने का तरीका अभी तक पुरी तरह देश में मालूम नहीं हुआ है। जापानी सहायता से मछली का 'विधायन' करने के लिये एक प्रशिक्षण केन्द्र तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में स्थापित किये जाने का विचार है और तब निर्यात एवं स्थानीय वितरण के लिये इन मछलियों का 'विधायन' करने के लिये लोगों को प्रशिक्षण देना संभव होगा।

मछली और मछली उत्पादों आदि का निर्माण

†३१४७. श्री वें० प० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मछली और मछली उत्पादों (ख) सुखाई और आधी सुखाई 'प्रॉन', (ग) जमाई 'प्रॉन' और 'लोवस्टर', तथा (घ) मेंढक के मांस के निर्यात की आधुनिकतम (वार्षिक) स्थिति क्या है ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : विभिन्न किस्मों की मछली और मछली उत्पादों तथा 'प्रॉन' के निर्यात को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। 'लोबस्टरों' और मेंढक के मांस के निर्यात के आंकड़े शासकीय सांख्यिकी में पृथक नहीं रख जाते अत: अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं है।

विवरण

	१९६०	
	मात्रा किलोवाट	मूल्य रुपये
१. मछली—ताजा या केवल परिरक्षित		
(१) 'प्रॉन' को छोड़ कर ताजा मछली या केवल परिरक्षित	२१६०००	२३२९५०००
(२) 'प्रॉन'	९२०००	१४८०४०००
२. मछली और मछली से तैयार चीजें—डिब्बे बन्द या अन्यथा		
(१) मछली, मछली-उत्पाद और मछली से तैयार चीजें, ऐसे डिब्बों में बन्द जिनमें हवा न जा सके (कुस्टशिया और मौल्यसिज समेत)	६०००	१७८४०००

†मूल अंग्रेजी में

(२) मछली, मछली उत्पाद और मछली से तैयार माल, जो ऐसे से डिब्बों में बन्द नहीं जिनमें हवा नहीं जाती (क्रुस्टशिया और मौल्यूसस समेत)	५०००	१२४०००

अमृतसर स्टेशन पर शिकायतें

†३१४८. श्री दी० चं० शर्मा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५६–६० के दौरान अमृतसर जंकशन स्टेशन पर शिकायत पुस्तक में कितनी और किस प्रकार की शिकायतें दर्ज की गईं ; और

(ख) उन पर क्या कार्यवाही की गई या करने का विचार किया गया है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) (क) और (ख): विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) १ अप्रैल, १६५६ से ३१ मार्च, १६६० तक की अवधि में अमृतसर जंकशन स्टेशन पर रखी शिकायत पुस्तक में ६६ शिकायतें दर्ज की गई थीं जिनकी संख्या और स्वरूप नीचे दिये जाते हैं :—

शिकायत	संख्या
१. असभ्य व्यवहार	१०
२. घूसखोरी और भ्रष्टाचार	३
३. वाणिज्यिक कर्मचारियों का अनियमित रूप से काम करना अर्थात टिकटों वाली खिड़कियों की देरी से खोलना, काम से अनूपस्थिति माल को बुक करने से इन्कार	१५
४. सड़क यातायात को रोकना	१२
५. असन्तोषजनक भोजन व्यवस्था	६
६. सुविधाओं का अभाव	७
७. प्रकीर्ण शिकायतें	११
८. लाइसेंस प्राप्त कुलियों के विरुद्ध शिकायतें	५
जोड़	६६

(ख) केवल ११ शिकायतें सत्य सिद्ध हुईं और उन त्रुटियों को ठीक करने के लिये कार्रवाई की गई है जिनके कारण शिकायतें उत्पन्न होती हैं और जो कर्मचारी इन के लिये जिम्मेदर पाये गये उनके बारे में समुचित कार्रवाई की गई ।

पठानकोट में टेलीफोन के कनेक्शन

†३१४९. श्री दी० चं० शर्मा : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पठानकोट नगर (पंजाब में टेलीफोन सम्पर्क के लिये कितने प्रार्थना पत्र लम्बित पड़े हैं ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) टेलीफोन सम्पर्कों की शीघ्र मंजूरी देने के लिये क्या कार्रवाई की गई है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन) (क) ६० ।

(ख) ३० टेलीफोन शीघ्र ही देने का विचार है । एक्सचेंज का अधिक विस्तार किया जा रहा है और उनके पुर्ण हो जाने पर अधिक टेलीफोन दिए जाएंगे ।

अमृतसर-पठानकोट सड़क

†३१५०. श्री वी० चं० शर्मा : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अमृतसर-पठानकोट सड़क को चौड़ा करने के प्रस्ताव में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : अमृतसर-पठानकोट सड़क को चौड़ा करना पंजाब सरकार की जिम्मेदारी है क्योंकि यह राज्य की सड़क है ।

'कार्प' मछली पालन

†३१५१. श्री ॅ० प० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में 'कार्प' मछली पालन की वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ख) १९५०–५१ के उत्पादन की तुलना में १९६०–६१ में उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) 'कार्प' मछली पालन बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल राज्यों में किया जाना है पंजाब, मैसूर, आंध्रप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और मद्रास राज्यों में 'कार्प' मछली का उत्पादन बढ़ रहा है । काश्मीर और दूसरे पर्वतीय क्षेत्रों में 'मिरर कार्प' मछली का भी पालन किया जा रहा है ।

(ख) राज्य सरकारों के अनुमानों के अनुसार १९६०–६१ में भारत में इसका उत्पादन अनुमानतः ५२०९६ टन हुआ है । इससे पहले के आंकड़ उपलब्ध नहीं हैं ।

मत्स्यग्रहण समवाय

†३१५२. श्री वें० प० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के पुर्वी तट से परे हाल ही में पता लगाये गये नये मीन क्षेत्र में मछलियां पकड़ने के लिये भारत में ३ करोड़ रुपये की पूंजी से बनाए जाने वाले एक मत्स्यग्रहण समवाय (फ़िशिंग कम्पनी) की स्थापना के लिये अमरीका की एक फर्म ने सहयोग देने का वायदा किया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्थापित निबन्धन और शर्तें क्या हैं ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) और (ख). एक भारतीय फर्म इस प्रकार की एक प्रस्थापना पर बातचीत कर रही है । वास्तविक निबन्धनों और शर्तों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

मत्स्यपालन सहकारी संस्थाएं

†३१५३. श्री वें० प० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६–५७ में मत्स्यपालन सहकारी संस्थाओं के कितने मूल्य की मछलियां पकड़ने का व्यापार किया और उन आंकड़ों के मुकाबले में १९६०–६१ के ऐसे ही आंकड़ कैसे हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : यह विषय राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में होने के कारण सूचना उपलब्ध नहीं है ।

मत्स्यग्रहण के लिये वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग

†३१५४. श्री वें० प० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत के समुद्रीय मीन क्षेत्रों में मछलियों के झुंडों का पता लगाने के लिय 'ईको साउन्डर्स' प्रतिध्वनि यंत्रों या अन्य वैज्ञानिक उपकरण का अब प्रयोग किया जा रहा है ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : भारत सरकार तथा भारत-नार्वे की परियोजना के कुछ मछली पकड़ने के जहाजों में प्रयोगात्मक मछली पकड़ने के लिये 'ईको साउन्डर्स' (प्रतिध्वनि यंत्रों) का उपयोग किया जा रहा है ।

मछली पकड़ने की यंत्रीकृत नाव

†३१५५. श्री वें० प० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तथा कृषि संगठन विशेषज्ञ की सहायता और मार्गदर्शन के साथ केरल, मद्रास, आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा के सर्फ तटों में उपयोग के लिये कोई उपयुक्त 'सर्फ़ लैंडिंग' यंत्रीकृत नावें बनाई गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उस नमूने को कब मंजूरी दी गई थी ; और

(ग) अब तक उस नमूने के अनुसार कितनी दावें बनाई गई हैं ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) प्रयोगों के परिणामों के आधार पर यह देखा गया है कि खाद्य तथा कृषि संगठन के दो डिजाइन 'सर्फ लेंडिंग' के लिये उपयुक्त हैं । परन्तु इन नावों से मछली पकड़ने के कार्य की हानि लाभ का अभी अध्ययन करना है ।

(ख) इन अध्ययनों के पुर्ण हो जाने के पश्चात् ही एक नमूना स्वीकार करने का प्रश्न उत्पन्न होगा ।

(ग) केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने इन किस्मों की और अधिक नावें नहीं बनाई हैं ।

भारतीय जल में 'शार्क' और 'रे' मछली पकड़ना

†३१५६. श्री वें० प० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार ने भारतीय जल में 'शार्क' और 'रे' मछलियां पकड़ने की संभाव्यता की जांच की है और यदि हां, तो आधुनिकतम निष्कर्ष क्या निकला है ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : जांच अभी चल रही है । मीन क्षत्रों ने वाणिज्यिक उपयोग की संभाव्यताओं का अभी अध्ययन किया गया है ।

चानोस (मिलकफिश) पालन[1]

†३१५७. श्री वें० प० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चानोस (मिल्क फिश) पालन का विकास करने की संभाव्यता की जांच की गई है ;

(ख) क्या भारतीय विशेषज्ञों ने इंडोनेशिया या फिलपीन में अपनाये जाने वाले 'चानोस' पालन के तरीकों और व्यौरा का अध्ययन किया है ;

(ग) क्या नियंत्राणाधीन 'चानोस' प्रजनन के सम्बन्ध में प्रयोग किये गये हैं और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ; और

---

†मूल अंग्रजी में
[1]CHANOS (MILK FISH) CULTURE.

(घ) भारत में 'चानोस' पालन की वर्तमान स्थिति क्या है ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) जी, हां ।

(ख) जी हां, संक्षिप्त दौरे से ।

(ग) जी नहीं, क्योंकि 'ब्रूड' मछली की कमी है ।

(घ) 'चानोस' मछली पालन का विकास मद्रास, मैसूर, केरल, और आन्ध्र प्रदेश के बहुत से क्षेत्रों में तटीय प्रदेशों में 'फ्राई' (मछली के छोट बच्चे) को पकड़ कर और उन्हें अन्तर्देशीय जल में जमा करके किया जा रहा है । तट के साथ साथ 'फ्राई' पकड़ने के केन्द्र स्थापित किये गये हैं और विभिन्न स्थानों पर प्रयोगात्मक पालन किया गया है । चानोस फ्राई के 'ट्रांसपोर्टेशन' के तरीकों का भी विकास किया गया है ।

हरी खाद के लिये 'ग्लिरिसिडिया' की खेती

†३१५८. श्री वें० प० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन राज्यों ने ग्लिरिसिडिया की खेती को लोकप्रिय बनाने का काम शुरू किया है और प्रत्येक राज्य की क्या प्रगति है ;

(ख) खाद की दृष्टि से इस पौधे की पत्तियों के क्या विशेष लाभ हैं ; और

(ग) पारंपरिक ढंग से फसलों की अदला बदली में काम में लाये जाने वाले दूसरे नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लान्ट्स की तुलना में इन पत्तियों में नाइट्रोजन का तत्व कितना है ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) केरल, मैसूर, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में ग्लिरिसिडिया की खेती के प्रचार का काम चल रहा है । इस सम्बन्ध में केरल अग्रणी राज्य है और वहां संतोषजनक प्रगति हुई है । दूसरे राज्यों में उसकी लोकप्रियता बढ़ रही है और राज्य सरकारें अधिक बड़े क्षेत्र में उसके विस्तार के लिए प्रयत्न कर रही हैं ।

(ख) यह एक सबसे अच्छी कली है जिससे सालाना दो या चार कटाई में पर्याप्त पत्तियां मिलती हैं । मुलायम टहनी और पत्तियां तुरन्त ही सड़ जाती हैं ।

(ग) ग्लिरिसिडिया हर समय होने वाला पौधा है और इस कारण फसल की अदला बदली के पारंपरिक ढंग में उसका कोई स्थान नहीं है । फिर भी अन्य हरी खाद फसलों की तुलना में उसका खाद मूल्य इस प्रकार है :—

पौधे का नाम	नाइट्रोजन की प्रतिशतता (नवीन आधार पर)
१. गिलरिसिडिया	०.७९
२. सानहेम्प	०.७५
३. काउपिया	०.७१
४. ग्रीन ग्रैम	०.७२
५. ब्लैक ग्रैम	०.८५
६. धैनशा	०.६८

†मूल अंग्रेजी में

रासायनिक उर्वरकों के बाद के प्रभाव

†३१५९. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमोनियम सल्फेट, सुपर-फास्फेट, हायपर फास्फेट आदि जैसे रासायनिक उर्वरकों के उपयोग के बाद के प्रभावों के बारे में क्या कोई जांच पड़ताल की गयी है, ; और

(ख) क्या यह देखा गया है कि पर्याप्त मात्रा में कार्बनिक खाद के उपयोग के बगैर उन उर्वरकों के निरन्तर उपयोग से पौधों के विकास के लिए आवश्यक कुछ गुण मिट्टी से नष्ट हो जाते हैं ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) भारतीय जमीन पर रासायनिक उर्वरकों के बाद के प्रभावों की जांच पड़ताल अनुसन्धान केन्द्रों में कई दीर्घकालीन प्रयोगों के द्वारा की गयी है । इस प्रकार के और भी प्रयोग किये जा रहे हैं ।

(ख) अभी तक उपलब्ध साक्ष्य से यह संकेत मिलता है कि उचित मिश्रण में रासायनिक उर्वरकों की साधारण मात्रा से जमीन को कोई क्षति नहीं पहुंचती यद्यपि कोई कार्बनिक खाद का उपयोग न किया जाय ।

संरक्षणात्मक खाद्यों का प्रचार करना

†३१६०. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के पास मछली, गोश्त, अंडे आदि जैसे संरक्षणात्मक खाद्यों के उपयोग के प्रचार की कोई योजना है जिससे औसत भोजन का कैलोरी-मूल्य बढ़ाया जा सके और यदि हां तो उसका क्या ब्यौरा है ; और

(ख) उपर्युक्त मदों के कुछ अनुपात के साथ मिले जुले भोजन की आवश्यकता के बारे में वैज्ञानिक प्रमाण को देखते हुए खाद्य के रूप में उनके उपभोग के संबंध में भावनात्मक आपत्तियां दूर करने की कोई योजनाएं भारत सरकार के पास हैं ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) मछली, गोश्त और अंडों को लोकप्रिय बनाने की कोई योजना नहीं है ।

(ख) जी नहीं । मछली, गोश्त और अंडो के उपभोग के विरोध की भावनाएं मुख्यतः धार्मिक है।

खाद्य की मदों को विविध बनाना

†३१६१. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औसत लोगों के खाद्य का पोषकगुण बढ़ाने के लिए खाद्य की मदों में विविधता लाने के लिए क्या भारत सरकार की कोई योजना है ; और

(ख) क्या इस प्रकार की विविधता लाने के लिए आन्दोलन चालू करने की भारत सरकार की कोई योजना है जैसे कि अधिक अन्न उपजाओ और इसी प्रकार के दूसरे आन्दोलन चल रहे है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) और (ख). तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए सहायक खाद्य तथा व्यावहारिक पोषण के अधीन योजनाओं में औसतन भारतीय भोजन में विविधता बढ़ाने की कल्पना है जिससे कि भोजन के पोषक तत्वों में सुधार किया जा सके । विविधता का उद्देश्य न केवल उपलब्ध प्राकृतिक खाद्यों का उपयोग करना है बल्कि अभी तक

†मूल अंग्रेजी में

पूर्णरूप से काम में न लाये गये कच्चे माल से तैयार किये गये अन्य पोषक खाद्यों के और परिस्करण तथा संरक्षण के जरिये बरबादी से बचाये गये खाद्यों का उपयोग भी करना है । इन योजनाओं में उचित भोजन की आदतें बढ़ाने, बरबादी रोकने तथा कम लागत के संतुलित भोजन के लिए आन्दोलन भी शामिल है । इन योजनाओं की छानबीन हो रही है ।

जंभीरी नींबू के फल

†३१६२. **श्री वें० प० नायर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में जंभीरी नीबू (नींबू साइट्रस एसिड) का अनुमानित उत्पादन क्या है ;

(ख) इस फल का खाद्य मूल्य क्या है ;

(ग) उस का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(घ) इस फल का उत्पादन करने वाले महत्वपूर्ण राज्य कौन कौन से हैं और उनमें से प्रत्येक की वार्षिक पैदावार कितनी है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) एसिड या कागजी नींबू ठीक ठीक नाम साइट्रस औरन्टीफोलिया है । अनुमान है भारत में उसका उत्पादन १,६०,००० टन है ।

(ख) उसमें १.५ प्रतिशत प्रोटीन, १.० प्रतिशत चर्बी (एथर एक्स्ट्रेक्टिव्स), ०.७ प्रतिशत खनिज पदार्थ, १.३ प्रतिशत फाइबर, १०.९ प्रतिशत कारबोहाइड्रेट, ०.०९ प्रतिशत कैलशियम, ०.०२ प्रतिशत फास्फोरस और ०.३ प्रतिशत लोहा है । उसके १०० ग्राम रस में ५९ कैलोरी हैं । वह विटामिन सी का बहुत अच्छा संसाधन और विटामिन ए का काफी अच्छा संसाधन है ।

(ग) देश में विभिन्न फलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना में एक योजना शुरू की गयी है । इस योजना के अन्तर्गत जंभीरी नींबू भी शामिल हैं ।

(घ) यह फल पैदा करने वाले महत्वपूर्ण राज्य आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मद्रास हैं । इन सभी राज्यों में इस फल की औसतन वार्षिक प्रति एकड़ पैदावार ४ टन है ।

कृषि स्नातक

†३१६३. **श्री वें० प० नायर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य और केन्द्रीय सरकारों द्वारा नियुक्त कृषि स्नातक अपने राजकीय जीवन में उन विषयों का बहुत सीमित उपयोग करते हैं जिनका अध्ययन उन्होंने विश्वविद्यालय में किया था ; और

(ख) भारत सरकार ने कृषि संबंधी उनके विशिष्ट अध्ययन का व्यवहार में अधिकतम उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)**: (क) कृषि स्नातकों को कृषि के अनेक क्षेत्रों में सेवा करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है । इसलिए पाठ्यक्रम अवश्य ही सामान्य होता है ताकि कृषि से संबंधित सभी महत्वपूर्ण विज्ञान उसमें आ जायें । कुछ विशेष पाठ्यक्रम भी होते हैं ताकि छात्र अपने पेशे के क्षेत्रों में लाभदायक सेवा करने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित किये जा सकें ।

(ख) अभी सेवा नियमों के अनुसार, किसी व्यक्ति को जो किसी विशिष्टीकृत क्षेत्र में किसी पद की इच्छा करता हो, न केवल उस क्षेत्र का बुनियादी प्रशिक्षण मिला हुआ होना चाहिये

†मूल अंग्रेजी में

बल्कि उसके पास पर्याप्त अनुभव भी होना चाहिये । भारत सरकार और राज्य सरकारों के पास पहले से ही एक ऐसी प्रणाली है जिससे कृषि के किसी एक क्षेत्र में जिन व्यक्तियों ने विशेष अध्ययन किया हो उनकी सेवा का उपयोग उसी क्षेत्र में किया जा सके ।

पशुपालन के स्नातक पाठ्यक्रम

†३१६४. **श्री वें० प० नायर**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन भारतीय विश्वविद्यालयों में पशुपालन के ग्रैजुएट पाठ्यक्रम हैं और प्रत्येक विश्वविद्यालयों में चालू शैक्षणिक वर्ष में छात्रों की संख्या कितनी है ;

(ख) भारतीय विश्वविद्यालयों में इस पाठ्यक्रम में क्या क्या विषय हैं ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)**: (क) भारत में १७ पशुचिकित्सा कालेज हैं । ये सभी कालेज पशुपालन का प्रशिक्षण देते हैं यद्यपि कुछ मामलों में बी० वी० एस० सी० और कुछ मामलों में बी० वी० एस० सी० एण्ड ए० एच० की डिग्री दी जाती है । कृषि कालेज छात्रों को कृषि-उपाधि के लिए प्रशिक्षित करते हैं लेकिन उनमें से अनेक कालेजों में पशुपालन का विषय पाठ्यक्रम में शामिल है ।

पशु चिकित्सा कालेजों के नाम और उन विश्वविद्यालयों के नाम जिनसे वे सम्बद्ध हैं और चालू शैक्षणिक वर्ष में भरती किये गये छात्रों की संख्या बताने वाली सूची संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २७]**

(ख) भारतीय कृषि शिक्षा परिषद के तीसरे अधिवेशन की कार्यवाहियों में परिषद द्वारा स्वीकृत बी० वी० एस० सी० का पाठ्यक्रम शामिल है । उसकी एक प्रति संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है । यह शिक्षाक्रम अधिकतर पशुचिकित्सा कालेजों ने स्वीकार कर लिया है ।

कृषि और पशुपालन के पाठ्यक्रम

†३१६५. **श्री वें० प० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने विश्वविद्यालयों में कृषि और पशुपालन की महत्वपूर्ण शाखाओं के विशेष पाठ्यक्रम चालू करने की आवश्यकता पर विचार किया है; और

(ख) भारतीय विश्वविद्यालयों में कृषि और पशुपालन की विभिन्न शाखाओं के विशेष पाठ्यक्रम कितने छात्र पढ़ रहे हैं ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)**: (क) और (ख). स्नातकोत्तर प्रशिक्षण के रूप में विशिष्ट पाठ्यक्रमों पर अभी हाल में काफी ध्यान दिया गया है और भारत सरकार कृषि तथा पशुपालन संबंधी अनेक स्नातकोत्तर संस्थाओं की स्थापना के लिये पहले ही वित्तीय सहायता दे चुकी है। अभी फिलहाल १९ स्नातकोत्तर कृषि शालायें और ६ स्नातकोत्तर पशुचिकित्सा शालायें चल रही हैं ।

कृषि के उपाधि पाठ्यक्रम के विषयों की छानबीन के लिये तदर्थ समिति ने अभी हाल ही में स्नातक पूर्व छात्रों के लिये वैकल्पिक विषय के रूप में विशेष पाठ्यक्रम चालू करने की सिफारिश की है । समिति सभवत: शीघ्र ही अपनी सिफारिशें तय कर लेगी । स्नातकोत्तर कक्षाओं में विभिन्न विषयों के विशेष पाठ्यक्रमों की शिक्षा पाने वाले छात्रों की संख्या तुरन्त उपलब्ध नहीं है। स्नातक-पूर्व कक्षाओं में विशिष्टीकरण के लिये पाठ्यक्रम लेने वाले छात्रों की संख्या वैकल्पिक विषय चालू किये जाने के बाद ही मालूम हो सकती है। १९५९-६० में विभिन्न स्नातकोत्तर शालाओं में भरती किये गये छात्रों की कुल संख्या संलग्न सूची में दी हुई है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २८]**

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय विश्वविद्यालयों में कीटशास्त्र' के छात्र

†३१६६. श्री वें० प० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक भारतीय विश्वविद्यालय में कीटशास्त्र के उपाधि पाठ्यक्रमों में कितने छात्र पढ़ रहे हैं;

(ख) इन पाठ्यक्रमों के लिये क्या क्या विषय रखे गये हैं और तीसरी पचवर्षीय योजना के लिये कीटशास्त्र स्नातकों की अनुमानित संख्या कितनी है; और

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना में किस प्रकार के और कितने पदों के लिये कीटशास्त्रज्ञों की आवश्यकता होगी ?

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख): (क) कीटशास्त्र का उपाधि पाठ्यक्रम ऐसा कोई नहीं है। कीटशास्त्र कृषि के उपाधि पाठ्यक्रमों में एक विषय के तौर पर पढ़ाया जाता है।

(ख) और (ग). कृषि कालेजों में पाठ्यक्रम स्वतः विश्वविद्यालय ही निर्धारित करते हैं। भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् द्वारा स्थापित एक समिति एक आदर्श पाठ्यक्रम तैयार कर रही है जिस में कीटशास्त्र सहित सभी विषय होंगे। कीटशास्त्रज्ञ अध्यापकों, अनुसन्धान कार्यकर्ताओं, विस्तार कार्यकर्ताओं और पौधा संरक्षण कार्य के लिये पदों पर भरती के लिये आवश्यक होंगे। कीटशास्त्रज्ञों की कुल आवश्यकताओं का कोई अनुमान नहीं लगाया गया है।

कीटनाशक औषधियां

†३१६७. श्री वें० प० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में प्रतिवर्ष उपयोग किये गये (१) कीटनाशक (इन्सेक्टिसाइड्स) (२) नाशिकीटनाशक (पैस्टीसाइड्स) (३) कक्कमार (फंगीसाइड्स) और (४) घासफूसनाशक (वीडीसाइड्स) का अनुमानित मूल्य कितना है;

(ख) भारत सरकार इस को किस प्रकार सुनिश्चित करती है कि स्वामिगत सरचनाओं (प्रोप्राइटरी फार्म्युलेशन्स) से कोई हानिकर प्रभाव नहीं पड़ता; और

(ग) उपर्युक्त चार प्रकार के रसायनिकों से सब से अधिक संबंधित स्वामिगत रचनायें कौन सी हैं और इन का विश्लेषण क्या है ?

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख): (क) इस समय भारत में इस्तेमाल किये जाने वाले नाशिकीटनाशक की कुल मात्रा का कोई ठीक ठीक अनुमान उपलब्ध नहीं है क्योंकि इस का उपयोग न केवल कृषि विभाग बल्कि लोक स्वास्थ्य विभाग, नगरपालिकायें, परिवहन उपक्रम, व्यक्ति आदि सभी करते हैं। खेती के लिये प्रति वर्ष काम में लाये जाने वाले कीटनाशक, कक्कमार और घासफूसनाशक का अनुमानित मूल्य ३.५१ करोड़ रुपये है।

(ख) सामान्य रूप से नाशिकीटनाशक के हानिकर प्रभाव दूर करने के उद्देश्य से निम्नलिखित कार्यवाही की गयी है :—

(१) डिब्बे बन्द करने और उन पर लेबल लगाने के संबंध में कुछ शर्तें पूरी करना आयातकों के लिये जरूरी होता है जैसा कि मुख्य आयात निर्यात नियंत्रक द्वारा जारी किये गये लाइसेंसों में विहित है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

'Entomology.

(२) कुछ नाशिकीटनाशकों को भारत का विष अधिनियम, १९१९ (पायजन्स एक्ट आफ इंडिया) के अधीन जहरीला घोषित किया गया है और उन का स्टाक रखना और उन की बिक्री इस संम्बन्ध में बनाये गये नियमों से विनियमित होती है।

(३) बड़े पैमाने पर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा आयोजित प्रकाशन, प्रचार तथा प्रदर्शनों से किसानों को ये नाशिकीटनाशकों के सही इस्तेमाल का तरीका और उन्हें उठाने धरने में बरती जाने वाली सावधानी के बारे में सिखाया जाता है। केन्द्रीय पौधा संरक्षण केन्द्र और राज्य कृषि विभाग इस विषय में अनेक विस्तार कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं।

(ग) कीटनाशकों में डी० डी० टी० और बी० एच० सी० वाली स्वामिगत संरचनाओं का आमतौर से इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें डस्ट के रूप में जिस में ५ या १० प्रतिशत या इमलशन्स जिन में २० से २५ प्रतिशत या वेटेबल पाउडर के तौर पर जिस में ५० प्रतिशत सक्रियतत्व होते हैं, बेचा जाता है।

ककमार में कॉह्र सल्फेट और कॉपर ऑक्सीक्लॉराइड सब से अधिक प्रचलित हैं। कॉपर सल्फेट शुद्ध रूप में काम में लाया जाता है जब कि कापर आक्सीक्लोराइड ५० प्रतशित कॉपर (वेटेबल पाउडर) वाले संरचना के रूप में या ४ से ६ प्रतिशत तांबायुक्त डस्ट के रूप में बेचा जाता है।

घासफूसनाशक संरचना (वीडीसाइड्स फार्म्यूलेशन्स) में, ८० प्रतिशत एसिड वाले २,४–डी '२ डाइक्लोर फेनोक्सीएसेटिक एसिड) का सोडियम साल्ट आम तौर से काम में लाया जाता है।

रसायनों की बिक्री

†३१६८. श्री वें० प० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रासायनिक द्रव्य को उर्वरक के तौर पर या पौधों के संरक्षण के लिये बाजार में बिक्री के लिये रखे जाने से पहले क्या क्या आवश्यकतायें और शर्तें पूरी करनी जरूरी हैं; और

(ख) क्या इन रासायनिक द्रव्यों की परीक्षा, जनता में उन की बिक्री की अनुमति देने से पहले, भारतीय स्थितियों के अधीन की जाती है, और यदि हां, तो कैसे ?

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख): १. उर्वरक के तौर पर इस्तेमाल किये गये रसायन

(क) उर्वरक के रूप में बिक्री के लिये रसायनिक पदार्थ में एक या तीन मुख्य तत्व होने चाहियें अर्थात् नाइट्रोजन, फास्फोरस और पैटेशियम जो एक फसल के लिये आवश्यक होती है और भारतीय जलवायु की दशाओं के अधीन उस का संग्रह भी अच्छी तरह होना चाहिये।

(ख) भिन्न भिन्न जमीन और जलवायु की दशाओं में उसकी उपयुक्तता की परीक्षा करने के लिये अनुसन्धान संस्थाओं और किसानों के खेतों में अनेक प्रयोग किये जाते हैं।

२. पौदा संरक्षण के लिए काम में लाये गये रसायन:

(क) पौदा संरक्षण रसायनिक को बाजार में लाने से पहले विशिष्ट प्रकार के कीड़ों या एक या कई समूहों पर उस के प्रभाव, मनुष्यों, जानवरों तथा अन्य पशुओं के लिये उस की सुरक्षा, पौदों पर

---

†मूल अंग्रेजी में

उस के प्रभाव, और कुछ अन्य गुणों के विषय में प्रयोगशाला परीक्षणों और क्षेत्रीय परीक्षणों से उस की जांच पड़ताल करनी होती है। इस बात का विश्वास दिखाने की भी जरूरत होती है कि रसायनिक का मूल्य इतना हो कि किसान के लिये उस का उपयोग लाभदायक बनाया जा सके।

(ख) जनता के लिये पौदा संरक्षण रसायनिकों की सिफारिश करने से पहले भारतीय स्थितियों में सामान्यतया उस की परीक्षा की जाती है? यद्यपि ऐसी परीक्षाओं के लिये कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है फिर भी केन्द्रीय और राज्य सरकारों के पौदा सरक्षण तथा अन्य संगठन विभिन्न फसलों से संबंधित सक्षम अधिकारियों द्वारा परीक्षण किये जाने से पहले किसी कीटनाशक की सिफारिश या सप्लाई नहीं करते। आरम्भ में बहुत सीमित मात्रा में नयी कीटनाशक वस्तुओं के आयात के लिये अनुमति दी जाती है और भारतीय परिस्थितियों के अधीन उन की उपयुक्तता के बारे में सतोषजनक रिपोर्टें मिलने के बाद ही आयात अधिक सरल बना दिये जाते हैं।

मछली उत्पादन

†३१६९. श्री वें० प० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में नदी घाटी परियोजनाओं में बनाये गये जलाशयों से मछली उत्पादन का कुल कितना अनुमान है?

(ख) कौन से जलाशय से अधिक से अधिक मछली उत्पादन होता है;

(ग) भारतीय जलाशयों में औसतन प्रति एकड़ (जल सतह) मछली का उत्पादन क्या है; और

(घ) इन जलाशयों से किन किन महत्वपूर्ण किस्म की मछलियां निकाली जाती हैं?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) लगभग ६६७० मेट्रिक टन।

(ख) मेट्टूर जलाशय।

(ग) जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(घ) कार्पस् जिस में लाबीओ, कटला और सिन्हीना शामिल है, महत्वपूर्ण मछलियां हैं, जिन्हें जलाशयों में पाला जाता है।

अन्तर्देशीय मीन संसाधन

†३१७०. श्री वें० प० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने देश में अन्तर्देशीय मीन संसाधनों का कोई सर्वेक्षण किया है और यदि हां, तो उस का क्या ब्यौरा है; और

(ख) अभी देश में बड़े तालाब, छोटे तालाब आदि के संसाधनों से मछली का उत्पादन बढ़ाने के लिये कौन कौन सी योजनायें चालू हैं?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) जी, नहीं। लेकिन राज्य सरकारों ने सर्वेक्षण आरम्भ किये हैं और वे जारी हैं। भारत सरकार राज्य सरकारों के परामर्श से प्रत्येक राज्य में तालाब, जलाशय आदि की पूरी सूची तैयार कर के मछली उत्पादन के सर्वेक्षण और अनुमान की एक अन्तिम रूप से तैयार कर रही है।

(ख) राज्य सरकारें जिन योजनाओं को कार्यान्वित करने वाली हैं वे फ्राई मछली पकड़ने और पालने, पानी जमा करने और तालाब आदि के सुधार के सम्बन्ध में है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मत्स्य प्रौद्योगिकी एकक, एरणाकुलम् का पुस्तकालय

†३१७१. **श्री वें० प० नायर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एरणाकुलम में मत्स्य प्राद्योगिकी एकक के पुस्तकालय की कुछ उन्नति हुई है और यदि हां, तो पुस्तकें और पत्रिकाओं की संख्या क्या है और आरम्भ से अब तक कुल कितनी रकम खर्च की गयी है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : माननीय सदस्य संभवतः सेन्ट्रल फिशरीज टेक्नोलाजीकल रिसर्च स्टेशन के पुस्तकालय का उल्लेख कर रहे हैं। यह पुस्तकालय १९५९ में चालू किया गया था और अधिक पुस्तकें तथा पत्रिकाएं प्राप्त करके उसकी उन्नति की जा रही है। इस समय उसमें ४५४ पुस्तकें और ५१ पत्रिकाएं हैं। उनकी खरीद पर अब तक २९,००० रुपये की रकम खर्च की गयी है।

कृषि विभाग में पदाधिकारी

†३१७२. **श्री वें० प० नायर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के कृषि विभाग में कुल कितने वर्ग १ और वर्ग २ के पदाधिकारी हैं;

(ख) तकनीकी योग्यता वाले कितने पदाधिकारी (प्रत्येक श्रेणी में) हैं ;

(ग) बिना तकनीकी योग्यता वाले कितने पदाधिकारी हैं; और

(घ) डेस्क वर्क (आफिस वर्क) करने वाले तकनीकी योग्यता वाले कितने पदाधिकारी हैं ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : कृषि विभाग में गजेटेड अफसरों की संख्या :—

	वर्ग १	वर्ग २ (गजेटेड)
(क) . .	५८	७४
(ख) . .	२६	१४
(ग) . .	३२	६०

(घ) उपरोक्त (ख) में उल्लिखित तकनीकी अफसर 'मंत्रणा कार्य' में लगे हुए हैं जिसमें योजनाओं की कार्यान्विति की ओर ध्यान देने के लिए राज्यों के दौरे और डेस्क वर्क शामिल हैं।

कृषि में अणुशक्ति का उपयोग

†३१७३. **श्री वें० प० नायर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि में अणुशक्ति के उपयोग क्या हैं और उनके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ख) इस समय मंत्रालय में ऐसे कार्य के लिए कितने वैज्ञानिक नियोजित हैं ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) कृषि सम्बन्धी समस्यायें सुलझाने में विकिरणों और रेडियो आइसोटोपों का प्रयोग गवेषणा के साधनों के रूप में किया जाता है।

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय कृषि गवेषणा संस्था में इनका प्रयोग इस समय वनस्पति शास्त्र, रसायनशास्त्र, माइकोलोजी, एन्टोमोलोजी और एग्रोनोमी विभागों में किया जा रहा है। अभी तक प्राप्त मुख्य परिणाम नीचे दिये गये हैं :

वनस्पति शास्त्र :	(क) एन० पी० ८३६ नामक नये किस्म के गेहूं का उत्पादन जिसमें कीड़ा नहीं लगता है और जो बिहार और पश्चिम बंगाल के भागों में उगाये जाने के उपयुक्त है।
	(ख) दो किस्म के जूटों से एक मिश्रित किस्म का उत्पादन जिससे मजबूत और सफेद तन्तु का जूट उगाया जा सकेगा।
रसायन शास्त्र: .	ट्रेसर्स के रूप में काम में लाये गये रेडियो आइसोटोपों से मालूम हुआ है कि लगभग ५० प्रतिशत भारतीय भूमि में फास्फेट की कमी है। फासफोरस के लिए भी एक भूमि परीक्षण निकाला गया है।
माइकॉलोजी : . .	गामा किरणों की सहायता से गन्ने के रक्तअपक्षय कवक (रेड राट फन्गस) के कुछ उत्परिवर्ती और कुछ उच्च बल्बी-फार्मिन जिनसे बेसीलस सबटीलिस के उत्परिवर्ती निकलते हैं, प्राप्त किये गये हैं।
एंटोमोलोजी : .	रेडियो एक्टिव फास्फोरस पी० ३२ से आलू में लगने वाले कीड़ों को श्रेणीबद्ध करने के लिए एक नया तरीका निकाला गया है।
एग्रोनोमी : .	रेडियो एक्टिव फास्फेट का उपयोग करने वाले उर्वरक डालने के जो प्रयोग चल रहे हैं उनसे मालूम हुआ है कि उपयुक्त मात्रा डालने से पी० २०५ का उदग्रहण काफी बढ़ाया जा सकता है।

(ख) मंत्रालय में तो इस प्रयोजन के लिए कोई वैज्ञानिक अधिकारी नहीं रखे गये हैं परन्तु भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् में इस प्रकार के कार्य के लिए निम्नलिखित कर्मचारी नियोजित हैं :

गजटेड . . .	१३
नांन गजटेड .	१२

भारत-नार्वे मीनक्षेत्र परियोजना, चवारा

†३१७४. श्री वें० प० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चवारा में भारत-नार्वे मीनक्षेत्र परियोजना के शीतसंग्रहागार एकक में १९६०-६१ में कितनी मछलियां रखी गईं;

(ख) उपरोक्त अवधि में उस एकक द्वारा कितनी बर्फ बेची गई; और

(ग) एकक की कुल आय कितनी है ?

†मूल अंग्रेजी में

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) २५४ टन ।

(ख) १५५० टन ।

(ग) ८६,००० रुपये ।

यात्रा एजेन्टों सम्बन्धी विधान

३१७५. { श्री भक्त दर्शन :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री १६ दिसम्बर, १६६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६७० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि यात्रा-एजेण्टों, विहार एजेन्टों, शिकार एजेन्टों, पथ-प्रदर्शकों और होटल मालिकों के पर्यटकों के प्रति व्यवहार के बारे में जो विधान तैयार किया जा रहा था, उसे संसद के समक्ष प्रस्तुत करने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : प्रस्तावित विधान के मसौदे को, जो केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के परामर्श से तैयार किया गया है, अभी अन्तिम रूप दिया जा रहा है । चूंकि पर्यटन की समस्याओं का प्रभाव बहुत से अन्य मंत्रालयों, प्रदेश सरकारों तथा यात्रा-व्यापार क्षेत्र के कार्यक्रमों पर पड़ता है, अतः भारतव्यापी विधान तैयार करने में निश्चय ही कुछ समय और लगेगा ।

हिमाचल प्रदेश में वन

३१७६. श्री पद्म देव : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में दूसरी पंचवर्षीय योजना में कितने मूल्य के कितने वन बेचे गये;

(ख) इन में से कितने सरकारी तौर पर और कितने गैर-सरकारी तौर पर बेचे गये;

(ग) काटे गये वृक्षों के बदले कितने वृक्ष लगाये गये; और

(घ) क्या हिमाचल प्रदेश की लोकप्रिय सरकार के इस नियम का पालन किया जा रहा है कि जो व्यक्ति एक वृक्ष काटे उसे तीन वृक्ष लगाने पड़ेंगे ?

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) ६८६ सरकारी वन अलग अलग लाटों में ५,८०,६५,२२४ रुपये में बेचे गये ।

(ख) ये सब वन सरकारी तौर पर बेचे गये ।

(ग) ४८,५६,०६५ वृक्ष ।

(घ) ये हिदायतें निजी मलकियत वाले वनों से काटे गये वृक्षों के बारे में थीं और ये उस तारीख तक लागू थीं जब तक कि हिमाचल प्रदेश निजी वन अधिनियम, १६५४ (१६५५ का अधिनियम ६) लागू हुआ । निजी मलकियत वाले वनों का नियन्त्रण और कार्य ऊपर-लिखित वन अधिनियम के अधीन होता है जिसमें इस प्रकार का कोई बन्दोबस्त नहीं है ।

भाखड़ा बांध के अन्तर्गत भूमि का कटाव

३१७७. श्री पद्म देव : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १६६० से ३१ दिसम्बर, १६६० तक भाखड़ा बांध से सम्बन्धित किन-किन क्षेत्रों में भूमि के कटाव को रोकने का कार्य किया गया और इस पर कितना धन व्यय हुआ; और

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इस पर कितनी धनराशि व्यय की गई ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) (१) विभिन्न क्षेत्रों के नाम निम्नलिखित हैं :—

हिमाचल प्रदेश में

१. झुमरविन रेंज बिलासपुर जंगल विभाग में पनोल, समोह तथा निहारी ।
२. नयना देवी रेंज बिलासपुर जंगल विभाग में बस्सी, नयना देवी, तोभा संगवाना तथा झीजियां ।
३. सोलन जंगल विभाग की अर्की तथा धम्मी रेंजों में बम्बर खंड वाहक्षेत्र ।
४. अपर तथा लोअर बुशहर जंगल विभाग में रामपुर क्षेत्र ।
५. विविध छोटे छोटे जमीन के टुकड़े जिनका क्षेत्र लगभग ३१२ एकड़ है ।

पंजाब में

१. लुंखर खड वाहक्षेत्र ।
२. सर खड वाहक्षेत्र ।
३. घम्बर खंड वाहक्षेत्र ।
४. चवाई गट्टा वाहक्षेत्र ।
५. घुरला, कथेर वाहक्षेत्र ।
६. कुरपन गाद, रोटेवा वाहक्षेत्र ।
७. खुण्ड वाहक्षेत्र ।
८. बाही, खरीआटा, कोटला और मीन्धवन में प्रदर्शन केन्द्र ।

(२) १६,६६,५५८ रुपये व्यय हुए ।

(ख) ७,२५,७६८ रुपये ।

महाराष्ट्र में नलकूप

†३१७८. **श्री पांगरकर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को वर्ष १९६०–६१ में अभी तक सिंचाई के नलकूपों के निर्माण के लिए कोई वित्तीय सहायता दी है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)**: (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने की वर्तमान प्रक्रिया के अन्तर्गत वित्तीय सहायता कुछ योजनाओं के लिए सामूहिक रूप से दी जाती है, अलग अलग योजनाओं के लिए नहीं । इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों को एक योजना के लिए आवण्टित धन का उस शीर्षक के अन्तर्गत अन्य योजना में व्यपवर्तन करने का अधिकार भी है । इसलिए महाराष्ट्र सरकार को १९६०–६१ म सिंचाई के नलकूपों क निर्माण के लिए उपलब्ध की गई निर्दिष्ट राशि बताना सभव नहीं है ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा १९६०–६१ में महाराष्ट्र सरकार को विकास के (१) कृषि उत्पादन, (२) छोटी सिंचाई और (३) भूमि-विकास शीर्षकों के अन्तर्गत १८१.७३ लाख रुपए का ऋण और ५१.८० लाख रुपए का अनुदान मंजूर किया गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में फलों का उत्पादन

†३१७९. { श्री अजित सिंह सरहदी :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री दलजीत सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा पंजाब में फलों की खेती के संवर्धन के लिए वर्ष १९५६-५७ से १९५९-६० और १९६०-६१ में कोई वित्तीय सहायता ऋणों अथवा अनुदानों के रूप में दी गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि मंजूर की गई थी तथा कितनी काम में लाई गई ?

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) जी, हां ।

(ख)

वर्ष	आवण्टित राशि		काम में लाई गई राशि	
	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान
१९५६–५७ .	६,००,०००	२५,६००	---	---
१९५७–५८ .	१२,००,०००	६४,१००	१०,६६,०००	३,८००
१९५८–५९ .	९,००,०००	७०,०००	८,६७,०००	५१,६१०
१९५९–६०	९,००,०००	५७,०००	८,४९,१२०	५२,७४०
१९६०–६१ .	११,००,०००	५८,००००	५,८७,९००	५७,७६०
			(१५-३-६१ तक)	(अनुमानित)

शाहाबाद-मुहम्मदपुर हाल्ट के निकट रेल दुर्घटना

†३१८०. श्री मो० ब० ठाकुर : क्या रेलवे मंत्री दिल्ली रेवाड़ी सेक्शन में शाहाबाद मुहम्मदपुर हाल्ट के निकट हुई रेल दुर्घटना के संबंध में ५ सितम्बर, १९६० को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या २१२८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) दुर्घटना का कारण क्या था ;

(ख) क्या पुलिस ने मामले की जांच की है ;

(ग) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां क्या हैं ;

(घ) क्या रेलगाड़ी का ड्राइवर गलती पर था ; और

(ङ) यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) पुलिस रिपोर्ट के अनुसार उस स्त्री ने पटरी पर कूद कर आत्महत्या की थी ।

(घ) नहीं श्रीमान् ।

(ङ) उत्पन्न नहीं होता ।

†मूल अंग्रेजी में

रायलसीमा में सहायता-कार्य

†३१८१. { श्री रामी रेड्डी :
श्री विभूति मिश्र :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री १४ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९१४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय के विशेषज्ञ द्वारा आन्ध्र प्रदेश रायलसीमा जिले के सम्बन्ध में स्थायी सहायता कार्यों के सुझाव दिए जा चुके हैं ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने उनके संबंध में प्रतिवेदन पेश किया है ;

(ग) भाग (क) और (ख) में निर्दिष्ट प्रतिवेदनों की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) सरकार द्वारा उन प्रतिवेदनों पर क्या कार्यवाही करने का विचार किया जा रहा है?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) जी हां, इस प्रयोजन के लिए योजना का प्रारूप पेश किया गया है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ). योजना के प्रारूप में निम्नलिखित मदें हैं:—

(१) छोटे सिंचाई कार्य ;
(२) भूमि संरक्षण और भूमि सुधार ;
(३) वनरोपण और इमारती लकड़ी तथा ईंधन के ससाधनों का निर्माण ;
(४) पशुपालन :—
(क) कुक्कुट पालन विकास ;
(ख) सुअर पालन ;
(ग) पशुधन विकास ;
(घ) मक्खी पालन ;
(ङ) रेशम के कीड़े पालना ;
(५) फलों के बाग लगाना और फलपरिरक्षण एककों का उपबन्ध ।

योजना के संबंध में चर्चा करने और उसे अंतिम रूप देने के लिए राज्य के प्रविधिक विशेषज्ञों के साथ बैठक करने का विचार किया जा रहा है ।

पंजाब में सिंचाई की बड़ी और मध्यम परियोजनायें

†३१८२. { श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में दूसरी पंच वर्षीय योजना की अवधि के अन्त तक कौन कौन सी बड़ी और मध्यम सिंचाई तथा विद्युत् परियोजनायें पूर्ण हो जायेंगी ; और

(ख) उन पर कितना व्यय होने का अनुमान है तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी सहायता दी जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी): (क) दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्रियान्वित की जा रही कोई भी बड़ी तथा मध्यम सिंचाई और विद्युत् परियोजनायें ३१-३-१९६१ तक समस्त बातों के संबंध में पूर्ण नहीं हुई हैं।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

पश्चिम बंगाल में माल डिब्बों की कमी

†३१८३. श्री मुहम्मद इलियास: क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल के खाद्य मंत्री द्वारा ३ जनवरी, १९६१ को पश्चिम बंगाल विधान सभा में दिए गए इस वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है कि माल डिब्बों की कमी के कारण तिल के तेल का भाव बढ़ गया है; और

(ख) यदि हां, तो माल डिब्बों की कमी का क्या कारण है?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) और (ख). इस विषय पर पश्चिम बंगाल के खाद्य मंत्री श्री पी० सी० सेन द्वारा राज्य विधान सभा में दिए गए वक्तव्य के संबंध में ४-२-६१ के अमृत बाजार पत्रिका में एक समाचार प्रकाशित हुआ था। पश्चिम बंगाल को तिल के तेल का संभरण संतोषजनक रहा है और इस प्रयोजन के लिए माल डिब्बों की कोई कमी नहीं रही है।

उत्तर भारत में हिमपात और ठंडी हवायें

३१८४. श्री विभूति मिश्र: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनवरी-फरवरी, १९६१ में उत्तर भारत में जो हिमपात हुआ और बर्फीली हवायें चलीं उससे कौन-कौन से क्षेत्र और प्रमुख शहर प्रभावित हुए;

(ख) उसके परिणामस्वरूप जान-माल की कितनी हानि हुई; और

(ग) हिमपात और सर्दी के प्रकोप का रबी की फसल पर क्या असर पड़ा?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा): (क) जनवरी-फरवरी, १९६१ में हिमपात और बर्फीली हवाओं से जो प्रदेश प्रभावित हुए वे जम्मू और काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा कुमाओं की पहाड़ियों थे।

मुख्य स्थान जो प्रभावित हुए :—

श्रीनगर, दरास, लेह, शिमला, डलहौज़ी, धर्मशाला, मुनसियारी, मुक्तेसर, नैनीताल, टेहरी, जोशीमठ और मन्डी।

(ख) जहां तक उत्तर प्रदेश और पंजाब का सम्बन्ध है प्राप्त सूचना नीचे दी गई है:—

उत्तर प्रदेश:—

अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार मानव जीवन की कोई क्षति नहीं हुई है। घरों और दूसरी जायदादों की क्षति नहीं के बराबर है।

पंजाब:—

पंजाब के क्षेत्रों में हिमपात से जो क्षति हुई वह निम्न प्रकार है:—

जीवन	१
जायदाद	४,४७,००० रुपये

दूसरे प्रदेशों में मानव जीवन और जायदाद सम्बन्धी ऐसी क्षति की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

†मूल अंग्रेजी में

(ग) पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं है। क्षेत्र और उत्पादन के अन्तिम अनुमान में यह शामिल कर ली जायेगी और प्राप्त होने पर एग्रिकल्चरल सिचुएशन इन इंडिया में प्रकाशित की जायेगी।

पंजाब में गेहूं का राज्य व्यापार

†३१८५. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
ज्ञानी गु० सिंह मुसाफिर :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ सरकार ने पंजाब सरकार को गेहूं का राज्य व्यापार खत्म करने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सबध में पंजाब सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) भारत सरकार ने इतना ही किया है कि समय समय पर चर्चाओं के दौरान उन कठिनाइयों का संकेत किया है कि पंजाब सरकार को अपने द्वारा खरीद किए गए गेहूं के स्टाक को बिना नुकसान उठाए निकालने में कठिनाई होगी।

(ख) पंजाब सरकार द्वारा १३ जुलाई, १९६० से गेहूं की खरीद बन्द कर दी गई थी।

तलचेर तापीय संयंत्र

†३१८६. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में तलचेर तापीय संयंत्र की स्थापना के लिये आवश्यक वित्तीय मंजूरियां दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा सरकार को इस तापीय संयंत्र की स्थापना का कार्य प्रारम्भ करने के लिये १९६१–६२ में कितनी राशि मंजूर की गई थी; और

(ग) क्या विदेशी साथों द्वारा पेश किए गए टेंडरों पर विचार किया जा चुका है?

†सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) इस योजना के लिये उड़ीसा की तीसरी पंचवर्षीय योजना में २२ करोड़ रुपए का उपबन्ध किए जाने की आशा है।

(ख) इस प्रयोजन के लिये उड़ीसा के बजट प्राक्कलन में वर्ष १९६१–६२ के लिये ९३ लाख रुपए की राशि का उपबन्ध किया गया है।

(ग) टेंडरों की जांच की जा रही है।

अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद

†३१८७. श्री मुहम्मद इलियास : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद के सम्बन्ध में कोई समझौता-फार्मूला निकाला है; और

(ख) यदि हां, तो वे फार्मूले क्या हैं?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, नहीं।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे संस्थापनाओं में "ट्रेड एप्रेंटिस"

†३१८८. श्री राम शरण : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम और रोजगार मन्त्रालय की ओर से शिक्षित बेरोजगारों को रेलवे संस्थापनाओं में ट्रेड एप्रेंटिस' के रूप में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था का ब्यौरा मन्त्रालय द्वारा तैयार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रशिक्षणार्थियों की संख्या कितनी है और प्रशिक्षण कितने समय का होगा ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) श्रम और रोजगार मन्त्रालय से रेलवे प्रशासन से यह मालूम करने के लिये कहा गया है कि उनकी लागत पर रेलवे कर्मशालाओं में ३½ वर्षों की अवधि के लिये कितने 'ट्रेड एप्रेंटिसों को प्रशिक्षण दिया जाएगा क्योंकि प्रविधिक प्रशिक्षण स्कूलों अथवा बेसिक प्रशिक्षण केन्द्रों अथवा शॉप फ्लोर में विभिन्न व्यापारों में अतिरिक्त क्षमता समय-समय पर बदलती रहती है।

दिल्ली से जेट विमान सेवा

†३१८९. श्री दिनेश सिंह : क्या परिवहन तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि एयर इण्डिया इण्टर नेशनल को दिल्ली से जेट विमान सेवा न होने के कारण व्यापार में काफी नुकसान हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस सेवा का दिल्ली से न चलाए जाने का क्या कारण है ?

†असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) और (ख). एयर इण्डिया इण्टर नेशनल को यह बोध है कि दिल्ली से एक जेट सेवा चला कर उसे पर्याप्त अतिरिक्त व्यापार मिल सकता है। परन्तु भार अधिक होने के कारण बोइंग विमान की सुरक्षित रवानगी के लिये उससे लम्बे धावन-मार्ग की आवश्यकता है जितना लम्बा कि अभी पालम में है। पालम के धावन-मार्ग को उसके उपयुक्त बनाने के लिये कार्य जारी है।

उड़ीसा नें उर्वरकों का संभरण

†३१९०. श्री कुम्भार : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा राज्य में सहकारी समितियों के माध्यम से दूसरी पंचवर्षीय योजना में अभी तक किसानों को ऋण के आधार पर सम्भरण किये गये रासायनिक उर्वरकों के मूल्य की बकाया की बड़ी राशि सम्बन्धित व्यक्तियों से अभी तक वसूल नहीं हुई है और इसलिए अगला सम्भरण रोका जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो राज्य के विभिन्न जिलों में मार्च, १९६१ के अन्त में ऐसी बकाया की राशि कितनी है; और

(ग) बकाया की वसूली और अगले कोटे के सम्भरण के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां, यह सच है कि उड़ीसा राज्य में किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से सम्भरण किए गए रासायनिक उर्वरकों के मूल्य की बहुत सी बकाया अभी तक वसूल नहीं हुई है। परन्तु यह सच नहीं है कि अग्रेतर सम्भरण रोके जा रहे हैं। केवल उधार बिक्री गत वर्ष से बन्द कर दी गई है।

---

†मूल अंग्रजी में

(ख) बकाया की राशि का जिले वार ब्यौरा तुरन्त उपलब्ध नहीं है। सूचना राज्य सरकार द्वारा एकत्रित की जा रही है।

(ग) बकाया धीरे-धीरे जमा की जा रही है और उसकी वसूली के लिये राज्य सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। खण्ड अधिकारियों और प्रादेशिक विपणन समितियों को तदनुसार हिदायत क र दी गई है। अगले कोट के सम्भरण की व्यवस्था व्यादेशों के अनुसर ह मेशा की तरह की जाएगी।

अवर सचिवों की तालिका

†३१९१. { श्री अ० बैरावन :
श्री राम शरण :

क्या रेलवे मन्त्री यह बनाने की कृपा करेंगे कि :

(क) अवर-सचिव/सहायक निदेशक के पदों पर तरक्की देने के लिये मार्च, १९६० में विभागीय पदोन्नति समिति, जिसमें रेलवे बोर्ड और संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिनिधि थे, द्वारा तैयार की गई तालिका को अभी तक प्रकाशित न करने के क्या कारण हैं ;

(ख) तरक्कियां उस तालिका के अनुसार न देने के क्या कारण हैं;

(ग) वह तालिका कब तक प्रकाशित हो जाने की सम्भावना है; और

(घ) ऐसी देरी बचाने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). तालिका प्रकाशित की जा चुकी है और तरक्कियां उसी के आधार पर दी जा रही हैं।

(ग) और (घ). उत्पन्न नहीं होते।

रेलवे के लिये विश्व बैंक मिशन

†३१९२. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के प्रविधिक विशेषज्ञों के दल ने हाल में मुगलसराय स्टेशन और यार्ड का निरीक्षण किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने गत्यावरोध को दूर करने के कोई सुधार प्रस्तुत किये थे तथा वे क्या थे; और

(ग) उसके सम्बन्ध में सरकार के क्या विचार हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग). वह दल भारतीय रेलवे के संचालन, दूसरी योजना की प्रगति और रेलवे की तीसरी योजना का सामान्य अध्ययन करने के लिये आया है। वाशिंगटन लौटने पर वह अपना प्रतिवेदन विश्व बैंक को पेश करेगा।

सम्बलपुर के निकट पुल का टूट जाना

†३१९३. श्री कुम्भार : क्या परिवहन तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि १६ मार्च, १९६१ को सम्बलपुर-सोनपुर सड़क पर सम्बलपुर से १७ मील दूर बन हुआ पुल टूट गया जिससे वहां काम कररहे दो मजदूर—एक पुरुष व एक त्री—मर गए;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या उस दुर्घटना के सम्बन्ध में कोई जांच की गई है; और

(ग) क्या मृत मजदूरों के अनाथ बच्चों को कोई सहायता दी जा रही है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) १० मार्च, १९६१ को सम्बलपुर-सोनपुर सड़क के मील ३६/१ पर एक पुलिया की नींव बैठ गई थी जिससे एक पुरुष और एक स्त्री मजदूर मर गए ।

(ख) लोक कर्म विभाग और सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच की गई थी । राज्य सरकार उनके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रही है ।

(ग) मृत व्यक्तियों के आश्रितों को श्रमिक सरकार प्रतिकर अधिनियम, १९२३ के अन्तर्गत देय प्रतिकर के सम्बन्ध में उड़ीसा सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है ।

सचिवों द्वारा ट्रंक-काल

†३१९४. श्री अ० मु० तारिक : क्या परिवहन तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६० में प्रत्येक मन्त्री और उपमन्त्री द्वारा नई दिल्ली में अपने निवास स्थान पर लगे टेलीफोनों से कितने ट्रंक कॉल किए गए और ऐसे ट्रंक कॉलों पर कुल कितना व्यय हुआ ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) : वित्तीय वर्ष १९५९–६० में प्रत्येक मन्त्री और उपमन्त्री द्वारा अपने नई दिल्ली स्थित निवास स्थानों के टेलीफोनों से किये ट्रंक कॉलों की संख्या और ऐसे कॉलों पर हुआ कुल व्यय बताने वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।
[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २९]

केन्द्रीय विपणन तथा सहकारी समितियां

†३१९५. श्री दशरथ देब : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा की केन्द्रीय विपणन तथा सहकारी समिति और सहकारी परिवहन समिति की वर्तमान वित्तीय स्थिति कैसी है ;

(ख) इन समितियों को कुल कितना ऋण अग्रिम दिया गया है ; और

(ग) इन समितियों को मान्यता देने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं;

†सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) १. केन्द्रीय विपणन सहकारी समिति :

(१) अंश पूंजी—११,०७५ रुपए ।

(२) पिछले तीन सहकारी वर्षों के कार्य परिणाम :

[क] १९५७-५८—लाभ १,८८५ रुपए ।

[ख] १९५८-५९—हानि—४,४४७ रुपए ।

[ग] १९५९-६० —हानि—१,१४० रुपए ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

२. सहकारी परिवहन समिति

(१) अंश पूंजी—५७,६६२ रुपए।

(२) पिछले तीन सहकारी वर्षों के कार्य परिणाम :

[क] १९५७-५८—लाभ—२१,१८४ रुपए।

[ख] १९५८-५९—हानि— ५,६४९ रुपए।

[ग] १९५९-६०—हानि—१८,४७१ रुपए।

(ख) १. केन्द्रीय विपणन सहकारी समिति १,७५,००० रुपये।

२. सहकारी परिवहन समिति . . . ८१,००० रुपये।

(ग) इन दोनों समितियों का प्रबन्ध दोषपूर्ण पाया गया था। केन्द्रीय विपणन सहकारी समिति के मामले में त्रिपुरा प्रशासन ने प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया है और ३१-८-६० से एक प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है। सहकारी परिवहन समिति ने प्रशासन की सलाह पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पुनर्गठन किया है।

राष्ट्रीय राजपथ तथा पुल

†३१९९. श्री अजित सिंह सरहदी : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजपथों और पुलों के निर्माण के लिए वर्षवार कितनी राशि आवण्टित की गई;

(ख) उपरोक्त राशि के आवण्टन से कौन-कौन से राष्ट्रीय राजपथ और पुल बन चुके हैं अथवा बनाये जा रहे हैं;

(ग) शेष कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा; और

(घ) इस प्रयोजन के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में कितना आवण्टन किया जा रहा है?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क)

वर्ष	आवण्टित राशि (रुपये लाखों में)
१९५६-५७	४०.३३
१९५७-५८	३६.३७
१९५८-५९	१३.४८
१९५९-६०।	३९.२३
१९६०-६१ . . .	६०.५१

(ख) करनाल, होडल, सोहना, लुधियाना और जालन्धर नगरों के निकट राष्ट्रीय राजपथ उपमार्ग और बेनी तथा घग्गर पर बड़े पुल और बल्लभगढ़ समपार पर ऊपर का पुल पूर्ण हो चुके हैं। अमृतसर और राजपुरा के निकटवर्ती उपमार्गों का कार्य जारी है।

(ग) इन कार्यों के तीसरी पंचवर्षीय योजना में पूर्ण हो जाने की संभावना है।

(घ) पंजाब में राष्ट्रीय राजपथों के विकास के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में अभी अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है।

†मूल अंग्रेजी में।

ंचायत समितियों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के सदस्य

†३१९७. **श्री कुम्भार** : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम संख्या ६३, १९५६ के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के सदस्यों को, उड़ीसा जिला परिषद अधिनियम, १९५९ के अनुसार उड़ीसा राज्य की विभिन्न पंचायत समितियों और जिला परिषदों में, अभी तक, ले लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन राज्य और केन्द्रीय अधिनियमों की उचित रूप से कार्यान्विति के लिये क्या पग उठाये गये हैं ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) उड़ीसा जिला परिषद् अधिनियम, १९५९ में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक पंचायत समिति अपने सदस्यों में एक सदस्य अनुसूचित जाति का और एक सदस्य अनुसूचित आदिम जाति का शामिल करेगी यदि उस जाति और आदिम जाति की जनसंख्या उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से १० प्रतिशत कम न हो। सभी राज्यों में पंचायत समितियां बनाने मे इसको लागू कर दिया गया है।

इस अधिनियम में जिला परिषदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये सीटों के संरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है।

(ख) सरकार को ऐसी किसी घटना का पता नहीं चला है जिसमें अधिनियम के उपरोक्त उपबन्ध को लागू नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

केरल में विद्युत् परियोजनायें

†३१९८. { **श्री मणियंगाडन** :
श्री नारायणन कुट्टि मेनन :

क्या सिचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना में शामिल किये गये केरल राज्य में नयी विद्युत् परियोजनाओं की क्या संख्या है और उनके क्या नाम हैं;

(ख) क्या पम्पा और इडुकी—दोनों परियोजनायें शामिल कर ली गई हैं;

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) ऐसी कौन सी परियोजनायें हैं जिन्हें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था परन्तु पूरा नहीं किया गया; और

(ङ) केरल में विद्युत् की कमी को पूरा करने के क्या कोई पग उठाये गये हैं और उनका क्या ब्यौरा है ?

†**सिचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) केरल की तृतीय पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिये दो नयी विद्युत् उत्पादन परियोजनाओं अर्थात् इड्किी और कुट्टियादी पर विचार किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) पम्पा परियोजना एक जारी योजना है और इड्डिकी परियोजना को जो एक नयी योजना है तीसरी योजना में शामिल करने के लिये विचार किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) ये निम्नलिखित हैं :

१. पन्नियार परियोजना ।
२. शोलायार परियोजना ।
३. पम्पा परियोजना ।

(ङ) भाग (क) और (घ) में उल्लिखित परियोजनाओं के पूरा होने पर उनकी राज्य की बिजली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त उत्पादन क्षमता होगी ।

दिल्ली-श्रीगंगानगर टेलीफोन लाइन

३१९९. श्री प० ला० बारूपाल : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और श्रीगंगानगर के बीच टेलीफोन लाइन महीने में पंद्रह दिन खराब रहती है; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं और स्थिति को सुधारने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) इस सर्किट पर बार बार खराबियां होती रही हैं जो सामान्यतः थोड़े समय के लिये होती थीं । वैसे इस सर्किट पर काम की कुशलता लगभग ७०–७५ प्रतिशत रही है ।

(ख) ये खराबियां नई दिल्ली-भटिण्डा खण्ड में लाइन पर खराबियां तथा श्रीगंगानगर में बार-बार बिजली की सप्लाई में गड़बड़ी होने के कारण हुई थीं । नई दिल्ली-भटिण्डा खण्ड में सहायक लाइनें लगाई जा रही हैं और शीघ्र ही खराबियां होने पर वे प्रयोग के लिए उपलब्ध हो सकेंगी । बिजली की सप्लाई में गड़बड़ी होने के समय प्रयोग में लाने के लिए श्रीगंगानगर में सहायक विद्युत्-संयंत्र लगाने की कार्रवाई भी की जा रही है ।

गहमर स्टेशन पर गाड़ी के नीचे आने वाला पत्रकार

३२००. श्री वाजपेयी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १८ मार्च १९६१ को ३९९ अप पटना-मोगलसराय पेसेंजर गाड़ी से गहमर स्टेशन के अप प्लेटफार्म पर श्री मंगलचरण उपाध्याय नामक एक पत्रकार कट कर मर गये;

(ख) क्या यह सच है कि उनकी लाश को कई घण्टे तक नहीं उठाया गया जबकि इस बीच कई गाड़ियां उधर से गुजर गईं;

(ग) क्या यह सच है कि उस दिन गहमर प्लेटफार्म पर और गाड़ी में रोशनी नहीं थी;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है;

(ङ) क्या मृत व्यक्ति के परिवार को कोई क्षतिपूर्ति दी गई है; और

(च) भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क), (ख) और (घ). पुलिस अधिकारी इस सम्बन्ध में जांच कर रहे हैं । उनकी रिपोर्ट अभी नहीं मिली है ।

(ग) जी नहीं ।

(ङ) इस सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति के लिए कोई अर्ज़ी नहीं मिली है ।

(च) आवश्यक कार्रवाई पुलिस की रिपोर्ट मिलने पर की जायेगी ।

दक्षिण रेलवे पर स्टेशनों का विद्युतीकरण

†३२०१. **श्री इलयापेरूमाल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५९–६० में दक्षिण रेलवे पर कितने स्टेशनों पर बिजली लगायी गयी; और

(ख) स्टेशनो के क्या नाम हैं और प्रत्येक स्टेशन पर इस कार्य के लिये कितना धन व्यय किया गया ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३०]**

दक्षिण रेलवे पर रेलवे सुरक्षा बल

†३२०२. **श्री इलयापेरूमाल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ मार्च १९६१ को दक्षिण रेलवे पर प्रत्येक डिवीज़न में पृथक्-पृथक् रेलवे सुरक्षा बल के कुल कितने व्यक्ति थे;

(ख) वर्ष १९५९–६० में प्रत्येक डिवीज़न में उपरोक्त सुरक्षा बल के संधारण पर कुल कितना धन व्यय किया गया; और

(ग) प्रत्येक डिवीजन में उनमें से कितने व्यक्ति अनुसूचित जातियों के हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी रेलवे प्रशासन से मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जावगी ।

दक्षिण रेलवे के स्टेशनों पर प्रतीक्षालय

†३२०३. **श्री इलयापेरूमाल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे के मीटर गेज सेक्शन पर वर्ष १९६०–६१ के दौरान जिन स्टेशनों पर प्रतीक्षालय और प्रतीक्षा कक्ष बनाये गये हैं अथवा उनका विस्तार किया गया है, उनके क्या नाम हैं ; और

(ख) उन स्टेशनों के नाम क्या हैं जिन पर वर्ष १९६१-६२ में प्रतीक्षालय और प्रतीक्षा कक्ष बनाये जायेंगे अथवा उनका विस्तार किया जायेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) पुदुचत्रम, इलंगापुरिच्चि, बोम्म समुद्रम्, कलिकिरी, कुत्तुकुडी, वडलूर, वलाजाबाद, शंकर नायनारकोयल, तिरुवरम्बूर, निडा मंगल और बदामि स्टेशनों पर प्रतीक्षालयों का विस्तार कर दिया गया है जब कि वालाजारोड, गोकाक-रोड, कुडची, किर्लोस्करवाडी, धारवाड़, वर्कला, नागूर, तिल्लेविलगम्, तिरुतुरेपूण्डी, असकलत्तूर, पद्दुकोटै, मायवरम् टाउन, अम्मापेट, अंदणप्पेटे, वेदारणयम् और घटप्रभा स्टेशनों पर कार्य प्रगति पर है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

बदामि, अम्बतुरै स्टेशनों पर उच्च श्रेणी के प्रतीक्षा कक्ष बना दिये गये हैं जब कि घटप्रभा नूनगम्बक्कम, जैनिगपुर, और मार्कापुर रोड स्टेशनों पर कार्य प्रगति पर है ।

काझकुट्टम स्टेशन पर तृतीय श्रेणी का एक अतिरिक्त प्रतीक्षालय बनाने का कार्य प्रगति पर है ।

(ख) अज्जम्पुरा और कोटारक्करा में प्रतीक्षालयों का विस्तार किया जायगा और कुंदगोल में एक प्रतीक्षा कक्ष बनाया जायगा । इन कार्यों का निष्पादन धन उपलब्ध होने पर किया जायेगा ।

इम्फाल से वायरलैस द्वारा तार भेजे जाना

†३२०४. श्री लं० अचौ सिंह : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इम्फाल से वायरलैस संदेशों के जरिये तार भेजने की व्यवस्था कर ली गयी है ;

(ख) वायरलैस स्टेशन के कार्य का समय क्या है और वहां कितने आपरेटर हैं ; और

(ग) प्रति दिन औसतन कितने संदेश भेजे जाते हैं ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) : (क) जी, हां ।

(ख) (१) काम के घंटे

(क) इम्फाल-शिलांग सर्किट—१०००—१३०० घंटे

(ख) इम्फाल-गोहाटी सर्किट—१५००—१७०० घंटे

(२) वायरलैस आपरेटरों की संख्या—एक

(ग) ८६.

कोट्टायम में रेलवे सम्पत्ति पर अनधिकृत कब्जा

†३२०५. श्री मणियंगाडन : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता लगा है कि क्विलोन-एर्णाकुल्लम् रेलवे लाइन के साथ कोट्टायम् में (नोगामपादम, कोट्टायम में रेलवे ऊपरी पुल के समीप) रेलवे भूमि पर कुछ व्यक्तियों ने अनधिकृत रूप से कब्जा किया हुआ है ;

(ख) क्या उनको हटाने के लिये कोई पग उठाये गये हैं ;

(ग) क्या इस प्रकार के कब्जे को आगे रोकने के लिये कोई पग उठाये गये हैं ;

(घ) क्या पड़ौसियों से ऐसी कोई शिकायतें मिली हैं कि अनधिकृत लोगों द्वारा रेलवे भूमि पर कब्जे से उनको कठिनाइयां हो रही हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां । बस्ती के एक निवासी ने रेलवे प्रशासन को लिखा है जिसमें उसने उस क्षेत्र में बाहरी व्यक्ति द्वारा रेलवे भूमि पर अनधिकृत कब्जे का आरोप लगाया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). इस म मले की जांच की जा रही है और यदि यह अतिक्रमण पाया गया तो उनको वहां से निकालने के लिये उचित कार्यवाही की जावेगी । रेलवे सम्पत्ति पर बिना आज्ञा प्रवेश को रोकने के लिये समय समय पर जांच के बारे में स्थायी आदेश मौजूद हैं और रेलवे से हाल ही में अधिक सतर्कता बरतने को कहा गया है ।

(घ) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट उसी निवासी ने रेलवे भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा करने वाले से उत्पन्न कठिनाइयों की शिकायत की है ।

(ङ) मामले की जांच की जा रही है ।

केरल में "पैकेज प्रोग्राम"

†३२०६. श्री मणियंगाडन : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में "पैकेज प्रोग्राम" लागू करने के लिये क्षेत्रों का चुनाव कर लिया गया है और यदि हां, तो वे चुने हुए क्षत्र कौन से हैं ;

(ख) यह कार्यक्रम कब आरम्भ किया जायगा ;

(ग) इन क्षेत्रों में से प्रत्येक पर कितना धन खर्च किया जायगा ; और

(घ) अब इन क्षेत्रों में खाद्यान्न का वार्षिक उत्पादन कितना होता है और कार्यक्रम के परिणाम-स्वरूप इसमें कितनी वृद्धि होने की आशा है ?

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख): (क) से (घ). केरल समेत बाकी आठ राज्यों में 'पैकेज प्रोग्राम' नामक 'गहन कृषि जिला कार्यक्रम' लागू करने का फैसला किया गया है । योजना का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

मन्माड स्टेशन पर जल-संभरण

†३२०७. श्री यादव नारायण जाधव : क्या रेलवे मंत्री १७ मार्च, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०२० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मन्माड में पिछले एक या दो महीनों से पानी की बहुत कमी है ;

(ख) मन्माड में रेलवे कर्मचारियों की कुल क्या संख्या है ;

(ग) उनमें से कितने व्यक्ति रेलवे क्वार्टरों में रहते हैं और कितने शहर में रहते हैं ;

(घ) मन्माड में संयुक्त जल-संभरण योजना को शीघ्र लागू करने के लिये सरकार ने क्या पग उठाये हैं ; और

(ङ) इसके कब तक पूरा होने की संभावना है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). ४५०० । जिनमें से ११२५ रेलवे क्वार्टरों में रहते हैं और ३३७५ शहर में रहते हैं ।

(घ) और (ङ). महाराष्ट्र राज्य सरकार ने हाल में ही यह निश्चय किया है कि मन्माड में प्रस्तावित जल-संभरण योजना को पूरे तौर पर नगरपालिका योजना समझा जाये और जैसा

---

†मूल अंग्रेजी में

कि मूलतः अपेक्षित था, मध्य रेलवे के साथ मिलकर संयुक्त योजना न समझा जाये। रेलवे से भी महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा योजना के पूरा किये जाने के बाद नगरपालिका से पानी खरीदने को कहा गया है। अब योजना की स्वीकृति और निष्पादन का कार्य राज्य सरकार पर है और इसलिये यह कहना संभव नहीं है कि यह कब तक पूरी हो जायेगी।

इगतपुरी-भुसावल सेक्शन पर विद्युतीकरण

†३२०८. **श्री यादव नारायण जाधव** : क्या रेलवे मंत्री १२ मार्च, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७९८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इगतपुरी–भुसावल रेलवे विद्युतीकरण योजना के पूरा होने के लिये कितना समय रखा गया है ;

(ख) क्या सरकार रेलवे और इगतपुरी नगरपालिका के बीच कोई संयुक्त जल संभरण योजना संबंधी कार्य करेगी ; और

(ग) इगतपुरी के रेलवे कर्मचारियों की क्या संख्या है और उनमें से कितने रेलवे क्वार्टरों में हैं और कितने शहरों में ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) वर्ष १९६४–६५।

(ख) जी, नहीं।

(ग) १५२०। जिनमें से ४५० रेलवे क्वार्टरों में रहते हैं और १०७० शहर में रहते हैं।

गाड़ियों का रुकना बन्द करना

३२०९. **श्री डामर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन ने यह निश्चय किया है कि दिल्ली तथा बम्बई के मध्य चलने वाली जनता एक्सप्रेस गाड़ी १ अप्रैल, १९६१ से रतलाम तथा दोहद के बीच पड़ने वाले स्टेशनों पर नहीं रुकेगी ;

(ख) यदि हां, तो रेलवे प्रशासन को इस प्रकार के निर्णय करने की आवश्यकता क्यों पड़ी ; और

(ग) क्या रेलवे प्रशासन ने इस प्रकार का निर्णय करके रेलवे के विरूद्ध असन्तोष पैदा नहीं कर दिया है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :(क) १–४–१९६१ से जो समय सारिणी लागू हुई है उसके अनुसार २३ डाउन/२४ अप बम्बई सेंट्रल-दिल्ली जनता एक्सप्रेस का, दोहद स्टेशन को छोड़कर, रतलाम-गोधरा सेक्शन के दूसरे स्टेशनों पर ठहराना बन्द कर दिया गया है।

(ख) और (ग). अक्तूबर, १९५६ में जब २३ डाउन/२४ अप बम्बई-सेंट्रल-दिल्ली जनता एक्सप्रेस गाड़ी जारी की गयी थी, तो उसके लिये इस लाइन पर गुंजाइश निकालने के उद्देश्य से बड़ोदा-रतलाम सेक्शन की एक स्थानीय गाड़ी को गोधरा-रतलाम सेक्शन पर चलाना बन्द कर दिया गया था। गोधरा-रतलाम सेक्शन के स्थानीय यातायात की जरूरतों को पूरा करने के लिये जनता एक्सप्रेस गाड़ी इस सेक्शन के सभी स्टेशनों पर ठहरायी जाती थी। अब गोधरा-रतलाम सेक्शन में दोहरी लाइन बिछाने का काम पूरा हो जाने से इस लाइन की क्षमता बढ़ गयी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

इसलिये १-४-१९६१ से २१ डाउन/२२ अप बड़ौदा-गोधरा सवारी गाड़ी को रतलाम तक बढ़ा दिया गया है। इसी तारीख से जनता एक्सप्रेस गाड़ी का, दोहद स्टेशन को छोड़कर, इस सेक्शन के दूसरे स्टेशनों पर ठहराना बन्द कर दिया गया है। ऐसा करने से इस गाड़ी की रफ्तार बढ़ गयी है और अब अप गाड़ी लगभग २ घंटे और डाउन गाड़ी १ घंटा ५५ मिनट पहले पहुंचने लगी है। बम्बई सेंट्रल स्टेशन से इस गाड़ी के छुटने और वहां पहुंचने का समय भी अधिक सुविधाजनक हो गया है। क्योंकि जनता एक्सप्रेस गाड़ी गोधरा-रतलाम सेक्शन पर नहीं ठहरती इसलिये उस सेक्शन पर एक दूसरी गाड़ी की व्यवस्था कर दी गयी है और इस तरह उस सेक्शन के स्थानीय यातायात के लिये कोई असुविधा नहीं है।

सहकारी समितियों के लिये ऋण

†३२१०. **श्री रामी रेड्डी :** क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में वे किसान, जिनके पास एक विशेष सीमा से अधिक भूमि है, तकावी ऋण अथवा सहकारी समितियों से ऋण लेने के अधिकारी नहीं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के क्या नाम हैं और ऐसा प्रतिबन्ध लगाने के क्या कारण हैं ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :** (क) और (ख). राज्य सरकार द्वारा सेवा सहकारी समितियों के लिये बनाये गये उप-नियमों में उन किसानों को ऋण देने पर रोक नहीं है जिनके पास एक सीमा से अधिक भूमि है। इन उप-नियमों के अधीन ऋण की सीमा उत्पादन कार्यक्रम और सदस्यों द्वारा धारित अंश पूंजी पर आधारित है।

तकावी ऋण के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और जल्दी ही सभा पटल पर रख दी जावेगी।

मध्य प्रदेश के दन्त चिकित्सा कालेज

†३२११. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में एक दन्त चिकित्सा कालिज स्थापित करने की प्रस्थापना है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्थापना का क्या ब्योरा है ; और

(ग) क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान अन्य राज्यों में ऐसे कालिज स्थापित करने की कोई अन्य प्रस्थापना है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर):** (क). और (ख). तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश में एक दन्त चिकित्सा कालिज खोलने का प्रस्ताव किया है। अभी योजना आयोग को तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये राज्य सरकार से अन्तिम प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये हैं। मध्य प्रदेश में दन्त चिकित्सा कालिज की स्थापना के बारे में वास्तविक स्थिति का मध्य प्रदेश सरकार से योजना आयोग को अन्तिम प्रस्तावों के प्राप्त होने पर ही पता चलेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) गुजरात, महाराष्ट्र और बिहार की सरकारें भी तृतीय पंचवर्षीय योजना-काल में दन्त चिकित्सा कालिज स्थापित करना चाहती हैं। वास्तविक स्थिति का योजना आयोग को राज्य सरकारों से अन्तिम राज्य योजनायें प्राप्त होने पर ही पता चलेगा।

"नल्लाचेरुवु ईस्ट" हाल्ट स्टेशन

†३२१२. श्री राम कृष्ण रेड्डी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के पकाला–धर्मवरम् सेक्शन पर 'नल्लाचेरुवु ईस्ट' हाल्ट रेलवे स्टेशन को, वहां से मूंगफली के अधिक निर्यात को देखते हुये और ४ फरवरी, १९६१ को इस 'हाल्ट' स्टेशन के खुलने के बाद से यहां पर एक हजार रुपये से अधिक का मासिक यात्री किराया एकत्र होने को ध्यान में रख कर, एक क्रासिंग स्टेशन में परिवर्तित किया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस 'हाल्ट' स्टेशन को क्रासिंग स्टेशन किस तिथि से बनाया जायेगा ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां): (क) और (ख). मामले की जांच हो रही है।

उत्तर प्रदेश में सहकारी समितियां

†३२१३. श्री बै० ना० कुरील : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के एक दल ने उत्तर प्रदेश के जिलों में सहकारी समितियों के कार्य का अध्ययन करने के लिये उत्तर प्रदेश राज्य का दौरा किया है ;

(ख) यदि हां तो क्या उन्होंने कोई प्रतिवेदन दिया है ; और

(ग) सहकारी कार्य में उन्होंने किस जिले को सर्वोत्तम समझा है ?

†सामुदायिक विकास और सहकार उपमंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) जी, अभी नहीं ।

(ग) इस दौरे का उद्देश्य सामान्य रूप से सहकारी आंदोलन की प्रगति का अध्ययन करना था। अध्ययन के दौरान इस दल ने कुल जिलों में कुछ संस्थाओं का दौरा किया। इस दल ने सभी जिलों का दौरा नहीं किया और न ही इसने विभिन्न जिलों में आंदोलन का तुलनात्मक अध्ययन किया।

गन्ने का न्यूनतम मूल्य

†३२१४. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश और बिहार में गन्ने के न्यूनतम मूल्यों में वृद्धि करने के लिये गन्ना उत्पादकों की मांग पर निर्णय कर लिया है और यदि हां तो क्या निर्णय किया है ; और

(ख) उत्पादकों ने अपनी मांग के समर्थन में क्या कारण बताये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा): (क) जी हां। यह फैसला किया गया है कि इस समय कारखाने के द्वार पर गन्ने डिलीवरी के १.६२ रुपये के न्यूनतम मूल्य को जारी रखा जाये।

(ख) प्रमुख कारण यह बताया गया है कि गन्ने की उत्पादन-लागत में वृद्धि हो गयी है।

रेलवे की आय

३२१५. श्री अनिरुद्ध सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ मार्च १९६१ को समाप्त होने वाले विगत तीन महीनों में रेलवे को मुसाफिर भाड़े अन्य सवारी भाड़े तथा माल भाड़े से कितनी आय हुई है ; और

(ख) गत वर्ष की इसी अवधि में इन मदों से कितनी आय हुई थी ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) .

(लाख रुपयों में)

	यात्री कराया	अन्य यात्री प्रभार	माल भाड़ा
		(आ)	(इ)
(क) जनवरी और फरवरी १९६१ (अ)	२१,८६	४६३	४६,२६
(ख) जनवरी और फरवरी, १९६० . .	२१,२८	४२१	४६,३०

(अ) अभी मार्च १९६१ का लेखा बन्द नहीं हुआ है इसलिये मार्च १९६१ की आमदनी के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। जैसा कि हमेशा होता है इन आंकड़ों में कुछ मदों की रकमों का वार्षिक समजंन भी शामिल किया जायेगा।

(आ) ये पार्सल आदि से होने वाली आमदनी के आंकड़े हैं जिनमें यात्री यातायात की आमदनी शामिल नहीं है।

(इ) ये माल यातायात से होने वाली आमदनी के आंकड़े हैं।

चीनी की खपत

३२१६. श्री अनिरुद्ध सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में चीनी के उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ इसकी खपत में कमी हो रही है ;

(ख) देश में चालू सत्र के प्रारम्भ में चीनी कारखानों के पास चीनी का कितने टन स्टाक था ;

(ग) ३१ मार्च १९६१ को कारखानों के पास चीनी का कितना स्टाक था तथा इसी अवधि तक गत वर्ष कितना स्टाक था;

(घ) दिसम्बर १९६० से ३१ मार्च १९६१ तक कितने टन चीनी का निर्यात हुआ; और

(ङ) इस सत्र के अन्त तक चीनी का कितना स्टाक कारखानों के पास रह जाने की संभावना है?

†मूल अंग्रेजी में

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) स्थिति इस प्रकार रही है :—

चीनी वर्ष (नवम्बर–अक्तूबर)	उत्पादन (लाख टन में)	उपभोग (लाख टन में)
१९५५–५६	१८.६२	१९.४१
१९५६–५७	२०.२९	१९.८६
१९५७–५८	१९.७८	२०.४२
१९५८–५९ . .	१९.१९	२०.८०
१९५९–६०	२४.२२	२०.२१

(ख) पहली नवम्बर १९६० को ५.४२ लाख टन ।

(ग) ३१ मार्च १९६१ . . १९.५७ लाख टन
३१ मार्च १९६० . . १४.१८ लाख टन

(घ) ५४,१४२ टन ।

(ङ) मई के अन्त तक जब तक कि अधिकांश कारखानों में पिराई बन्द हो जायेगी स्टाक २० लाख टन के लगभग होने की आशा है ।

मद्रास राज्य के डाक तथा तार कर्मचारी

†३२१७. श्री इलयापेरुमाल : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य में डाक तथा तार विभाग के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की कुल क्या संख्या है ;

(ख) मद्रास राज्य में डाक तथा तार विभाग के उन कर्मचारियों की क्या संख्या है जिन्हें ३१ जुलाई, १९६० तक मुअत्तिल किया गया है ; और

(ग) ३१ जुलाई, १९६० तक बर्खास्त किये गये कर्मचारियों की क्या संख्या है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) : (क) से (ग). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है ।

विवरण

मद्रास राज्य में तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के डाक तथा तार कर्मचारियों की कुल संख्या क्रमश: १५९३१ और ४२८४ हैं । १–१–६० से ३१–७–६० तक की अवधि में ८६४ तृतीय श्रेणी के पदाधिकारी और १६३ चतुर्थ श्रेणी के पदाधिकारी मुअत्तिल किये गये । इन आंकड़ों में तृतीय श्रेणी के वे ८३७ और चतुर्थ श्रेणी के वे १५७ पदाधिकारी शामिल हैं जिन्हें केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में मुअत्तिल किया गया था । ३१–७–६० तक तृतीय श्रेणी के ६१ कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया जिनमें से ५५ को बाद में बहाल कर दिया गया । उसी सम्बन्ध में चतुर्थ श्रेणी के ७ पदाधिकारियों को बर्खास्त किया गया था परन्तु उन सब को बाद में बहाल कर दिया गया ।

———

†मूल अंग्रेजी में

अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

एस० एस० दारा   आग

श्री राधा रमण (चांदनी चौक) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर परिवहन तथा संचार मंत्रालय का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें।

"बी० आई० एस० एन० कम्पनी के एस० एस० दारा जहाज में आग लग जाने के कारण कई भारतीय यात्रियों और जहाज के कर्मचारियों की तथाकथित मृत्यु"।

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : १० अप्रैल, को फारस की खाड़ी में एम० वी० दारा के डूब जाने का दुखद समाचार देते हुए मुझे अत्यधिक दुख होता है। जहाज में ८ अप्रैल, को आग लगी और वह अन्त में १० अप्रैल, को जब कि उसे खींचा जा रहा था वह डूब गया। आग लगने का कारण अज्ञात है।

वाणिज्यिक पोत विभाग, बम्बई के मुख्याधिकारी को इस दुर्घटना का समाचार ८ अप्रैल, शनीवार को मध्यान्ह में मिला। बम्बई रेडियो से तत्काल उसके निकटवर्ती जहाजों को दारा के यात्रियों की प्राण रक्षा के लिये संदेश भेज गये। समाचार पत्रों के अनुसार कोई लाइफ बोट जलते हुए जहाज से नहीं निकाली जा सकी। तथापि चार जहाज उसके यात्रियों को बचाने के लिये उसके निकट आ गय।

यह एक ब्रिटिश जहाज था जो कि ब्रिटन में रजिस्टर्ड हुआ था। उसे भारत से नियमित रूप से सुरक्षा, सर्वेक्षण तथा यात्री प्रमाण पत्र जारी होते रहे। यह ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी लिमिटेड का एक यात्री तथा मालवाही जहाज था और बम्बई तथा बसरा के बीच कुवैत, बहरीन तथा दबई के बीच चलता था। इस जहाज की यात्री क्षमता खराब मौसम में ८१५ और अच्छे मौसम में ९४० थी। इसका निर्माण १९४८ में हुआ था तथा इसका विशुद्ध टनभार ५०३० था।

इस जहाज के भारतीय एजेंट जहाज में यात्रियों की सही संख्या बताने में समर्थ नहीं हैं क्योंकि दुर्घटना के समय उसमें मजदूर और दर्शनार्थी भी मौजूद थे। तथापि जहाज के कर्मचारियों की संख्या १३२ थी जिनमें से ७१ भारतीय थे। उनमें से १०२ व्यक्ति बचा लिय गये हैं अब—वक्तव्य को देते समय तक बचाये गये व्यक्तियों की संख्या १०८ हो गयी है। ६ और बचाये गये व्यक्तियों में से भारतीयों की संख्या मालम नहीं हो सकी है। ३० खोये गय कर्मचारियों में से १८ भारतीय हैं। उनके निकट सम्बन्धियों को इसकी जानकारी दे दी गई है।

जहाज के बम्बई स्थित एजेंटों से यह ज्ञात हुआ है कि ५२ बचाये गये यात्री और कर्मचारी आज एक विशेष अधीकृत जहाज से बम्बई आ रहे हैं। वह जहाज कुछ अन्य यात्रियों और कर्मचारियों को बम्बई लायगा। एक अन्य जहाज एम० वी० अरोंदा बचाये गये कर्मचारियों को १८ तरीख तक बम्बई पहुंचायेगा। कम्पनी के एजेंटों ने बचाये गये यात्रियों की व्यवस्था करने तथा उन्हें आवश्यक सुविधायें दने की व्यवस्था कर ली है। कम्पनी ने यह भी व्यवस्था कर ली है कि बचाये गये यात्रियों को दुहरे टिकट जारी किये जायें जिससे कि

†मूल अंग्रेजी में

वे बम्बई के परिवहन अधिकारी उन्हें बम्बई में उतरने देवें। बन्दरगाह के स्वास्थ्य अधिकारी उनके लिये स्वास्थ्य प्रमाणपत्रों के सम्बन्ध में ढील देने को तैयार हो गये हैं। जहाज के कर्मचारियों को नाविक होस्टल में रखा जायेगा। जहाज के यात्रियों को उस स्थान पर रखा जायेगा जो हज के यात्रियों के लिये सुरक्षित है।

जहाज के भारतीय एजेंटों से यह ज्ञात हुआ है कि कर्मचारियों को श्रमिक प्रतिकर अधिनियम के अधीन प्रतिकर दिया जायेगा, तथा वाणिज्यिक नौवहन अधिनियम के अधीन व्यक्तिगत सामान के नुकसान के लिये तीन महीनों का वेतन दिया जायेगा। कम्पनी लापता नाविकों के आश्रितों को अतिरिक्त उपहार देने के लिये भी विचार कर रही है।

इस जहाज पर भारतीय वाणिज्यिक नौवहन अधिनियम की धारा ३५८ लागू नहीं होती है इसलिये हमारा वाणिज्यिक नौवहन विभाग इस दुर्घटना की जांच के लिये सक्षम नहीं है। इसके लिये आवश्यक जांच ब्रिटेन की सरकार द्वारा करवायी जायेगी। यह ज्ञात हुआ है कि ब्रिटेन के परिवहन मंत्रालय का एक ज्येष्ठ सर्वेक्षक इस दुर्घटना की प्रारम्भिक जांच के लिये बम्बई आ रहा है। प्रारम्भिक जांच के आधार पर इस घटना की औपचारिक जांच की जा सकती है।

फोन से अग्रेतर यह भी ज्ञात हुआ है कि ब्रिटेन के परिवहन मंत्रालय ने एक औपचारिक जांच का आदेश दे दिया है और वे एक ज्येष्ठ इंजीनियर और सर्वेक्षक को बहेरिन भेज चुके हैं। अब ज्ञात हुआ है कि जहाज में कुल यात्रियों की संख्या इस प्रकार थी: व्यापारी, खोमचे वाले, एजेंट ५६० कर्मचारी इत्यादि ६०, जहाज के कर्मचारी १३२। बचाये गये व्यक्तियों की संख्या ५५५ उनमें से १०८ जहाज के कर्मचारी हैं। अभी तक १९७ व्यक्ति लापता हैं।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अधीन अधिसूचना

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत दिनांक १ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४६४ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय के रखी गई। देखिये संख्या एल० टी-२८२६/६१]

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति

बयासीवां प्रतिवेदन

†सरदार हुक्म सिंह (भटिंडा) : मैं गैर सरकार सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की बयासीवां प्रतिवदन उपस्थापित करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्राक्कलन समिति

एक सौ सताइसवां और एक सौ इकतीसवां प्रतिवेदन

†श्री दासप्पा (बंगलौर) : मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं :

(१) खाद्य तथा कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग)--(क) चीनी तथा वनस्पति निदेशालय और (ख) राष्ट्रीय चीनी संस्था, कानपुर—के बारे में एक-सौ-सत्ताईसवां प्रतिवेदन ।

(२) खाद्य तथा कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग)—केन्द्रीय यंत्रीकृत फार्म, सूरतगढ़ के बारे में एक-सौ- इकतीसवां प्रतिवेदन ।

अनुदानों की मांगें--जारी

प्रतिरक्षा मंत्रालय--जारी

†अध्यक्ष महोदय : सभा अब प्रतिरक्षा मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा और मतदान आरम्भ करती है । श्री दी० चं० शर्मा अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

†श्री दी० च० शर्मा (गुरदासपुर) : स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात् से ही हमारी सेनाओं को सदैव आपातकालीन स्थिति में काम करते रहना पड़ा है। सर्वप्रथम काश्मीर, उसके पश्चात् नेफा और अब सीमान्त क्षेत्र में हमारी सेनाओं को जन तथा सम्पत्ति की सुरक्षा का काम करना पड़ा है । अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी जहां कही आवश्यकता हुई है वहां हमारी सेनाओं ने प्रसंशनीय कार्य किया है ।

हमारा वित्त मंत्रालय हमारी सेना की वह स्थिति बनाने में सफल हुआ जो कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के लिये होनी चाहिये । हमारे प्रतिरक्षा के आयुध कारखानों का उत्पादन बढ़ गया है । इन कारखानों ने बहुत अच्छा कार्य किया है । जब हमारी देश की सेनाएं देश को स्वतन्त्रता के लिये लड़ रही हैं वहां इन कारखानों ने अस्त्र-शस्त्र बनाने आदि में और देश की प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं के मामले में आत्मनिर्भरता की भावना उत्पन्न की है । अतः इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकत कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से प्रतिरक्षा मंत्रालय ने अच्छा कार्य नहीं किया हैं ।

दुर्भाग्य की बात हे कि हमारे पड़ौसी देशों में कुछ गड़बड़ शुरू हो गई है। पाकिस्तान से भी हमारे आपसी सम्बन्ध अच्छ नहीं हैं । हमारे तथा उसके बीच में काफी तनाव है । चीन तथा हमारे देश के बीच भी काफी तनाव है । इसमें कोई शक की बात नहीं है कि चीन ने हमारे देश के १२,००० वर्गमील क्षेत्र पर अवैध रूप से अधिकार जमा लिया है । किन्तु यह कहना कि हमारी सेनाएं कुछ नहीं कर रही हैं गलत है । हम अच्छी तरह जानते हैं कि चीन एक शक्तिशाली देश है । हम भी अवसर की ताक में हैं जब कि अपने देश के इस भाग को उनसे वापस ले लें । लेकिन यह कार्य केवल भाषणों से नहीं

---

†मूल अंग्रेजी में

होगा बल्कि सम्पूर्ण देश की शक्ति एवं इच्छा के आधार पर ही हो सकेगा । हमारी प्रतिरक्षा सेवाओं ने जहां कहीं भी काम किया है वहां उन्होंने एकता का परिचय दिया है । जो भी व्यक्ति एकता की भावना को नष्ट करने का प्रयत्न करता है वह देश को कोई लाभ नहीं पहुंचाता है ।

जहां तक कि एक व्यक्ति अथवा कुछ व्यक्तियों की पदोन्नति को रोक देने की बात है और उससे जो असंतोष कुछ व्यक्तियों में फैला है उसका यह अभिप्राय नहीं है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय ठीक से काम नहीं कर रहा है । प्रतिरक्षा जैसे बड़े मंत्रालय में जिसे बहुत से काम करने पड़ते हैं ऐसा हो जाना स्वाभाविक है । यह लोकतन्त्रीय युग है जहां प्रत्येक काम समितियों द्वारा किया जाता है न कि किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अतः समिति जो भी कार्य करती है वह काफी सोच विचार के बाद ही करती है । सेना में अथवा कहीं भी नैतिकता बहुत सी बातों पर निर्भर करती है । हमारे साथ पड़ौसी देश जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं जैसे करमसिंह को चीन ने परेशान किया, कर्नल भट्टाचार जी को पाकिस्तानी पकड़ कर ले गये या हमारे वायुयानों को मार कर गिरा दिया गया, वास्तव में ये बुरी बाते हैं और आशा है कि हमारा मंत्रालय इनको दूर करने का प्रयत्न करेगा ।

मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि पंजाब, आसाम तथा अन्य राज्यों के सीमावर्ती जिलों में छावनियां स्थापित की जानी चाहियें । गुरुदासपुर में भी एक छावनी बनायी जानी चाहिये । सीमावर्ती राज्यों के प्रत्येक जिले में एक एक सैनिक स्कूल खोला जाना चाहिये । इससे कम से कम जनता को इस बात का पता चल जायेगा कि हम अपनी प्रतिरक्षा की सुरक्षा के लिये क्या क्या तैयारी कर रहे हैं । हमारे यहां पदाधिकारियों की भी कमी है । उसकी पूर्ति भी होनी चाहिये । मेरा निवेदन है कि इंडियन मिलीटरी एकेडमी की क्षमता का विस्तार किया जाये ताकि वह अधिक पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करके उनकी व्यवस्था कर सके । एन० सी० सी० तथा राष्ट्रीय अनुशासन योजना को हर तरह से बढ़ावा दिया जाये । पहाड़ी क्षेत्रों में पर्वतारोहण संस्थाओं की स्थापना की जाये । अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि हमारा प्रतिरक्षा मंत्रालय हमारी देश की सुरक्षा के लिये भरसक प्रयत्न करे ।

†**श्री मी० रू० मसानी** : कल प्रतिरक्षा मंत्री ने वाद-विवाद में भाग लेते हुए यह बताने के लिये कुछ उदाहरण दिये थे कि कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों को छोड़ कर जनरल थिमैया को चीफ आफ दी जनरल स्टाफ कैसे बनाया गया था । बाद में सभा के सदस्य आचार्य कृपालानी ने अपनी बात को सिद्ध करने के लिये कुछ उदाहरण देना चाहा तो सभापति महोदय ने उन्हें इस प्रकार का उल्लेख न करने के लिये कहा । लोकहित में आवश्यक होने पर माननीय सदस्यों को अधिकारियों के मामलों का उल्लेख करने का पूर्ण अधिकार है । हमारे पास इस विषय पर ब्रिटेन के हाउस आफ कामन्स का एक पूर्वोदाहरण है । इस प्रकार के मामलों में लोकहित के अधिकारियों का उल्लेख करने से सदस्यों को रोका नहीं जा सकता । सभा चाहती है कि आप इसके बारे में अपना विनिर्णय दें ।

†**सरदार हुकम सिंह** (भटिंडा) : जहां तक कि इस सभा की सार्वभौमता एवं सर्वोच्चता का प्रश्न है—मुझे इसमें कोई शक नहीं है । मैं ने तो केवल यही परामर्श

†मूल अंग्रेजी में

दिया था कि यदि हम व्यक्तिगत मामले लेकर उनकी जांच करने लगेंगे तो यह सभा एक प्रकार से अदालत बन जायगी। अतः व्यक्तिगत नाम यहां नहीं लिये जाने चाहिये और नामों का उल्लेख यहां नहीं करना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरा सुझाव तो यह है कि जब किसी भी व्यक्ति ने अध्यक्ष पद से जब कोई निर्णय दे दिया हो तो फिर से उस प्रश्न को नहीं उठाना चाहिये।

नियुक्ति और पदोन्नति का प्रश्न पूर्ण रूप से प्रशासनिक विषय है। यदि हम ऐसी बातों पर चर्चा होने दें तो किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में या उसके विरोध में निरंतर प्रचार होता रहेगा। और हमारी सेना के अनुशासन पर उसका प्रभाव पड़ सकता है। इस सम्बन्ध में प्रतिरक्षा मंत्री भी बता चुके हैं कि किसी निश्चित सीमा के बाद वरिष्ठता ही ध्यान में रखी जाती है। यदि इस प्रकार की आलोचना की अनुमति दी गई तो सेना में अनुशासन का मामला बराबर बिगड़ता जायगा। अतः मेरा विचार है कि संसद को इन व्यक्तिगत मामलों की चर्चा करने का अधिकार नहीं है। प्रतिरक्षा मंत्री महोदय ने स्वयं इस बारे में बताया है कि जनरल तिमैया के साथ तीन और व्यक्तियों का नाम लिया गया था। अतः यह मामला किसी व्यक्ति के अधिकारों के हनन का नहीं है बल्कि उसकी नियुक्ति का है। और माननीय मंत्री महोदय यह बता चुके हैं कि इस मामले में किसी व्यक्ति विशेष की वरिष्ठता पर भी विचार किया गया था। अगर कोई सदस्य यह प्रश्न उठाये कि जनरल तिमैया की नियुक्ति के समय अमुक व्यक्ति की वरिष्ठता का हनन किया गया है तो मैं उस प्रश्न को पूछने की अनुमति यहां नहीं देता लेकिन माननीय मंत्री ने स्वयं इसका उल्लेख करते हुए यह बताने का प्रयत्न किया है कि किसी की पदोन्नति करते समय केवल वरिष्ठता को ही ध्यान में नहीं रखा जाता बल्कि अन्य बातों को भी ध्यान में रखा जाता है। जहां तक श्री मसानी के प्रश्न की बात है उस सम्बन्ध में मैं यही कह सकता हूं कि यह मामला तो नियुक्ति का है यह मामला तो प्रशासन का है।

†**आचार्य कृपालानी** (सीतामढ़ी) : इससे पहले कि आप अपना निर्णय दें मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मान लीजिये कि प्रतिरक्षा मंत्री अपनी इच्छानुसार ही व्यक्तियों की पदोन्नति करते रहें तो फिर एक प्रकार से हमारे यहां तानाशाही ही पैदा हो जायगी।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू)** : मान लीजिये कि माननीय मंत्री महोदय ऐसा करते हैं तो माननीय सदस्य उनके विरुद्ध अथवा सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। यहां चुनौती देना ठीक नहीं है।

†**आचार्य कृपालानी** : जब तक आपका बहुमत है तब तक आप जो चाहें वह कर सकते हैं। प्रतिरक्षा मंत्री इस प्रकार हेरफर नहीं कर सकते। इस का अभिप्राय तो यह है कि वह डिक्टेटर है।

†**श्री रंगा** (तेनाली) : बहुमत वालों को अल्पमत वालों की भी बात सुननी चाहिये और उन्हें सम्मान देना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रकार की बातों से तो वातावरण और भी खराब हो रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने तो यही कहा था कि यह एक ऐसा मामला है जिसके बारे में वे विचार करेंगे। लोकतंत्रीय सरकार में बहुमत वाला दल ही राज्य करता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

दरअसल बात यह है कि हम सब व्यक्तिगत रूप से तथा सामूहिक रूप से यह चाहते हैं कि हमारी सेना के अनुशासन को किसी प्रकार का धक्का न लगे। व्यक्ति विशेष की नियुक्ति की इस प्रकार की आलोचना नहीं की जानी चाहिये। नियुक्तियां प्रतिरक्षा मंत्री द्वारा की जाती होती हैं। यदि किसी को मंत्री महोदय द्वारा दी गई किसी नियुक्ति के बारे में शिकायत हो तो वह सभा के सदस्यों की सहायता से प्रतिरक्षा मंत्री को हटा सकता है। व्यक्ति विशेष से सम्बन्ध रखने वाले उदाहरणों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिये। ऐसी स्थिति में सामान्य विवरण ही दिया जा सकता है।

माननीय सदस्य आलोचना तो कर सकते हैं लेकिन उसका ढंग ऐसा नहीं होना चाहिये जैसा कि इस समय दिखाया जा रहा है। अतः मेरा निवेदन है कि व्यक्तिगत मामले यहां नहीं उठाये जाने चाहिये। जिस प्रकार प्रतिरक्षा मंत्री ने अपनी बात सिद्ध करने के लिये उदाहरण दिये थे उसी प्रकार विरोधी सदस्य सामान्य रूप से उनकी चर्चा कर सकते हैं।

एक नियम प्रक्रिया नियम के अनुसार यह है कि जब किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगाये जायें तो उसकी सूचना मंत्री को दी जानी चाहिये। और जब यह मामला सभा में आता है तो अध्यक्ष को इस बात की छूट है कि वह उसकी अनुमति दे या नहीं। लेकिन आमतौर से उसकी अनुमति दे दी जाती है। लेकिन यह मामला पहले मामले की अपेक्षा कुछ भिन्न है। यह मामला तो केवल नियुक्ति का है। और नियुक्ति का मामला प्रतिरक्षा मंत्री के हाथ की बात है। अतः व्यक्तिगत नामों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिये। अतः मेरा निर्णय है कि आगे से व्यक्तिगत नामों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिये।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मेरा विचार है कि आचार्य कृपालानी जो कुछ निर्णय करते हैं वह आमतौर से गलत होता है। लेकिन निर्णय गलत होना एक बात है और तथ्यों का गलत होना दूसरी बात है। उन्होंने तथा कुछ अन्य वक्ताओं ने गलत तथ्यों के आधार पर वक्तव्य दिये हैं जो कि नहीं दिये जाने चाहिये थे। आपने जो निर्णय दिया है कि यहां सभा के व्यक्तिगत नामों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिये मैं इस निर्णय का आदर करता हूं। सैनिक तथा असैनिक पदाधिकारियों के नामो का उल्लेख करना ठीक नहीं है। यदि कोई गम्भीर बात हो भी जाती है तो उसे व्यक्त करने के विभिन्न ढंग हैं। आचार्य कृपालानी तथा श्री गोरे ने जिन नामों का उल्लेख किया है वे बिल्कुल गलत हैं। अच्छा होता कि यदि आचार्य मुझ से तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर लेते और ऐसा करना उनके लिये आसान भी था। मैं उनको तथ्य बता भी देता। अगर उन्हें प्रतिरक्षा मंत्री के बारे में कुछ कहना ही था तो मुझ से तथ्य तो मांग लेते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। प्रायः उन्होंने अपने प्रत्येक न्यूनाधिक रूप से ऐसी ही बातों का उल्लेख किया है। अच्छा तो यही होता कि लिखित अथवा वैसे ही अथवा मौखिक रूप में मुझ से पूछ लिया जाता। उन्होंने सभा में ऐसा क्यों किया।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हम एक ही चीज या एक ही घटना से दो अलग अलग निष्कर्ष निकाल सकते हैं। लेकिन यहां उसका तो कोई सवाल ही नहीं। यहां जो एक

---

†मूल अंग्रेजी में

दूसरे आचार्य हैं वह अब हर चीज के बारे में पहले से भिन्न ढंग से बात करने लगे हैं ।

†**श्री रंगा** : इसीलिये मैं ने उन के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास किया है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं उसका उत्तर नहीं देना चाहता कोई बात या तो मुझ में गलत है या आचार्य में गलत है ।

†**आचार्य कृपालानी** : सभा में बहुमत रखते हुए इस तरह खिल्ली उड़ाना आसान है । यह तो बहस करने का तरीका नहीं है । सभा के नेता को यह शोभा नहीं देता ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : बिलकुल नहीं । बहस करने का यह तरीका बिलकुल नहीं है । मैं माननीय सदस्य की तरह गुस्से में नहीं बोलना चाहता ।

मैं यही कह रहा हूं कि यहां जो आरोप लगाये गये हैं उनका आधार बिलकुल ही गलत तथ्यों को बनाया गया है । यदि कोई निष्कर्ष निकाले भी गये हैं तो गलतफहमी की बिना पर । मुझे यही बताया गया है । लेकिन अभी भी अगर विरोधी दल के माननीय सदस्य निजी तौर पर आकर मुझे अपनी सूचना के बारे में बतायें कि वह कहां से उनको मिली है तो मैं उनकी सही स्थिति बता सकता हूं ।

आचार्य जी ने एक जांच समिति बनाने की बात कही है जिसमें कुछ नये और कुछ पुराने अधिकारी हों । एक निवृत्त अधिकारी ने भी मेरे सामने यही प्रस्ताव रखा था । दोनों ने एक ही भाषा का प्रयोग किया है ।

†**आचार्य कृपालानी** : मैं ने यह नहीं कहा था कि समिति का गठन किस प्रकार का हो । यह तो मैं ने सरकार पर ही छोड़ दिया था कि समिति में इस सभा के सदस्य रखे जायें या कुछ अधिकारी । यह तो सरकार की अपनी पसंद की बात है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि माननीय सदस्य मुझे उससे सम्बन्धित तथ्य बता दें । जब उन्होंने आरोप लगाये हैं तो उनके पास कुछ तथ्य तो होंगे ही । यदि वह मुझे निजी तौर पर भी अपनी सूचना का स्रोत बता दें तो मुझे बड़ी खुशी होगी । इस प्रस्ताव के बारे में यह है कि आज से कुछ महीने पहले इसका सुझाव दिया गया था और बाद में सेना से ८-९ वर्ष पूर्व निवृत्त होने वाले एक वरिष्ठ अधिकारी ने यही सुझाव दो-तीन बार दोहराया था । बड़ी अजीब सी चीज है अजीब सा सुझाव है कि निवृत्त अधिकारी अपने उत्तराधिकारी अधिकारियों के काम के बारे में राय-जनी करें । मैं ने उस अधिकारी से यही कहा भी था ।

मैं ने इस से भी आगे कुछ किया था । मैं ने इसके बारे में जनरल थिमैया से बात की थी । उन्होंने भी यही कहा कि यह प्रस्ताव बिलकुल बेमानी है । आज से पहले भी कभी ऐसा नहीं किया गया ।

इसलिये सेना के बारे में विचार करने के लिये ऐसी कोई भी समिति बनाने की बात नहीं मानी जा सकती । हां कभी कभी पूरी नीति के कुछ पहलुओं पर चर्चा की जा सकती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नहरू]

अगर आप सभी आरोपों को देखें उनकी छानबीन करें तो वे सभी घूम फिर कर एक ही बात पर आते हैं--पदोन्नतियों की बात। इसी के चारों तरफ सभी आरोप चक्कर काटते हैं। सब से पहली चीज तो यह है कि उच्चाधिकारियों की पदोन्नतियां प्रतिरक्षा मंत्री स्वयं अपनी ओर से नहीं करते। प्रधान मंत्री की मेरी राय भी उस में ली जाती है। वरिष्ठ सदस्यों से भी परामर्श किया जाता है। मुझ से बिना पूछे अभी तक कोई भी पदोन्नति नहीं की गई है। मंत्रि परिषद की प्रतिरक्षा समिति के वरिष्ठ सदस्यों का भी उत्तरदायित्व उस में रहता है। यह नहीं भूलना चाहिये कि यदि हम वरिष्ठता के आधार पर ही पदोन्नतियां करने का सिद्धान्त मान कर चलें तो सेना का सारा काम गड़बड़ा जायेगा। किसी भी उन्नत देश की सेना में वैसा नहीं होता। हां, निचले अधिकारियों की पदोन्नतियां वरिष्ठता के आधार पर की जा सकती हैं। लेकिन एक सीमा के बाद फिर वरिष्ठता को ही सब कुछ नहीं माना जाता। चुनाव समितियां ब्रिगेडियरों की पदोन्नतियों के प्रश्न पर विचार करते समय वरिष्ठता को ही नहीं अन्य बातों को भी देखती हैं।

†**आचार्य कृपालानी :** मैं ने लोकलेखा समिति के प्रतिवेदन से उद्धृत करके बताया था। उस में कहा गया है कि कैप्टन सुप्रिन्टेन्डेण्ट को उस की पदावधि पूरी होने पर वरिष्ठ पद पर पदोन्नत कर दिया गया है। मैं ने यह कभी नहीं कहा कि यह केवल वरिष्ठता के आधार पर की जाये।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** माननीय प्रतिरक्षा मंत्री इस प्रश्न के बारे में बतायेंगे। मैं तो यही बता रहा हूं कि वरिष्ठ अधिकारियों की पदोन्नतियां किस ढंग से की जाती हैं। लेफ्टिनेण्ट कर्नल से कर्नल और ब्रिगेडियर के पदों पर पदोन्नत करने के प्रश्न पर विशेष चुनाव समितियां विचार करती हैं। वे अधिकारियों के गुण उन की योग्यता और उन की सेवा का पूरा रिकार्ड देखती हैं। और इस के लिये अन्य लोगों से भी सलाह ली जाती है। ऐसे उच्च पदों का प्रश्न महत्वपूर्ण होता है इसलिये प्रतिरक्षा मंत्री हमेशा प्रधान मंत्री से भी परामर्श कर लेते हैं। इसलिये मैं भी उन के लिये उतना ही उत्तरदायी हूं। काफी सोच विचार और सलाह-मशविरे के बाद ही ऐसी पदोन्नतियां की जाती हैं। मैं तो यही समझता हूं कि जितनी भी पदोन्नतियां की गई हैं ठीक की गई हैं। ऐसे असंतुष्ट अधिकारी जिन के पास वरिष्ठता के सिवा कोई भी और योग्यता नहीं है यदि विरोधी दल के सदस्यों के पास जा कर इस की शिकायत करें तो उसे अच्छा तो नहीं कहा जा सकता। शिकायत करने वाला व्यक्ति निष्पक्ष तो नहीं होता। ऐसे लोग पूरी तसवीर पेश नहीं करते। इसलिये यदि माननीय सदस्य ऐसी चीजों के बारे में मुझे लिखें तो मैं उन को सही स्थिति बताने के लिये हमेशा तैयार हूं। इसलिये ऐसी प्रथा नहीं बनने देनी चाहिये कि लोग इस तरह जाकर शिकायतें करें क्योंकि इस से आरोप और प्रत्यारोप लगने लगेंगे। मुझे अफसोस है कि अखबार भी कभी-कभी इस में हाथ बटाते हैं। श्री गोरे और आचार्य कृपालानी ने सेना के चीफ आफ जनरल स्टाफ की नियुक्ति के बारे में कुछ बातें कही थीं। लेकिन उन दोनों ने जो तथ्य सामने रखे वे बिलकुल गलत थे। बिलकुल गलत है कि वे पैदल सेना (इन्फैंट्री) में कभी नहीं रहे। अपनी सेवा के २८ वर्ष में से २५ वर्ष उन्होंने पैदल सेना में ही बिताये हैं। माननीय सदस्य एक ऐसे अधिकारी की आलोचना कर रहे हैं जिस के बारे में वे बिलकुल नहीं जानते। मैं सेना के सभी उच्चाधिकारियों को व्यक्तिगत रूप में जानता हूं। मेरा उन से सम्पर्क रहा है। मैं ने कुछ दिनों प्रतिरक्षा मंत्री की हैसियत से भी काम किया है। मैंने कम से कम उन की सेवा के रिकार्ड तो देखे ही हैं। फिर भी हो सकता है कि हम ने जानबूझ कर किसी बुरी नीयत से गलत चुनाव किया हो। लेकिन मैं उन के बारे में कम से कम आचार्य कृपालानी से तो ज्यादा जानता ही हूं इसलिये आचार्य को असंतुष्ट अधिकारियों की रिपोर्टों पर इतना भरोसा नहीं

†मूल अंग्रेजी में

करना चाहिये। अच्छा होता कि माननीय सदस्य उन को व्यक्तिगत तौर पर जानते होते। तब वह इन समस्याओं पर ज्यादा ठीक ढंग से विचार कर सकते थे।

†**आचार्य कृपालानी** : लेकिन प्रतिरक्षा मंत्री ने तो कल कहा था कि हमें उन के पास तक भी नहीं फटकने दिया जायेगा।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : ठीक तो है क्योंकि माननीय सदस्य तो केवल असंतुष्ट अधिकारियों से मिलते हैं।

†**आचार्य कृपालानी** : मैं किसी से भी नहीं मिला। मैं ने तो यही कहा था कि मुझे ऐसी सूचना मिली है। यदि प्रतिरक्षा मंत्री को आपत्ति न हो तो मैं उन से मिलने को तैयार हूं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं १३-१४ वर्ष तक प्रधान मंत्री की हैसियत से काम कर चुका हूं इसलिये मैं उन को, उन अधिकारियों को जानता हूं।

†**आचार्य कृपालानी** : हम उन के साथ काम करने को तैयार हैं . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को इस तरह बार-बार अन्तरबाधा नहीं डालनी चाहिये।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं माननीय सदस्य की भावना और उन की चिन्ता को समझता हूं और उस का आदर करता हूं।

इस सम्बन्ध में मुझे केवल दो बातें कहनी हैं। पहली तो यह कि प्रधान मंत्री की हैसियत से मैं वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्तियों और पदोन्नतियों के लिये व्यक्तिगत तौर पर करीब पिछले दो साल से उत्तरदायी हूं। वर्तमान प्रतिरक्षा मंत्री अभी चार साल पहले इस पद पर आये थे। इस से पहले भी जितने प्रतिरक्षा मंत्री थे वे सभी इस मामले में मुझसे सलाह ले लिया करते थे। इसलिये उस का उत्तरदायित्व मुझ पर ही है।

दूसरी यह कि कई माननीय सदस्यों ने जो आरोप लगाये हैं वह एक मोटे तौर पर हमारी नीतियों की निन्दा की है। श्री गोरे ने गोवा के सम्बन्ध में हमारी नीति के बारे में कहा है वह नीति सही हो या गलत यह दूसरी बात है। लेकिन प्रतिरक्षा सम्बन्धी प्राक्कलनों के सिलसिले में यह प्रश्न उठाना गलत है। चीन सम्बन्धी हमारी नीति के बारे में सभा में कई बार चर्चा हो चुकी है। सभा उस नीति का अनुमोदन भी कर चुकी है। कुछ सदस्य यदि उस से असहमत हैं तो हमें खेद है कि हम उन को पूर्णतया सहमत नहीं कर सके। लेकिन ऐसी नीतियों का निर्धारण प्रतिरक्षा मंत्री अकेले नहीं करते। उस का उत्तरदायित्व पूरी मंत्रि परिषद पर और प्रधान मंत्री पर है।

†**आचार्य कृपालानी** : लेकिन इस मंत्रालय की अनुदानों की मांगों की चर्चा करते समय . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : आश्चर्य की बात है कि आचार्य कृपालानी फिर भी बार-बार अन्तरबाधा कर रहे हैं।

†**आचार्य कृपालानी** : किसी भी मंत्रालय की मांगों की चर्चा के समय हमें उस मंत्रालय के बारे में राय प्रकट करने का पूरा अधिकार है। वही हम कर रहे हैं। प्रधान मंत्री ने स्वयं ही कहा है कि इस नीति के लिये पूरी मंत्रि परिषद उत्तरदायी है।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस से तो शिकायत नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री जवाहरलाल नेहरू : माननीय सदस्य थोड़ा धैर्य रखें तो ज्यादा अच्छा हो। मैं यही कह रहा हूं कि प्रतिरक्षा सम्बन्धी प्राक्कलनों की चर्चा के समय गोवा सम्बन्धी नीति की आलोचना उचित नहीं है। वह तो पूरी भारत सरकार की नीति है। सेना तो सरकारी निदेशों का पालन भर करती है।

सेना के एक अधिकारी की भी आलोचना की गई थी। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि वह हमारे सबसे अच्छे अधिकारियों में से एक है। यदि आचार्य कृपालानी उस अधिकारी के बारे में कुछ जानते होते तो उन की भी यही राय होती।

श्री गोरे वगैरह ने सेना के कुछ सब से बढ़िया अधिकारियों के बारे में जिस ढंग से बातें कही हैं उस पर आश्चर्य होता है। हमारी सेना और हमारे सेना अधिकारी बड़े अच्छे हैं।

†श्री राजेन्द्र सिंह (छपरा) : लेकिन प्रधान मंत्री यह क्यों चाहते हैं कि विरोधी दल के सदस्य उन की राय को ही ठीक मान कर चलें ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : यह मेरा दुर्भाग्य है कि माननीय सदस्य ने मेरी नीति का कभी भी अनुसरण नहीं किया। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि सेना अधिकारियों के बारे में इस ढंग से बात करना, बिलकुल ही गलत तथ्य पेश करना, अनुचित है।

आचार्य कृपालानी ने प्रतिरक्षा मंत्री पर आरोप लगाया है कि उन्होंने देश की गरीब जनता के धन का अपव्यय किया है और कम्युनिस्ट चीन के आक्रमण के विरुद्ध देश की प्रतिरक्षा मजबूत करने के कर्तव्य की उपेक्षा की है। और उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में तानाशाह शासनों का समर्थन किया है। इस से एक बात अवश्य स्पष्ट है कि आचार्य जी काफी गुस्से में बोल रहे थे। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रतिरक्षा मंत्री ने भारत सरकार की नीति का समर्थन किया है। यदि माननीय सदस्य उस नीति से सहमत न हों तो हमें खेद है।

इस प्रकार अंधाधुंध आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं होता। इस से पता चलता है कि माननीय सदस्य इतने गुस्से में हैं कि वे सही तथ्यों का पता लगाने की कोई परवाह तक नहीं करते। सेना सम्बन्धी मामले तो इतने ज्यादा नाजुक होते हैं कि उन पर यह बात और भी ज्यादा लागू होती है। मैं सभा की स्वतंत्रता को सीमित नहीं करना चाहता परन्तु सभा को अपना दायित्व महसूस करना चाहिये। साथ ही सभा के सदस्यों को यह महसूस करना चाहिये कि नीतियां निर्धारित करने का दायित्व सरकार, मंत्रि-परिषद और प्रधानमंत्री पर सामूहिक रूप से होता है। माननीय सदस्य को महसूस करना चाहिये कि बहुमत और अल्पमत दोनों ही अपने अधिकारों के मुताबिक काम करते हैं। और जब तक देश की जनता को माननीय सदस्य की अपेक्षा हम पर अधिक विश्वास और भरोसा है तब तक हम ही सरकार का संचालन करते रहेंगे।

†अध्यक्ष महोदय : श्री रंगा।

†श्री रंगा : प्रधान मंत्री ने अभी-अभी कहा है कि बहुमत वाले दल को शासन करने देना चाहिये। मैं मानता हूं। लेकिन लोकतांत्रिक शासन में विरोधी दल के साथ सलाह मशविरे से शासन किया जाना चाहिये जो न प्रधान मंत्री और न प्रतिरक्षा मंत्री ने कभी किया है।

यह जरूरी नहीं है कि हम हर बात में प्रधान मंत्री की राय को ही सही मान लें।

उन के सहयोगी स्वर्गीय मौलाना आजाद तक हर बात में उन की राय सही नहीं मानते थे।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रधान मंत्री ने कहा है कि केवल एक ही नियुक्ति का तो प्रश्न है। लेकिन वही तो सब से मुख्य नियुक्ति होती है। उसी पर तो देश की प्रतिरक्षा की सुदृढ़ता का दारोमदार है।

मेरी शिकायत यह है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय ने चीन को हमारी सीमा से दूर रखने के कर्तव्य के प्रति लापरवाही की है। उस ने सेना को मुस्तैदी से उस के लिये तैयार नहीं किया है। न ठीक समय पर सेना को उचित आदेश दिये गये हैं। यह पूरी मंत्रि-परिषद का दायित्व है। चीनियों ने हमारे प्रदेश पर कब्जा कर लिया है। लेकिन प्रतिरक्षा मंत्रालय फिर भी हाथ पर हाथ धरे बैठा है। सेना को उचित आदेश क्यों नहीं दिये जाते ?

प्रतिरक्षा विभाग हमारी सरकार का एक सब से महत्वपूर्ण विभाग है। प्रत्येक सदस्य को यह जानने का अधिकार है कि उस का काम किस ढंग से संचालित किया जा रहा है। बल्कि यह प्रत्येक माननीय सदस्य का कर्त्तव्य है। लेकिन प्रतिरक्षा मंत्री हमे तो सेना के पास भी नहीं फटकने देना चाहते। माननीय प्रतिरक्षा मंत्री शायद सेना के लोकतंत्रीकरण मे विश्वास करते हैं और इसीलिये यह नियुक्ति की गई है। सेना के लोकतंत्रीकरण का विचार शायद मार्क्सवाद से उन को मिला होगा।

लेकिन इस का परिणाम क्या होगा ? प्रधान मंत्री ने कहा है कि इस नियुक्ति की जो आलोचना की गई है वह गलत तथ्यों पर आधारित है। इस का निर्णय तो कोई उच्चशक्ति प्राप्त आयोग ही कर सकता है कि वे तथ्य सही है अथवा गलत। तथ्यों के बारे में मतभेद होने पर तो यही एक चारा रह जाता है।

प्रतिरक्षा मंत्री ने कल बताया था कि उच्चाधिकारियों की पदोन्नति का प्रश्न एक चुनाव बोर्ड तय करता है। यदि सेना के चीफ ऑफ स्टाफ की सब से बड़ी नियुक्ति अपने ढंग से अपनी पसन्द की कर दी जाये, तो फिर सभी उच्चाधिकारियों के चुनाव को अपने ढंग से प्रभावित किया जा सकता है, क्योंकि चीफ ऑफ स्टाफ हर चुनाव बोर्ड में बैठेंगे ही। इसलिये सरकार को तथ्यों की जांच के लिये आयोग नियुक्त करने का प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिये। यह एक चुनौती है उस के लिये। यदि सरकार इस चुनौती को स्वीकार नहीं करेगी, तो उस से जनता अपने नतीजे निकालेगी। शीघ्र ही चुनाव आने वाले हैं।

इसीलिये मैं कहता हूं कि सशस्त्र बल में एकता और अनुशासन बनाये रखने का दायित्व प्रतिरक्षा मंत्रालय पर होता है। यह उसका सब से बुनियादी कर्तव्य होता है। प्रतिरक्षा मंत्री इस में असफल रहे हैं। उनकी नीति के कारण सेना का मनोबल गिरा है; सैनिकों में पस्तहिम्मती आई है। यह अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है।

माननीय प्रतिरक्षा मंत्री ने कहा है कि २२६ मेजरों को पदोन्नत कर के लेफ्टिनेण्ट-कर्नल बना दिया गया है, और उस में ४८५ अधिकारियों की वरिष्ठता का अतिक्रमण किया गया है। ७० कर्नलों को पदोन्नत्त किया गया है, जिस में ८३ की वरिष्ठता का अतिक्रमण हुआ है। इस प्रकार की नीति का परिणाम सेना का मनोबल गिराने के अतिरिक्त और क्या होगा ? जिन अधिकारियों की वरिष्ठता का अतिक्रमण हुआ है, अब ५-१० साल के लिये उनकी पदोन्नति की कोई आशा नहीं। और उस की अनुमति प्रतिरक्षा मंत्री को मंत्रि परिषद ने ही दी है, विरोधी दल ने नहीं। इस की जांच एक समिति द्वारा कराई जानी चाहिये कि इस के पीछे कोई "शरारत" है या नहीं। देश की प्रादेशिक आवश्यकता की रक्षा करना सेना का कर्तव्य है। किसी भी विदेश आक्रमणकारी को तुरन्त अपनी सीमा से खदेड़ देना भी उसी के कार्यक्रम के अन्तर्गत आता

[श्री रंगा]

है। सशत्र सेनाओं में एकता और अनुसासन बनाये रखना प्रतिरक्षा मंत्रालय का मूल कर्तव्य है। मैं यह बात स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि प्रतिरक्षा मंत्री ने जिस नीति का पालन किया है उस से हमारे सैनिकों का हौसला कम ही हुआ है। प्रत्येक दिशा में प्रतिरक्षा मंत्रालय अपने कर्तव्य को पूरा करने में असमर्थ रहा है।

रूसी हवाबाजों का हमारी सीमा पर जाना भी देश भर में आपत्तिजनक समझा जा रहा है। उन्हें वहां जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। मैं एक सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं वह यह है कि भारत में एक सेना परिषद् होनी चाहिए जिसकी अध्यक्षता हमारे राष्ट्रपति स्वयं करे। वैसे भी हमारी सेनाओं के वह सर्वोच्च सेनापति हैं और इस नाते उन्हें सेना के मामलों में प्रभावी कार्य करना चाहिए। यह भी दुःख की बात है कि जो मशीनें इत्यादि प्रतिरक्षा विभाग ने बनाई वे भी काम की नहीं हैं। अधिकारी वर्ग में भी काफी असन्तोष पाया जा रहा है।

सेना परिषद् के अतिरिक्त मेरा सुझाव यह है कि संसद् का प्रति वर्ष कम से कम एक गुप्त अधिवेशन होना चाहिए ताकि प्रतिरक्षा सम्बन्धी विषयों पर विस्तार से चर्चा की जा सके। साथ ही मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मुझे प्रतिरक्षा मंत्री के प्रति कोई द्वेष नहीं। मैं ने सदा उन का आदर किया है। मैं दो बार उनका सम्मान भी कर चुका हूं। मेरा मत यह है कि उन्हें अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। यदि वह प्रधान मंत्री को इतने चाहते हैं कि वह उन्हें नहीं छोड़ सकते तो कम से कम उन्हें प्रतिरक्षा मंत्री पद से अवश्य हट जाना चाहिए। यह देश की मांग है। यह मंत्रिमंडल में बिना विभाग के मंत्री रह सकते हैं।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** (लुधियाना): संसद् में प्रतिरक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों को विवाद का विषय बनाना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इस से किसी को भी लाभ नहीं पहुंच सकता। प्रतिरक्षा सेनायें हमारे राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रबल अंग है। संसद ही नहीं सारा राष्ट्र उनका आभारी है। प्रतिरक्षा उत्पादन संगठन ने जो महत्वपूर्ण प्रगति की है उस के लिए प्रतिरक्षा मंत्रालय बधाई का पात्र है। इस के साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अप्रैल और नवम्बर के बीच जो उत्पादन हुआ है वह १७ करोड़ रुपये का है। सचमुच इस पर गौरव किया जा सकता है। मुझे इस बात का खेद है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय उत्पादन संगठन की भी आलोचना की जा रही है।

मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि प्रतिरक्षा अनुसंधान संगठन की ओर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए इतना नहीं दिया जा रहा है। उसका दर्जा अणुशक्ति आयोग के समान ही होना चाहिए। उसे संघ लोक सेवा आयोग या वित्त आयोग जैसे गतिरोधों से मुक्त किया जाना चाहिए। यह बात बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि बहुत ही थोड़ी संख्या में हमारे प्रतिरक्षा अधिकारियों को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए बाहर भेजा गया है।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि एन० सी० सी० का और विस्तार किया जाना चाहिए। देश के युवकों को अनिवार्य रूप में सैनिक शिक्षा दी जानी चाहिए। भारत इलेक्ट्रानिक्स को स्थापित करने का मूल उद्देश्य रडार का विकास है। मेरा मत है कि इस दिशा में उचित ढंग से आयोजना नहीं की गयी। मैं इस बात पर बल दूंगा कि सरकार [illegible] इस बात की जांच

†मूल अंग्रेजी में

करनी चाहिए। अन्त में मेरा निवेदन है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय ने प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति की है अतः उसकी अनुचित आलोचना नहीं की जानी चाहिए। इन शब्दों से मैं मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री भक्त दर्शन (गढ़वाल) : सभापति महोदय, प्रतिरक्षा मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर विचार करते समय मैं अपना यह कर्तव्य समझता हूं कि भारत की सशस्त्र सेनाओं के प्रति, जिन्होंने पिछले एक वर्ष तक भारत की सीमाओं की रक्षा में इतनी तत्परता और योग्यता से कार्य किया, अपनी वार्षिक पुष्पांजलि अर्पित करूं।

पिछले वर्षों में हमारे देश में चारों ओर से जो संकट के बादल खड़े होते रहे हैं, उन के होते हुए भी गरम से गरम जगहों में, समुद्र के तैरते हुए, पानी में, हिमालय की चोटियों पर, राजस्थान के रेगिस्तानों में, नागा पहाड़ियों पर, सब ओर हमारे सैनिकों ने जिस वीरता का परिचय दिया है, उस से हमारा मस्तक ऊंचा हो जाता है। केवल देश के अन्दर ही नहीं, देश के बाहर विदेशों में जा कर जिस तत्परता से, जिस कर्तव्यपरायणता से, उन्होंने अपने कार्य का सम्पादन किया है उस से भारतीय सेनाओं के प्रति जनता की आस्था और श्रद्धा और भी बढ़ जाती है।

इस से पहले कि मैं चन्द बातें अपनी ओर से इस मंत्रालय के विषय में कहूं, मैं यह निवेदन कर देना अपना कर्तव्य समझता हूं कि कल विरोधी पक्ष के प्रवक्ताओं के जो लम्बे लम्बे भाषण हुए और आज जो एक के बाद एक माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए, उनको सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य और दुःख हुआ। जब मैं अपने आदरणीय मित्र आचार्य कृपालानी जी के भाषण को सुन रहा था—जिन के प्रति कि सदन के प्रत्येक सदस्य के हृदय में गहरी श्रद्धा है, जो हमारे राष्ट्रपिता के अन्यतम शिष्यों में से एक हैं—तो मुझे उन के प्रति आदर रखते हुए भी यह खयाल हुआ कि शायद हमारे भारत के इतिहास के पुराने दुर्वासा ऋषि फिर से नए रूप में प्रकट हो गए हैं। उन से हम आशा करते थे कि वे रचनात्मक दृष्टिकोण को अपनायेंगे। लेकिन उन्होंने उस रचनात्मक दृष्टिकोण के बदले केवल ध्वंसात्मक आलोचना का ही आश्रय लिया। इस से आश्चर्य के साथ-साथ मुझे खेद और क्षोभ होता है। उन्होंने यहां पर उच्च सैनिक अधिकारियों की पदोन्नतियों और नियुक्तियों के सम्बन्ध में जो बातें कीं, मैं उन के बारे में उन से तथा अपने विरोधी पक्ष के महानुभावों से नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन बातों को यहां पर उठा कर के वे देश की किसी प्रकार की सेवा नहीं कर रहे हैं बल्कि वह एक ऐसे ज्वालामुखी को भड़काने का कलंक अपने माथे पर लगा रहे हैं जो कि हमारे देश को और हमारे देश के लोकतंत्र को और हमारे देश के सार्वजनिक जीवन को सदैव के लिये कभी भी समाप्त कर सकता है। इसलिए इस संबंध में जितनी भी कम चर्चा की जाय उतना ही हमारे लिए उचित होगा।

श्रीमन्, कल हमारे योग्य प्रतिरक्षा मंत्री महोदय ने एक बहुत ही विस्तृत और तथ्यपूर्ण वक्तव्य यहां पर दिया और उन्होंने विस्तार के साथ इस पर प्रकाश डाला कि किन सिद्धान्तों के आधार पर किस प्रणाली के द्वारा और किस प्रोसीज्योर के द्वारा सेना के अन्दर पदोन्नतियां की जाती हैं और नई नियुक्तियां की जाती हैं। आज माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी उस पर अपने विचार प्रकट किये। इन सब के बावजूद भी मैंने देखा कि हमारे आदरणीय प्रोफसर रंगा ने फिर भी अपना वही पुराना राग अलापा और मुझे उसे सुन कर आश्चर्य हुआ। मैं उन से निवेदन करना चाहता

[श्री भक्त दर्शन]

हूं कि उनको ऐसे मसलों के बारे में अपने प्रधान मंत्री महोदय और अपने प्रतिरक्षा मंत्री पर अटल विश्वास रखना चाहिए। जब प्रधान मंत्री महोदय ने यह स्वीकार कर लिया कि उन सब नियुक्तियों की जिम्मेदारी उन के कंधों पर है और उन्होंने प्रत्येक मामले में गहराई से छान बीन की है तो हमें उन के शब्दों पर विश्वास करना चाहिए। लेकिन ऐसा न करके यदि हम उन के बारे में यहां इस तरीके से वाद-विवाद करते रहेंगे तो हम इस सदन का ही नहीं बल्कि देश के अमूल्य समय को नष्ट करने के अपराधी घोषित किये जायेंगे।

आचार्य कृपालानी ने बीच में टोकते हुए प्रधान मंत्री जी से यह कहा था कि हमारे रक्षा मंत्री महोदय ने अखबारों के सम्वाददाताओं को तो बुलाया और उन से कुछ बातें की लेकिन विरोधी दल के नेताओं को नहीं बुलाया। मैं इस सम्बन्ध में अपने रक्षा मंत्री महोदय को यह नम्र सुझाव देना चाहता हूं कि ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर अगर वह विरोधी दल के लोगों और कांग्रेस के प्रमुख लोगों को अपने विश्वास में ले लिया करें और उन को भी उन बातों से परिचित करा दिया करें तो उस से स्थिति सरल हो जायेगी। आचार्य कृपालानी के कथन से मुझे यह ध्वनि निकलती मालूम पड़ी कि अगर कभी कभी विरोधी पक्ष के लोगों को हमारे प्रतिरक्षा मंत्री महोदय चाय की की प्याली पर बुला लिया करें तो शायद उनकी कड़वाहट कुछ कम हो जायेगी।

जब से हमारे देश में विदेशी आक्रमण का खतरा बढ़ा है हमारे सशस्त्र सैनिकों की संख्या में स्वभावतः वृद्धि की गई है और अफसरों की संख्या में भी वृद्धि की गई है। लेकिन जैसाकि इस मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ ४ पर बतलाया गया है कि किस प्रकार अफसरों की संख्या में जो कमी है, उसकी पूर्ति की जा रही है। इस मंत्रालय की ओर से प्रयत्न किया जा रहा है कि अच्छे से अच्छे अफसर बड़ी से बड़ी संख्या में भरती किये जायें और उन को अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग दी जाये। कल मंत्री महोदय ने बतलाया था कि खड़कवासला में जो गौरवपूर्ण संस्थान चल रहा है वहां पर पूरी संख्या में अभी तक छात्र नहीं आ रहे हैं और जो आ रहे हैं वह उस स्टेंडर्ड के नहीं हैं उस स्तर के नहीं हैं जिसकी कि आशा की जाती है। इस संबंध में मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि अभी तक विश्वविद्यालयों, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और सर्विसेज सेलेकशन बोर्ड की मार्फत भर्तियां किया करते हैं। इस के संबंध में स्वयं सैनिक अधिकारियों को यह आम अनुभव हुआ है कि मौका आने पर उनके अंदर वह दृढ़ता अभी तक नहीं देखी गई है जिसकी कि उन से आशा की जाती है। इसलिए मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि कमिशंड आफिसर्स के लिए अभी तक जो केवल १० प्रतिशत जे० सी० ओज० या अदर रेंक्स लिए जाते हैं, वे और अधिक संख्या में लिये जाने चाहिएं।

कल प्रतिरक्षा मंत्री महोदय ने बतलाया था कि नौगांव में एक आफिसर्स कैडेट कालिज खोला गया है जिस में कि ऐसे सैनिकों को जिनके कि अंदर प्रतिभा है, योग्यता है, उन को ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की गई है। यह बड़ा अच्छा इंतजाम किया जा रहा है। जो लोग सैनिक के रूप में सेना के अंदर रह चुके हैं और वहां के कष्टों को भुगत चुके हैं, जिन्हें बैरकों में और लाइनों में रहने का अनुभव है, उन में से अधिक से अधिक संख्या में अफसर छांटे जायें, क्योंकि वे हर तरह से योग्य और अनुभवशील अफसर बन सकते हैं और ऐसा करने से हमारी सेना और आगे बढ़ सकती है।

श्रीमन्, चीन द्वारा हमारी सीमा पर आक्रमण के बाद हमारी सरकार का ध्यान भारत की उत्तरी सीमा की ओर गया है? .....

सभापति महोदय : माननीय सदस्य का समय समाप्त होने वाला है ।

†**श्री भक्त दर्शन :** मेरा समय क्या अभी समाप्त हो जायेगा ? अभी तो मैं भूमिका ही कर रहा हूं ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य ९ मिनट ले चुके हैं ।

†**श्री भक्त दर्शन :** थोड़ा समय मुझे और दिया जाय ।

श्रीमन् चीन के खतरे की वजह से हमारी सरकार का ध्यान अपनी सीमाओं की रक्षा की ओर गया और स्वयं, प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में हमारी सरकार ने एक बौर्डर रोड्स डेवलपमेंट बोर्ड) सीमान्त क्षेत्रीय सड़क विकास बोर्ड) बनाया है । यह सही दिशा में एक कदम है और मैं उसका स्वागत करता हूं और सरकार को इस के लिये बधाई देता हूं । मेरा अपना दृष्टिकोण यह है कि अगर आज से १० वर्ष पहले यह बोर्ड बना दिया जाता और उस के द्वारा यातायात के साधनों का विकास कर दिया जाता तो स्थिति इतनी खराब न होती जितनी कि आज है और शायद चीनियों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता ।

लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बौर्डर रोड्स डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में हश, हश पालिसी अपनाई जा रही है । वहां के जन प्रतिनिधियों को विश्वास में नहीं लिया जा रहा है कि कौन कौन सी सड़कें बन रही हैं, किस तरीके से बन रही हैं अथवा किन सड़कों को प्राथमिकता दी जा रही है । पूर्व में नेफा के इलाके में और पश्चिम में लद्दाख के इलाके में जहां कि पहले से कोई सार्वजनिक जीवन नहीं था, जहां कोई संगठित पबलिक लाइफ नहीं थी, इसलिए वहां के जन प्रतिनिधि नहीं हैं वहां के बारे में तो आप चीजें छिपा कर भी रख सकते हैं लेकिन उदाहरणास्वरूप जैसेकि उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिले हैं और वहां से एम० पी०, असेम्बली के मेम्बर्स हैं, जहां कि जिला बोर्ड्स और स्थानीय पंचायतें हैं वहां किस तरीके से चीजों को छिपा सकते हैं? उन इलाकों के जन प्रतिनिधियों से सम्बन्धित बातों को छिपाना उचित नहीं है । उन से जो चीजें छिपाई जाती हैं मुझे यह कहनेके लिये क्षमा किया जाय कि सारी दुनिया को वह बातें मालूम हो जाती हैं और हमारे दुश्मनों तक को मालूम है कि कहां क्या हो रहा है । उदाहरण के लिए मैं बतलाऊं कि बद्रीनाथ की ओर सड़क बन रही है । उस के बारे में हम पूछते हैं कि यात्रा सीजन शुरू हो रहा है और सीजन पर हजारों यात्री देश के कोने कोने से वहां पर आते हैं और इस लिए उस सड़क का निर्माण जल्द पूरा किया जाय क्योंकि अगर सड़क का निर्माण पूरा नहीं होगा तो सारी यात्रा में व्याघात पड़ेगा, और सड़क के निर्माण में रूकावट पड़ने से यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना होगा लेकिन उस के बारे में अभी तक कोई सूचना नहीं दी जाती है ।

मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि इन सड़कों का निर्माण सी० पी० डब्लू० डी० और एम० ई० एस० के द्वारा न करा कर अर्थात् ठेकेदारी सिस्टम से न कराया जा कर वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा एक मिलिशिया बनाई जाय, उनकी एक लेबर फोर्स तैयार की जाय और उनको यह काम सौंपा जाय, जन सहयोग आमंत्रित किया जाय और मैं समझता हूं कि इस तरह काम जल्दी और अच्छी तरह पूरा होगा और उस से लोगों को यह मालूम पड़ेगा कि यह सड़कें हमारे लिए बन रही हैं ।

[श्री भक्त दर्शन]

श्रीमन्, मैं एक या दो विषयों की ओर माननीय मंत्री का ध्यान और आकर्षित करना चाहूंगा। मैं उन सदस्यों में से एक रहा हूं जिन्होंने कि पर्वतारोहण के सम्बन्ध में अपनी सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। इस रिपोर्ट में जैसा कि बतलाया गया है कि दार्जिलिंग में हिमालियन माउंटेनियरिंग इंस्टीच्यूट अर्थात् हिमालियन पर्वतारोहण संस्था स्थापित की गई है और वह बड़ा अच्छा कार्य कर रही है। उस के कारण देश के अन्दर पर्वतारोहण के कार्य की बड़ी प्रगति हो रही है और लोगों में इस के प्रति रुचि पैदा हो रही है। मैं इस संबंध में केवल एक दो सुझाव देना चाहता हूं। यह पर्वतारोहण की संस्था दार्जिलिंग में स्थापित है लेकिन हिमालय का क्षेत्र अति विशाल है। पश्चिम में कश्मीर है और मध्य में सेंट्रल हिमालय का इलाका है। मैं चाहता हूं कि वहां पर भी इसकी शाखाएं स्थापित की जांय और ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की जाय। ऐसा होने से अधिक लोग इस से लाभ उठा सकेंगे।

पिछले साल जो लोग एवेरेस्ट अभियान में गये या इस साल अन्नपूर्णा या नंदादेवी की ओर जा रहे हैं तो मुझे बतलाया गया है कि वहां जो लोग जाते हैं उनको अपनी जिम्मेदारी पर सेना से छुट्टी लेकर जाना पड़ता है और अगर वहां उनके साथ कोई ऐक्सीडेंट हो जाय, उनकी मृत्यु हो जाय तो उनको 'ग्रौन ड्यूटी' नहीं माना जाता है। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस बारे में अपने उत्तर में कुछ स्पष्टीकरण देंगे। मैं तो समझता हूं कि जिस तरीके से जो हमारे जवान कांगो में या जम्मू कश्मीर में जाते हैं और उनको 'ग्रौन ड्यूटी' माना जाता है उसी तरीके से इन पर्वतारोहियों को भी ग्रौन ड्यूटी माना जाय और उनको पूरी सुविधाएं दी जानी चाहिये।

अन्तिम बात जो मुझे कहनी है वह छावनियों के सम्बन्ध में कहनी है। हमारे देश में ५६ या ५७ छावनियां हैं। उनमें लाखों लोग रहते हैं। यह छावनियां देश के कौने कौने में फैली हुई हैं। मैं मंत्री महोदय का अनुगृहीत हूं कि मंत्रालय द्वारा वहां इस बीच कुछ विकासकार्य किया गया है लेकिन जितना विकास उनका होना चाहिये था उतना विकास अभी तक उनका नहीं हुआ है। इस बीसवीं शताब्दी में भी बहुत सी ऐसी छावनियां हैं और ऐसे इलाके हैं जहां कि अभी तक बिजली की रोशनी नहीं हो पाई है। मैं बड़ा अनुगृहीत हूं कि लैंसडाउन में बिजली लगाने का काम हो रहा है लेकिन मेरा सुझाव यह है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो हमारा नियोजन होता है, प्लानिंग होती है उसमें इस बात का लक्ष्य रक्खा जाना चाहिये कि हर छावनी के अन्दर बिजली की रोशनी आ जाय और कम से कम एक हायर सेकेंडरी स्कूल हो जाय।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि इन छावनियों में मुख्य समस्या आवास की है जो कि एक बड़ा जटिल प्रश्न है। इस रिपोर्ट के अनुसार सरकार द्वारा ४, ५ छावनियों में मकान बनाने के लिये सहायता दी गई है, मैं चाहूंगा कि यह सहायता हर एक कैंटूनमेंट् को प्रदान की जाय। यह सहायता उन्हीं छावनियों तक सीमित न रहे बल्कि सभी छावनियों में यह सुविधा दी जाय।

अन्तिम बात जो मुझे मंत्री महोदय को याद दिलानी है वह यह है कि गत दिसम्बर में पेंशनों की दरों में वृद्धि की जो घोषणा की गई थी वह बड़ी स्वागत योग्य घोषणा थी लेकिन अभी तक उन पर अमल नहीं किया जा रहा है। जिन्होंने सारी जिन्दगी अपने देश की सेवा में अर्पित कर दी, वे अब भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे मालूम हुआ है कि इस सम्बन्ध में अब भी बड़ी सुस्त चाल

से कार्यवाही हो रही है और अभी तक उनको बढ़े हुये रेट पर पेन्शन नहीं मिली है । अतः मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बारे में शीघ्रता की जाये ।

इन शब्दों के साथ मैं आप को धन्यवाद देते हुये इस मंत्रालय की मांगों का हृदय से समर्थन करता हूं ।

†**डा० विजय आनन्द** (विशाखापटनम): मैं प्रतिरक्षा मंत्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करने खड़ा हुआ हूं । मेरा मत यह है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय की आलोचना केवल आलोचना के लिये ही की गई है । आज स्थिति यह है कि हम अपने सेना बलों पर गर्व कर सकते हैं । परन्तु मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक चीन का हमारे राज्य क्षेत्र पर कब्जा है और पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्ध खराब हैं, तब तक के लिये यह अच्छा होगा कि हम संसद् के अपने कुछ विशेषाधिकारों को त्याग दें और प्रतिरक्षा के मामलों पर सदन में चर्चा न करें । मेरा यह निश्चित मत है कि इस मामले में सरकार के हाथों को मजबूत किया जाना चाहिये ।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी बताना चाहता हूं कि लखनऊ, रोहतक, तथा अन्य क्षेत्रों में बाढ़ों के समय पर हमारी सेना ने महान कार्य किया है । मैं यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि सेना के सेवा-निवृत्त पदाधिकारियों को किन्हीं अन्य विभागों में नौकरी दी जानी चाहिये । उनकी सेवाओं का उपयोग किया जाना चाहिये । इस बात की भी व्यवस्था की जानी चाहिये कि सेना के विवाहित पदाधिकारी सरकारी मकान प्राप्त कर सकें ।

कांगो में जो हमारी सेनायें गयी हैं, उनके कल्याण का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिये । यदि आवश्यक हो तो दोनों सदनों के सदस्यों की एक संयुक्त समिति इस उद्देश्य के लिये कांगो भेजी जाय । यह तो सब जानते ही हैं कि खेल कूद के मैदान में हमारी सेना की सफलतायें आशातीत हैं । इस दिशा में उनका काम अति शानदार है । हमारी सेना ने संसार के कुछ सर्वाधिक अच्छे खिलाड़ी पैदा किये हैं । इन सब बातों से यही सिद्ध होता है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय ने सभी दिशाओं में सफलता प्राप्त की है । मैं मांगों का समर्थन करता हूं ।

†**श्री थानू पिल्ले** (तिरुनलवेली) : हमारे विरोधी पक्ष के सदस्य यदि प्रधान मंत्री की बातों से कुछ नहीं समझ सके तो मेरे जैसे साधारण सदस्य की बातों का उन पर क्या प्रभाव हो सकता है। मेरा यह निवेदन है कि सभा में जो आलोचना की गयी है, वह अनुचित है । जो कुछ बातें मंत्रालय के विरुद्ध ही गयी हैं वह गलत तथ्यों पर आधारित हैं । मेरा मत है कि यदि आलोचना करने वाले देश की प्रतिरक्षा के मामले में ईमानदार हैं तो उन्हें ऐसी बातें नहीं कहनी चाहियें । उन्होंने इस प्रकार की आलोचना करके और इस प्रकार की बातें कह कर देश का बड़ा अहित किया है ।

कुछ लोग रूस के विमानों की बात उठा रहे हैं । मैं तो समझता हूं कि हमें सरकार को बधाई देनी चाहिये कि उस ने रूस से कुछ युद्ध महत्व के विमान मंगाये हैं । इसके बारे में भी जो आलोचनायें हुई हैं वह ठीक तरह की नहीं हैं । ऐसे कुछ विशेष कारण सम्भव हो सकते हैं जिनके कारण हमारी सरकार ने कुछ विमानों को रूस सरकार से खरीदा है ।

यह बात भी बड़ी स्पष्ट है कि ट्रकों तथा युद्ध महत्व के यन्त्रों के निर्माण का काम गैर-सरकारी क्षेत्र को नहीं सौंपा जा सकता । इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि हमारी प्रतिरक्षा संस्थापनाओं

†मूल अंग्रेजी में

[श्री थानू पिल्लै]

में जो त्रुटियां हैं उन्हें अवश्य दूर किया जाना चाहिये। सरकार को दूसरी ओर समुचित ध्यान देना चाहिये।

श्री रंगा जी और आचार्य जी ने सेना के हताश, असंतुष्ट अधिकारियों की वकालत की है, लोकतांत्रिकता के आधार पर। गलतियां तो हम करते हैं, मैं मानता हूं; लेकिन हम ही उन को ठीक भी करते हैं। और गलतियां दूर की जानी चाहियें।

ऐसे असंतुष्ट अधिकारियों को ले कर प्रतिरक्षा-संस्थापनों की अनुचित आलोचना नहीं की जानी चाहिये। उस से देश का और इसलिये हम सभी का अहित होगा।

†**श्री प्रभात कार** (हुगली): मैं डा० विजय आनन्द के इस सुझाव का सख्त विरोध करता हूं कि संसद् प्रतिरक्षा सम्बन्धी मामलों पर चर्चा करने का अपना विशेषाधिकार त्याग दे।

साथ ही, मैं यह भी मानता हूं कि यहां सभा में प्रतिरक्षा मंत्रालय सम्बन्धी मांगों की चर्चा के दौरान सेना सम्बन्धी पदोन्नति-नीति की आलोचना जिस ढंग से की गई है, उस का हमारी सेना पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा। सेना का मनोबल उस से गिरेगा और वह समूचे देश के लिये अहितकर होगा। इस प्रकार व्यक्तिगत अधिकारियों को चर्चा का विषय बनाने का दूसरा कोई परिणाम निकल ही नहीं सकता।

आज आचार्य जी के विचारों से कोई भी दल सहमत नहीं रहा है।

इन की आलोचना भी स्वीकार नहीं की जाती। कोई भी उसे स्वीकार नहीं करता।

हम प्रतिरक्षा मंत्री की कोई हिमायत नहीं करते। लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति ने मंत्रालय की कई खामियां बताई हैं। उस में सुधार होना चाहिये।

प्रतिरक्षा उत्पादन में वृद्धि हुई है। सब से खराब प्रवृत्ति यह है कि सरकारी क्षेत्र को, निजी क्षेत्र के मुकाबले, नीचा दिखाने के लिये प्रतिरक्षा,-उत्पादन की आलोचना की जाती है। प्रतिरक्षा संस्थानों की इतनी अधिक आलोचना इसी लिये की गई है।

मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से कि प्रतिरक्षा-उत्पादन के क्षेत्र में सुधार किया जाना चाहिये।

प्रतिवेदन में कहा गया है कि प्रतिरक्षा संस्थानों में औद्योगिक सम्बन्ध बड़े अच्छे हैं। लेकिन प्रतिरक्षा संस्थापनों के कर्मचारियों से हड़ताल का बदला सा लिया जा रहा है। यह गलत नीति है, जिसे रोका जाना चाहिये। उत्पादन—वृद्धि के लिये उन का सहयोग प्राप्त करना आवश्यक है।

श्री रंगा का यह आरोप निराधार है कि अखिल भारतीय प्रतिरक्षा कर्मचारी संघ के १३५ कार्मिक संघ ए० आई० टी० यू० सी० से सम्बद्ध हैं। उन की सूचना गलत है।

अब भारत एलेक्ट्रोनिक्स में पूरी क्षमता के साथ उत्पादन आरम्भ किया जाना चाहिये। ३–४ साल से इस की बात चल रही है, पर हुआ न ीं है।

†**श्री जोकीम आल्वा** (कनारा) मैं श्री गोरे की केवल इस बात से सहमत हूं कि आज हमें स्वर्गीय श्री पटनायक जैसे सदस्य की बड़ी आवश्यकता है। प्रतिरक्षा सम्बन्धी मामलों में वह अत्यधिक रुचि लेते थे।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

---

†मूल अंग्रेजी में

ब्रिटेन की भांति, हमारे देश की प्रतिरक्षा का मुख्य भार सेना पर ही है ।

लेकिन आचार्य कृपालानी ने सेना की जिस ढंग से आलोचना की है, उस से तो देश की जनता को अपने सशस्त्र बल पर अविश्वास हो जायेगा, कोई भरोसा ही नहीं रह जायेगा । वह देश के लिये सब से घातक होगा ।

मैंने पिछले दस साल में कभी भी आचार्य जी को सैनिक सेवाओं की सेवा की दशाओं के बारे में बोलते हुए नहीं सुना । आज एक उच्चाधिकारी की पदोन्नति के प्रश्न को ले कर वह इतनी चीख-पुकार मचा रहे हैं । सेना में ऐसा असंतोष फैलाना देश का सब से बड़ा अहित करना है ।

मुझे श्री कृष्णा मेनन से कोई लगाव नहीं, पर आचार्य जी तो सारी सरकार को लौट देने की बातें करते हैं ।

आज संसार में हमारे सशस्त्र बल की बड़ी प्रतिष्ठा है । लेकिन सैनिकों के लिये उन का कोई अपना समाचार पत्र नहीं है । उन को बाहरी समाचार पत्रों पर ही निर्भर रहना पड़ता है ।

आचार्य जी को सेना की सेवा की दशाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है, फिर भी वह कुछ उच्चाधिकारियों की पदोन्नति के प्रश्न को लेकर इतनी चीख-पुकार मचा रहे हैं ।

विदेशी आक्रमण से हमारी प्रतिरक्षा की रीढ़ हमारा सशस्त्र बल ही है ।

सरकार को सरकारी क्षेत्र में एक दैनिक समाचारपत्र निकालना चाहिये, जो सरकारी दृष्टिकोण जनता और सैनिकों के सामने पेश करे ।

आज सब से बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि भारतीय विमान सेना को अधिक शक्तिशाली बनाया जाय और संसद् उस के लिये पर्याप्त धन की मंजूरी दे । आचार्य जी ने तो विमान सेना के बारे में आज तक कुछ भी नहीं कहा ।

नौसेना के सम्बन्ध में भी एक सुस्पष्ट नीति होनी चाहिये । अभी देश में चार सैनिक स्कूल हैं । मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, किट्टूर में भी एक सैनिक स्कूल खोला जाना चाहिये । देश में ऐसे कई सैनिक स्कूल और खोले जाने चाहियें । वहां आधुनिक यंत्रों और उपकरण की व्यवस्था की जानी चाहिये ।

प्रतिरक्षा विभाग को वैज्ञानिक अनुसंधान संस्था को काफी विस्तृत किया जाना चाहिये ।

प्रतिरक्षा सेवाओं के नवयुवक छात्रों को अधिक संख्या में छात्रवृत्तियां दी जानी चाहियें ।

ब्रिटेन की भांति ही, विमान सेना का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के लिये एक समिति नियुक्त की जानी चाहिये । वैज्ञानिकों को उचित वेतन देना चाहिये, जिस से उन में असंतोष की भावना न रहे । हमें इंगलैण्ड और जर्मनी के प्रतिरक्षा सम्बन्धी प्रयासों से सीख लेनी चाहिये ।

प्रतिरक्षा मंत्रालय ने विदेशी भाषा प्रतिष्ठान को और अधिक विस्तृत बना कर बड़ा अच्छा किया है । सैनिकों को कई विदेशी भाषायें जाननी चाहियें ।

श्री मं० रं० कृष्ण ने कहा है कि हमें चीन का मुकाबला करने के लिये अमरीका का सहयोग लेना चाहिये । आज हमारी शक्ति इसी बात में है कि हम किसी एक गुट के साथ अपने को न मिलायें । तभी हम शान्ति और प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं ।

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया (इटावा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं डिफेंस मिनिस्ट्री या प्रतिरक्षा मंत्रालय के अनुदानों पर चलने वाली बहस में हिस्सा लेने के पूर्व, सर्वप्रथम भारतीय सेना के उन सैनिकों को जोकि हिन्दुस्तान की सीमाओं पर खड़े होकर भारतीय सीमाओं की रखवाली कर रहे हैं, उनके साहसिक कार्यों के लिए मैं उनको हार्दिक बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं । यह बात सही है कि हमारे भारतीय सैनिक अपनी सीमाओं पर जूझ रहे हैं, हिन्दुस्तान की स्वतंत्रता की रक्षा कर रहे हैं लेकिन इस संघर्ष और जूझने के बावजूद भी हिन्दुस्तान की सीमाएं सिकुड़ती जा रही हैं और हिन्दुस्तान की सीमाओं पर विदेशियों का कब्जा होता जाता है । जहां तक भारतवर्ष की सीमाओं के छिनने का सवाल है उसके लिए भारतीय सेनाएं जिम्मेदार नहीं ठहराई जा सकती हैं । हमारी सीमाओं का छिनना या भारतवर्ष का विश्व में जो सम्मान घटा है, उसके लिए पूरी जिम्मेदारी हिन्दुस्तान के परराष्ट्र नीति, हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री और पूरी की पूरी सरकार और कैबिनेट (मंत्रिमण्डल) पर आती है । भारत सरकार और कैबिनेट उसके लिए जिम्मेदार ठहराई जानी चाहिएं ।

श्रीमन्, किसी भी राष्ट्र की स्वतंत्रता और उसकी सीमाओं की सुरक्षा, एक सुगठित और सुदृढ़ प्रतिरक्षा और एक अनुशासित सेना पर जितना निर्भर करती है उससे भी अधिक वह उस देश की जनता के मनोबल और आत्मविश्वास पर निर्भर करती है । मैं प्रधान मंत्री महोदय और खास करके श्री कृष्ण मेनन से यह जानना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की जनता के मनोबल और आत्मविश्वास को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या प्रयत्न किया ? मैं माननीय सदस्यों और विशेष करके माननीय कृपालानी जी के इस तर्क से सहमत नहीं हो सकता हूं कि सेना के अन्दर जो भी खराबी और जो भी सुपरशैसन चल रहा है उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी श्री कृष्ण मेनन पर है । किसी भी जनतंत्री देश में जहांकि लोकतंत्रीय परम्पराएं चलती हों, केवल किसी एक कैबिनेट मिनिस्टर या किसी भी एक व्यक्ति को किसी एक अपराध के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है । उसके लिए तो सारा का सारा मंत्रिमंडल जिम्मेदार है और उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री पर आकर पड़ती है । किसी भी खराबी के लिए, सेना में पक्षपात करने के लिए और सेना के उच्च अफसरों की तरक्की उनकी योग्यता, सीनियारिटी और पुरानी सेवाओं को ध्यान में न रख कर केवल मंत्रियों की मन-पसन्दीदगी पर हों, तो इन सब के लिए जितने जिम्मेदार डिफेंस मिनिस्टर श्री कृष्ण मेनन हैं उनसे अधिक जिम्मेदार भारतवर्ष के प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू हैं ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हर चित्र के दो पहलू होते हैं, दो पक्ष होते हैं । लोक सभा में प्रतिरक्षा मंत्रालय के विषय में चित्र का एक पक्ष तो प्रधान मंत्री महोदय और प्रतिरक्षा मंत्री ने उपस्थित किया है, लेकिन उस का जो दूसरा पक्ष है--फ़ौजों में जो घोर असन्तोष और अप्रसन्नता की लहर दौड़ रही है--उस की ओर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है और न उस पर प्रकाश डाला गया है । इस सम्बन्ध में अखबारों में तमाम बातें प्रकाशित होती हैं और दूसरे आदमी भी अपना मत व्यक्त करते हैं । उन से साफ़ ज़ाहिर होता है कि हिन्दुस्तान की फ़ौजों में अनुशासनहीनता बढ़ती चली जा रही है । जेनरल थिमैया ने, जोकि अभी तक हिन्दुस्तान के चीफ़ आफ़ दि आर्मी स्टाफ़ रहे हैं, दिल्ली रोटरी क्लब में भाषण के बाद एक प्रश्न के उत्तर में २० मार्च, १९५९ को यह स्वीकार किया कि इस समय फ़ौजों में वह अनुशासन नहीं रह गया है, जोकि पहले था । उन्होंने कहा कि पुराने ज़माने में १७ साल के अन्दर एक भी कोर्ट मार्शल नहीं हुआ, लेकिन आज मुझे हर रोज़ कोर्ट मार्शल के मामले करने पड़ते हैं । इस विषय में **स्टेट्समैन** में यह समाचार छपा था कि जनरल थिमैया ने स्वीकार किया है कि सेना में अब पहले जैसा अनुशासन नहीं रहा है । जो विचार मैं ने अभी पढ़ कर सुनाया है, वह मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं । वह जेनरल थिमैया, चीफ़ आफ़ दि आर्मी स्टाफ़, का विचार है, जो कि यह स्वीकार करते हैं कि फ़ौजों में वह अनुशासन नहीं

रह गया है, जोकि पहले था। यह बात साफ़ स्पष्ट करती है कि सेनाओं में कहीं न कहीं खराबी है और अगर खराबी है, तो उस के कारण क्या हैं, उन तमाम कारणों को ढूंढना होगा।

यदि हम फ़ौजों में फैले हुए असन्तोष और अप्रसन्नता को देखें, तो पता चलता है कि सेना की कार्य-क्षमता और अनुशासन गिरता जा रहा है। अंग्रेज़ी दैनिक **टाइम्ज़ आफ इंडिया** में २१ मार्च, १९६१ को यह लिखा गया था कि चुनाव में व्यक्तिगत पसंद का भी हाथ है। इस प्रकार के पक्षपात के कारण उच्च अफ़सरों में घोर नाराज़गी है और सुपरसैशन अर्थात् तरक्की योग्यता और सेवा की अवधि के आधार पर न हो कर मनचाहे व्यक्ति को उस की खुशामद के कारण चुने जाने के सबब से देश की सेना के उच्च अफ़सर बराबर त्यागपत्र दे रहे हैं। २१ मार्च, १९६१ को **टाइम्ज़ आफ इंडिया** ने अपने दूसरे लेख में यह लिखा है कि एक लेफ्टिनेण्ट जनरल घरेलू कारणों से सेवा से निवृत्त हो रहे हैं। यद्यपि मैं ने नाम लेना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन यह बात साबित करती है कि हिन्दुस्तान की सेनाओं में कुछ न कुछ गड़बड़ी ज़रूर है। प्रतिरक्षा मंत्री के इस प्रकार के पक्षपात के कारण ही सेना में उत्साहहीनता और निराशा बढ़ती जा रही है और कार्यक्षमता में ह्रास होता जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि यदि सेना का उत्साह गिरा, तो सेना की इस गिरावट को रोका नहीं जा सकता है। सेना की इस गिरावट को रोकने का बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आज इस सदन के समक्ष और हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री के सामने उपस्थित है।

एक तरफ़ तो हमारी सेना में गिरावट और उत्साहहीनता है और दूसरी तरफ़ जब हम हिन्दुस्तान की जनता पर लादे जाने वाले और उस से वसूल किये जाने वाले करों की दरों को देखते हैं, तो मालूम पड़ता है कि प्रतिरक्षा पर प्रति वर्ष किया जाने वाला व्यय बढ़ता जा रहा है। यह बात निम्नलिखित आंकड़ों से प्रकट होती है :—

१९४८–४९ . . . . १४६,०६ लाख रुपये

१९४९–५० . . . १४८,४६ लाख रुपये

१९५३–५४ . . . . १८६,३० लाख रुपये

इसका अर्थ यह है कि इस वर्ष पहले से ४०,२४ लाख रुपया अधिक खर्च हुआ।

१९५७–५८ . . . . २५६,७२ लाख रुपये

अर्थात् इस वर्ष पहले से ११०,६६ लाख रुपया अधिक खर्च हुआ।

१९६०–६१ . . . . ३३०,२५,६१ हज़ार रुपये

इस में कैपिटल आउटले भी सम्मिलित है और पहले से दुगने से अधिक खर्च हुआ।

१९६१–६२ . . . . ३४३,०१,३५ हज़ार रुपये

इस में कैपिटल आउटले भी सम्मिलित है।

यदि हम १९४८–४९ में होने वाले खर्च और १९६१–६२ में होने वाले खर्च को देखें, तो स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिरक्षा पर व्यय दुगना और तिगुना होता जा रहा है। हमारे देश की सेना पर, प्रतिरक्षा मंत्रालय पर खर्चा बढ़ रहा है। उस का बजट बढ़ रहा है। होना यह चाहिए था कि इस खर्च के बढ़ने के फलस्वरूप हमारी सीमाओं का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए था और हमारे क्षेत्र पर चीन का आक्रमण और अधिकार नहीं होना चाहिए था। मैं कहना चाहता हूं कि इस से हिन्दुस्तान की जो खिदमत होनी चाहिए थी, वह अभी तक नहीं हुई। अगर खर्चा बढ़ता है, तो साथ ही साथ हिन्दुस्तान की सुरक्षा भी बढ़नी चाहिए, हिन्दुस्तान की जनता का उत्साह और आत्म-विश्वास भी बढ़ना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि न तो जनता का आत्मविश्वास बढ़ रहा है और न हिन्दुस्तान की सीमाओं की कुछ भी सुरक्षा हो रही है।

[श्री अर्जुन सिंह भदौरिया]

अगर हम प्रतिरक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट पर ग़ौर करें, तो पता चलता है कि १,२०० रुपये मासिक से ले कर २,४०० रुपये मासिक तक मनोरंजन के लिए खर्चा दिया जाता है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि ब्रिगेडियरों और मेजर-जनरलों को मनोरंजन के लिये भी १,२०० और २,४०० रुपये दिये जाते हैं, भत्तों और वेतनों के अतिरिक्त। एक तरफ़ तो हिन्दुस्तान के उन सैनिकों को, जो हिन्दुस्तान की सीमाओं पर हिन्दुस्तान की रक्षा कर रहे हैं, जो हमारे देश के शानदार प्रहरी हैं, पच्चीस तीस रुपये दे कर सूखे चने दिये जा रहे हैं और दूसरी तरफ़ मुट्ठी भर अफ़सरों के लिये एन्टरटेनमेंट (मनोरंजन) के लिये खर्चा बढ़ाया जा रहा है।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : उन को सूखे चने नहीं दिये जाते हैं। उन को राशन दिया जाता है।

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : इस का नतीजा यह है कि हिन्दुस्तान की जनता पर टैक्स बढ़ रहा है और कुछ मुट्ठी भर लोगों पर किया जाने वाला खर्च बढ़ रहा है। मैं आप के द्वारा हुकूमत से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर देश की सीमाओं की रखवाली करनी है तो देश के शानदार प्रहरियों का रहन-सहन का स्तर ऊंचा करना होगा जो एक हज़ार फ़ीट ऊपर और एक हज़ार फ़ीट नीचे जाकर ढाई मन का बोझा अपने कन्धों पर ले कर चलते हैं। उन की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए और उन की सुविधाओं की ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए।

गत वर्ष प्रतिरक्षा मंत्रालय के अनुदानों की बहस में मैंने बताया था कि प्रतिरक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट भारत में तैयार नहीं हुई बल्कि चीनी एम्बैसी में उस का ड्राफ्ट बनाया गया। पिछले साल उस रिपोर्ट में यह लिखा गया था कि हिन्दुस्तान की सीमा पर जो कुछ भी चीन ने किया वह एक साधारण सी आर्डिनरी सी घटना है। इस वर्ष की रिपोर्ट को देख कर मैं हैरत में रह गया कि चीनी आक्रमण या हिन्दुस्तान की सुरक्षा और हिन्दुस्तान की सीमाओं की रखवाली या आने वाले आक्रमण को किस तरह रोका जायेगा इस विषय में एक भी शब्द इस वर्ष की रिपोर्ट में नहीं है।

आज-कल अखबारों में खुलासा आ रहा है कि हिन्दुस्तान की सीमाओं पर चीन की तरफ़ से दो तीन लाख सैनिक लगे हुए हैं और हिन्दुस्तान की सीमाओं के किनारे पर दर्जनों हवाई अड्डे बना कर तैयार किये गये हैं। लेकिन हमारे यहां प्रतिरक्षा मंत्री प्रत्येक बात को गोपनीयता का गीत गा कर छिपा लेते हैं और इस प्रकार देश की सुरक्षा के साथ खेल खेल रहे हैं।

कैन्टीन स्टोर्ज डिपार्टमेंट (इंडिया) में जो गड़बड़ी हुई है उस के बारे में समाचारपत्रों में यह लिखा गया है कि दो करोड़ रुपये का गोलमाल हुआ है। इस तरह के आरोप लगाये जा रहे हैं और मैं चाहता हूं कि उन का भी जवाब दिया जाना चाहिए। साथ ही कैन्टीन स्टोर्ज डिपार्टमेंट (इंडिया) में बराबर लाभ हो रहा है। १९५५-५६ में १९ लाख, १९५६-५७ में २१ लाख और १९५७-५८ में २० लाख का फायदा हुआ। हमेशा लाखों रुपये का फायदा वहां होता है लेकिन फिर भी कर्मचारियों को बोनस नहीं दिया जाता है और ठीक तरह से उस की जांच-पड़ताल नहीं की जाती है। मेरा सुझाव है कि कामर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री के किसी व्यक्ति को वहां का चेयरमैन बनाया जाये और उस के कर्मचारियों को राजकीय कर्मचारी घोषित किया जाये और कैन्टीन स्टोर्ज डिपार्टमेंट के आदमियों को तरक्की दी जाये और बाहर के लोग उसमें न लिये जायें।

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य को समाप्त कर देना चाहिए ।

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : एक ही मिनट ले कर मैं अपनी पूरी की पूरी बात को समाप्त किए देता हूं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि काश्मीर में फौजी अफसर वहां के ग्रुप पालिटिक्स (दलगत राजनीतिक) में हिस्सा लेते हैं ? इसके साथ ही साथ क्या यह सही नहीं है कि काश्मीर षडयंत्र केस में उच्च सैनिक अफसर प्रैस को ब्रीफ करते हैं ? यदि यह सही है तो क्या आप समझते हैं कि यह ठीक है कि वे दलगत राजनीति में भाग लें ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि काश्मीर में सेना के लिए जो राशन और दूसरी चीजें उपयोग के लिए दी जाती हैं वे कहां से खरीदी जाती हैं ये ठेके किन को मिल रहे हैं और क्या यह सही नहीं है कि अधिकतर ठेके उन्हीं लोगों को दिए जाते हैं जो रूलिंग पार्टी से सम्बन्धित हैं ?

†**आचार्य कृपलानी :** कल माननीय मंत्री ने कहा था कि हजारों-लाखों ऐसी गाड़ियों को उपयोग के योग्य बनाया गया है जो बेकार समझकर फेंक दी गई थीं । मैंने इस पर पूछा था कि किस चीज को उपयोग-योग्य बनाया गया ? इस पर माननीय प्रतिरक्षा मंत्री ने कहा था कि वे सूचना दे सकते हैं मुझे समझदारी नहीं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री ने शायद माननीय सदस्य का प्रश्न ठीक से सुना नहीं होगा ।

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** कल मैंने यह वाद-विवाद आरम्भ किया था । मुझे खेद है यदि उससे गैर सरकारी माननीय सदस्यों के लिये कम समय रह गया हो । मैं चाहता था कि जिन मदों के बारे में सूचना आसानी से लोकहित को देखते हुए दी जा सकती है वह माननीय सदस्यों को जुटा दी जाये जिससे कि उन पर बहस में सभा का समय खराब न हो ।

आचार्य कृपालानी ने अपना भाषण इन शब्दों के साथ शुरू किया था कि कुछ लोग समझते हैं कि उनको प्रतिरक्षा मंत्री के विरुद्ध कुछ पूर्वाग्रह है । उन्होंने कहा था कि उनको मेरे विरुद्ध कोई पूर्वाग्रह नहीं है । मैं भी ऐसा ही समझता हूं । उन्होंने जो भी कहा हैं जो भी आलोचना की है वह उनही चीज़ों की है जिनको उनका अनुमोदन प्राप्त नहीं है । मेरा नाम उन चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है यह दूसरी बात है । उस आलोचना में व्यक्तिगत पूर्वाग्रह नहीं है ।

इस वाद-विवाद में अधिकांश समय प्रशासन सम्बन्धी प्रश्नो की चर्चा रही है । जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने कहा है वह सारी चर्चा पदोन्नति के एक मामले को लेकर ही हुई है । प्रधान मंत्री उसके बारे में काफी विस्तार से कह चुके हैं ।

शेष जितने भी प्रश्न उठाये गये हैं मैं उनके बारे में बताने की भरसक चेष्टा करूंगा । १९६१ का लोक लेखा प्रतिवेदन लोक लेखा समिति के पास जायेगा । उसमें ४० पैरे हैं जिनमें से २४ पैरे ऐसे मामलों से सम्बंधित हैं जो इस चालू सत्र से पहले के काल के हैं । उनमें कोई ऐसे हैं जिनका उल्लेख बार-बार हो चुका है ।

मैं उन मदों को लेना चाहता हूं जिनका वर्तमान काल से कुछ ज्यादा सम्बन्ध है ।

आचार्य कृपालानी ने कहा है कि आयुध कारखानों के उत्पादों को एक बड़े परिणाम में रद्द कर दिया जाता है । यह तो बड़ा अच्छा है । इससे पता चलता है कि हम अपने उत्पादों की किस्म का कितना ध्यान रखते हैं । सेनाओं को युद्ध सामग्री और शस्त्रास्त्र यदि घटिया किस्म

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कृष्ण मेनन]

के मिलने दिये जायें तो बड़ा खतरनाक होगा। कहा गया है कि एक आयुध कारखाने ने ९५३ लाख के स्टोर्स को रद्द कर दिया था। हमने इसकी जांच की है। २५ से ३० करोड़ रुपये के मूल्य के कुल उत्पादन में से ९ करोड़ रुपये के मूल्य के उत्पादन को रद्द करना कोई बड़ी असाधारण बात नहीं। आयुध कारखाने ऐसी सामग्री तैयार कर रहे हैं जिनकी उत्पादन-क्षमता अन्य क्षेत्रों में नहीं है। इसलिये उसके काम की प्रगति अपेक्षतया अधिक ही रहेगी।

अमरनाथ मशीन टूल्स फैक्टरी की जो आलोचना की गई है वह शायद उस फैक्टरी के बारे में प्रचलित एक ग़लत धारणा के कारण की गई है। वह कारखाना सभी प्रकार के मशीनी औजार बनाने के लिये नहीं है। उसमें प्रतिरक्षा से ताल्लुक रखने वाले पेचीदा किस्म के कुछ खास-खास मशीनी औजार ही बनाते हैं। उसमें अन्य प्रकार के औजार बनाना आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं होगा। इस कारखाने की स्थापना १९४६ में हुई थी और उसकी अधिकांश आलोचना १९४९ से १९५३ के काल को लेकर ही की गई है। लेकिन १९५७ में उसका उत्पादन ७.६ लाख रुपये तक बढ़ गया था और अब २१ लाख रुपये प्रतिवर्ष का होता है। उस काल में कारखाने को इतना अनुभव नहीं था। आज हम उसकी क्षमता का पूरा उपयोग कर रहे हैं। उसमें ट्रैक्टरों के लिये गियर और बन्दूकों के लिये प्लेनेटरी गियर तैयार किये जा रहे हैं।

दिल्ली के पास ही स्थित आयुध कारखाना काफी पुराना है और पुराना होने के कारण उसकी मशीनें वगैरह पुरानी होने के कारण कुछ असुविधा और कठिनाई भी पड़ती है। कारखाना नया भी होता तो निर्माण-काल के प्रारम्भ में तैयार माल को ज्यादा रद्द करना स्वाभाविक होता है इसलिये भी कि वहां का काम किसी विदेशी विशेषज्ञ के पर्यवेक्षण में नहीं चलता। ग़लतियां करके ही हम स्वयं ही अच्छे तरीके सीख रहे हैं। संसार के ऐसे सभी कारखानों में काफी परिमाण में उत्पादों को रद्द किया जाता है। मैं इस पर जोर इसलिये दे रहा हूं कि अगले वर्ष भारत इलैक्ट्रोनिक्स ट्रांजिस्टर्स बनाना शुरू करेगा; और संसार के अन्य देशों की भांति हमारे यहां भी ट्रांजिस्टर्स के निर्माण में काफी तैयार सामान को रद्द करना पड़ेगा। लेकिन अनुभव बढ़ने के साथ-साथ अब उतना रद्द करने की आवश्यकता नहीं रही जितनी कि आरम्भ में थी। १९५७–५८ में कुल उत्पादन ६४ लाख रुपये और रद्द किये जाने वाले उत्पाद ३.८९ लाख रुपये के मूल्य के थे। और १९५९–६० में कुल उत्पादन १०३ लाख रुपये और रद्द किये गये उत्पाद केवल ०.७९ लाख रुपये के रह गये थे।

विलम्ब के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि सरकारी संस्थानों विशेषकर विभागीय आयुध कारखानों में विलम्ब होने के कई कारण हैं। सबसे पहला तो यह कि हमें उत्पाद की क़िस्म का नियंत्रण करना पड़ता है। दूसरा यह कि विभागीय कारखानों में काम की एक निश्चित प्रक्रिया होती है। हमें इस प्रक्रिया को प्रतिरक्षा उत्पादन के अनुरूप ढालना पड़ेगा। फिर भी आयुध कारखानों के उत्पादन के मामले में कोई अनावश्यक विलम्ब नहीं हुआ है। कभी कभी हमें सेना की मांग को देखते हुए कुछ मदों का उत्पादन कुछ काल के लिये स्थगित करके दूसरी मदों को हाथ में लेना पड़ता है। हमारा मुख्य प्रयोजन मुनाफा तो नहीं है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

एक स्टोर कैरियर जहाज के बारे में कहा गया था कि हमने उसे खरीदने के बाद सात वर्ष तक उसका इस्तेमाल नहीं किया। सात साल की बात गलत है। लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन में कहा गया है कि उसे १९५२ में खरीदा गया था। १९५८ तक हम उसका इस्तेमाल इसलिये नहीं कर सके

कि उसे अपने प्रयोग के योग्य बनाने में छः वर्ष लग गये थे। विरोधी दल के सदस्यों, विशषकर आचार्य कृपालानी को यह तथ्य भी तो देखना चाहिये था।

नेफा में सेना इंजीनियरों द्वारा बनाई गई सड़कों के बारे में कहा गया है कि उसमें अतिरिक्त लागत लगी है। सेना-इंजीनियरों ने पहली बार ऐसे कठिन प्रदेश में सड़कें बनाने का काम हाथ में लिया था। उसकी मंजूरी १९५२ में दी गई थी। शुरू में काम की प्रगति धीमी थी, लेकिन १९५७ में काफी बढ़ गई थी। एक सड़क १९५७ में और दूसरी १९५८ में पूरी हो गई थी।

लागत के बारे में भी यह है कि इन दोनों सड़कों की निर्माण-लागत ४ लाख रुपये प्रति मील पड़ी है, जबकि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा ऊधमपुर क्षेत्र में निर्मित सड़कों की लागत ५ लाख रुपये प्रति मील पड़ी है। इसलिये इसमें सरकार को कोई घाटा नहीं रहा। वैसे सेना-इंजीनियर निर्माण का प्राक्कलन तैयार करने के अभ्यास्त नहीं होते।

कहा गया है कि खमरिया में सरकार को स्टोर्स खो जाने के मामले में १७०—१८० लाख रुपये का घाटा हुआ है। मुझ खुद बड़ा ताज्जुब हुआ था। मैंने जांच की है। हम दो साल से लगातार इसका स्पष्टीकरण भी करते रहे हैं कि यह स्टोर्स इस कारखाने में युद्ध के हाल ही बाद आया था। पता नहीं उसे कौन लाया था, और किसने उनका हिसाब रखा था। बेचारे प्रबन्धक ने तब उसे ले लिया था। वह कभी का सेवा छोड़ चुका है। जो भी हो, वित्त मन्त्रालय और प्रतिरक्षा मन्त्रालय के प्रतिनिधियों ने उस मामले की जांच की है और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि कुल घाटा २५ लाख रुपये से अधिक का नहीं हुआ। हम यह कई बार सभा में बता भी चुके हैं।

नौसैनिक नवांगण में भी स्टोर्स के बारे में अब अधिक सतर्कता बरती जाने लगी है। संसार में सभी जगह लोग नौसेना को स्टोर्स के प्रति लापरवाह ही मानते हैं। लेकिन भारतीय नौसेना के बारे में यह नहीं कहा जा सकता। लेखा-परीक्षकों ने लेखा रखने की पद्धति की जो खामियां बताई थीं, उनको अब ठीक कर लिया गया है।

अब प्रश्न है यंत्रीकृत परिवहन के लिये पुर्जों, वास्तव में टैंकों के पुर्जों की खरीद का। इसके बारे में लोग अक्सर यह भूल जाते हैं कि मैं अभी जिन टैंकों का जिक्र कर रहा हूं वे पिछले युद्ध के काल के बचे हुए हैं। अब चूंकि टैंकों का कोई युद्ध नहीं चल रहा है, इसलिये उनका उपयोग सैनिक अभ्यास के लिये किया जाता है। अब उनके पुर्जे भी उनके मूल निर्माता नहीं बनाते। इसलिये हमें उनके लिय आवश्यक पुर्जे खरीदने के लिये कुछ विदेशी विक्रताओं और कुछ देशों की सरकारों से बातचीत करनी पड़ती है। लोक लेखा समिति का सबसे बड़ा आरोप यही था कि इसमें कुछ अनियमिततायें हुई हैं। समिति ने इसीलिइये सकी जांच के लिये एक दूसरी समिति नियुक्त करने के लिये कहा है। मन्त्रालय ने समिति का सभापतित्व ग्रहण करने के लिये मन्त्रि-परिषद् के सचिव से अनुरोध किया था। आचार्य कृपालानी की यह धारणा गलत है कि उस समिति में एक ही सदस्य है—मन्त्रिपरिषद् का सचिव। समिति के ३—४ सदस्य और भी हैं, जो वरिष्ठ सरकारी सचिव हैं। शायद प्रतिवेदन तैयार हो गया है, पर अभी मेरे पास नहीं आया है।

कहा गया है कि कुछ मदों का आर्डर आवश्यकता से अधिक बढ़ा कर दिया गया है। ऐसी १४४ मदों का उल्लेख किया गया था। उनमें से कुछ तो २—३ या ५ सैन्ट तक की लागत के ही हैं। फिर भी मदों की इतनी अधिक संख्या देखकर बुरा तो लगता ही है। वह समिति इसकी जांच कर रही है। उसका प्रतिवेदन आने पर सब स्पष्ट हो जायगा। ये सभी आर्डर भारतीय सम्भरण मिशन, वाशिंगटन के जरिये दिये गये थे। आवश्यकता से अधिक सामग्री का आर्डर शायद नहीं दिया गया है। आशा तो यही है कि जितनी भी सामग्री का आर्डर दिया गया है, उतनी सभी इस्तेमाल में आ जायगी। मेरी तो यही सूचना है।

[श्री कृष्ण मेनन]

सरकारी सीटों से नौसेना की कुछ आलोचना की गई है। हमें बताया गया है कि नौसेना के लिये बहुत कम की व्यवस्था की गई है और भारत को विशाल नौसेना बनानी चाहिये। जहाजों के क्रय करने की भी आलोचना की गई। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारे लिय यह सम्भव नहीं है कि ऐसे नये जहाजों को खरीदें जो पुराने जहाजों जितने ही मजबूत हों और उनकी आयु भी पुराने के समान ही हो। यह पुराने जहाज लगभग दोबारा ही बनाये जाते हैं। हमने दिल्ली तथा मैसूर दो जहाज खरीदे हैं। दिल्ली मूलत: एचलिस जहाज था जिसने टेलर की लड़ाई में भाग लिया था तथा मैसूर एक आधुनिक क्रूजर है जो अंग्रेज़ी बेड़े में था।

एयरक्राफ्ट कैरियर की आलोचना सुन कर मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं बताना चाहता हूं कि एयर क्राफ्ट कैरियर का आर्डर बहुत पहले दे दिया गया था। यह सैकण्ड-हैंड एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। ऐसा हुआ था कि ब्रिटिश नैवी ने 'हरकूलीस' नामक एक कैरियर बनाया था। परन्तु इसका निर्माण होने से पहले ही युद्ध खत्म हो गया। सच यह है कि अंग्रेज इस जहाज को हमें देना ही नहीं चाहते थे।

दूसरी बात यह कही गई कि एयरक्राफ्ट कैरियर वर्तमान युद्ध व्यवस्था को देखते हुए बेकार हैं और फ्रान्स आदि में इनका प्रयोग परिवहन के लिये किया जाता है। मुझे बात बड़ी अजीब लगी क्योंकि मैंने तो यह नहीं सुना कि फ्रान्स में एयर क्राफ्ट कैरियरों को परिवहन के लिये इस्तेमाल किया जाता है। यह सच है कि उन्होंने धन बचाने के लिये भारत आने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर का परिवहन जहाज के रूप में इस्तैमाल किया था परन्तु वहां पर मैं समझता हूं कि सामान्यत: ऐसा नहीं होता है।

अमरीका में भी एयर क्राफ्ट कैरियर बड़ी संख्या में है। वित्तीय वर्ष १९६२ में अमरीका ने नौसेना के लिये पारपरिक हथियारों तथा पारंपरिक जहाजों के लिये भी आवंटन किया है। इस प्रकार पता लग जाता है कि जानकारी की कमी के कारण यह आलोचना की गई है।

एक बात यह कही गई कि चीन के विरुद्ध तो एयरक्राफ्ट कैरियर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है इसलिए इसको खरीदना बकार सावित होगा। मैं बताना चाहता हूं कि एयरक्राफ्ट कैरियर को कुछ दिनों में ही कमीशन नहीं कर दिया जाता है। इसके लिये २०० अथवा ३०० अफसरों की आवश्यकता होती है और इस प्रकार पता लग जाता है कि इसको कमीशन करने के लिये छ: अथवा सात वर्ष चाहिएं।

श्री रघुनाथ सिंह ने यह डर जाहिर किया कि यदि कोई दूसरा देश हम पर सबमैरीन से हमला करता है तो हमारे पास सबमैरीन न होने के कारण हम उस हमले का प्रत्युत्तर नहीं दे सकते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि हमारी राष्ट्रीय नीति हमला करने की नहीं है इसलिये सबमैरीन की हमें आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती है। सबमैरीन एक आक्रमण करने का हथियार है। हम सब मैरिन का हमला रोकने के कार्यों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। नौसेना की जो एक्सरसाइज हो रही हैं उनमें से सबमैरीन का हमला रोकने का ही प्रशिक्षण दिया जाता है। जब तक यह स्पष्ट नहीं हो जाता है कि सबमैरीन खरीदने से हमें लाभ होगा हम कभी भी सब मैरीन खरीदने को तैयार नहीं होंगे।

चिन्ता प्रकट की गई कि हमारे पास पैट्रोल क्राफ्ट, गनबोट आदि नहीं हैं। समुद्री प्रतिरक्षा बोट अधिकांशत: भारत में बनाई जाती हैं। माजागांव गोदी तथा गौर्डन रीच गोदी कारखानों में जब हम वित्त मन्त्रालय की बोटें बना सकते हैं तो प्रतिरक्षा मन्त्रालय की तो हम निश्चित रूप से बनाते ही होंगे ऐसा समझा जाना चाहिये।

मैं समझता हूं कि सैनिक स्कूलों के बारे में कुछ गलतफहमी है। मैं बताना चाहता हूं कि यह स्कूल इसलिये बनाये गये हैं जिससे खड़गवासला भेजने के लिये हमें उपयक्त लड़के मिल सकें।

इन स्कूलों को खोलने का आरम्भ राज्यों को करना है क्योंकि वित्तीय भार तो उन्हीं पर पड़ेगा। हम तो केवल अफसर आदि ही इन स्कूलों के लिए देते हैं। हमारा विचार है कि इन स्कूलों में विद्यार्थी अखिल भारतीय परीक्षाओं के द्वारा भरती किये जायें। मैं आशा करता हूं कि इस वर्ष जनता की दिलचस्पी की तुलना में अगले वर्ष जनता में और भी प्रोत्साहन दिखाई देगा। मैं आशा करता हूं कि राज्य हमें इन स्कूलों को खोलने के बारे में लिखेंगे।

अब मैं आयुध कारखानों के उत्पादनों के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। मैं पहले भी बता चुका हूं कि चार वर्ष पहले आयुध कारखानों में लगभग ४४,००० कर्मचारी थे जिनमें से लगभग ६००० कर्मचारियों को सेवामुक्त कर दिया गया था। इस समय इन कारखानों में लगभग ४२,००० व्यक्ति हैं। और यह इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि जिससे उत्पादन बहुत बढ़ गया है। इस प्रकार पता लग जाता है कि हम धन तो उतना ही व्यय कर रहे हैं जितना पहले कर रहे थे परन्तु उत्पादन उसकी तुलना में बहुत बढ़ गया है।

भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड को लीजिये। बताया गया है कि यह प्रतिरक्षा कारखाना नहीं होना चाहिये। मैं बताना चाहता हूं कि सात वर्ष पहले यह कारखाना प्रतिरक्षा के अधीन ही बनाया गया था क्योंकि प्रतिरक्षा मन्त्रालय ही अधिकांशतः इलैक्ट्रोनिक यन्त्रों का प्रयोग करता था। अब यह कारखाना रेलवे गृह तथा परिवहन मन्त्रालय के लिये भी काम करता है। १९५७–५८ में २८ लाख रुपये, १९५८–५९ में ६५ लाख रुपये १९५९-६० में ११० लाख रुपये का तथा १९६०-६१ में १७० लाख रुपये का उत्पादन इस कारखाने में हुआ है। इस प्रकार पता लग जाता है कि गत ४ अथवा ५ वर्षों में भारत इलैक्ट्रोनिक्स का उत्पादन ६ लाख रुपये से १७० लाख रुपये हो गया है।

मजदूरों के साथ व्यवहार के बारे में भी आलोचना की गई है। मैंने कल बताया था कि हड़ताल तथा मजदूरों आदि की कठिनाई के कारण हमने ८२,००० काम के घंटे खोये थे। इस वर्ष भी हमने ३४० काम के घंटे खोये हैं।

एक माननीय साम्यवादी सदस्य ने कर्मचारियों का उत्पीड़न करने का प्रश्न उठाया। हमने कोई उत्पीड़न नहीं किया है। हम तो केवल सरकार की नीति के अनुसार ही काम करते हैं और इस बात का ध्यान रखते हैं कि बदला लेने की भावना से कोई काम न किया जाय। । उदारता से समस्या को हल करने का प्रयत्न करते हैं। केवल इस बात का ध्यान जरूरत से ज्यादा रखा जाता है कि मशीनें न टूट जायें तथा कोई जानकारी बाहर न निकल जाये। इन्हीं कारणों से हमें कुछ कर्मचारियों को पदच्युत करना पड़ा है।

हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट के बारे में सभा में प्रश्न पूछे थे और मैं आंकड़े बता चुका हूं। मैं कल यह भी बता चुका हूं कि पहले जो यह सामान्य भ्रम था कि जो काम तीन भारतीय करते हैं उसको एक अंग्रेज कर सकता है। वह भ्रम, हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट के उत्पादन को देखने पर समाप्त हो जाता है।

अब मैं विवादास्पद बातों की ओर आता हूं। इन में से एक रूसी विमानों की खरीद है और रूसी चालकों की उड़ान है। रूसी चालक हमारी वायु सेना सेवा में नहीं हैं अपितु रूसी सरकार के अधीन हैं और सप्ताह में तीन बार हिमालय पर उड़ान करते हैं। हमने जो रूसी विमान लिये हैं वह 'सह अस्तित्व' की नीति के कारण ही लिए हैं। प्रधान मंत्री दो वर्ष पहले सभा में बता चुके हैं कि यह देश विमान, हथियार तथा जहाज किसी एक स्थान से नहीं खरीदेगा। जहां से भी उचित लगेगा वहां से खरीदेगा। यह रूसी विमान पहाड़ी क्षेत्रों में, जहां पर आदमियों का जाना कठिन है, सड़क बनाने के लिए आवश्यक वस्तुयें पहुंचाने के लिए लिये गये हैं। ये सीमा सड़क संगठन

[श्री कृष्ण मेनन]

का अंग हैं तथा इनसे केवल सड़क बनाने का काम लिया जाता है। मैं बताना चाहता हूं कि इन पर्वतीय क्षेत्रों में खाना, कपड़ा तथा दियासलाई आदि सभी वस्तुयें विमान द्वारा पहुंचाई जाती हैं।

हमें इन कामों के लिये विमान रूस तथा अमरीका से ही मिल सकते थे और हमने इनको रूस से लिया क्योंकि हमारे कार्यों के लिए हमें वही उपयुक्त लगे। अब समाचार पत्रों में बताया गया है कि इन विमानों ने उस प्रकार का काम नहीं किया है जिस प्रकार के काम की इनसे आशा थी। परन्तु मैं बताना चाहता हूं कि यह सब बातें ग़लत हैं। आप आशा नहीं कर सकते हैं कि पहले दिन ही विमानों को पूरा भार भर उड़ाया जाय। चालक को भी सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ता है। तीन दिन हुए एक विमान चुसूल पर उड़ा था और कल वह भारतीय मैदान पर उड़ा। वह ऊबड़ खाबड़ मैदान में भी उतर गया और पुनः ऊपर उठ गया। इनमें मिट्टी का तेल इंधन के रूप में काम में लाया जाता है। इनमें चार टरबो-प्रोप इंजन लगे हैं जिनकी रफ्तार ४०० मील प्रति घंटा है।

दूसरी बात यह कही गई कि रूसी चालकों से लेह में विमान उड़वाये गये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या रूसियों ने स्वयं यहां आने को कहा था? हमने उन्हें बुलाया था। यहां आने पर उनका पहला अनुरोध यही था कि उनको पाकिस्तान अथवा चीन सीमा के निकट न जाने दिया जाये। परन्तु रूस में इतने ऊंचे पहाड़ नहीं हैं जितने ऊंचे यहां पर हैं इसलिए आवश्यक हो जाता है कि वह रूसी चालक इन रूसी विमानों को इन ऊंचे पहाड़ों पर उड़ा कर यह जानें कि यह विमान यहां पर उड़ सकते हैं अथवा नहीं। इन चालकों को उन स्थानों पर नहीं जाने दिया गया है जहां विदेशी नहीं जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि २१ अप्रैल को वह वापस रूस जा रहे हैं।

मैं बताना चाहता हूं कि यह विमान चालक यहां पर क्यों आये हैं। हमने विमान मंगाये। उन्होंने विमान भेजे। परन्तु उनको यहां पर उड़ाने वाला कोई नहीं था क्योंकि हमारे चालकों को रूस में प्रशिक्षित किया जा रहा था। इस प्रकार हमारे पास विमान तो आ गये थे परन्तु उनको चलाने वाले उपलब्ध नहीं थे। यदि हम इन विमानों का उपयोग नहीं करते तो मैं जानता हूं कि हम पर यह आरोप लगा दिया जाता कि हमने अपव्यय किया है। इसलिए भारतीय चालकों के साथ एक रूसी चालक इस उद्देश्य से उड़ा जिससे भारतीय चालकों का प्रशिक्षण कर दिया जाय। इन विमानों को चलाना सीखने में लगभग २ महीने लग जाते हैं परन्तु मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता होती है कि हमारे कर्मचारी बड़े प्रवीण हैं और इतने थोड़े समय में ही वह कुशलता से इन विमानों को उड़ाने लगे हैं।

अब मैं हैलीकोप्टरों के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। इनके बारे में भी बताया गया है कि रूसी चालकों ने इनको सीमा प्रदेशों में उड़ाया और उनके साथ क्वार्टर मास्टर जनरल भी उड़े थे। यह हैलीकोप्टर भी परीक्षणपर था। रूस के अतिरिक्त सारे संसार में और कोई देश नहीं है जहां पर इतनी ऊंचाई तक उड़ने वाले हैलीकोप्टर बनाये जाते हों। परन्तु हम खरीदने से पहले यह जान लेना चाहते हैं कि वह वास्तव में ऊंचे उड़ सकते हैं अथवा नहीं।

विमान में क्यू० एम० जी० रूसी चालक, २ विमान बल पदाधिकारी थे। क्यू० एम० जी० ही ऐसे पदाधिकारी थे जिन्होंने २३,००० फीट तक उड़ना स्वीकार किया था। विमान में कोई कैमरा नहीं था। फोटो लेने के यंत्र नहीं थे।

आचार्य कृपालानी ने यह आरोप लगाया कि मैंने जम्मू तथा काश्मीर में एयर अफसर को टेलीफोन किया था कि विमान को उड़ने दिया जाय। अध्यक्ष महोदय विमान को २ दिसम्बर

को उड़ाया गया था और मैं तब न्यूयार्क में था । यह संभव था कि मैं न्यूयार्क से टेलीफोन कर देता परन्तु मैंने ऐसा नहीं किया ।

अब मैं प्रतिरक्षा विभाग की वैज्ञानिक संस्थाओं तथा शोधनशालाओं के बारे में बताना चाहता हूं । हमारे पास १८ शोधनाशालायें हैं, तथा ६ 'डिटैचमेंट' हैं जिनमें ५०० वैज्ञानिक काम कर रहे हैं । यह बहुत ही अच्छा काम कर रहेहैं । हथियारों का विकास कर रहे हैं । सशस्त्र सेनाओं तथा प्रतिरक्षा विज्ञान सेवाओं का समन्वय बढ़ रहा है । रैडिएशन, चिकित्सा तथा खाद्य पदार्थों के लिए गवेषणा में उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है । खाद्य पदार्थों को लीजिए । भारतीय सेनायें डिब्बों में बन्द खाना खाने की आदी नहीं हैं । इसलिए आवश्यक हो जाता है कि हमारे वैज्ञानिक विभाग इस प्रकार की खोज करे जिनके द्वारा चपातियां छः महीने तक ताजा रखी जा सकें । हमारे अधिकांश सैनिक विशेष विमान बल के, मांसाहारी नहीं हैं इसलिए यह भी आवश्यक हो जाता है सब्जियों को ताजा रखने के उपाय ढूंढे जायें । नये हथियारों के बारे में खोज की गई है और उनके लिए हम डा० कोठारी के आभारी हैं ।

हमारे हथियारों को पुराने जमाने के हथियार बताया गया है । मैं आपको, सभा को तथा गैलरी में बैठे सैनिकों के पारिवारिक संबंधियों को बताना चाहता हूं कि हमारा देश विश्व की बड़ी शक्ति न होते हुए भी बहुत शक्तिशाली है और हमारे पास नवीनतम हथियार हैं और दिन प्रति दिन आधुनिक हथियारों की खोज करते आ रहे हैं । सभी प्रकार की बन्दूकें तथा राइफलें हमारे देश में इस समय बनाई जाती हैं । मैं आंकड़े बताता हूं । १९५७–५८ में विदेशों से भांडारों के क्रय के लिए ९३.५७ करोड़ रुपया हमें मिला था, परन्तु १९६०–६१ में यह धन ४८.४४ करोड़ रुपया हो गया है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि हमारा उत्पादन बढ़ गया है ।

यद्यपि एयर मार्शल मुकर्जी के निधन से वायु सेना में बहुत हानि हुई है परन्तु मुझे प्रसन्नता है कि मार्शल मुकर्जी जो पथ दिखला गये हैं उस पर हमारी वायु सेना बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है । हमारे पास अफसरों की कमी है और हम प्रयत्न कर रहेहैं कि सहायक सेना से अफसर ले लिए जायें ।

यह कहा गया कि हम ट्रैक्टर बेकार बना रहेहैं । मैं बताना चाहता हूं कि यह ट्रैक्टर नहीं होते हैं अपितु मिट्टी हटाने की मशीन होती हैं । यह मशीनें सड़क बनाने के काम में आती हैं इसके अतिरिक्त आपत्तिकाल जैसे पानी की गड़बड़ होने पर जमुना में इस मशीन का उपयोग किया गया था ।

मैं अपने वैज्ञानिकों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे बेकार पड़े गोला बारूद को मरम्मत करके पुनः काम में लाने योग्य बना दिया है । पहले ऐसा होता था कि इन बेकार गोली बारूद को समुद्र में दाब दिया जाता था । परन्तु अब इन गोलियों का धातु, टीन आदि बचा कर पुनः उपयोग में लाया जा सकता है । इस प्रकार हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत बचत की है ।

अब मैं पदोन्नतियों के विषय में बताना चाहता हूं । कल भी मैं ने इस चीज के बारे में बताया था और आज भी मैं कुछ कहना चाहता हूं । जूनियर कमिशंड अफसरों की पदोन्नतियां सामान्य रूप से होती हैं । यह चीज सैनिक प्रधान कार्यालय तक भी नहीं आती । क्षेत्रों के कमांडर ही यह काम करते हैं । इसके बाद उन अफसरों की बात है जिन्हें राष्ट्रपति का कमीशन प्राप्त है । इसके अन्तर्गत दो प्रकार की उन्नतियां हैं । उनमें कुछ लोगों की उन्नति योग्यता के आधार पर होती है और उन्हें पूरी तरक्की दी जा सकती है । जिनको ऐसी तरक्की नहीं मिलती उन्हें टाइम स्केल व्यवस्था के आधार पर रखा जाता है । लेफ्टीनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर तथा मेजर जर्नल आदि के स्थायी

[श्री कृष्ण मेनन]

पदों से चुनाव बोर्ड—असंख्या १ द्वारा तरक्की दी जाती है। उस बोर्ड में चीफ आफ आर्मी स्टाफ और उसके उपसेनापति होते हैं। मैं केवल स्थल सेना की विधि बता रहा हूं क्योंकि विमान सेना पर भी यही बात लागू है। ऐसी बात नहीं कि कुल आवेदकों में से केवल दो या तीन का ही इंटरव्यू किया जाता है। उनके पास सब के कागजात होते हैं और जब से किसी अफसर को कमीशन मिलता है तभी से उसकी गोपनीय रिपोर्टें भी होती हैं। इन सब चीजो को देखा जाता है। इसके अलावा जरनैल जो इंटरव्यू लेते हैं उन्हें वैसे भी उम्मीदवारों की योग्यता का पता रहता है क्योंकि उनके साथ उन्होंने काम किया हुआ होता है। इन सब बातों को सोच कर ही अन्त में एक प्रकार का समन्वय कर लिया जाता है। इसके बाद प्रतिरक्षा सचिव के माध्यम से यह चीज प्रतिरक्षा मंत्री के सामने आ जाती है। यह भी कहा गया कि इन मामलों मे मंत्रालय के सचिव, संयुक्त सचिव तथा उपमंत्री तक भी हस्तक्षेप करते हैं। उपमंत्री तो अपने पर लगे आरोपों का उत्तर स्वयं दे सकते हैं परन्तु हमारे असैनिक कर्मचारियों की हिफाजत की प्रार्थना मैं जरूर करूंगा। संसदीय लोकतंत्र में कर्मचारियों का स्थान महत्वपूर्ण होता है। खैर बताने की बात यह है कि यह लोग अपनी निजी बात को कभी नहीं थोपते। परन्तु सैनिक अधिकारियों के काम में यदि कोई त्रुटि हो तो उसकी ओर सरकार का ध्यान दिलाना उनका कर्तव्य है। इसके बाद प्रतिरक्षा मंत्री प्रायः सभी मामलों में उन्हीं निर्णयों की पुष्टि करता है जो नीचे वालों ने कर लिये होते हैं। इस वाद-विवाद से तो यही प्रतीत होता है जैसे प्रशासन अस्त व्यस्त हो और आपसी युद्ध चल रहा हो। उन कुछ लोगों को छोड़ कर जिन्हें संसद् सदस्यों से बातचीत करने का सौभाग्य मिला और जिन्होंने यह समझा कि योग्यता के बिना राजनैतिक हस्तक्षेप से ही उन्हें उन्नति मिले, मेरे विचार में कहीं भी ज्यादा मतभेद नहीं हुआ। किसी के साथ पक्षपात नहीं किया जाता।

कल जब मैंने यह कहा कि काफी ज्यादा लैफ्टीनेंट कर्नलों को पीछे कर दिया गया, शायद उस बात से कुछ गलतफहमी हो गयी। वस्तुतः सेना में यह चीजें असामान्य नहीं हैं। दूसरे चुनाव बोर्ड में जो असैनिक सेवा भी इतना हस्तक्षेप नहीं करती क्योंकि तीन-तीन या चार-चार सौ आदमियों के कागजात देखना आसान काम नहीं है। वहां भी अनेक आदमियों को छोड़ दिया जाता है। चार-चार सौ अफसर नहीं भी लिये जाते। अपीलें भी आती हैं परन्तु आभास होता है कि सैनिक संस्थानों में अपीलें स्वीकार नहीं की जातीं। वहां एक निर्णय पर अटल रहा जाता है। यदि किसी के मामले में न्याय न हुआ हो तो सरकार के पास वे लोग अभ्यर्थना करते हैं या राष्ट्रपति के पास प्रार्थना की जाती है और राष्ट्रपति मंत्रियों के परामर्श के अनुसार कार्यवाही करता है।

चाहे विरोधी दल इन बातों से संतुष्ट हो या न हो पर मैं सभा को जरूर बताना चाहता हूं कि तरक्कियां देते समय सभी प्रकार की उचित बातों का ध्यान रखा जाता है और सही तरीका अपनाया जाता है। अन्याय नहीं किया जाता।

यह एक सच बात है कि जो अफसर कमीशन प्राप्त नहीं होता, जब वह कप्तान बन जाता है तब वह यह सोचता है कि वह जरनैल भी बन जायगा। किन्तु उसकी योग्यता का निर्णय तो दूसरों को करना पड़ता है।

अब दो मामले हैं। एक तो कप्तान का मामला है। अब वह राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकाडेमी का प्रधान है। उसने जो काम किया है उसकी प्रशंसा हर जगह हो रही है। जो नियम इस सम्बन्ध में लोक लेखा समिति ने बताया है, वह इस मामले पर लागू नहीं होता। नौसेना के जिस संस्थापन का अध्यक्ष वह है वहां जो गड़बड़ हुई, वह यह थी कि उसमें जो त्रुटियां थीं उनकी जांच स्पैशल

पुलिस कर रही है। प्रत्यक्षतः वह चीजें बुरी हैं पर मैं उनके बारे में ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। यह घटना अप्रैल १९५९ की है। इस अफसर को अकाडमी में दिसम्बर, १९५८ में तरक्की दी गयी थी। सरकार को यह आशा न थी कि उसकी तरक्की से वहां कुछ गड़बड़ी हो जायगी। वह चीज बाद में हुई। मामले की जांच की जा रही है। नीचे के पद का अफसर मुअत्तिल है और पुलिस जांच कर रही है।

मैं न तो किन्हीं व्यक्तियों के नाम लेना चाहता हूं और न ही उनके बारे में किसी प्रकार की राय व्यक्त करना चाहता हूं परन्तु तथ्यों के सम्बन्ध में सही-सही बातें बताना तो मेरा कर्तव्य है। कल आचार्य कृपालानी ने चीफ आफ जनरल स्टाफ की नियुक्ति की बात कही। चीफ आफ जनरल स्टाफ मुख्य कार्यालय का एक पी० एस० ओ० होता है। यह कहा गया कि जिस अफसर को अब वहां पर लगाया गया है वह आरमी सर्विस कोर का व्यक्ति है और इस कोर के आदमी काफी समय से इस पद पर नहीं लगाये जा रहे। यह भी कहा गया कि यह तरक्की राजनीतिक आधार पर की गयी है परन्तु यह आरोप गलत है। हम राजनीति का समावेश नहीं करते। राजनीति तभी आती है, जैसा कि प्रधान मंत्री ने कहा कि कुछ क्षुब्ध अफसर संसद् सदस्यों के पास पहुंचते हैं और ऐसा दबाव डलवाना चाहते हैं। यह अफसर अंग्रेजों के समय रॉयल सस्सेक्स रेजीमेंट में इन्फेंटरी सिपाही के रूप में कमीशन युक्त हुआ था। उसके बाद वह राजपूताना राइफल्स में आया जिसे नेपियर राइफल्स कहते थे। २८ साल की सेवा में ए० एस० सी० में उसने ८ वर्ष गुजारे। उसके बाद २० वर्ष तक वह इन्फेंटरी अफसर रहा। एक निश्चित समय तक सेवा करने के बाद एक अफसर एक जगह नहीं रहता। इस कारण वह फिर बिहार रेजीमेंट में चला गया। उसने ब्रिगेड और डिवीजन की कमान भी संभाली। ऐसा काम सात वर्ष तक उन्होंने किया। दूसरे महायुद्ध में वह बर्मा में मोर्चों पर भी गया था और फिर काश्मीर की लड़ाई में भी उसने भाग लिया। कोरिया के तटस्थ राष्ट्रों के आयोग में भी वह सम्मिलित रहा। इन कामों में उसने अनेक स्थानों पर खतरनाक से खतरनाक काम करके दिखाये। हाल ही में उसे विशिष्ट सेवा पदक भी दिया गया था। इस पदक की सिफारिश सरकार नहीं वरन सैनिक विभाग ही करता है। यह सिफारिश चीफ आफ आर्मी स्टाफ के द्वारा आती है। केवल मकान बनाने के लिए ही तरक्की नहीं दी जाती। वैसे मकान भी बड़े महत्वपूर्ण हैं दो महीनों में पूरे डिवीजन के लिए मकान बना देना आसान काम नहीं है। परन्तु यह मकान बनाने का पुरस्कार नहीं है। अफसर की सारी बातों पर ध्यान दिया गया; उसकी वीरता, वफादारी और उसकी कुशलता आदि पर पदक देते समय विचार किया गया।

हैलीकॉप्टर का भी उल्लेख किया गया, यह इसलिए हुई थी क्योंकि क्वार्टर मास्टर जैनरल अंशतः युद्ध सम्बन्धी विद्या से संबद्ध हैं, वह भी बड़े महत्वपूर्ण सदस्य थे और साथ ही यह बात भी थी कि ज्यादा कार्यकत्ता भी आगे नहीं आ रहे थे। यदि ऐसे कुशल व्यक्ति न होते तो हैलीकॉप्टर को मजबूर होकर उतारने का खतरा था जिससे उनकी जानें जा सकती थीं। २ दिसम्बर को यह काम अपनी इच्छा से उन्होंने अपने जिम्मे लिया और चीफ आफ आर्मी स्टाफ की मंजूरी भी शायद इसमें थी। हैलीकॉप्टर काश्मीर में मजबूर होकर उतारना पड़ा और फिर मौसम खराब चलने लगा। हैलीकॉप्टर को इस कारण क्षति नहीं पहुंची कि वह किसी खास देश में बना था। यदि हम किसी और देश से भी उसे खरीदते तब भी वैसी कठिनाई हो सकती थी। इसके साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि चालक को हम ने हमारे सिक्योरिटी नक्शे नहीं दिये थे। हमारा सह-चालक भी साथ था और वही बताता जा रहा था कि अब इस तरफ जाया जाय और अब इस तरफ। इसी प्रकार लोअर फार्मेशनों को मेरे कहने की भी कोई बात नहीं थी।

आचार्य कृपालानी ने प्रतिरक्षा मंत्री पर अनेक प्रकार के आरोप लगाये। मेरे विचार में सभा की राय मंत्री की स्थिति स्पष्ट कर देगी। शायद यह आरोप वैसे ही हैं जैसे कि वारेन हैस्टिंग्ज पर

[श्री कृष्ण मेनन]

लगाये गये थे और अन्त में वारेन हेस्टिंग्ज को आरोपों से मुक्त कर दिया गया था। आचार्य ने कहा है कि मैंने सेना में गुटबंदी पैदा कर दी है परन्तु मेरा विचार है कि इस गुटबन्दी की जिम्मेदारी वस्तुतः आचार्य कृपलानी की है जो हर शरारती की बातें सुनते हैं और इस तरह से सेना में अश्रद्धा का प्रचार होता है। मुझे आशा है कि आचार्य कृपालानी प्रधान मंत्री को यह बात अवश्य बतायेंगे कि वे जैनरल और चीफ आफ आर्मी स्टाफ के बीच हुए पत्र-व्यवहार के बारे में अवश्य कुछ बतायेंगे। जानकारी के रहस्योद्घाटन के मामलों की जांच की जा रही है, इसलिए मेरा यह कर्तव्य है कि मैं आचार्य जी से कहूं कि देशभक्त होने के नाते उस जांच में हमारा सहयोग करें। उसे यूं ही तो आचार्य कृपालानी भी नहीं देख सकते क्योंकि मैं इन चीजों को तालो में रखता हूं।

इसके बाद मुझ पर यह आरोप है कि मैं सशस्त्र सेनाओं का साहस डिगाता हूं। मैं केवल यही कह सकता हूं कि सेनाओं का साहस और धैर्य पहले की अपेक्षा कहीं ज्यादा है क्योंकि न केवल उनके वेतन ही बढ़े हैं वरन देश में शिक्षा के प्रसार के साथ-साथ वह अपने काम के मूल्य को भी ज्यादा समझ रहे हैं। हमारे सैनिक कांगो आदि जैसे देशों के कष्टदायक काम पर जाने के लिए तत्पर हो जाते हैं यह बात ही यह जाहिर करती है कि सैनिकों का साहस आगे से बहुत बढ़ा हुआ है।

इसके बाद मुझ पर यह आरोप लगाया जाता है कि मैं एक निर्धन देश का धन अपव्यय कर रहा हूं। उत्पादन से हम ने जो विदेशी मुद्रा बचायी है उसी से हमारी सही स्थिति का अनुमान लग जाता है। दूसरे हमारे यहां सब ही की जिम्मेदारी है। हम ने रुपया जाया नहीं किया बल्कि १$^1/_2$ करोड़ रुपया बचाया है। आचार्य कृपालानी खुद इस चीज को देख सकते हैं।

आप लोगों ने लेखा-परीक्षा के प्रतिवेदन पढ़े हैं किन्तु उनके उत्तर नहीं। पिछले साल ५० चीजों के बारे में रिपोर्ट थी जो अलेक्जेंडर कनिंघम के समय की रही होंगी शायद। लोक लेखा समिति कुछ चीजों को तो मान ही गयी है।

इसके बाद मुझ पर यह आरोप भी है कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में मैं तानाशाही देशों का पक्ष लेता हूं। मैं केवल अपनी सरकार की नीति का अनुसरण करता हूं जो स्पष्ट रूप से तटस्थता की नीति है। यदि कोई तानाशाही देश हमारी तटस्थ नीति का समर्थक है तो हम उसका विरोध क्यों करें?

उन्होंने यह भी कहा कि चीनी आक्रमण से देश की रक्षा करने में हम ने लापरवाही की। चाहे मुझे फिर भी गलत ही क्यों न समझा जाय परन्तु हमारे देश की यह नीति नहीं कि हम चीन जितनी सेना भर्ती करें। हमारे पास संसाधन भी नहीं हैं। परन्तु जिम्मेदारी से मैं यह बात कहना चाहता हूं कि इन हालात में हमारी सीमाएं अच्छी तरह से सुरक्षित हैं। हमारी सेनाएं वहां हैं और साज-सामान भी हमारा अच्छा है।

विरोधी दल के लोग कई बार यह कहते हैं कि हम फोटो आदि का साज सामान गैर-सरकारी क्षेत्र से ही क्यों नहीं खरीद कर लेते। हमें सरकारी गैर-सरकारी क्षेत्र में किसी प्रकार की रुचि नहीं है पर हमें तो चीज ही अच्छी चाहिए। जब इन ट्रकों का निर्माण किया गया उस समय हमें यह बताया गया कि अन्य निर्माता रेडियेटर भी बना रहे हैं और हम उनसे माल खरीदें। हमने माल खरीदा। परन्तु वह ट्रक खराब निकले।

तरक्कियों के बारे में पिछली बार प्रधान मन्त्री ने बताया था : "आचार्य कृपालानी ने कुछ सदस्यों की बातों का उल्लेख किया। बात वास्तव में यह है कि जैनरल अयूब खां वगैरह के बारे में वे सब बातें ठीक नहीं थीं। उदाहरणार्थ आचार्य कृपालानी ने राजनीतिक कारणों की बात कही। मैं आचार्य जी को निमन्त्रण देता हूं कि वे आएं और फाइलों का निरीक्षण कर लें।" उसके बाद प्रधान

मन्त्री ने कहा कि आचार्य जी एक अच्छे दल के सम्मानित नेता हैं। परन्तु अब तो दल ही नहीं रहा वह खुद ही को आगे बढ़ाते हैं। प्रधान मन्त्री बहुत सी आशायें रखते थे किन्तु निराशा के लिए। उन्होंने सारी सभा को निमन्त्रण दिया था कि वे कागजात देख सकते हैं। इसी चीज पर इन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि फाइलें देख ली जायं और वह वहां न बैठेंगे।

†**श्री रंगा :** यदि निमन्त्रण अब भी हो तो अध्यक्ष महोदय एक समिति निश्चित कर सकते हैं।

†**श्री कृष्ण मेनन :** परन्तु न आचार्य ने लिखा और न ही किसी और ने। केवल एक सदस्य ने लिखा था। हमने हर चीज उनके लिये तैयार रखी पर वह भी न आए।

†**आचार्य कृपालानी :** वास्तव में मैंने लिखा था कि केवल पुस्तकों से ही सारी स्थिति का ज्ञान नहीं हो सकता। अफसरों का साक्ष्य भी आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या १२५०, १२२७ तथा २७१ मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय द्वारा अन्य सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रतिरक्षा मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गयीं तथा स्वीकृत हुईं।—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
८	प्रतिरक्षा मन्त्रालय . . .	४०,१८,०००
९	प्रतिरक्षा सेवायें, क्रियाकारी सेना . .	१,९०,९५,६५,०००
१०	प्रतिरक्षा सेवायें, क्रियाकारी नौसेना . .	१८,३७,६०,०००
११	प्रतिरक्षा सेवायें, क्रियाकारी वायुसेना . . .	५७,६९,०२,०००
१२	प्रतिरक्षा सेवायें, अक्रियाकारी प्रभार . .	१७,०४,९५,०००
१११	प्रतिरक्षा का पूंजी व्यय	३०,२१,८८,०००

सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय

अब सभा के सामने सामुदायिक विकास **वर्ष १९६१-६२ के लिये सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगे प्रस्तुत की गयीं :**

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
६	सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय . . .	२७,९९,०००
७	सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा सहकारिता	२,७५,५७,०००
११०	सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय का पूंजी व्यय . . .	४,९६,०४,०००

†मूल अंग्रेजी में

†श्री रघुबीर सहाय (बदायं) : पंचायत राज की प्रगति के लिये गम्भीर कदम उठाने के कारण मैं इस मन्त्रालय को बधाई देता हूं। आन्ध्र और राजस्थान में इस दिशा में काफी प्रगति हुई है।

[श्री हेडा पीठासीन हुए]

उड़ीसा, पंजाब, आसाम और मैसूर में तीन टायर की प्रणाली अपनाई जा रही है। यह छोटी सफलता नहीं है। जहां तहां पंचायतें बनी हैं वहां जनता की हालत में सुधार हुआ है। अब जनता की यह प्रवृत्ति भी नहीं रही कि वे अफसरों पर ही हर चीज का दोष लगाते रहें।

सामुदायिक विकास के बारे में जनता का यह आरोप था कि जनता में इससे भरोसा पैदा नहीं होता। परन्तु पंचायत राज के स्थापित हो जाने से यह भरोसा भी पैदा होने लगा है। अब जनता खुद आगे बढ़ने का प्रयास करने लगी है।

गुजरात की स्थिति और भी आशाप्रद है। क्योंकि वहां पर तो लोग चन्दे देकर भी आगे बढ़ने लगे हैं। सामुदायिक विकास के कार्य की निन्दा का एक कारण यह भी बताया जाता है कि इससे अनुसूचित जातियों की स्थिति नहीं सुधरती। परन्तु जहां कहीं भी हमने जाकर देखा है, वहां दूसरी ही चीज का हमें पता चला है। हमने देखा कि गुजरात में अस्पृश्यता नाममात्र को भी नहीं है।

†श्री क० उ० परमार (अहमदाबाद--रक्षित--अनुसूचित जातियां) : मैं गुजरात का ही हूं किन्तु माननीय सदस्य जो भी कह रहे हैं वह गलत है। गुजरात में अनुसूचित जातियों से बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता है।

†श्री रघुबीर सहाय : गुजरात में गांधी जी के सिद्धान्तों के अनुसार यह काम हुआ है। हमने अपनी आंखों से हरिजनों की हालत देखी है जो पहले से बेहतर है। एक जगह तो सारी पंचायत ही हरिजनों ने चुनी है। पर माननीय सदस्य अपने विचार रखने के हकदार हैं। मैं यह तो नहीं कहता कि हरिजनों की सारी शिकायतें दूर हो गयी हैं। पर आगे से हालत अच्छी ही है।

गुजरात और राजस्थान में जहां कहीं भी सम्भव है हरिजनों को भूमि भी दी जा रही है। किन्तु यह बड़े दुख की बात है कि अभी कुछेक राज्यों में पंचायत राज की प्रगति नहीं हुई। उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल नामक राज्य इस मामले में पिछड़े हुए हैं।

मन्त्री महोदय के समक्ष मैं कुछ सुझाव रखूंगा। अभी हाल ही में यह निश्चय किया गया था कि राज्यों को कुछ राशि इस उद्देश्य से दी जायेगी कि वह उन खंडों को इनाम के रूप में दी जाय जहां आत्म निर्भरता तथा अपनी सहायता आप करने की भावना को प्रोत्साहन मिला है। मेरा मत है कि यह सहायता केवल उनको दी जाय जिन्होंने वास्तव में अच्छे कार्य किये हैं। राज्यों को भी जो अनुदान दिया जाय वह पंचायत राज्य लागू करने की दिशा में की गयी प्रगति को ही आधार मान कर दिया जाना चाहिये।

मेरा यह भी निवेदन है कि पंचायत राज के मातहत संगठनों में विभिन्न राज्यों में जो अन्तर है वह दूर किया जाना चाहिये। जिलाधीश इस व्यवस्था के अंग न रहें प्रत्युत उन्हें इन संगठनों में दिलचस्पी लेनी चाहिये। उनकी पूरी तरह से सहायता भी करनी चाहिये और समय-समय पर उनका मार्गदर्शन भी करते रहना चाहिये। पंचायतों तथा सम्बद्ध निकायों के लिये सर्वसम्मत चुनाव हों। इसके लिये हमें भी मार्गोपाय खोज निकालने चाहियें। अधिकारियों तथा अन्य लोगों के लिये निरन्तर प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जानी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

मैं यह भी निवेदन करूंगा कि देश भर में सामुदायिक विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत काम करने वाले विभिन्न अधिकारियों के लिये पदों के एक से नाम होने चाहियें। पंचायतों के चुनाव सर्व-सम्मति से किये जाने चाहियें। देखा गया है चुनावों में बहुत गड़बड़ होती है। इसके साथ ही पंचायत अधिकारियों को उचित प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिये। मेरा यह भी सुझाव है कि सामुदायिक विकास मंत्रालय का नाम भी बदल दिया जाना चाहिये। अच्छा हो यदि मंत्रालय का नाम बदल कर उसे पंचायत राज मंत्रालय कर दिया जाय।

श्री कुन्हन (पालघाट—रक्षित अनुसूचित जातियां) : सामुदायिक विकास का कार्यगत ९ वर्षों से चल रहा है। हमने करोड़ों रुपये इस पर खर्च किये हैं। परन्तु यह एक कटु सत्य है कि इन कार्यक्रमों ने आरम्भ में जो उत्साह और जोश लोगों में पैदा किया था, वह धीरे धीरे कम हो रहा है। इसके आयोजन में केन्द्रीकरण है।

[डा० सुशीला नायर पीठासीन हुई]

इस उत्साह की निरन्तर गिर रही गति को स्वयं कांग्रेस दल के, एक सरकारी पत्र 'आर्थिक समीक्षा' के जून अंक में भी इसे स्वीकार किया गया है। सम्पादक ने इस बात पर भी सन्देह प्रकट किया है कि हमारी पंचायतें ठीक ढंग से कार्य कर रही हैं। मेरा मत है कि हमें इस बारे में विकेन्द्रीय-करण पर विचार करना चाहिये। यह भी सत्य है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में कृषि उत्पादन को उच्चतम प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ग्राम सेवकों को, जिनसे आशा की जाती है कि वे किसानों को कृषि के नये ढंग सिखायें, वे स्वयं कुछ नहीं जानते। व्यवहारिक अनुभव में तो वे नितान्त कोरे होते हैं। हमें इस दिशा में इस बात को याद रखना चाहिये कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद के गत १३ वर्षों में हम २००० करोड़ रुपये के खाद्यान्नों का आयात बाहर के देशों से हो चुका है।

कृषि उत्पादन को प्रोत्साहन देने की दिशा में मेरा सुझाव है कि उर्वरक इत्यादि खरीदने के लिये किसानों को ऋण देने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिये। इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिये कि जरूरतमन्द लोगों को ऋण समय पर प्राप्त हो जाये। मैं इस तथ्य की ओर भी सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं कि कृषि औजारों को सुधारने के लिये कोई प्रयत्न नहीं किये गये हैं। मैं निवेदन करूंगा कि कृषि के कामों के लिये पर्याप्त मात्रा में लोहा और इस्पात दिया जाना चाहिये। इसके साथ ही यह भी बड़ा आवश्यक है कि सिंचाई के छोटे छोटे कार्यक्रमों की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

एक अन्य महत्वपूर्ण बात जिसकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं वह यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बहुत बढ़ गयी है और खेतिहर मजदूरों की आय कम हो गयी है। इन समस्याओं को हल करने के मामले में अनुसूचित जातियों तथा पिछड़ी जातियों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। मेरा सुझाव है कि अधिक कुटीर उद्योग आरम्भ किय जाने चाहियें और भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि दी जानी चाहिए। खादी आयोग ने इस दिशा में में कुछ नहीं किया हालांकि उन्हें काफी आर्थिक सहायता दी गयी है। काम करने वालों के प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यक्रमों का भी कुछ ठोस परिणाम नहीं निकला। हमें प्रशिक्षित लोगों को सामुहिक हित में समुचित कामों पर लगाना चाहिये।

अब मैं समाज कल्याण के कार्य के प्रति आता हूं। इस दिशा में मैं यह निवदन करना चाहता हूं कि समाज कल्याण बोर्ड तथा सामुदायिक विकास प्रशासन में समुचित समन्वय होना चाहिये। यह बात तो अब सब लोग जानते हैं कि जिन महिला कार्यकर्तृयों को हम गांवों में भेज रहे हैं, वे गांव में महिला कल्याण की ओर अपेक्षित ध्यान नहीं दे रही। यह बड़ी गम्भीर बात है इसकी ओर पूरा

ध्यान दिया जाना चाहिये। मैं इस बात पर जोर दूंगा कि बच्चों की देखभाल तथा बाल कल्याण के कार्यक्रमों को चालू करने के लिये महिला मण्डलों और शिशु सदनों की स्थापना की जानी चाहिये। आशा है कि मेरे सुझावों पर मंत्री महोदय समुचित ध्यान देंगे।

†**श्री ओझा** (झालावाड़): देश के लिए नेता तैयार करना बड़ा ही कठिन कार्य है। इस मंत्रालय के पास यह कार्य है। ग्राम पंचायतों, सहकार और सामुदायिक विकास का महत्वपूर्ण कार्य यह मंत्रालय कर रहा है। हमने अपने देश के लिए लोकतंत्रीय व्यवस्था को स्वीकार किया है। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था का वास्तविक आधार ग्राम पंचायतें हैं। उन्हें अवश्य शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए। इससे खंड तथा जिला स्तर की अन्य संस्थायें अधिक प्रभावशाली बन सकेंगी।

इस दिशा में यह उल्लेखनीय है कि गुजरात में ग्राम पंचायतें काफी पहले आरम्भ की गयी थीं और अपने वर्तमान रूप में वे बहुत सफलतापूर्वक काम कर रही हैं। आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में सर्वतोमुखी विकास हुआ है। इसका मुख्यत: कारण यह है कि पंचायतों का काम गैर सरकारी लोगों द्वारा चलाया जा रहा है। हमने इनका भाग्य सरकारी अधिकारियों के हाथों में नहीं सौंपा है। मेरा मत यह है कि पंचायतों को सफलतापूर्वक चलाने के लिए यह आवश्यक है कि उनके विकास का काम उन लोगों के हाथों में सौंप दिया जाये जिनमें जनता की सेवा करने की नि:स्वार्थ भावना हो।

यह बात भी उल्लेखनीय है कि सौराष्ट्र में जो प्रयोग हुआ है वह सफल रहा है। उससे यह प्रकट हो गया है कि यदि जिला, खंड अथवा पंचायत स्तरों पर संस्थाओं को समुचित रूप से अधिकार दे दिये जायें, तो यह प्रभावी ढंग से तथा अधिक कार्य निपुणता से कार्य कर सकती हैं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इस दिशा में सहकारिता आन्दोलन को शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए। सहकारी समितियों को जो ऋण दिया जाता है उसे उत्पादक कार्यों में प्रयोग किया जाना चाहिए। मध्यम कालीन तथा दीर्घ कालीन कार्यों के लिए अधिक धन दिया जाना चाहिए। सहकारी समितियों की ऋण लेने की क्षमता को बढ़ाने के लिए सरकार को इनकी अंश पूंजी में हाथ बटाना चाहिए। इससे सहकारी समितियों को अपने धन का समुचित उपयोग करने का अवसर मिलेगा। समुचित क्रय विक्रय समितियां भी स्थापित की जानी चाहिएं। प्रत्येक जिले में एक आदर्श सहकारी समिति होनी चाहिए, ताकि किसान लोग सहकारिता आन्दोलन के महत्व को महसूस कर सकें। मैं यह भी चाहता हूं कि सामुदायिक विकास का काम ग्राम पंचायतों तथा सहकारी समितियों के साथ सम्बद्ध कर दिया जाना चाहिए।

मैं यह तो नहीं कहना चाहता कि अस्पृश्यता समाप्त हो गयी है परन्तु यह ठीक है कि यह तीव्रता से समाप्त होती जा रही है। आशा करनी चाहिए कि ग्राम पंचायतों आदि के माध्यम से हम इस बुराई को समाप्त करने में सफल हो जायेंगे। अब तो बहुत से हरिजन लोग सरपंच चुने गये हैं और शीघ्र ही गांवों से यह रोग समाप्त हो जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० क० ब० मेनन (बडागरा) : मैं पहले पंचायतों और बाद में सहकारिता पर बोलूंगा। पंचायतों के सम्बन्ध में जो प्रयोग राजस्थान और आंध्र में हो रहे हैं, वह न केवल महत्वपूर्ण हैं परन्तु रोचक भी हैं। हमारे देश की प्रशासन व्यवस्था का आधार इन प्रयोगों की सफलताओं पर निर्भर करता है। हम पश्चिमी लोकतंत्र के मार्ग पर चल रहे हैं। परन्तु हमें यह याद रखना चाहिए कि नयी नयी संस्थाओं को जनता तब ही स्वीकार कर सकती है जब कि इन संस्थाओं का आधार उनके अपने अनुभव, अपनी परम्परायें तथा अपनी संस्कृति होता है।

पंचायत व्यवस्था तो पुरातन काल से हमारे देश में चल रही है। मेरा निवेदन है कि इनके अधिकारों का विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिए। पंचायतों के पुनरुत्थान के साथ ही वित्त तथा न्याय व्यवस्था जैसे मामलों में भी विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिए। पंचायतों के मामले में मेरी यह शिकायत है कि पंचायतें पंचायत समिति (पंचायतों के संघ) का दुम छल्ला बन कर काम कर रही हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह पंचायत प्रणाली के विकास के लिए अच्छा लक्षण नहीं है। हमें गांव वासियों में यह भावना पैदा करनी चाहिए कि गांवों के उत्थान की अन्ततोगत्वा जिम्मेदारी उनकी अपनी है इसी उत्तरदायित्व की भावना से ही गांव में क्रांति आयेगी और वे आत्म निर्भर बन सकेंगे।

मैं इस बात को निराधार मानता हूं कि यदि राजनीतिक दलों के आधार पर गांव पंचायतों के चुनाव लड़े जायेंगे, तो गांवों में दलबन्दी के झगड़े और अधिक बढ़ जायेंगे। इसके विपरीत राजनीतिक दल गांवों में भाईचारे की प्रभावशाली भावना पैदा करते हैं। इसका यह लाभ होता है कि कि गांव वाले प्रायः जो गांव के कुछ शक्तिशाली परिवारों से भयभीत हो कर रहते हैं, उनसे मुक्त हो जाते हैं। उनके चंगुल से उनका उद्धार हो जाता है।

मैं इस मत का भी हूं कि पंचायतों में सर्व सम्मति से चुनाव कराने की नीति खतरनाक सिद्ध होगी। विरोधी पक्ष का होना लोकतंत्र की सब से अधिक आवश्यकता है। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए और इस भावना को पूरा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इस दिशा में मेरा सुझाव यह है कि विभिन्न राज्यों में सामुदायिक विकास परियोजनाओं के प्रयोग के मार्ग दर्शन और नियंत्रण के लिए एक संगठन स्थापित किया जाना चाहिए। साथ ही यह भी याद रखना चाहिए कि इस प्रयोग का उचित प्रचार भी किया जाय। सामान्य जनता की इसके प्रति रुचि हो ताकि उसके कार्यान्वित करने के मामले में सभी व्यक्तियों को आवश्यक जानकारी प्राप्त हो सके।

हमारी सहकार सम्बन्धी विधि में कोई एकरूपता नहीं है, यह कमी दूर की जानी चाहिए। सहकारी समितियों का स्तर ऊंचा करके उन्हें लाभदायक संस्थायें बनाया जाना चाहिए। सरकार को सदन को यह भी बताना चाहिए कि काश्मीर की सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए कितना अनुदान दिया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रत्येक छोटे से छोटे गांव में भी आरम्भ किया जाना चाहिए। १९६३ तक सारे देश भर में सामुदायिक विकास खंडों का जाल बिछ जाना चाहिए।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

पिछड़े हुए क्षेत्रों के लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और उनके लिए निःस्वार्थ भावना से काम किया जाना चाहिए। विकास आयुक्तों का प्रायः तबादला नहीं किया जाना चाहिए। इससे भी कार्य में गड़बड़ी हो जाती है। सहयोग तथा समन्वय प्राप्त करने मे भारी कठिनाइयों का सामना करना होता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
६	१५७६	श्री खुशवक्त राय	सामुदायिक विकास कार्य में जनता का सहयोग प्राप्त करने में असमर्थ रहना	१०० रुपये
६	२३७	श्री म० बो० ठाकुर	प्रत्येक जिले में किसान सहकारी बैंक खोलने की आवश्यकता	१०० रुपये
६	२५०	श्री म० बो० ठाकुर	किसानों की सेवा के लिये देश भर में सेवा सहकारिताओं की स्थापना करने की आवश्यकता	१०० रुपये
६	३०१	श्री अरविन्द घोषाल	राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनाओं तथा सामुदायिक विकास खंडों में स्वास्थ्य केन्द्रों का कार्य	१०० रुपये
६	८३१	श्री अरविन्द घोषाल	पश्चिम बंगाल में सामुदायिक विकास खंडों तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं की असफलता	१०० रुपये
६	८३२	श्री अरविन्द घोषाल	पश्चिम बंगाल में सामुदायिक विकास खंडों की अलोकप्रियता	१०० रुपये
६	८३३	श्री अरविन्द घोषाल	पश्चिम बंगाल के खंड क्षेत्रों में कृषि उत्पादन बढ़ाने में असमर्थता	१०० रुपये
६	८३४	श्री अरविन्द घोषाल	पश्चिम बंगाल के खंड क्षेत्रों में दुहरी फसल प्रणाली लागू करने में असमर्थता	१०० रुपये
६	८३५	श्री अरविन्द घोषाल	पश्चिम बंगाल के खंड क्षेत्रों में छोटे सिंचाई के कार्य करने में असमर्थ रहना	१०० रुपये
६	८३६	श्री अरविन्द घोषाल	पश्चिम बंगाल के खंड क्षेत्रों में छोटे पैमाने के उद्योग विकसित करने में असमर्थ रहना	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
६	८५३	श्री अरविन्द घोषाल	निकटवर्ती क्षेत्रों के सामुदायिक विकास खंडों के कार्यों में समायोजन करने की आवश्यकता	१०० रुपये
६	८५४	श्री अरविन्द घोषाल	एकीकृत परियोजनाओं के लिये निकटवर्ती खंडों की खंड समितियों की अधिक संयुक्त बैठकें करने की आवश्यकता	१०० रुपये
६	८५५	श्री अरविन्द घोषाल	एकीकृत परियोजनाओं के लिये प्रत्येक जिले की खंड समितियों और विकास समितियों की अधिक संयुक्त बैठकें करने की आवश्यकता	१०० रुपये
६	८५६	श्री अरविन्द घोषाल	सामुदायिक विकास खंडों की स्थापना सम्बन्धी नीति में परिवर्तन करने की आवश्यकता	१०० रुपये
६	८५७	श्री अरविन्द घोषाल	निकटवर्ती गैर खंड क्षेत्रों की पंचायतों के संघ बोर्ड तथा खंड समिति क्षेत्रों की संयुक्त बैठकें करने की आवश्यकता	१०० रुपये
६	८५८	श्री अरविन्द घोषाल	ऐसे क्षेत्रों को जो कि अपने विकास के लिये गैर खंड क्षेत्रों पर निर्भर हों उनको पृथक रखने की नीति में परिवर्तन करने की आवश्यकता	१०० रुपये
६	९०७	श्री अरविन्द घोषाल	पश्चिम बंगाल के खंड क्षेत्रों में गृह उद्योगों का विकास करने में असफलता	१०० रुपये
६	९०८	श्री अरविन्द घोषाल	पश्चिम बंगाल के खंड क्षेत्रों में बीजों का वितरण करने में असमर्थता	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
६	९०९	श्री अरविन्द घोषाल	पश्चिम बंगाल के खंड क्षेत्रों में बीज वितरण करने में असफलता	१०० रुपये
६	९१०	श्री अरविन्द घोषाल	पश्चिम बंगाल के खंड क्षेत्रों में आवास योजनाओं की असफलता	१०० रुपये
६	९११	श्री अरविन्द घोषाल	खंड क्षेत्रों तथा उनके समक्ष निकटवर्ती गैर खंड क्षेत्रों का विकास	१०० रुपये
६	९१२	श्री अरविन्द घोषाल	पश्चिम बंगाल में सामुदायिक विकास खंडों का निर्माण	१०० रुपये
६	९१३	श्री अरविन्द घोषाल	खंड विकास अधिकारियों की शक्ति पर प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता	१०० रुपये
६	९१४	श्री अरविन्द घोषाल	पश्चिम बंगाल के सामुदायिक विकास खंडों के कार्य का पुनरीक्षण करने की आवश्यकता	१०० रुपये
६	९१५	श्री अरविन्द घोषाल	पश्चिम बंगाल के सामुदायिक विकास कार्यालयों के कार्य को नये ढंग से करने की आवश्यकता	१०० रुपये
६	९१६	श्री अरविन्द घोषाल	सरकारी तथा कार्यालय सम्बन्धी कार्य के लिये खंड विकास अधिकारियों की नियुक्ति रोकने की आवश्यकता	१०० रुपये
६	९१७	श्री अरविन्द घोषाल	पश्चिम बंगाल के स्थानीय व्यक्तियों तथा खंड अधिकारियों के बीच सम्पर्क स्थापित करने की आवश्यकता	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
६	१०१२	श्री अरविन्द घोषाल	पश्चिम बंगाल की खंड समितियों में सामाजिक कार्यकर्त्ताओं के प्रतिनिधित्व की पद्धति ।	१०० रुपये
६	१०१३	श्री अरविन्द घोषाल .	पश्चिम बंगाल की खंड समितियों में भारत सेवक समाज की निष्क्रय इकाइयों के प्रतिनिधित्व को रोकने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६	१०१४	श्री अरविन्द घोषाल .	पश्चिम बंगाल के सामुदायिक विकास खंडों के कार्य की जांच करने के लिये संसद समिति नियुक्त करने की आवश्यकता।	१०० रुपये
६	१०१५	श्री अरविन्द घोषाल .	समुदायिक विकास खंडों द्वारा व्यय की गयी राशि का उचित और कड़ा लेखा परीक्षण करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६	१०१६	श्री अरविन्द घोषाल .	ग्राम सेवक और ग्रामसेविकाओं को स्थानीय व्यक्तियों में से ही नियुक्त करने की आवश्यकता।	१०० रुपये
६	१०१७	श्री अरविन्द घोषाल .	खंड क्षेत्रों की कृषि उत्पादन की खरीद और बिक्री खंड अधिकारियों द्वारा करने की आवश्यकता	१०० रुपये
६	१०१८	श्री अरविन्द घोषाल .	खंड क्षेत्रों को व्यक्तियों को आसान किश्तों पर अदा होने वाले घरेलू ऋण देने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६	१०१९	श्री अरविन्द घोषाल .	पश्चिम बंगाल के खंड विकास अधिकारियों को कृषि श्रम जांच समिति के प्रतिवेदन से अवगत करना ।	१०० रुपये
६	१०२०	श्री अरविन्द घोषाल .	निकटवर्ती खंड क्षेत्रों के लिये विकास की एकीकृत योजनाओं की आवश्यकता ।	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
६	१०२१	श्री अरविन्द घोषाल .	खंड स्तर पर कृषि बेकारी को दूर करने की योजनाओं को बनाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
७	२८६	श्री मो० ब० ठाकुर .	तालुक स्तर पर खंड विकास समितियों के लिये राज्य के सभी दलों से प्रमुख व्यक्तियों के चुनाव की आवश्यकता ।	१०० रुपये
७	२८७	श्री मो० ब० ठाकुर .	राज्य के जिला विकास बोर्डों के लिये सभी दलों के प्रमुख प्रतिनिधियों को चुनने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
७	२८८	श्री मो० ब० ठाकुर .	जिला विकास बोर्डों में सरकारी अधिकारियों की संख्या कम करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
७	८०८	श्री अरविन्द घोषाल .	सहकारी समितियों के लिये स्थायी दौरे पर रहने वाले पथप्रदर्शकों की आवश्यकता ।	१०० रुपये
७	८०९	श्री अरविन्द घोषाल .	सहकारी समितियों के लिये स्थायी क्रय और विक्रय कार्यालय स्थापित करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
७	८१०	श्री अरविन्द घोषाल .	ग्राम नेताओं का चुनाव ।	१०० रुपये
७	८११	श्री अरविन्द घोषाल .	ग्राम नेताओं के प्रशिक्षण के लिये लोकप्रिय नवयुवकों का चुनाव करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
७	८१२	श्री अरविन्द घोषाल .	किसी सामाजिक अथवा लोक-कार्य के लिये किसी युवक-संगठन को ठेके देने से रोकने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
७	८१३	श्री अरविन्द घोषाल .	खंड विकास समिति के गैर-सरकारी सदस्यों के प्रशिक्षण की आवश्यकता ।	१०० रुपये
७	८१४	श्री अरविन्द घोषाल .	सामुदायिक विकास खंडों के लिये जीपों का प्रयोग ।	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
७	८१५	श्री अरविन्द घोषाल .	ग्राम सेवकों को पुरष्कार वितरण के लिये एक स्तर नियत करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
७	८१६	श्री अरविन्द घोषाल .	सर्वोत्तम ग्राम प्रतियोगिता में पुरस्कार वितरण के लिये एक स्तर निश्चित करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
७	८५९	श्री अरविन्द घोषाल .	पश्चिम बंगाल के खंड क्षेत्रों में सहकारितायें विकसित करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
७	८६०	श्री अरविन्द घोषाल .	राज्य के सहकारिता विभाग तथा खंड विकास अधिकारियों के बीच समायोजन करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
७	८६१	श्री अरविन्द घोषाल .	सहकारी समितियों में कुव्यवस्था ।	१०० रुपये
७	८६२	श्री अरविन्द घोषाल .	सहकारी समितियों के लिये कड़े लेखा परीक्षण की आवश्यकता ।	१०० रुपये
७	८६३	श्री अरविन्द घोषाल .	अकुशल सहकारी समितियों को सहकारी एजेंसी द्वारा चलाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
७	८६४	श्री अरविन्द घोषाल .	सहकारिताओं के लिये स्थायी औद्योगिक संगठनकर्त्ताओं की नियुक्ति करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
७	८९९	श्री अरविन्द घोषाल .	पश्चिम बंगाल में महिला समाज संगठनकर्त्ताओं की नियुक्ति रोकने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
७	९००	श्री अरविन्द घोषाल .	खंड विकास अधिकारियों द्वारा छात्रवृत्ति मंजूर करने में भेदभाव ।	१०० रुपये
७	९०१	श्री अरविन्द घोषाल .	खंड क्षेत्रों में आदर्श ग्राम योजना को क्रियान्वित करने में असफल रहना ।	१०० रुपये

†**अध्यक्ष महोदय** : उक्त कटौती प्रस्ताव सभा के सम्मुख हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

*उड़ीसा भूमि सुधार अधिनियम

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** (पुरी) : उड़ीसा भूमि सुधार अधिनियम भूतपूर्व उड़ीसा की सरकार द्वारा पारित कर दिया गया है। तथापि उस अधिनियम में उन निदेशों का पालन नहीं किया गया है जो कि योजना आयोग ने विभिन्न राज्य सरकारों को भेजे हैं। हमने राज्य सरकार को लिखा था कि वे हमें उन सुझावों की सूचना देवें जो कि उसने राज्य सरकार को दिये थे। तथापि इन सुझावों को गोपनीय रखा गया। अब क्योंकि वह सरकार, जिसने यह अधिनियम पारित किया था, बदल गयी है अतः हमें यह बताया जाय कि वे सुझाव क्या क्या थे ?

जब इस विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर किये जाने थे उस समय ३०,००० किसानों ने अपने हस्ताक्षर सहित एक ज्ञापन राष्ट्रपति को भेजा था और यह समझा गया था कि इस विधेयक में योजना आयोग द्वारा दिये गये निदेश शामिल किये जायेंगे तथापि ऐसा नहीं किया गया।

इस अधिनियम में प्रामाणिक एकड़ की परिभाषा इस प्रकार की गयी है कि इससे जमीदारों के पास आधिक्य भूमि बहुत कम रह जायेगी। उदाहरणार्थ इस विधेयक के प्रयोजन के लिये एक प्रमाणिक एकड़, वर्षा द्वारा सिंचाई किये जाने वाले तीन एकड़ों के बराबर होगा। इस प्रकार इससे भूमिहीनों को कोई लाभ नहीं होगा। मैं आशा करता हूं कि योजना आयोग इस सम्बन्ध में कुछ प्रकाश डालेगा।

परिवार की व्याख्या भी इस प्रकार की गई है कि वह योजना आयोग द्वारा दिये गये निदेशों के प्रतिकूल है। क्योंकि अधिकतम सीमा सम्बन्धी यह विधेयक देवोत्तर भूमि पर लागू नहीं होगा। इस प्रकार भूतपूर्व राजाओं की सारी भूमि बच जायेगी। परिवार की परिभाषा इस प्रकार परिवर्तित कर दी गयी है कि एक परिवार के लिये १०० एकड़ से अधिक भूमि रखना सम्भव है। मेरे विचार से ये सब बातें योजना आयोग के निदेश के प्रतिकूल हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य आधे घंटे की चर्चा के उद्देश्य से बहुत आगे बढ़ रहे हैं। इस चर्चा का उद्देश्य केवल कुछ मामलों पर स्पष्टीकरण मांगना है। यदि माननीय सदस्य इस विधेयक का निरसन करना चाहते हैं तो उन्हें इस सभा में एक दूसरा विधेयक प्रस्तुत करना चाहिये।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : मैंने जो प्रश्न पूछा था उसके उत्तर में यह कहा गया कि राज्य सरकार तथा भूमि सुधार सम्बन्धी केन्द्रीय समिति के बीच जो परामर्श होता है वह अनौपचारिक और गोपनीय प्रकार का होता है अतः उनको प्रकट करना लोकहित में नहीं है। अब क्योंकि यह विधेयक अधिनियम बन चुका है अतः गोपनीयता का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। अतः मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि उन सिफारिशों को इस अधिनियम में शामिल किया गया था या नहीं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य केवल यह जानना चाहते हैं कि केन्द्रीय भूमि सुधार समिति के सुझाव, जिन पर राज्य सरकार विचार कर रही थी, वे किस स्थिति में हैं ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : भूमि का विषय राज्यों के अधीन है अतः भूमि सम्बन्धी सुधारों के सम्बन्ध में सारा दायित्व सरकारों का है। विशेष परिस्थितियों में यह प्रश्न संसद् में उठ खड़ा हुआ है। इस प्रश्न में तीन बातों के सम्बन्ध में जानकारी मांगी गयी है। हमारा यह दृष्टिकोण था कि ऐसा करना लोकहित में नहीं होगा। योजनाओं में भी हमने भूमि सुधारों के सम्बन्ध में कुछ सिफारिशें की हैं। ये सिफारिशें निदेश नहीं हैं अपितु व्यापक प्रकार की हैं उन्हें निदेश

†मूल अंग्रेजी में
*आधे घंटे की चर्चा

नहीं कहा जा सकता है। इन सिफारिशों को देश काल के अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है। निस्सन्देह राज्य ने इन सिफारिशों में कुछ परिवर्तन किया है और इसका कोई कारण भी नहीं दिया गया है। तथापि योजना आयोग इस बात का प्रयत्न करता रहा है कि राज्य अपने विधानों को उनकी सिफारिश के अनुसार बनायें।

यह सच है कि हमने उड़ीसा की सरकार को औपचारिक रूप से कुछ सुझाव दिये। इस सम्बन्ध में दोनों पक्षों के बीच काफी लम्बी चर्चायें हुईं और दोनों पक्षों ने एक प्रकार से समझौता कर लिया। इन सारी बातों का यहां पर प्रकट करना इस सारी प्रक्रिया पर आघात करना था। यही बात हमने प्रश्न के उत्तर में कही थी। क्योंकि कुछ विशेष बातों के सम्बन्ध में जानकारी मांगी गयी है अतः मैं उन्हीं बातों के विषय में उत्तर देना चाहता हूं। विधेयक के सभा में पारित होने तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने के पूर्व हमारी मुख्य मन्त्री से बातचीत हुई। इस पर यह समझौता किया गया कि खण्ड ४६ में इस प्रकार संशोधन कर लिया जायेगा। सरकार भूमि को कुछ मोटे वर्गों में वितरित कर, भूमि आयोग की सलाह से उनके बिक्री मूल्य निश्चित करेगी। बिक्री मूल्य लगान के दसगुने से अधिक नहीं होगा। वह सात किश्तों में दिया जायेगा तथा बेनामी सौदों को रोकने के लिये प्रत्येक सौदे को राजस्व अधिकारी की पुष्टि की आवश्यकता होगी।

इस पर योजना आयोग राष्ट्रपति से विधेयक की सिफारिश करने को तैयार हो गया। यह आशा की गयी थी कि इस समझौते को क्रियान्वित करने के लिये वे बाद में इसमें संशोधन कर देंगे। अब प्रश्न यह है कि यह संशोधन किस प्रकार किया जाय। क्योंकि अब चुनाव बहुत शीघ्र होने वाले हैं अतः भावी सरकार को ही यह करने दिया जाय। अभिप्राय यह है कि पहले केवल उन खण्डों को लागू किया जाय जिनमें यह बातें शामिल नहीं हैं। इन उपबन्धों को बाद में लागू किया जायेगा। इससे किसी प्रकार की हानि नहीं होने पायेगी। सम्भव है आगामी विधान सभा इससे अच्छा विधान निर्मित कर सके।

माननीय सदस्य का यह कहना सही नहीं है कि जमींदार पर इस बात का कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि वह आधिक्य भूमि की जानकारी दे या न दे। यदि कोई व्यक्ति अपेक्षित जानकारी नहीं देता है तो राजस्व अधिकारी विहित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही करेगा, यदि वह सूचना नहीं देगा तो उस पर अग्रेतर कार्यवाही की जा सकती है। इसके अलावा जो व्यक्ति धारा ४३ के अधीन विवरण नहीं प्रस्तुत करेगा उसे छूट इत्यादि से वंचित कर दिया जा सकता है।

इसमें सन्देह नहीं कि यदि कुछ धाराओं के सम्बन्ध में काफी उदारता बरती गयी है तो कुछ उपबन्ध अन्य राज्यों से भी आगे बढ़ गये हैं। उदाहरणार्थ आसामी के पास जो भी भूमि बचेगी उसका पुर्नग्रहण नहीं किया जा सकेगा। उसे वह भूमि बिना किसी प्रकार का भुगतान किये हुए प्राप्त हो जायेगी। इस प्रकार यह अधिनियम यदि किसी बात में जमींदारों के लिये उदार है तो कई बातों में किसान के लिये उदार है।

अतः मुख्य मन्त्री और हमारे बीच में इस प्रकार का समझौता हुआ है। अभिप्राय था कि इन उपबन्धों को शामिल करने के लिये विधेयक में एक संशोधन कर लिया जाय।

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, १३ अप्रैल, १९६१/२३ चैत्र १८८३ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

[बुधवार, १२ अप्रैल, १९६१ / २२ चैत्र, १८८३ (शाक)]

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	४९३१–५५
तारांकित प्रश्न संख्या	
१४५९ पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर केन्द्रीयित यातायात नियंत्रण प्रणाली .	४९३१–३२
१४६० पर्वतीय क्षेत्रों में डाक वितरण	४९३२–३३
१४६१ संयुक्त राज्य अमरीका से गेहूं का वहन . .	४९३३––३५
१४६२ कोरोनेशन पिलर सीवेज प्लांट, दिल्ली से सिंचाई का पानी .	४९३५–३६
१४६५ आयुर्वेदिक साहित्य . . .	४९३६–३७
१४६६ पर्यटक यातायात का सर्वेक्षण . . .	४९३७––३९
१४६७ आसाम के साथ बड़ी लाइन द्वारा सम्पर्क . . .	४९३९––४२
१४७० केरल में इदुकी विद्युत परियोजना . .	४९४२–४३
१४७१ सामुदायिक विकास खण्डों में रोगियों की जांच	४९४३––४५
१४७२ वनस्पति घी में रंग मिलाना . .	४९४५––४७
१४७३ चाय उद्योग के लिए उर्वरक . . .	४९४७–४८
१४७४ ग्रामों में स्थित डाक घरों के लिए फर्नीचर और स्टेशनरी .	४९४८–४९
१४७५ पैराम्बूर में निर्मित सवारी डिब्बों की लागत . .	४९४९––५१
१४७६ जहाजों द्वारा कोयले का परिवहन . . .	४९५१––५३
१४७७ हावड़ा के रेलवे गोदाम में आग . . .	४९५३––५५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	४९५५––५०२६
तारांकित प्रश्न संख्या	
१४६३ वैज्ञानिकों के लिए प्रोत्साहन योजना . . .	४९५५
१४६४ चालीसगांव और भुसावल के बीच लोकल ट्रेन चलाया जाना .	४९५५–५६
१४६८ नया हल	४९५६
१४६९ सहकारी खेती	४९५६

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१४७८ नई दिल्ली में बाल-उद्यान, आदि . . . ४९५७
१४७९ जहाजों द्वारा पश्चिम भारत को कोयले का परिवहन . . ४९५७
१४८० चीनी की कीमतें ४९५८
१४८१ टेलीफोन एक्सचेंज ४९५८

अतारांकित
प्रश्न संख्या

३०७२ उत्तर प्रदेश में चीनी के कारखाने . . . ४९५८–५९
३०७३ कृषि श्रमिकों का पुनर्वास ४९५९
३०७४ महाराष्ट्र में कृषि कालिज ४९५९–६०
३०७५ ग्वालियर और भोपाल स्टेशनों का नव-निर्माण . . ४९६०–६१
३०७६ भारतीय रेलवे में सेवायुक्त विदेशी . . . ४९६१
३०७७ पंजाब में परिवार नियोजन केन्द्र . . . ४९६१
३०७८ उत्तर रेलवे में चोरियां . . . ४९६१
३०७९ नागापट्टनम बन्दरगाह . ४९६१–६२
३०८० कोडामपक्कम स्टेशन पर ऊपरी पुल . . . ४९६२
३०८१ उड़ीसा में श्रमदान से निर्मित सड़कें . . ४९६२–६३
३०८२ उड़ीसा में राजस्व सड़कें ४९६३
३०८३ उड़ीसा में लोक-निर्माण विभाग की सड़कें . . ४९६३
३०८४ सुपारी अनुसधान केन्द्र ४९६४
३०८५ कांटावाजी और टिटलागढ़ रेलवे बस्तियों का विद्युतीकरण . ४९६४
३०८६ डाक तथा तार विभाग की रिक्तताओं का विज्ञापन . . ४९६४
३०८७ दक्षिण-पूर्व रेलवे द्वारा उड़ीसा के समाचारपत्रों में रिक्त पदों का विज्ञापन ४९६५
३०८८ कांस्टेबिल द्वारा सलभाटा में एक रेलवे कर्मचारी की हत्या . ४९६५
३०८९ भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् . . . ४९६५–६६
३०९० भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् का प्रकाशन . . ४९६६
३०९१ दुधारु ढोरों की नस्लें ४९६६–६७
३०९२ चारे का उत्पादन ४९६७–६८
३०९३ टेपिओका का आटा . . . ४९६८

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—**क्रमशः**		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
३०९४	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का वार्षिक प्रतिवेदन	४९६२–६९
३०९५	ढोर बन्ध्यता योजना	४९६९–७०
३०९६	पशुओं के रोग	४९७०–७१
३०९७	भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के प्रकाशन	४९७१
३०९८	पौधों का अभिजनन	४९७१–७२
३०९९	हरी खाद	४९७२–७३
३१००	हरी खाद सम्बन्धी अनुसन्धान	४९७३
३१०१	केंचुए	४९७३
३१०२	फसलों के एजोटोबेक्टर टीके सम्बन्धी अनुसन्धान	४९७३–७४
३१०३	फसल के कीड़ों पर नियन्त्रण के लिये डी०डी०टी० का प्रकोप	४९७४–७५
३१०४	काजू के पेड़ों को लगने वाले कीड़े	४९७५
३१०५	आम के पौदों का प्रसंकरण	४९७५–७६
३१०६	केरल के केलों का रोग	४९७६–७७
३१०७	केरल में बत्तख-पालन	४९७७
३१०८	वाई० एम० सी० ए०, मारनौडम, में अण्डे सेने की योजना	४९७७
३१०९	पशु-बन्ध्यता सम्बन्धी समन्वित योजना	४९७८
३११०	हरी खाद के लिये 'ग्लाइरिसिडिया' की खेती	४९७८
३१११	पशुओं की गणना	४९७९
३११२	पशुओं में बढ़ोतरी	४९७९
३११३	ढोरों में 'रिंडरपैस्ट' रोग	४९७९–८०
३११४	ढोर संख्या	४९८०
३११५	गाय तथा भैंसों के लिए कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	४९८०–८१
३११६	मद्रास में अनुपयोगी पशु	४९८१
३११७	केन्द्रीय गोसंवर्द्धन परिषद्	४९८१
३११८	गोसदन	४९८१–८२
३११९	पशु पालन	४९८२
३१२०	राज्यों में पशु धन	४९८२–८३
३१२१	युकेलिप्टस से अखबारी कागज का निर्माण	४९८३
३१२२	निरन्न खाद्यों सम्बन्धी अनुसन्धान	४९८४

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर —क्रमशः

अतारांकित
प्रश्न संख्या

३१२३ कपूर का निर्माण . ४९८४

३१२४ विषैले पौधों पर पुस्तिका . . ४९८४–८५

३१२५ गन्ना रोपण अनुसन्धान केन्द्र . ४९८५

३१२६ केन्द्रीय नारियल अनुसन्धान केन्द्र ४९८६

३१२७ भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति . ४९८६

३१२८ प्रादेशिक सुपारी अनुसन्धान केन्द्र . . . ४९८६–८७

३१२९ सुपारी के वृक्षों के 'पीली पत्ती' (येलो लीफ) नामक रोग के बारे में अनुसन्धान ४९८७

३१३० केरल में सुपारी के वृक्षों में 'पीली पत्ती' (येलो लीफ) नामक रोग ४९८७

३१३१ नारियल के वृक्षों के रोग . . ४९८७

३१३२ मछली पकड़ने की यंत्रीकृत नावें ४९८८

३१३३ मछली पकड़ने के जाल . ४९८८

३१३४ मछली पकड़ने के नये स्थान ४९८८–८९

३१३५ मछली पकड़ने के स्थानों की स्थापना तथा अध्ययन सम्बन्धी सगठन ४९८९

३१३६ मछुओं की प्रति व्यक्ति आय . ४९९०

३१३७ मछली पकड़ने की नावों क; यंत्रीकरण . ४९९०

३१३८ समुद्री घास . . ४९९०–९१

३१३९ समुद्रीय संसाधनों से ढोरों का चारा . ४९९१

३१४० केन्द्रीय मत्स्यपालन अनुसन्धान केन्द्र . ४९९१–९२

३१४१ 'आयल सारडीन' आदि मछलियां . ४९९२

३१४२ कोचीन और बम्बई में मत्स्यपालन प्रशिक्षण केन्द्र ४९९२–९३

३१४३ मत्स्यपालन का प्रशिक्षण . ४९९३

३१४४ पकड़ी गयी मछलियों के आंकड़े . ४९९३

३१४६ बढ़िया मछलियों का निर्यात . . . ४९९४

३१४७ मछली और मछली उत्पादों आदि का निर्यात ४९९४–९५

३१४८ अमृतसर स्टेशन पर शिकायतें . . ४९९५

३१४९ पठानकोट के टलीफोन के कनेक्शन . ४९९५–९६

३१५० अमृतसर-पठानकोट सड़क . ४९९६

३१५१ 'कार्प' मछली पालन . ४९९६

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—**क्रमशः**		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
३१५२	मत्स्यग्रहण समवाय . .	४९९६
३१५३	मत्स्यपालन सहकारी संस्थायें . .	४९९६-९७
३१५४	मत्स्यग्रहण के लिये वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग	४९९७
३१५५	मछली पकड़ने की यंत्रीकृत नाव .	४९९७
३१५६	भारतीय जल में 'शार्क' और 'रे' मछली पकड़ना	४९९७
३१५७	चानोस (दूध मछली) पालन . .	४९९७-९८
३१५८	हरी खाद के लिय 'ग्लिरिसिडिया' की खेती	४९९८
३१५९	रासायनिक उर्वरकों के बाद के प्रभाव	४९९९
३१६०	संरक्षणात्मक खाद्यों का प्रचार करना	४९९९
३१६१	खाद्य की मदों को विविध बनाना	४९९९-५०००
३१६२	जंभीरी नींबू के फल . .	५०००
३१६३	कृषि स्नातक . .	५०००—०१
३१६४	पशुपालन के स्नातक पाठ्यक्रम .	५००१
३१६५	कृषि और पशुपालन के पाठ्यक्रम	५००१
३१६६	भारतीय विश्वविद्यालयों में कीट शास्त्र के छात्र	५००२
३१६७	कीटनाशक औषधियां .	५००२-०३
३१६८	रसायनों की बिक्री	५००३-०४
३१६९	मछली उत्पादन .	५००४
३१७०	अन्तर्देशीय मीनक्षेत्र संसाधन . .	५००४
३१७१	मत्स्य प्रौद्योगिकी एकक, एरणाकुलम् का पुस्तकालय .	५००५
३१७२	कृषि विभाग में पदाधिकारी	५००५
३१७३	कृषि में अणुशक्ति का उपयोग .	५००५-०६
३१७४	भारत-नार्वे मीनक्षेत्र परियोजना, चवारा .	५००६-०७
३१७५	यात्रा एजेन्टों सम्बन्धी विधान	५००७
३१७६	हिमाचल प्रदेश में वन	५००७
३१७७	भाखड़ा बांध के अन्तर्गत भूमि का कटाव	५००७-०८
३१७८	महाराष्ट्र में नलकूप .	५००८
३१७९	पंजाब में फलों का उत्पादन .	५००९
३१८०	शाहाबाद मुहम्मदपुर हाल्ट के निकट रेल दुर्घटना	५००९

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
३१८१	रायलसीमा में सहायता कार्य	५०१०
३१८२	पंजाब में सिंचाई की बड़ी और मध्यम परियोजनायें	५०१०-११
३१८३	पश्चिम बंगाल में माल डिब्बों की कमी	५०११
३१८४	उत्तर भारत में हिमपात और ठंडी हवायें	५०११-१२
३१८५	पंजाब में गेहूं का राज्य-व्यापार	५०१२
३१८६	तलचेर तापीय संयंत्र	५०१२
३१८७	अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद	५०१२
३१८८	रेलवे संस्थापनाओं में ट्रेड एप्रेंटिस	५०१३
३१८९	दिल्ली से जेट विमान सेवा	५०१३
३१९०	उड़ीसा में उर्वरकों का संभरण	५०१३-१४
३१९१	अवर सचिवों की तालिका	५०१४
३१९२	रेलवे के लिए विश्व बैंक मिशन	५०१४
३१९३	सम्बलपुर के निकट पुल का टूट जाना	५०१४-१५
३१९४	मंत्रियों द्वारा ट्रंक काल	५०१५
३१९५	केन्द्रीय विपणन तथा सहकारी समितियां	५०१५-१६
३१९६	राष्ट्रीय राजपथ तथा पुल	५०१६
३१९७	पंचायत समितियों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदि जाति के सदस्य	५०१७
३१९८	केरल में विद्युत् परियोजनायें	५०१७-१८
३१९९	दिल्ली-श्रीगंगानगर टेलीफोन लाइन	५०१८
३२००	गहमर स्टेशन पर गाड़ी के नीचे आने वाला पत्रकार	५०१८-१९
३२०१	दक्षिण रेलवे पर स्टेशनों का विद्युतीकरण	५०१९
३२०२	दक्षिण रेलवे पर रेलवे सुरक्षा बल	५०१९
३२०३	दक्षिण रेलवे के स्टेशनों पर प्रतीक्षालय	५०१९-२०
३२०४	इम्फाल से वायरलैस द्वारा तार भेजे जाना	५०२०
३२०५	कोट्टायम में रेलवे सम्पत्ति पर अनधिकृत कब्जा	५०२०-२१
३२०६	केरल में पैकेज प्रोग्राम	५०२१
३२०७	मन्माड स्टेशन पर जल संभरण	५०२१-२२
३२०८	इगतपुरी-भुसावल सेक्शन का विद्युतीकरण	५०२२
३२०९	गाड़ियों का रुकना बन्द करना	५०२२-२३

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः	
अतारांकित प्रश्न संख्या	
३२१० सहकारी समितियों के लिये ऋण	५०२३
३२११ मध्य प्रदेश में दन्त चिकित्सा कालेज	५०२३-२४
३२१२ 'नल्लाचेरुवु ईस्ट' हाल्ट स्टेशन .	५०२४
३२१३ उत्तर प्रदेश में सहकारी समितियां	५०२४
३२१४ गन्ने का न्यूनतम मूल्य	५०२४-२५
३२१५ रेलवे की आय	५०२५
३२१६ चीनी की खपत . . .	५०२५-२६
३२१७ मद्रास राज्य में डाक तथा तार कर्मचारी	२०२६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . .	५०२७-२८
श्री राधारमण ने फारस की खाड़ी में बी० आई० एस० एन० कम्पनी के एस० एस० द्वारा जहाज में आग लग जाने के कारण कई भारतीय यात्रियों और जहाज के कर्मचारियों की मृत्यु के समाचार की ओर परिवहन तथा संचार मंत्री का ध्यान दिलाया । परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) ने इस बारे में एक वक्तव्य दिया ।	
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित	५०२८
ब्यासीवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।	
प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन—उपस्थापित	५०२९
एक सौ सत्ताइसवां तथा एक सौ इकतीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किये गये	
अनुदानों की मांगें	५०२९—६९
(एक) प्रतिरक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा जारी रही । सभी कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए तथा मांगें पूरी पूरी स्वीकृत हुईं ।	
(दो) सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।	
आध घंटे की चर्चा	५०७०-७१
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही ने उड़ीसा भूमि सुधार एक्ट के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ७९० के १३ मार्च, १९६१ को दिये गये उत्तर से उत्पन्न बातों पर आधे घण्टे की चर्चा उठायी ।	
श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री गुलजारीलाल नन्दा) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया ।	

गुरुवार, १३ अप्रैल, १९६१/२३ चैत्र, १८८३ (शक) के लिये कार्यावलि—

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा तथा मतदान ।

G.MPND—LS III—446(Ai)LSD—10-1-61—125

विषय-सूची

	पृष्ठ
अनुदानों की मांगें—जारी	
सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय . . .	५०५९-६९
श्री रघुबीर सहाय	५०६०-६१
श्री कुन्हन	५०६१-६२
श्री ओझा . . .	५०६२
डा० क० ब० मेनन	५०६३
उड़ीसा-भूमि सुधार अधिनियम के बारे में आधे घण्टे की चर्चा . .	५०७०-७१
श्री पाणिग्रही	५०७०
श्री नन्दा	५०६०-७१
दैनिक संक्षेपिका	५०७२-७८

PLS 41.LIV.42 61.
125

© १९६१ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित ।